



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 29 अप्रैल, 2026 / 09 वैशाख, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

प्रारम्भिक अधिसूचना

शिमला-171 002, 18 अप्रैल, 2026

संख्या: एम0पी0पी0 एफ(5)-1 / 2026.—समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए नामतः, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना (382 मैगावाट) के निर्माण हेतु कुल 09.10.99 हैक्टेयर 21-राजपत्र / 2026-29-04-2026 (1489)

(117-12-11 बीघा) छूटी हुई/अतिरिक्त निजी भूमि निम्नलिखित क्षेत्रों में अपेक्षित है:—

- ग्राम/महाल मुंगना, लुणसू, जैशी, भराड़ा तहसील सुन्नी,
- ग्राम/महाल मजरोग तहसील कुमारसैन जिला शिमला, और
- ग्राम/महाल भौरा, जकलीन, मगान, फफान, परलोग, बेलूढांक व खरयाली, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार (मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन और विकास योजना) नियम 2016 के नियम 4 के अधीन शिमला और मंडी जिले के जिला कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जांच का सार **अनुलग्नक-अ** पर संलग्न है। भू-अर्जन के कारण कोई भी कुटुम्बों के विस्थापन होने की संभावना नहीं है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (प्रोटोकाल), जिला शिमला तथा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला मण्डी को उनके जिलों में प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः ग्राम/महाल मुंगना, लुणसू, जैशी, भराड़ा तहसील सुन्नी, ग्राम/महाल मजरोग, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला और ग्राम/महाल भौरा, जकलीन, मगान, फफान, परलोग, बेलूढांक व खरयाली, तहसील करसोग, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश में यह अधिसूचित किया जाता है कि **09.10.99 हैक्टेयर** माप के एक भूखंड अर्थात् **117-12-11 बीघा** माप के एक भूखंड जिसका विवरण **अनुलग्नक-ब** पर संलग्न है, का अर्जन किया जाता है।

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन (प्लान) कलैक्टर भू-अर्जन, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना स्थित सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट भू-अर्जन समाहर्ता, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना और उनके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलैक्टर, भू-अर्जन, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना स्थित सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा अर्जन के बारे में कलैक्टर, भू-अर्जन, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना कार्यालय स्थित सुन्नी तहसील सुन्नी जिला शिमला के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

आदेश द्वारा,

सचिव (विद्युत)।

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 मेगावाट) के लिए की जा रही अतिरिक्त भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का सार

परियोजना और लोक प्रयोजन

सुन्नी डैम हाइड्रो-इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट जिसे लुहरी स्टेज-III के रूप में भी जाना जाता है, नदी प्रवाह प्रकार की 382 मेगावाट योजना है और लुहरी एचईपी के बहु-चरण विकास का एक हिस्सा है। यह परियोजना रामपुर और कोल डैम जलविद्युत परियोजनाओं के बीच, सतलुज नदी की जल क्षमता का दोहन करने के लिए है।

इस परियोजना में 90 प्रतिशत भरोसेमंद वर्ष में 1,369 एम यू विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रस्तावित है। सतलुज नदी की जल क्षमता का दोहन करने के लिए सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया था। परियोजना में सतलुज नदी के तल से ऊपर +71 मीटर ऊंचे बांध और दाएं किनारे पर भूमिगत बिजली घर के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

हिमाचल प्रदेश अपनी पांच प्रमुख नदियों में विशाल पनबिजली क्षमता के साथ धन्य है। हिमाचल प्रदेश की सरकार का इस परियोजना के निर्माण के लिए शिमला जिले के, मूंगना, मजरोग, भराड़ा, जैशी, लुनसु तथा मंडी जिले के बेलुढांक, भौरा, फफान, जकलीन, खरयाली, मगान और परलोग गांव में जमीन के अर्जन का इरादा है।

हिमाचल प्रदेश में पनबिजली ऊर्जा के दोहन के लिए रणनीति का पालन न्यूनतम लागत और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभावों के साथ अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्पादन करना है। जलविद्युत क्षमता का तेजी से दोहन निश्चित रूप से राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा क्योंकि सभी नए प्रतिष्ठानों पर परियोजना लागत की 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 1.5 प्रतिशत LADF (स्थानीय क्षेत्र विकास निधि), से राज्य के संसाधनों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और उत्पन्न राजस्व में से 1 प्रतिशत मुफ्त बिजली, परियोजना के पूरे जीवन काल के लिए LADA के तहत प्रभावित 20 गांवों के निवासियों के बीच वितरित की जाएगी। बिजली उत्पादन के बाद मुफ्त बिजली की 100 इकाइयों की आपूर्ति नकद के रूप में परियोजना प्रभावित परिवारों को 10 वर्षों के लिए दी जाएगी। कब्जे के समय खड़ी फसलों को नुकसान के कारण बाजार दर पर नकदी के मामले में मुआवजे का प्रावधान है। उत्तरी क्षेत्र में बिजली की बढ़ती मांग और बढ़ते ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए परियोजना की आवश्यकता भी उत्पन्न होती है।

RFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 2 उपधारा 1 (बी) के अनुसार, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना (382 मेगावाट) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (ऊर्जा उत्पादन) की परिभाषा के तहत अच्छी तरह से उचित है।

परियोजना का विवरण

स्थान / अवस्थिति

प्रस्तावित परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी के बेसिन पर स्थित है और इसके बाएं किनारे पर जिला शिमला और जिला मंडी उनके दाहिने किनारे पर है। यह बांध खैरा गाँव (जिला शिमला) के पास देशांतर 77°12'39"E और अक्षांश 31°14'53" N पर स्थित है।

भूमि अर्जन का आकार और विशेषता

इस परियोजना के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि 9-10-99 हेक्टेयर है, जो लून्सु, मुंगना, जैशी, भराड़ा तहसील सुन्नी जिला शिमला, मजरोग तहसील कुमारसैन जिला शिमला, और बेलुढांक, भौरा, फफान, जकलीन, खरयाली, मगान और परलोग गांव तहसील करसोग मंडी जिला में है।

प्रारंभ में, परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 442.20.54 हैक्टेयर मानी गई थी। परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, अतिरिक्त 9-10-99 हैक्टेयर निजी भूमि की अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है, जो कुल 12 गांवों में वितरित है। यह गांव शिमला और मंडी, इन दो जिलों की 9 ग्राम पंचायतों में स्थित हैं। इन गांवों का संबंध तीन उप-विभागों—कोटगढ़/कुमारसैन, करसोग और शिमला, और तीन तहसीलों—सुन्नी, कुमारसैन और करसोग से है। यह अतिरिक्त भूमि डैम और मलबा जमाव के उद्देश्य के लिए अधिगृहीत की जा रही है।

इस परियोजना से संबंधित कुल 496 शीर्षक धारियों में से, किसी भी PAPs को भूमिहीन नहीं किया जा रहा है। अधिकांश PAPs के पास अधिग्रहित खसरा के अलावा और भी भूमि है, चाहे वह वही पंचायत में हो या किसी अन्य में। वर्तमान अधिग्रहण प्रक्रिया में कोई भी शीर्षकधारी अपने घर नहीं खो रहा है। अधिग्रहित भूमि और PAPs के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 3 और 4 में विवेचना की गई है।

अनुकल्पों पर विचार

सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, लुहरी परियोजना का हिस्सा है, जो तीन चरणों में तीन बाँधों के निर्माण पर विचार करती है। जो लुहरी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज-I (210 मेगावाट), लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज-II (172 मेगावाट) और सुन्नी डैम हाइड्रो-इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट (382 मेगावाट) है।

सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के बहाव में 800 MW कोल डैम जल विद्युत परियोजना है। लुहरी परियोजना के अपस्ट्रीम में 412 MW रामपुर HEP स्थित है, जो उससे आगे की ओर 1500 MW नाथपा झाकड़ी परियोजना के अतिरिक्त पानी के निर्वहन का उपयोग करता है।

विशेष रूप से, वर्तमान में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर नाथपा झाकड़ी और कोल डैम के बीच सतलुज नदी पर लगातार 6 HEP चालू हैं। चूंकि सुन्नी बांध HEP लुहरी परियोजना का हिस्सा है और कोल डैम और लुहरी स्टेज-2 HEP के बीच स्थित है, इसलिए, परियोजना के लिए किसी भी वैकल्पिक स्थान के लिए सीमित गुंजाइश है। हालांकि, डैम और पावर हाउस के लिए न्यूनतम विस्थापन के साथ सर्वोत्तम स्थान को अंतिम रूप देने और इंजीनियरिंग मापदंडों को ध्यान में रखते हुए परियोजना के लेआउट के बारे में विकल्पों का विस्तार से अध्ययन किया गया था।

सामाजिक समाघात

परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के अर्जन का आजीविका, रोजगार, आय, उत्पादन, स्वास्थ्य, कल्याण और समुदाय के जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रणालियों और पर्यावरण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ेगा।

क्षेत्र में आगामी सुन्नी HEP परियोजना के प्रति सामान्य आशावाद है। अध्ययन से पता चला कि मुख्य हितधारकों में से 90 प्रतिशत उचित मुआवजा दिए जाने पर अपनी भूमि का अधिग्रहण होने के लिए तैयार हैं और केवल 10 प्रतिशत ने अधिग्रहण प्रक्रिया का विरोध किया। पंचायतों के साथ FGDs के दौरान, गांव वालों और द्वितीयक हितधारकों को भी परियोजना के प्रति बहुत सकारात्मक राय होते हुए पाया गया, क्योंकि यह पूरे क्षेत्र में संरचनात्मक विकास (सामाजिक और भौतिक दोनों) और रोजगार और व्यापारिक अवसरों में वृद्धि ला सकता है। साथ ही उन्होंने उस क्षेत्र की भूमि की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाया जो उनके लिए एक लाभदायक कारक होगा।

हालांकि, वे नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी आशंकित थे जो उचित रूप से शमन नहीं किए जाने पर, परियोजना से बढ़ सकते हैं। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवादों में वृद्धि के बारे में चिंताएं थीं कि दुर्बल समूहों को छोड़ दिया जा सकता है या उनको धोखा दिया जा सकता है। इसके अलावा, प्रतिकर राशि प्राप्त करने के बाद से, PAF की वित्तीय स्थिति में बदलाव होगा जो बदले में उनकी खरीद क्षमता को बदल देगा और वित्तीय कुप्रबंधन के जोखिम को भी बढ़ाएगा क्योंकि कई जमींदार विशेष रूप से वित्तीय प्रबंधन के बारे में ठीक से शिक्षित नहीं हैं। क्षतिपूर्ति राशि वितरित होने के बाद परियोजना क्षेत्र में

धोखाधड़ी के मामलों में भी वृद्धि हो सकती है। खर्च के पैटर्न में बदलाव के कारण सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं में बदलाव की भी संभावना है।

अधिग्रहण के कारण सार्वजनिक अवसंरचना जैसे रोपवे, पुल, श्मशान घाट, सड़क, मौजूदा सिंचाई सुविधाओं सहित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य अधोसंरचना का नुकसान भी होगा और पीने के पानी के स्रोतों, घाटों, जंगलों, चरागाहों आदि जैसे सामान्य संपत्ति संसाधनों का नुकसान भी होगा।

बेलुढाँक, जैशी और भराड़ा गांवों में कुल 3 घराट और विभिन्न गांवों में कुहल प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित हो रहे हैं। कोई अन्य सार्वजनिक संपत्ति प्रभावित नहीं होगी। आधारभूत संरचना और संपत्तियों के हानि का विवरण अध्याय 4 में चर्चा किया गया है। PAPs और गांव वाले चिंतित थे कि उन्हें प्राप्तकर्ता निकाय द्वारा सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सामान्य संपत्ति संसाधनों के विकल्प कैसे प्रदान किए जाएंगे ताकि यह उनकी दैनिक दिनचर्या को प्रभावित नहीं करे। गांव वालों का आसपास के चरागाह और वन पर गाय के चारे और इंधन के लिए आश्रितता है।

परियोजना के निर्माण चरण के दौरान, हितधारकों का परियोजना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था क्योंकि यह उनके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा करेगा। प्रवासन के कारण वस्तुओं की खपत में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। हालांकि, उन्होंने परियोजना के लिए श्रमिकों के प्रवास के बारे में भी चिंता व्यक्त की क्योंकि यह स्वास्थ्य सुविधाओं, शैक्षणिक सुविधाओं, सड़कों आदि जैसे मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ाएगा। स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच संघर्ष में वृद्धि की संभावना हो सकती है और हितधारकों ने यह भी कहा कि प्रवासन के कारण क्षेत्र में अपराध दर और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि की संभावना है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक मिश्रण का भी गवाह बन सकता है। इसके अलावा, भारी परिवहन वाहनों, सामग्री परिवहन और निर्माण के कारण यातायात, वायु और ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी होगी। निर्माण गतिविधियों और उत्खनन के कारण क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं में भी वृद्धि हो सकती है।

निर्माण के बाद के चरण के बारे में, हितधारकों ने कहा कि यह क्षेत्र में प्रदूषण को कम और जीवन के माहौल को बेहतर कर सकता है। LADA जैसे फंडों के कारण यह क्षेत्र आगे विकास का भी गवाह बनेगा। इस अवस्था के दौरान एक सांस्कृतिक स्थिरता भी देखी जा सकती है। हालांकि, उन्होंने कुछ नकारात्मक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला, जो इस चरण के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि निर्माण गतिविधियों में गिरावट के कारण स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यापार के अवसर कम होंगे और इससे परियोजना में शामिल अस्थायी कार्य बल को बेरोजगारी भी हो सकती है।

शमन के उपाय

संभावित चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए, निम्न शमन उपाय प्रस्तावित किए गए हैं:—

- सामाजिक उपाय
 1. यदि हितधारकों के बीच कोई विवाद है, तो इस विवाद को पहले हल किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनी मालिक को प्रतिकर दिया जाए।
 2. गांवों में स्थानीय देवताओं के मंदिरों के निर्माण/उन्नयन के लिए धन उपलब्ध कराना
 3. परियोजना क्षेत्र के सभी गांवों और पंचायतों में सामुदायिक हाल का निर्माण
 4. महिला मंडल, युवक मंडल ग्राम पंचायत कार्यालयों के रूप में उपयोग किए जाने वाले भवन/संरचनाओं का निर्माण, मरम्मत और उन्नयन।
 5. निर्णय लेने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और अपने पारंपरिक कौशल को बढ़ाने और नए कौशल विकसित करके पिछड़े वर्ग श्रेणियों जैसे महिलाओं और सीमांत वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

6. RFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नौकरी प्रदान की जानी चाहिए
7. खेल परिसरों के निर्माण के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।
8. अन्य चल रही विकास योजना से सहायता/ऋण

- पर्यावरण के उपाय

(I) परियोजना क्षेत्र में वनीकरण और वृक्षारोपण

(II) ध्वनि प्रदूषण और वाहनों के आवागमन को कम करने के उपाय

शोर प्रदूषण और यातायात को कम से कम किया जा सकता है:

1. भारी परिवहन वाहनों के प्रवेश के लिए दिन के विशिष्ट घंटे को परिभाषित करना।
2. एक दिन में परियोजना स्थल में प्रवेश करने/छोड़ने वाले भारी वाहनों की संख्या को विनियमित करना।
3. हार्न के उपयोग को कम करने के लिए ड्राइवरों को सख्त निर्देश।
4. परिवहन वाहनों पर दबाव हार्न पर पूर्ण प्रतिबंध।
5. सड़कों और यातायात की स्थितियों पर अनावश्यक अधिभार से बचने के लिए पूरे दिन में समान रूप से परिवहन वाहनों के प्रवेश और निकास के निश्चित समय।
6. भारी वाहनों के चालकों को गति सीमा का पालन करने के लिए तथा छोटे वाहनों को प्राथमिकता देने और नियमित ओवरटेक करने देने के लिए सख्त निर्देश।

(III) वायु प्रदूषण घटाने के उपाय

वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय परिवहन, निर्माण, उत्खनन, खनन और डंपिंग के दौरान धूल के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को निर्माण स्थल, परिवहन वाहनों जैसे ट्रकों, टिपरों आदि के खनन और डंपिंग साइटों को उचित तरीके से ढकने से कम किया जा सकता है। साथ ही, परियोजना क्षेत्र में पूरे दिन नियमित जल स्प्रें भी वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।

चेबडी पंचायत के ग्रामीणों ने डंपिंग साइट को गांव से दूर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है क्योंकि वे वायु प्रदूषण से चिंतित हैं कि उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा।

- जल प्रदूषण, जल जनित रोग और बढ़ी हुई आर्द्रता को कम करने के उपाय

1. जल प्रदूषण को, खुदाई और खनन के दौरान नदी में न्यूनतम डंपिंग को सख्ती लागू करने से कम किया जा सकता है।
2. डंपिंग साइट को नदी के किनारों से दूर बनाया जाना चाहिए ताकि बारिश और मानसून के दौरान मलबा विशेष रूप से नदी में प्रवेश करने से बचे।
3. निर्माण सामग्री की भंडारण इकाइयों को विशेष रूप से रेत को नदी के किनारे से दूर रखना चाहिए।

4. जलाशय निर्माण के बाद जलाशय में विशेष रूप से छिड़काव नियमित रूप से किया जाना चाहिए ताकि जल जनित बीमारियों से बचा जा सके।
 5. जलाशय के कारण नमी में वृद्धि वनीकरण द्वारा कम से कम हो सकती है। हालांकि विदेशी सजावटी पेड़ों के बजाय स्थानीय पेड़ों को लगाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, केवल उन किस्मों के पेड़ों को लगाया जाना चाहिए जो नमी को कम करते हैं और परिवेश को अपेक्षाकृत ठंडा रखने में मदद करते हैं।
- **जल स्तर में वृद्धि के कारण भूमि स्लाइड के जोखिम को कम करने के उपाय**

सक्षम अधिकारी नदी के बहाव की जांच करने और नदी में पानी के स्तर में वृद्धि के कारण भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए कमजोर स्थानों पर तटबंध की दीवारों/रिटेंनिंग दीवारों आदि का निर्माण सुनिश्चित कर सकते हैं।

- **अन्य शमन उपाय**

1. **पर्यटन को बढ़ावा देना**—क्षेत्र को पर्यटन स्थल के साथ-साथ पानी से संबंधित गतिविधियों/खेल, राफ्टिंग, शिविर आदि के लिए हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। दोनों किनारों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फेरी और नाव की सुविधा भी दी जा सकती है।
2. **मत्स्य पालन को बढ़ावा देना**—यह परियोजना मत्स्य पालन के विकास के लिए नैसर्गिक परिस्थितियाँ प्रदान करेगी। मछली पकड़ने का लाइसेंस जारी करने के साथ प्रभावित क्षेत्र के इच्छुक व्यक्तियों को मछली पालन में प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।
3. **पशुपालन को बढ़ावा देने से छोटे और सीमांत किसानों को उन की आय बढ़ाने में मदद होगी।** दुग्ध सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे न केवल परियोजना प्रभावित परिवारों को बल्कि पूरे क्षेत्र को लाभ होगा।
4. **स्व-सहायता समूहों (SHG) का गठन और सुदृढ़ीकरण** महिलाओं को एक साथ आने और स्व-सहायता समूह बनाने और मौजूदा लोगों को उचित प्रशिक्षण के साथ मजबूत बनाने और उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत दिए गए ऋण के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करना। हस्तकला, डेयरी, शॉल बनाना, सिलाई और कढ़ाई आदि प्रस्तुत की जा सकती है।
5. **आय बहाली के लिए संस्थागत संपर्क और कौशल उन्नयन**—अर्जन करने वाली संस्था प्रभावित परिवार के सदस्यों को कुछ व्यवसायिक/कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभा सकती है और उन्हें कच्चे माल, इनपुट्स के लिए अग्रामी और पिछले संबंध तथा विपणन और क्रेडिट सुविधाएं स्थापित करने में भी सहायता प्रदान कर सकती है।
6. **परियोजना-आधारित रोजगार**—परियोजना से संबंधित रोजगार के अवसर जैसे परियोजना निर्माण, रखरखाव, आपूर्ति और परिवहन अनुबंध के तहत काम प्रभावित परिवारों को दिया जा सकता है।
7. **स्थानीय क्षेत्र विकास समिति**

परियोजना क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LADF) का सही तरीके से उपयोग करने के लिए, एक स्थानीय क्षेत्र विकास समिति (LADC) का गठन किया जा सकता है, जिसमें विभिन्न हितधारक शामिल होते हैं जैसे कि सरकारी विभाग, परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्य, निकाय अधिकारियों की आवश्यकता आदि।

सर्किल दरों में संशोधन

मंडी जिला और शिमला जिले की मोगड़ा पंचायत में पड़ने वाले गांवों के कई PAPs और PAF को लगता है कि उनकी भूमि की मौजूदा सर्कल दरें बहुत कम हैं। इसलिए उन्होंने प्रतिकर की गणना से पहले सर्कल दरों को संशोधित करने और बढ़ाने का अनुरोध किया है।

बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए PAPs और PAF के लिए जागरूकता शिविर और वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन।

सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण

विश्लेषण, परियोजना की सामाजिक लागत और लाभ बड़े पैमाने पर परियोजना से प्रभावित परिवारों की सामाजिक लागत को स्पष्ट करते हैं। RTFCTLARR अधिनियम, 2013 ध्यान में रखता है कि परियोजना से प्रभावित PAPs और PAFs को होने वाले नुकसान और असुविधा को उदार रूप से क्षतिपूर्त किया जाए। यह अधिनियम न केवल अर्जित हो रही भूमि का ही मुआवजा देता है बल्कि उस भूमि पर मौजूद संरचनाओं और संपत्तियों का भी। अधिनियम खड़ी फसलों और पेड़ों (फलदार और अफल दोनों) के लिए भी मुआवजा प्रदान करता है। विस्थापन की स्थिति में, अधिनियम निर्वासन और परिवहन की सहायता के रूप में अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करता है। आजीविका की हानि के लिए, अधिनियम PAPs को उसकी आजीविका को पुनः स्थापित करने के लिए, या तो वैकल्पिक रोजगार की सुविधा प्रदान करता है या एक समय मुआवजा प्रदान करता है।

अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि परियोजना की क्षेत्र में सामान्य स्वीकृति है। वास्तव में, अधिकांश प्राथमिक और माध्यमिक हितधारक इस परियोजना को लागू करने के लिए तत्पर हैं क्योंकि यह क्षेत्र में समग्र विकास लाएगा। यहां तक कि सर्वेक्षण से 90 प्रतिशत प्राथमिक हितधारक अर्जन के लिए अपनी सहमति देने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि उनके मुद्दों का समाधान हो। सामाजिक प्रभाव और शमन उपायों के तहत मुद्दों पर चर्चा की गई है। FGD के दौरान पंचायतें भी परियोजना के पक्ष में थीं क्योंकि वे LADF और सीएसआर जैसे फंडों के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायतों के विकास के बारे में आशावादी थीं।

प्रभावित क्षेत्र के लोग रोजगार के अवसरों में वृद्धि, भूमि की कीमत और छोटे और मध्यम व्यापार उपक्रमों के लिए दायरा बढ़ाने को लेकर आशान्वित हैं। वे बेहतर सड़क नेटवर्क और जल निकासी सुविधाओं, उच्च आवृत्ति और बेहतर गुणवत्ता वाली परिवहन सेवाओं, बेहतर ढांचागत सुविधाओं की उम्मीद कर रहे हैं और यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के HEP मानचित्र में एक मील का पत्थर बन जाएगा।

व्यापक स्तर पर, परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जाने न्यूनतम लागत और न्यूनतम पर्यावरण नकारात्मक प्रभावों के साथ जितना संभव हो उतनी ऊर्जा का उत्पादन करने वाली रणनीति की सराहना करती है। जल-विद्युत ऊर्जा क्षमता के तेजी से दोहन से निश्चित रूप से राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार होगा क्योंकि सभी नए प्रतिष्ठानों से 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत LADF (स्थानीय क्षेत्र विकास निधि), से राज्य के संसाधनों में एक महत्वपूर्ण सीमा तक वृद्धि होगी। उत्तरी क्षेत्र में बिजली की बढ़ती मांग और बढ़ते ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए परियोजना की आवश्यकता भी उत्पन्न होती है। इसके अलावा, उत्पन्न राजस्व में से 1 प्रतिशत मुफ्त बिजली परियोजना के पूरे जीवन काल के लिए LADA के तहत प्रभावित 20 गांवों के निवासियों के बीच वितरित की जाएगी। बिजली उत्पादन के बाद 10 वर्ष तक परियोजना प्रभावित परिवारों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली नकद के रूप में दी जाएगी। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परियोजना का लाभ प्रभावित क्षेत्र, जिले और राज्य के लोगों को दिया जाएगा। यदि प्रस्तावित शमन योजना का पालन किया जाता है, तो यह नकारात्मक प्रभावों को कम करके सामाजिक प्रभावों को कम करने में मदद करेगा और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाएगा, जिससे प्रतिकूल सामाजिक लागतों पर प्रभाव पड़ेगा।

भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोतों से जानकारी

शिमला और मंडी जिले में विभिन्न पंचायतों में सुन्नी HEP के तहत अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के उद्देश्य या इच्छित उपयोग का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है

जिले का नाम	पंचायत का नाम	गांव का नाम	कुल निजी भूमि (हेक्टेयर)	कुल निजी भूमि (बीघा)	उपयोग का उद्देश्य	शीर्षक धारकों की संख्या
शिमला	चेबड़ी	लूसु	01-99-43	26-10-00	डम्पिंग	130
		मूंगना	3-25-83	43-06-00	डम्पिंग	64
	भराड़ा	जैशी	00-16-41	02-04-00	जलाशय	24
		भराड़ा	00-00-76	00-02-00	जलाशय	2
	मोगड़ा	मजरोग	00-01-33	00-03-00	जलाशय	9
शिमला जिले में कुल			5-43-76	72-05-00		
मंडी	बिंदला	भौरा	00-63-04	07-15-16	जलाशय	67
	सरत्योला	जकलीन	00-17-67	02-03-13	जलाशय	5
		मांगन	00-08-98	01-02-04	जलाशय	1
	परलोग	फफान	01-16-46	14-07-16	जलाशय	51
		परलोग	00-27-15	03-07-02	जलाशय	47
		बेलुढाँक	00-44-87	05-10-18	जलाशय	59
	शौट	खरयाली	00-89-06	11-00-02	जलाशय	37
मंडी जिले में कुल			3-67-23	45-07-11		
कुल योग. .			9-10-99	117-12-11		

अंतिम सिफारिश

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि परियोजना का लाभ केवल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे जिले और राज्य तक बढ़ाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट से पूरे उत्तरी क्षेत्र को लाभ होगा। सुन्नी HEP परियोजना के कार्यान्वयन से परियोजना पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, यदि प्रस्तावित शमन योजना का पालन किया जाता है, तो यह नकारात्मक प्रभावों को कम करके सामाजिक प्रभावों को कम करने और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए सामाजिक प्रभावों को कम करने में मदद करेगा, जिससे प्रतिकूल सामाजिक लागतों की निगरानी होगी।

इसलिए इस परियोजना की वृहद तस्वीर को ध्यान में रखते हुए जो राज्य के विकास के लिए लाभ और योगदान देगा और परिणामस्वरूप पूरे देश में, अध्ययन की सिफारिश है कि सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना (382 मेगावाट) के लिए प्रस्तावित भूमि अर्जन किया जा सकता है, बशर्ते कि सुझाए गए सभी उपाय न्यायिक रूप से पहचाने गए विभिन्न प्रभावों को कम कर दें।

MPP & POWER DEPARTMENT**PRELIMINARY NOTIFICATION**

Shimla-2, the 18th April, 2026

No. MPP-F(5)-1/2026.—Whereas it appears to the appropriate Government that a total of **09-10-99 hectares (117-12-11 bigha)** of left out/additional private land is required for public

purpose, namely, the **construction of the Sunni Dam Hydro Electric Project (382 MW)**, in the following areas:—

- Village/Mohal Mungna, Lunsu, Jaishi and Bharara in Tehsil Sunni;
- Village/Mohal Majrog in Tehsil Kumarsain, District Shimla; and
- Village/Mohal Bhoura, Jakleen, Magan, Fafan, Parlog, Beludhank and Kharyali in Tehsil Karsog, District Mandi, Himachal Pradesh;

Social Impact Assessment (SIA) study was carried out by the Social Impact Assessment Unit and a report submitted/ preliminary investigation was conducted by a team constituted by the District Collectors, Shimla and Mandi, as laid down under Rule 4 of the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Compensation, Rehabilitation and Resettlement and Development Plan) Rules, 2016.

The summary of the Social Impact Assessment Report/ preliminary investigation is appended as **Annexure-A**. No families are likely to be displaced due to the land acquisition.

The Additional District Magistrate (Protocol), Shimla, and the Additional District Magistrate, Mandi, are hereby appointed as Administrators for their respective districts for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the affected families. Therefore, it is notified that for the above said project in the village/Mohal Mungna, Lunsu, Jaishi and Bharara in Tehsil Sunni, village/Mohal Majrog in Tehsil Kumarsain, District Shimla; and village/Mohal Bhoura, Jakleen, Magan, Fafan, Parlog, Beludhank and Kharyali in Tehsil Karsog, District Mandi, Himachal Pradesh, a piece of land measuring **09-10-99 hectares (117-12-11 bigha)** of standard measurement, whose detail description is appended as **Annexure-B** is under acquisition.

This notification is made under the provisions of Section 11(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), to all whom it may concern.

A plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Land Acquisition, Sunni Dam Hydro Electric Project (SDHEP), at Sunni, Tehsil Sunni, District Shimla, on any working day during the working hours.

The Government is pleased to authorize the Land Acquisition Collector, Sunni Dam Hydro Electric Project, and his staff to enter upon and survey land, take levels of any land, dig or bore into the sub-soil, and do all other acts required for the proper execution of their work as provided and specified in Section 12 of the said Act.

Under Section 11(4) of the said Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase etc., or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification without prior approval of the Collector, Land Acquisition, Sunni Dam Hydro Electric Project, Tehsil Sunni, District Shimla.

Objections to the acquisition, if any, may be filed by the person interested within 60 (sixty days) from the date of publication of this notification as provided under Section 15 of the Act before the Collector, Land Acquisition, Sunni Dam Hydro Electric Project, Tehsil Sunni, District Shimla.

By order,

Secretary (Power).

क्र. सं.	खेवट/ खतौनी न.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (हैक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
							उ	द	पू	प
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	8	18	मुशतर्का	घासनी	03-25-83 (43.06.00 बीघा)	कुल भाग (298389942535718880) हिमानन्द (1715542389281952) भाग पुत्र व चेताराम (1294281690247392) भाग पुत्र व चुनी लाल (1303439531530752) भाग पुत्र तुलसी राम पुत्र दिवाकर धर्मेन्द्र पुत्र व श्रीमती आशा देवी, श्रीमती ललिता, श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती अंजना पुत्रियां हिमानन्द पुत्र तुलसीराम भाग बराबर (879152763202560) भाग सेवानन्द, जिया लाल पुत्र व श्रीमती मीना देवी पुत्री चेताराम पुत्र तुलसीराम भाग बराबर (1300413462237120) भाग यशपाल, तिलक राज पुत्र व श्रीमती कान्ता देवी पुत्री चुनीलाल पुत्र तुलसीराम भाग बराबर (1291255620953760) भाग खेमन्त कुमार (225880146089136) भाग पुत्र व मनोज कुमार (1297347576242256) भाग पुत्र भेदराम पुत्र तुलसी राम श्रीमती ज्योतिका पत्नी खेमन्त कुमार पुत्र भेदराम (650206731118560) भाग जतिन पुत्र ईशवर चन्द पुत्र तुलसीराम (2594695152484512) भाग श्याम लाल (3692600872255680) भाग पुत्र व ठाकुर दत्त (3527759729155200) भागपुत्र व सोम कृष्ण (4324491920807520) भाग पुत्र आदम पुत्र दिवाकर, कुमारी नेहा, कुमारी पूजा पुत्रियां व श्रीमती बबिता पत्नी श्याम लाल पुत्र आदम भाग बराबर (430418540317920) भाग कुमारी कृति, कुमारी जागृति पुत्रियां ठाकुर दत्त पुत्र आदम भाग बराबर (796732191652320) भाग जितेन्द्र कुमार, गोपाल पुत्र बासूदेब पुत्र नाथू भाग बराबर (12973475762422560) भाग रामलाल पुत्र नाथू पुत्र देवीसरन (12973475762422560) भाग तेज राम, योगेश पुत्र व श्रीमती बबली भाग बराबर (2123634425396550) भाग पुत्री व लोकेश (405669379447970) भाग पुत्र व श्रीमती सुदेश (176723347363970) भाग पुत्री व श्रीमती सुषमा (259143918914210) भाग पुत्री व श्रीमती कृष्णा (617784560115360) भाग विध्वा दीप राम पुत्र भूपराम स्थानीय वासी सचिन, पियूष पुत्र श्रीमती सुदेश पुत्री दीप राम भाग बराबर (531154794434880) भाग निवासी महाल कुन्हु तहसील करसोग, जिला मण्डी, अमन पुत्र व कुमारी नेहा पुत्री श्रीमती सुषमा पुत्री दीप राम भाग बराबर (302208762350880) भाग मेहर चन्द, हेतराम भाग बराबर (7568856278943960) भाग पुत्र व बृज लाल, बोध राज भाग बराबर	मनोज	राजमान	रुण्ड	नाबा

					(8301483581612760) भाग पुत्र व श्रीमती मैना देवी, श्रीमती सीता भाग बराबर (497708765400) भाग पुत्रियां व श्रीमती प्रेमा (183405680049900) भाग पुत्री भूपराम पुत्र देबीसरन निखिल पुत्र व श्रीमती कंचन, श्रीमती क्षितिजा पुत्रियां मेहर चन्द पुत्र भूपराम भाग बराबर (1080625271436480) भाग हरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार पुत्र व श्रीमती बबिता देवी पुत्री हेतराम पुत्र भूपराम भाग बराबर (1080625271436480) भाग हितेश पुत्र व कुमारी गीतांजलि पुत्री बृज लाल पुत्र भूपराम भाग बराबर (714311620102080) भाग राहुल पुत्र व कुमारी पारुल पुत्री बोध राज पुत्र भूपराम भाग बराबर (714311620102080) भाग स्थानीय वासी नवीन कुमार, दिवान चंद, संतोष कुमार पुत्र व श्रीमती गीता देवी, श्रीमती संजू देवी पुत्रियां श्रीमती मैना देवी पुत्री भूपराम भाग बराबर (540312635718240) भाग निवासी महाल चाकरू तहसील बगशाड, जिला मण्डी हितेश पुत्र व श्रीमती दीपिका पुत्री श्रीमती प्रेमा पुत्री भूपराम भाग बराबर (357155810051040) भाग निवासी महाल पाहल तहसील, उप-तहसील धामी, जिला शिमला लोकेश, पंकज पुत्र श्रीमती सीता पुत्री भूपराम भाग बराबर (540312635718240) भाग निवासी महाल शडी, भगत राम, उत्तम राम पुत्र टेकचन्द पुत्र बिहारी भाग बराबर (70761843262498080) भाग रोशन लाल (650953294266660) भाग पुत्र व झीन्झा राम उपनाम महेन्द्र कुमार (1081371834584580) भाग पुत्र पुर्णचन्द पुत्र लच्छीया गोपी लाल, लाल चंद पुत्र व कुमारी अंजना पुत्री रोशन लाल पुत्र पुर्णचन्द भाग बराबर (970731176036160) भाग स्थानीय वासी देवेंद्र पुत्र झीन्झा राम उपनाम महेन्द्र कुमार पुत्र पुर्णचन्द (540312635718240) भाग निवासी महाल अर्की तहसील बगशाड, जिला मण्डी, मित्रदेब पुत्र लच्छीया पुत्र वलिया (340333253780520) भाग दुर्गा दास, लवकुश, कांशी राम भाग बराबर (1620937907154720) भाग पुत्र व श्रीमती प्रभा देवी (51894433939040) भाग पुत्री व श्रीमती शकुंतला देवी (79367957789120) भाग पुत्री मित्रदेब पुत्र लच्छीया स्थानीय वासी विजय कुमार पुत्र व श्रीमती अनीता पुत्रियां श्रीमती निर्मला पुत्री मित्रदेब भाग बराबर (338840127484320) भाग निवासी महाल मुगणा तहसील बगशाड, जिला मण्डी प्रेमलाल पुत्र व श्रीमती अंजना कुमारी, श्रीमती ललिता, श्रीमती अर्चना कुमारी, श्रीमती बनिता पुत्रियां श्रीमती प्रभा देवी पुत्री मित्रदेब भाग बराबर (283893079784160) भाग निवासी महाल शाकरा तहसील बगशाड, जिला मण्डी गुंजन पुत्र व श्रीमती पूनम, कुमारी खुशबू पुत्रियां श्रीमती शकुंतला देवी			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					पुत्री मित्रदेव भाग बराबर (256419555934080) भाग निवासी महाल देवल तहसील बगशाड, जिला मण्डी हितेन्द्र कुमार, चन्द्र पुत्र व श्रीमती प्रितिका पुत्री चुनीलाल पुत्र श्रीमती बती भाग बराबर (405421117575705) भाग अनिल, पारुल पुत्र व श्रीमती ममता, श्रीमती किरणमाला, श्रीमती गीताजली पुत्रियां बेसरदत्त पुत्र श्रीमती बती भाग बराबर (405421117575705) भाग बोधराज, मोहनलाल पुत्र व श्रीमती मनोरमा भाग बराबर (144795922573995) भाग पुत्री व प्यारेलाल (158159402924985) भाग पुत्र व श्रीमती जमना (405421117575705) भाग पुत्री व श्रीमती शीला देवी (94054513941465) भाग पुत्री श्रीमती बती पुत्री लच्छीया खेमराज (76315344028000) भाग पुत्र व भागीरथ, हेमंत भाग बराबर (97683640355840) भाग पुत्र बोधराज पुत्र श्रीमती बती दिनेश कुमार, बालकृष्ण पुत्र व श्रीमती प्रतिभा कुमारी पुत्री श्रीमती शीला देवी पुत्री श्रीमती बती भाग बराबर (311366603634240) भाग राजेंद्र (103788867878080) भाग पुत्र व श्रीमती स्वाति, श्रीमती अनीता भाग बराबर (97683640355840) भाग पुत्रियां श्रीमती मनोरमा पुत्री श्रीमती बती राहुल, कैलाश पुत्र व श्रीमती ललिता, कुमारी पूजा पुत्रियां श्रीमती सुभद्रा देवी पुत्री उत्तमचन्द भाग बराबर (402945016467840) भाग रमन पुत्र व कुमारी इंदिरा कुमारी, कुमारी कविता पुत्रियां श्रीमती पुष्पादेवी पुत्री उत्तमचन्द भाग बराबर (64104888983520) भाग स्थानीय वासी अनूप, हेमंत कुमार पुत्र व कुमारी निशा कुमारी पुत्री श्रीमती सरलादेवी पुत्री उत्तमचन्द भाग बराबर (402945016467840) भाग निवासी महाल कलौता तहसील करसोग, जिला मण्डी चोपराम (94054513941465) भाग पुत्र व श्यामलाल (48265307524665) भाग पुत्र व श्रीमती सुभद्रादेवी, श्रीमती सरलादेवी भाग बराबर (4952202215730) भाग पुत्रियां व श्रीमती पुष्पादेवी (20791783674585) भाग पुत्री व कुमारी मालादेवी पुत्री व श्रीमती बेसरू देवी भाग बराबर (810842235151410) भाग विधवा उत्तमचन्द पुत्र लच्छीया स्थानीय वासी विनय कुमार, कुल भूषण पुत्र व कुमारी मीनाक्षी पुत्री चोपराम पुत्र उत्तमचन्द भाग बराबर (311366603634240) भाग निवासी महाल भौरा तहसील बगशाड, जिला मण्डी, कुमारी अम्बिका पुत्री श्रीमती कान्ता देवी पुत्री उत्तमचन्द (405421117575705) भाग मदनलाल (5186324418974160) भाग पुत्र व कृष्णलाल (5589269435442000) भाग पुत्र नारद पुत्र वलिया ओमप्रकाश, विनोद कुमार पुत्र मदनलाल पुत्र नारद				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					भाग बराबर (1300413462237120) भाग रोहित कुमार पुत्र व श्रीमती पूनम भाग बराबर (476207746734720) भाग पुत्री व श्रीमती नीलम (64104888983520) भाग पुत्री कृष्णलाल पुत्र नारद रूपचन्द पुत्र व श्रीमती तारावती पुत्री धर्मदत्त पुत्र वलिया भाग बराबर (4326482755869120) भाग योगेश पुत्र व श्रीमती संजू, श्रीमती रचना, श्रीमती किरण, श्रीमती ममता पुत्रियां रूपचन्द पुत्र धर्मदत्त भाग बराबर (2161250542872960) भाग पुष्प कुमार (329094515849440) भाग पुत्र व श्रीमती अंजना देवी, कुमारी रमा देवी, श्रीमती श्यामा देवी, श्रीमती कल्पना कुमारी, श्रीमती ललिता भाग बराबर (3248094803835200) भाग पुत्रियां व श्रीमती जयवंती (289410536954880) भाग पत्नी गुप्तराम पुत्र धर्मदत्त स्थानीय वासी धरनीधर, सोम कृष्ण, मस्त राम पुत्र व श्रीमती विद्या, श्रीमती सुषमा, कुमारी निशा कुमारी पुत्रियां श्रीमती तारावती पुत्री धर्मदत्त भाग बराबर (2161250542872960) भाग निवासी महाल बोन्दा उप तहसील बगशाड, जिला मण्डी चुन्नी लाल, केदार नाथ भाग बराबर (5773421678640000) भाग पुत्र व श्रीमती लीला देवी (3289655855787840) भाग पुत्री श्रीमती सेवती पुत्री वलिया युगल किशोर, वेनी प्रसाद, कुल भूषण, वेद राज पुत्र चुन्नी लाल पुत्र श्रीमती सेवती भाग बराबर (1437781081487520) भाग स्थानीय वासी हरीश कुमार, ललित कुमार, योगेश कुमार पुत्र व श्रीमती निशा पुत्री केदार नाथ पुत्र श्रीमती सेवती भाग बराबर (1437781081487520) भाग निवासी महाल दलोट तहसील बगशाड, जिला मण्डी वासुदेव पुत्र व श्रीमती चारु, श्रीमती सीता पुत्रियां श्रीमती लीला देवी पुत्री श्रीमती सेवती भाग बराबर (1034836065019680) भाग बालकृष्ण (6488231007507480) भाग पुत्र व निमचन्द (15568131098205840) भाग पुत्र व श्रीमती तुलसी (19460213643633840) भाग पुत्री व श्रीमती नरवदा (17353910148461040) भाग पुत्री तिखू पुत्र दिवलू श्रीमती शीला (206051428875600) भाग पुत्री व श्रीमती सुनीता (270156317859120) भाग पुत्री व श्रीमती सुषमा, श्रीमती सावित्री भाग बराबर (1620937907154720) भाग पुत्रियां बालकृष्ण पुत्र तिखू मुकेश कुमार (82420571550240) भाग पुत्र व श्रीमती किरण, कुमारी स्वाति भाग बराबर (402945016467840) भाग पुत्रियां श्रीमती शीला पुत्री बालकृष्ण, संदीप, प्रदीप कुमार पुत्र श्रीमती सुनीता पुत्री बालकृष्ण भाग बराबर (540312635718240) भाग दुष्यंत कुमार, सुरेंद्र कुमार पुत्र व श्रीमती विद्या देवी,			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					श्रीमती संतोष भाग बराबर (3113666036342400) भाग पुत्रियां व श्रीमती मनोरमा (421509553417260) भाग पुत्री निमचन्द पुत्र तिखू स्थानीय वासी लक्ष्य पुत्र महेंद्र कुमार पुत्र श्रीमती नरवदा (178577905025520) भाग निवासी महाल खडैहन उप तहसील बगशाड, जिला मण्डी, श्रीमती निशा देवी पत्नी बेगराम पुत्र गोकल (178577905025520) भाग निवासी महाल चेबड़ी, सुर्यप्रकाश पुत्र गंगू पुत्र अमरदत्त (54947047700160) भाग मुरारी (9565265678716440) भाग पुत्र व लीला कृष्ण पुत्र व श्रीमती खेमा भाग बराबर (109894095400320) भाग पत्नी सुर्यप्रकाश पुत्र गंगू सन्तराम पुत्र नंरजनू पुत्र देविया (22894603208400) भाग रामकृष्ण पुत्र सन्तराम पुत्र नंरजनू (22894603208400) भाग सोमकृष्ण पुत्र विधू पुत्र अगरू (1980084552267360) भाग स्थानीय वासी जगदीश कुमार (180104211906080) भाग पुत्र व अशोक कुमार (42736592655680) भाग पुत्र व श्रीमती दयावती (61052275222400) भाग पुत्री श्रीमती मनोरमा देवी पुत्री सेवानन्द ऋतिक, रेवती रमन पुत्र व कुमारी याचना पुत्री अशोक कुमार पुत्र श्रीमती मनोरमा देवी भाग बराबर (137367619250400) भाग पंकज पुत्र व कुमारी पल्लवी पुत्री श्रीमती दयावती पुत्री श्रीमती मनोरमा देवी भाग बराबर (119051936683680) भाग निवासी महाल सांवीधार तहसील बगशाड, जिला मण्डी पुष्पराज, धर्म प्रकाश पुत्र व श्रीमती सुनीता देवी, श्रीमती अनीता, श्रीमती रमावती, श्रीमती रेणू पुत्रियां श्रीमती जयवन्ती पुत्री सेवानन्द भाग बराबर (540312635718240) भाग निवासी महाल जैस तहसील करसोग, जिला मण्डी तरुण पुत्र व श्रीमती पूनम कुमारी, श्रीमती अंजना, श्रीमती हिमेन्द्रा पुत्रियां श्रीमती उषा देवी पुत्री सेवानन्द भाग बराबर (375471492617760) भाग प्रेमलाल पुत्र व श्रीमती अंजना कुमारी, श्रीमती अन्नू कुमारी, श्रीमती सोनू कुमारी, श्रीमती प्रोमिला देवी पुत्रियां श्रीमती ललिता देवी पुत्री सेवानन्द भाग बराबर (540312635718240) भाग पिताम्बर लाल, विश्व प्रकाश पुत्र व श्रीमती जयवन्ती, श्रीमती ललिता देवी, श्रीमती ईश्वरी देवी भाग बराबर (1244271913500) भाग पुत्रियां व श्रीमती उषा देवी (68676880036380) भाग पुत्री व श्रीमती लक्ष्मी देवी (224871749796540) भाग विधवा सेवानन्द पुत्र विधू राहुल पुत्र व कुमारी माधुरी पुत्री पिताम्बर लाल पुत्र सेवानन्द भाग बराबर (540312635718240) भाग स्थानीय वासी बुद्धि सागर, धनजय पुत्र व श्रीमती हेमकला, श्रीमती हरी प्रिया, श्रीमती वंदना पुत्रियां विश्व प्रकाश पुत्र सेवानन्द भाग बराबर				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					(540312635718240) भाग निवासी महाल शेवग तहसील बगशाड, जिला मण्डी प्रवीण कुमार पुत्र व श्रीमती अंजना देवी, श्रीमती लता देवी पुत्रियां श्रीमती ईश्वरी देवी पुत्री सेवानन्द भाग बराबर (540312635718240) भाग निवासी महाल सांवीधार तहसील बगशाड, जिला मण्डी तुलसीरमन पुत्र व श्रीमती कमला, श्रीमती सत्या, श्रीमती मुक्ता पुत्रियां हिमावती उर्फ हेमू पुत्री विधू भाग बराबर (1978093717205760) भाग श्रीमती मंथरा देवी पुत्री झुमपु उर्फ परमेश्वरी पुत्री विधू (1978093717205760) भाग हेमप्रकाश (79367957789120) भाग पुत्र व ललित कुमार पुत्र व कुमारी लक्ष्मी भाग बराबर (268630010978560) भाग पुत्री श्रीमती शान्ति देवी पुत्री इन्दर स्थानीय वासी कामेश्वर पुत्र व श्रीमती लता देवी, श्रीमती निशा देवी पुत्रियां श्रीमती योगेश्वरी पुत्री इन्दर भाग बराबर (402945016467840) भाग निवासी महाल डुमणों तहसील बगशाड, जिला मण्डी राकेश कुमार पुत्र व श्रीमती अनीता पुत्री श्रीमती केसरी पुत्री इन्दर भाग बराबर (357155810051040) भाग निवासी महाल चीन्डी बखरोट तहसील करसोग, जिला मण्डी केशव चन्द पुत्र व श्रीमती केसरी, श्रीमती तुलसी देवी, श्रीमती सुनीता भाग बराबर (248778399962400) भाग पुत्रियां व रोहित कुमार (90144194993160) भाग पुत्र व श्रीमती शान्ति देवी, श्रीमती योगेश्वरी भाग बराबर (93334094422800) भाग पुत्रियां व श्रीमती बसन्ती देवी (183309511668360) भाग विधवा इन्दर पुत्र विधू स्थानीय वासी पंकज पुत्र व कुमारी मनीषा पुत्री केशव चन्द पुत्र इन्दर भाग बराबर (357155810051040) भाग कुमारी भारती पुत्री रोहित कुमार पुत्र इन्दर (274735238500800) भाग निवासी महाल शोरशन तहसील करसोग, जिला मण्डी दीपक पुत्र व कुमारी खेलता पुत्री श्रीमती तुलसी देवी पुत्री इन्दर भाग बराबर (357155810051040) भाग निवासी महाल सेरकला उपतहसील पांगणा, जिला मण्डी नवीन कुमार पुत्र व कुमारी कृष्णा पुत्री श्रीमती सुनीता पुत्री इन्दर भाग बराबर (357155810051040) भाग निवासी महाल कुटेहड तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी महेंद्र कुमार पुत्र भूमि चंद पुत्र परषोतम (695995937535360) भाग निवासी महाल तलैहण तहसील बगशाड जिला मण्डी, पदम देव पुत्र परषोतम पुत्र नामालूम (173998984383840) भाग स्थानीय वासी देवेंद्र कुमार (347997968767680) भाग पुत्र व रोहित कुमार (173998984383840) भाग पुत्र पदम देव पुत्र परषोतम स्थानीय वासी कुमारी आकाशा, कुमारी आकृति पुत्रियां				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					इंद्र सिंह पुत्र काशी राम भाग बराबर (45789206416800) भाग निवासी महाल करयाली तहसील: उप तहसील जलोग, जिला शिमला विवेक कुमार पुत्र श्याम लाल पुत्र भवानी दत्त (137367619250400) भाग निवासी महाल भन्थल तहसील करसोग, जिला मण्डी श्रीमती इंद्रा पत्नी सोमराज पुत्र चेताराम (30526137611200) भाग निवासी महाल बाग उप तहसील बगशाड, जिला मण्डी कमल चंद (36631365133440) भाग पुत्र व देवेंद्र कुमार (18315682566720) भाग पुत्र भौम प्रकाश पुत्र घनानंद निवासी महाल घरयाणा श्रीमती सुनीता देवी पत्नी चुन्नी लाल पुत्र विद्याधर (49452342930144) भाग निवासी महाल शाकरा तहसील बगशाड, जिला मण्डी ललित कुमार पुत्र चेताराम पुत्र जयनंद (49452342930144) भाग रीतिक पुत्र व कुमारी निताली पुत्री व श्रीमती माला देवी पत्नी ललित कुमार पुत्र चेताराम भाग बराबर (148357028790432) भाग निवासी महाल शाकरा प्रदीप कुमार पुत्र मनीराम पुत्र तुलसीराम (183156825667200) भाग स्थानीय वासी सोहन लाल पुत्र परमा नन्द पुत्र दुर्गा (18315682566720) भाग निवासी महाल कांगरी दिवान सिंह, दलीप सिंह पुत्र दुर्गा दास पुत्र लेखराज भाग बराबर (18315682566720) भाग रोहित, भरत कुमार पुत्र दलीप सिंह पुत्र दुर्गा दास भाग बराबर (18315682566720) भाग पुष्पेंद्र कुमार पुत्र व श्रीमती भावना, श्रीमती रुबल, श्रीमती हिमांशु, श्रीमती नेहा पुत्रियां दिवान सिंह पुत्र दुर्गा दास भाग बराबर (91578412833600) भाग निवासी महाल बसन्तपुर कुमारी रुचि पुत्री तिलकराम पुत्र सीस राम (18315682566720) भाग निवासी महाल जैशी श्रीमती निशा देवी पत्नी बेगरम पुत्र गोकल (357155810051040) भाग निवासी महाल चेबडी श्रीमती राजेश्वरी पत्नी भेषी लाल पुत्र बलदेव (50368127058480) भाग निवासी महाल सुन्नी प्रथम कुमारी सरिता पुत्री जगदीश पुत्र गुरसरन (50368127058480) भाग निवासी महाल बाग श्रीमती बिमला देवी पत्नी ईश्वर चंद पुत्र मोहन लाल (50368127058480) भाग निवासी महाल सांवीधर तहसील बगशाड, जिला मण्डी कमल चंद पुत्र घनश्याम पुत्र ईशरु (50368127058480) भाग निवासी महाल कांगरी लेखचंद पुत्र देवी दास पुत्र घनश्याम (6660248206080) भाग श्रीमती मीना देवी पत्नी रमेश कुमार पुत्र ईशरु (6660248206080) भाग प्रताप सिंह पुत्र मान दास पुत्र घनश्याम (6660248206080) भाग निवासी महाल बसन्तपुर सोहन लाल पुत्र सुंदर पुत्र नामालूम (36631365133440) भाग निवासी महाल बवासी तहसील				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

					कुनिहार, जिला सोलन नरेंद्र सिंह पुत्र लीला दास पुत्र सरनपत (100736254116960) भाग लायकराम पुत्र रामसरन पुत्र गंगा दास (100736254116960) भाग निवासी महाल जैशी श्रीमती सरोज (27473523850080) भाग पुत्री व श्रीमती शकुंतला (45789206416800) भाग पुत्री खूबराम पुत्र देवीदास निवासी महाल पड़ेण तहसील: उप तहसील जलोग, जिला शिमला नमन गंभीर पुत्र व कुमारी अंशिका गंभीर पुत्री श्रीमती सरोज पुत्री खूबराम भाग बराबर (73262730266880) भाग स्थानीय वासी श्रीमती अंकिता सिंह पुत्री श्रीमती शकुंतला पुत्री खूबराम (54947047700160) भाग निवासी महाल पड़ेण तहसील: उप तहसील जलोग, जिला शिमला सतीश पुत्र बलदेव राज पुत्र फौजू (61052275222400) भाग श्रीमती मधुबाला पत्नी नितेश पुत्र बलदेव राज (61052275222400) भाग हितेश पुत्र गौरी दत्त पुत्र गोपीचंद (61052275222400) भाग निवासी महाल कंडौला पुरेंद्र पुत्र भेद राम पुत्र तारा चंद (18315682566720) भाग निवासी महाल शाकरा तहसील बगशाड, जिला मण्डी श्रीमती सुनीता पत्नी गुलाब सिंह पुत्र चेताराम (18315682566720) भाग निवासी महाल भराडा शाहरुख खान पुत्र जमीर खान पुत्र नामालूम (18315682566720) भाग निवासी महाल दकड़ी ओम प्रकाश, सुरेश कुमार, दुष्यंत कुमार पुत्र हलायुद्ध पुत्र लीला भाग बराबर (51022258578720) भाग संजीव कुमार, राकेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश पुत्र हलायुद्ध भाग बराबर (34014839052480) भाग जितेंद्र पुत्र सुरेश कुमार पुत्र हलायुद्ध (17007419526240) भाग निवासी महाल घरयाणा कुमारी प्रियांशी पुत्री दौलत राम पुत्र परस राम (17007419526240) भाग निवासी महाल शकरोडी लक्षित पुत्र व कुमारी निकिता पुत्री धर्म प्रकाश पुत्र भुरू भाग बराबर (207577735756160) भाग निवासी महाल शाकरा तहसील बगशाड, जिला मण्डी श्याम लाल पुत्र लौंगू राम पुत्र बलिया (39683978894560) भाग निवासी महाल खडैहन चमन लाल, विजय कुमार पुत्र श्याम लाल पुत्र लौंगू राम भाग बराबर (36631365133440) भाग निवासी महाल मुंगना प्रेमलाल पुत्र गौरी दत्त पुत्र भगताराम (47620774673472) भाग निवासी महाल कदोग सालिग राम पुत्र हेतराम पुत्र लछमिया (47620774673472) भाग निवासी महाल दयोल तहसील बगशाड, जिला मण्डी कुंदन लाल पुत्र दीपू पुत्र कमला (47620774673472) भाग निवासी महाल नेहरा तहसील: उप तहसील धामी, जिला शिमला चमन लाल पुत्र कुंदन लाल पुत्र दीपू (47620774673472) भाग निवासी				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					महाल नेहरा श्रीमती गीता देवी पत्नी रमेश कुमार पुत्र भूप राम (47620774673472) भाग निवासी महाल मण्डोड घाट तहसील सुन्नी, जिला शिमला केशव राम, बोध राज पुत्र गुरदास पुत्र जालम भाग बराबर (238103873367360) भाग निवासी महाल भौरा तहसील: उप तहसील बगशाड, जिला मण्डी उर्मिल पुत्र पुष्प कुमार पुत्र नीम चंद (119051936683680) भाग निवासी महाल शाकरा तहसील बगशाड, जिला मण्डी भगत राम (45789206416800) भाग पुत्र व मोहन लाल (54947047700160) भाग पुत्र व कुलदीप, हरीकृष्ण भाग बराबर (79367957789120) भाग पुत्र व छविंद्र कुमार (18315682566720) भाग पुत्र धनीराम पुत्र सरनू निवासी महाल तलैहण तहसील बगशाड, जिला मण्डी, राजेश पुत्र मस्तराम पुत्र रूपचंद (57999661461280) भाग निवासी महाल खमारो उप तहसील बगशाड, जिला मण्डी पुनीत पुत्र व श्रीमती सुभद्रा पत्नी पूर्णचंद पुत्र रूपचंद भाग बराबर (115999322922560) भाग निवासी महाल खमारो उप तहसील बगशाड, जिला मण्डी पवन कुमार, गुरजीत सिंह भाग बराबर (36631365133440) भाग पुत्र व श्रीमती शांति देवी (9157841283360) भाग पत्नी कुंदन लाल पुत्र मीन चंद निवासी महाल चनयाणा उप तहसील बगशाड, जिला मण्डी कुंदन लाल पुत्र चुन्नी लाल पुत्र गुरसाई (18315682566720) भाग निवासी महाल बसन्तपुर दिशांत (100736254116960) भाग पुत्र व कुमारी रुचिका (45789206416800) भाग पुत्री श्याम लाल पुत्र चेत राम निवासी महाल धरोगडा तहसील: उप तहसील जलोग, जिला शिमला हुकम चंद, दुष्यंत कुमार पुत्र व श्रीमती शीला पत्नी भूप राम पुत्र चान्दनू भाग बराबर (54947047700160) भाग धर्मेन्द्र कुमार, लखन पुत्र बलदेव पुत्र रामलाल भाग बराबर (45789206416800) भाग निवासी महाल घरयाणा श्रीमती ईशा देवी पत्नी जयपाल पुत्र कृष्ण लाल (27473523850080) भाग निवासी महाल दगडाहण तहसील नैना-देवी, जिला बिलासपुर, कृष्ण गोपाल पुत्र पूर्ण चंद पुत्र तारा चंद (27473523850080) भाग निवासी महाल शाकरा तहसील बगशाड, जिला मण्डी संदीप सिंह पुत्र हेत राम पुत्र चेत सिंह (27473523850080) भाग निवासी महाल बसन्तपुर श्रीमती कविता पत्नी भूप राम पुत्र चमन लाल (39683978894560) भाग निवासी महाल सनारली तहसील करसोग, जिला मण्डी योगराज पुत्र गंगा दास पुत्र नामालूम (75552190587720) भाग कपिल पुत्र व श्रीमती नंदनी पुत्री योगराज पुत्र गंगा				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

					दास भाग बराबर (151104381175440) भाग निवासी महाल सुन्नी प्रथम श्रीमती नीना पत्नी सुरजीत पुत्र केवल राम (75552190587720) भाग निवासी महाल मसरना करेरी तहसील रामपुर, जिला शिमला विजय कुमार पुत्र हेतराम पुत्र देवीदास (18315682566720) भाग निवासी महाल सुन्नी प्रथम सुभाष कुमार पुत्र लायक राम पुत्र शोभा राम (45789206416800) भाग निवासी महाल तलैहण रामकृष्ण पुत्र प्रकाश चंद पुत्र शोभा राम (45789206416800) भाग निवासी महाल तलैहण तहसील बगशाड, जिला मण्डी हेम प्रकाश पुत्र इन्दर चंद पुत्र तुलसीया (82420571550240) भाग निवासी महाल खडैहन श्रीमती रामप्यारी पत्नी महेंद्र पुत्र खूबचंद (27473523850080) भाग निवासी महाल घरयाणा अमन पुत्र व श्रीमती विमला पत्नी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र मस्त राम भाग बराबर (54947047700160) भाग प्रेम लाल पुत्र भोला दत्त पुत्र कुंदन लाल (54947047700160) भाग निवासी महाल शाकरा तहसील बगशाड, जिला मण्डी ज्योति प्रकाश पुत्र श्रीमती देवकी पुत्री लेखराम (45789206416800) भाग निवासी महाल कोठीसेर तहसील सुन्नी, जिला शिमला ललित पुत्र व श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी ठाकुर दत्त पुत्र निकनू राम भाग बराबर (357155810051040) भाग निवासी महाल तलैहण तहसील बगशाड, जिला मण्डी तेगी राम पुत्र तुलसीराम पुत्र मरचू (36631365133440) भाग निवासी महाल खडैहन उप तहसील बगशाड, जिला मण्डी तपेंद्र सिंह पुत्र ख्याली राम पुत्र हिरामन (36631365133440) भाग निवासी महाल झील उप तहसील जलोग, जिला शिमला देवी राम पुत्र तिखु राम पुत्र मोलक (6660248206080) भाग वीरेंद्र कुमार पुत्र देवी राम पुत्र तिखु राम (6660248206080) भाग निवासी महाल ऐमबरी कुलदीप कुमार पुत्र हेतराम धर्म पुत्र बालक राम (6660248206080) भाग निवासी महाल बसन्तपुर सुभाष चंद पुत्र बेसर लाल पुत्र चिन्तामणी (6660248206080) भाग निवासी महाल कदोग, ज्ञान चंद पुत्र चेत राम पुत्र नामालूम (6660248206080) भाग निवासी महाल अर्की निर्मल कुमार पुत्र संज्ञा तंदर पुत्र करजंग छोजुर (6660248206080) भाग निवासी महाल खादूरा तहसील मूरंग, जिला किन्नौर श्रीमती ज्ञान देवी पत्नी चेत राम पुत्र नामालूम (6660248206080) भाग निवासी महाल टापरी तहसील टापरी, जिला किन्नौर चुन्नीलाल उर्फ चंद्रशेखर पुत्र बलिराम पुत्र नामालूम (6660248206080) भाग निवासी महाल रौडी अमित पुत्र तारा चन्द पुत्र हरिसरन (9157841283360) भाग निवासी महाल				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

						कदोग अंकुश पुत्र विनय पुत्र चरण दास (9157841283360) भाग निवासी महाल बसन्तपुर जितेंद्र पुत्र हरिसरन पुत्र रूप चंद (9157841283360) भाग निवासी महाल पनेहरा सिद्धार्थ शंकर पुत्र चेताराम पुत्र नरगु छेरिंग (9157841283360) भाग वासी निवासी महाल धर्मालिंग तहसील टापरी, जिला किन्नौर श्रीमती गायत्री पत्नी ध्यान सिंह पुत्र देवीदास (9157841283360) भाग विनोद कुमार पुत्र हेत राम पुत्र ख्याली राम (9157841283360) भाग धर्मेन्द्र पुत्र कुंदन लाल पुत्र गुरसाई (9157841283360) भाग हेमंत कुमार पुत्र रूप लाल पुत्र धनीराम (9157841283360) भाग निवासी महाल बसन्तपुर छबिन्द्र सिंह पुत्र खूब राम पुत्र नामालूम (3539505656018640) भाग निवासी महाल पडैण तहसील: उप तहसील जलोग, जिला शिमला कुमारी इशिका पाल (100736254116960) भाग पुत्री व श्रीमती लाजवंती (1927725590147280) भाग पत्नी छबिन्द्र सिंह पुत्र खूब राम निवासी महाल पडैण भगत राम पुत्र शिव राम पुत्र कर्म दास (117220368427008) भाग श्रीमती अनुराधा, श्रीमती सरिता पुत्रियां व श्रीमती निर्मला भाग बराबर (351661105281024) भाग पत्नी व श्रीमती रीना (25641955593408) भाग पुत्री भगत राम पुत्र शिव राम स्थानीय वासी आशुतोष पुत्र व कुमारी इशिता पुत्री व श्रीमती मीरा देवी पत्नी राकेश पुत्र शिवराम भाग बराबर (421260699034560) भाग निवासी महाल कोठीसेर रिजवान शेख पुत्र व श्रीमती प्रवीण शेख पत्नी दीन मोहम्मद शेख पुत्र गुलाबदीन भाग बराबर (61052275222400) भाग निवासी महाल पुराना बाजार तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी।				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

अनुलग्नक-ब

महाल लुणसू, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि.प्र. (अतिरिक्त भूमि)

क्र. सं.	खेवट / खतौनी न.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1.	2	8	34 148 149	मुशतर्का	घासनी बंजर कदीम बाखल अवल	00-13-20 00-27-71 00-25-41	कुल भाग (36288) हिमानन्द, चेताराम, चुनी लाल पुत्र तुलसी राम पुत्र दिवाकर भाग बराबर (1764) भाग, जतिन पुत्र ईश्वर दत्त पुत्र तुलसी राम (630) भाग, खेमन्त, मनोज कुमार पुत्र भेदराम पुत्र तुलसी राम भाग बराबर (630) भाग, श्याम लाल, ठाकुर दत्त, सोमकृष्ण पुत्र आदम पुत्र दिवाकर भाग बराबर (3024) भाग, गोपाल पुत्र वासूदेव पुत्र नाथू (1428) भाग, कुमारी सुहानी पुत्री गोपाल पुत्र वासूदेव (84) भाग, जितेन्द्र कुमार पुत्र वासूदेव पुत्र नाथू (1428) भाग, मेहुल पुत्र व कुमारी निषिका पुत्री	सतलुज	राजमार्ग	खैरा	मुंगणा

							जितेन्द्र कुमार पुत्र वासूदेव भाग बराबर (84) भाग, रामलाल पुत्र नाथू पुत्र देवीसरन (2912) भाग, कमलराज, धर्मेन्द्र कुमार, भूपेन्द्र कुमार पुत्र रामलाल पुत्र नाथू भाग बराबर (112) भाग, तेजराज, लोकेश, योगेश पुत्र व श्रीमती सुदेश, श्रीमती सुषमा, श्रीमती बबली पुत्रियां दीपराम पुत्र भूपराम भाग बराबर (825) भाग, श्रीमती कृष्णा विधवा दीपराम पुत्र भूपराम (309) भाग, मेहर चन्द, हेतराम, बृजलाल, बोध राज भाग बराबर (4536) भाग पुत्र व श्रीमती मैनु देवी, श्रीमती प्रेमा देवी, श्रीमती सीता देवी पुत्रियां भूपराम पुत्र देवीसरन भाग बराबर (378) भाग, भगताराम, उत्तमाराम पुत्र टंकचन्द पुत्र बिहारी भाग बराबर (18144) भाग स्थानीय वासी।				
			किता-03			00-66-32					
2.	23 मिन	56 मिन	29 / 1	मुशतर्का	बाखल अवल	00-03-14	कुल भाग (14) रोहित, दिव्य प्रकाश पुत्र व श्रीमती शकुन्तला विधवा हंस राज पुत्र खूबचन्द भाग बराबर (1) भाग, धर्म पाल, मनोहर लाल, केवल राम पुत्र व श्रीमती विद्या देवी, श्रीमती निर्मला देवी, श्रीमती गीता देवी पुत्रियां खूब चन्द पुत्र लच्छीया भाग बराबर (6) भाग, तुलसी राम पुत्र लच्छीया पुत्र गणेशू (7) भाग स्थानीय वासी।				
3.	27 मिन	70 मिन	100	मुशतर्का	घासनी	00-01-88	चुनीराम पुत्र व श्रीमती मेघलू विधवा चुहा राम पुत्र दूर्गा भाग बराबर स्थानीय वासी।				
4.	28 मिन	72 मिन	655 / 150	मुशतर्का	बंजर कदीम	00-02-97	कुल भाग (3) घनश्याम, धर्मप्रकाश पुत्र व श्रीमती उर्मिला, श्रीमती नीना, श्रीमती नीशा देवी पुत्रियां व श्रीमती सुनेहरु विधवा प्रेमलाल पुत्र नाथू भाग बराबर (1) भाग, मित्र देव पुत्र नाथू पुत्र आत्मा राम (1) भाग, विजय कुमार, लोकेश पुत्र व श्रीमती चम्पा देवी विधवा जिया लाल पुत्र नाथू भाग बराबर (1) भाग स्थानीय वासी।				
5.	29 मिन	73 मिन	38 48	मुशतर्का	बाखल अवल बंजर कदीम	00-16-10 00-03-10	कुल भाग (168) घनश्याम, धर्मप्रकाश भाग बराबर (40) भाग पुत्र व श्रीमती उर्मिला, श्रीमती नीना, श्रीमती नीशा देवी पुत्रियां व श्रीमती सुनेहरु भाग बराबर (16) भाग विधवा प्रेमलाल पुत्र नाथू मित्र देव पुत्र नाथू पुत्र आत्मा राम (49) भाग, केवल कृष्ण पुत्र व श्रीमती सीता देवी उपनाम कुलगी पत्नी मित्रदेव पुत्र नाथू भाग बराबर (7) भाग, विजय कुमार, लोकेश भाग बराबर (48) भाग पुत्र व श्रीमती चम्पा देवी (8) भाग विधवा जिया लाल पुत्र नाथू स्थानीय वासी।				
			किता-02			00-19-20					
6.	30 मिन	76 मिन	44	मुशतर्का	बाखल अवल	00-05-63	कुल भाग (21) घनश्याम (5) भाग पुत्र व धर्मप्रकाश (2) भाग पुत्र प्रेमलाल पुत्र नाथू मित्र देव पुत्र नाथू पुत्र आत्माराम (7) भाग विजय कुमार, लोकेश भाग बराबर (6) भाग पुत्र व श्रीमती चम्पा देवी (1) भाग विधवा जिया लाल पुत्र नाथू स्थानीय वासी।				

7.	32 मिन	79 मिन	45 46 47 49	वाहिद	बंजर कदीम बंजर कदीम बाखल अवल घासनी	00-04-61 00-01-20 00-05-71 00-04-77	कुल भाग (45141070784040) श्रीमती लीला देवी पत्नी जगत पाल पुत्र नन्द लाल (6924539160) भाग निवासी महाल दडयाणा कुलदीप कुमार पुत्र जयकृष्ण पुत्र चुहाराम (24235887060) भाग हुक्म चन्द (4572475547778) भाग पुत्र व विद्या सागर (4675876003962) भाग पुत्र धनीराम पुत्र अमरदत्त अजय पुत्र व कुमारी रंजना, श्रीमती निशा देवी पुत्रियां हुक्म चन्द पुत्र धनीराम भाग बराबर (498566819520) भाग कुमारी ज्योति, कुमारी कशिश पुत्रियां विद्या सागर पुत्र धनीराम भाग बराबर (512415897840) भाग भूपराम (393545891275) भाग पुत्र व मस्तराम (547204712635) भाग पुत्र व मोहन लाल (367166694475) भाग पुत्र व तिलक राम (1679366865295) भाग पुत्र व श्रीमती कृष्णा देवी (434497346080) भाग पुत्री व श्रीमती शशीकला (434257535200) भाग पुत्री सीसराम पुत्र अमरदत्त संजीव कुमार पुत्र भूपराम पुत्र सीसराम (1514330766300) भाग विकास, विशाल पुत्र व श्रीमती प्रीति, कुमारी वैशाली पुत्रियां मस्तराम पुत्र सीसराम भाग बराबर (595510367760) भाग सुजल (8655673950) भाग पुत्र व कुमारी दिव्या (19042482690) भाग पुत्री मोहनलाल पुत्र सीसराम कुमारी रुचि पुत्री तिलकराम पुत्र सीसराम (34622695800) भाग हितेश पुत्र व श्रीमती भुवनेश्वरी, श्रीमती रीना पुत्रियां श्रीमती कृष्णादेवी पुत्री सीसराम भाग बराबर (325453340520) भाग धर्मेन्द्र पुत्र व श्रीमती ममता, कुमारी डिपल पुत्रियां श्रीमती शशीकला पुत्री सीसराम भाग बराबर (325693151400) भाग कांशी राम (7003122187740) भाग पुत्र व श्रीमती सोमावती (2279852059800) भाग विद्या हेतराम पुत्र अमरदत्त श्रीमती उषा, कुमारी मधु पुत्रियां कांशी राम पुत्र हेतराम भाग बराबर (976360021560) भाग अनूपराम पुत्र अमरदत्त पुत्र पीरु (6502534570560) भाग ओमप्रकाश (91094410995) भाग पुत्र व लायक राम (2784138010395) भाग पुत्र व पवन कुमार पुत्र व श्रीमती जमना देवी भाग बराबर (569963014950) भाग पत्नी अनूपराम पुत्र अमरदत्त निखिल (72707661180) भाग पुत्र व अखिल (51934043700) भाग पुत्र ओमप्रकाश पुत्र अनूपराम टेकचन्द पुत्र नीलकण्ठ पुत्र हुकमीया (3075439642380) भाग स्थानीय वासी दीपक कुमार, देवेंद्र पुत्र व श्रीमती लीलावती पुत्री गौतम पुत्र नीलकण्ठ भाग बराबर (205139472615) भाग निवासी महाल चौकी धर्म प्रकाश, वीरेंद्र कुमार पुत्र व श्रीमती अनीता देवी पुत्री टेकचन्द पुत्र नीलकण्ठ भाग बराबर (412010080020) भाग स्थानीय वासी धीरज पुत्र धर्म प्रकाश पुत्र टेकचन्द				
----	-----------	-----------	----------------------	-------	---	--	--	--	--	--	--

						(68379824205) भाग निवासी महाल चौकी कमल चन्द (13849078320) भाग पुत्र व देवेंदर कुमार (10386808740) भाग पुत्र भौमप्रकाश पुत्र घनानन्द निवासी महाल घरयाणा श्याम लाल (13849078320) भाग पुत्र व तेजराम (5770449300) भाग पुत्र व श्रीमती संजीता (6924539160) भाग पुत्री प्रीतम दास पुत्र बलिया स्थानीय वासी सुनील कुमार पुत्र नारायण सिंह पुत्र सीस राम (24235887060) भाग निवासी महाल पडैण उप तहसील जलोग, जिला शिमला प्यारे लाल पुत्र व श्रीमती उषा पुत्री अमर चंद पुत्र चानणु भाग बराबर (41547234960) भाग निवासी महाल शाकरा तहसील बगशाड, जिला मण्डी श्रीमती अंजलि पत्नी निशांत पुत्र चमन प्रकाश (24235887060) भाग निवासी महाल बसन्तपुर श्रीमती मोनिका पत्नी विजय कुमार पुत्र पदम देव (24235887060) भाग निवासी महाल शाकरा तहसील बगशाड, जिला मण्डी हरीश चंद्र पुत्र बेसर दत्त पुत्र कुंदन (38084965380) भाग निवासी महाल भराड़ा रमेश कुमार पुत्र पूर्ण दास पुत्र कुंदन (38084965380) भाग निवासी महाल जैशी दया नन्द पुत्र मोलक राम पुत्र नामालूम (6924539160) भाग ओमप्रकाश पुत्र धर्मप्रकाश पुत्र उमादत्त (17311347900) भाग स्थानीय वासी विवेक (10386808740) भाग पुत्र व श्रीमती दिनेश कुमारी (29429291430) भाग पत्नी रतन लाल पुत्र ओम प्रकाश स्थानीय वासी नारेंदर कुमार पुत्र केशवा नन्द पुत्र जमना दास (10386808740) भाग निवासी महाल सुन्नी प्रथम उमेश पुत्र व कुमारी भारती पुत्री ओमप्रकाश पुत्र छांगूराम भाग बराबर (20773617480) भाग निवासी महाल हिमरी उप तहसील जलोग, जिला शिमला, शारुख खान पुत्र जमीर खान पुत्र रोशन (6924539160) भाग निवासी महाल दखडी, रिजवान शेख (6924539160) भाग पुत्र व श्रीमती प्रवीण शेख (4698794430) भाग पत्नी दीन मोहम्मद शेख पुत्र नामालूम निवासी महाल पुराना नगर तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी पूनम कुमारी पुत्री धनीराम पुत्र कानू राम (10386808740) भाग निवासी महाल जैशी नरेंदर पुत्र गोपीचंद पुत्र नामालूम (10386808740) भाग निवासी महाल मुगैणा अवनीत सिंह, नवनीत सिंह पुत्र जितेंदर सिंह पुत्र नामालूम भाग बराबर (17311347900) भाग निवासी महाल सुन्नी तृतीय श्रीमती लीला देवी पुत्री तेजराम पुत्र परमानन्द (10386808740) भाग स्थानीय वासी चुन्नी राम पुत्र हिमा राम पुत्र जय नन्द (6924539160) भाग निवासी महाल गढेरी मोहिन्द्र पुत्र गुरदयाल पुत्र उत्तम (34622695800) भाग श्रीमती सीमा पत्नी मेहर चंद पुत्र उत्तम			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						(69245391600) भाग स्थानीय वासी अनूप पुत्र भूपेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह (6924539160) भाग निवासी महाल कटसारी तहसील रोहडू, जिला शिमला कुमारी साक्षी पुत्री व श्रीमती शांति देवी पत्नी भास्करा नंद पुत्र अमर चंद भाग बराबर (69245391600) भाग निवासी महाल मकडच्छा हिरा लाल पुत्र साधु राम पुत्र जेवरु (17311347900) भाग निवासी महाल बशैलडी दोयम, प्यारे लाल पुत्र हिरा लाल पुत्र साधु राम (17311347900) भाग स्थानीय वासी विरेंदर पुत्र मोलक राम पुत्र धनू (6924539160) भाग निवासी महाल मूलकोटी, ललित कुमार पुत्र हिरा मोहन पुत्र ब्रह्मानन्द (6924539160) भाग ईश्वर दास पुत्र अनन्तराम पुत्र नामालूम (3462269580) भाग स्थानीय वासी कमलेश कुमार पुत्र श्यामलाल पुत्र जालम सिंह (5770449300) भाग निवासी महाल मालगी, कुमारी सुनिशा देवी पुत्री मान दास पुत्र दुर्गा दास (5770449300) भाग निवासी महाल गढेरी, धर्मेन्द्र कुमार (100405817820) भाग पुत्र व गीता राम, खुशी राम, घना नन्द भाग बराबर (51934043700) भाग पुत्र गंगा राम पुत्र पूर्ण चंद स्थानीय वासी योगराज पुत्र दीप राम पुत्र भजन दास (55396313280) भाग निवासी महाल भराडा श्रीमती रिशिका पत्नी विकास पुत्र शौकराम (12117943530) भाग स्थानीय वासी पुष्पेंदर पुत्र व श्रीमती प्रोमिला देवी पत्नी नीलम चंद पुत्र मेलाराम भाग बराबर (34622695800) भाग निवासी महाल निथर (उप-तहसील) नित्थर, जिला, कुल्लू विकास नेगी, विशाल नेगी पुत्र पदम सिंह पुत्र नामालूम भाग बराबर (9397588860) भाग निवासी महाल घमारुनिंग तहसील टापरी, जिला किन्नौर ज्योति प्रकाश पुत्र हरीश चन्द्र पुत्र नामालूम (4698794430) भाग निवासी उप-महाल सुन्नी प्रथम दिला राम पुत्र रूपलाल पुत्र नामालूम (4698794430) भाग निवासी उप महाल सुन्नी द्वितीय बंसी लाल पुत्र नारायण दास पुत्र नामालूम (4698794430) भाग निवासी महाल बागड़ी मुकुल पुत्र विद्या सागर पुत्र नामालूम (4698794430) भाग निवासी महाल बागड़ी तहसील उप-तहसील जलोग, जिला शिमला कार्तिक पुत्र जिया लाल पुत्र नामालूम (4698794430) भाग निवासी उप-महाल सुन्नी द्वितीय तहसील सुन्नी, जिला शिमला, ओम प्रकाश पुत्र मोलक राम पुत्र नामालूम (4698794430) भाग निवासी महाल पडैण तहसील उप-तहसील जलोग, जिला शिमला संजय पुत्र गुरदास पुत्र टिकमदास (4698794430) भाग निवासी महाल कोठी हेमंत कुमार पुत्र करम चंद पुत्र बदरिया (4698794430) भाग निवासी महाल चेबडी तहसील सुन्नी, जिला शिमला,			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						दिनेश पुत्र अनंत राम पुत्र नामालूम (4698794430) भाग निवासी महाल कनौला, प्रवीण कुमार पुत्र बुधिराम पुत्र परस राम (4698794430) भाग निवासी महाल शाकरा तहसील बगशाड, जिला मण्डी, श्रीमती इन्द्रा पत्नी सोम राज पुत्र चेत राम (4698794430) भाग निवासी महाल शाकरा, ओमप्रकाश (41547234960) भाग पुत्र व सुरेश कुमार (7790106555) भाग पुत्र व दुष्यंत कुमार (7913759040) भाग पुत्र हलायुद्ध पुत्र लीला दत्त जितेंदर (75015840900) भाग पुत्र व कुमारी दीपिका (10386808740) भाग पुत्री सुरेश कुमार पुत्र हलायुद्ध संजीव कुमार (6924539160) भाग पुत्र व राकेश कुमार (7913759040) भाग पुत्र ओमप्रकाश पुत्र हलायुद्ध निवासी महाल घरयाणा कुमारी पूनम (4156253640) भाग पुत्री व श्रीमती द्रोपती देवी (6924539160) भाग पत्नी पदम देव पुत्र कृष्ण लाल निवासी महाल मण्डोड सुरेंदर कुमार पुत्र कुंदन लाल पुत्र दीपू (29078474040) भाग निवासी महाल नैहरा जय प्रकाश पुत्र सालिग राम पुत्र हेतराम (6924539160) भाग निवासी महाल दयोल कुमारी निधि (6924539160) भाग पुत्री व श्रीमती गीता देवी (8655673950) भाग पत्नी रमेश कुमार पुत्र भूप राम निवासी महाल मण्डोड श्रीमती ममता पत्नी धर्म पाल पुत्र ओमा दत्त (6924539160) भाग निवासी तहसील पांगणा, जिला मण्डी श्रीमती शांता देवी पत्नी हेमराज पुत्र इन्द्रिया (6924539160) भाग निवासी महाल जेहडू उप तहसील बगशाड, जिला मण्डी श्रीमती रक्षा पत्नी लालेंदर पुत्र नरायण दत्त (6924539160) भाग निवासी महाल पन्दीआ तहसील उप-तहसील जलोग, जिला शिमला श्रीमती सीमा पत्नी मनोहर लाल पुत्र हेमचंद (6924539160) भाग निवासी महाल शाकरा तहसील बगशाड, जिला मण्डी, श्रीमती सरोज पत्नी रविन्द्र कुमार पुत्र तोता राम (6924539160) भाग निवासी महाल शाकरा लीला नन्द पुत्र खूब चंद पुत्र नामालूम (6924539160) भाग निवासी महाल रण्डोल, मनोज कुमार पुत्र राम रतन पुत्र नरसिंह (6924539160) भाग निवासी महाल घरयाणा, श्रीमती अर्चना पुत्री व श्रीमती आशा पत्नी दिनेश कुमार पुत्र हेत राम भाग बराबर (11079262656) भाग, श्रीमती पायल पत्नी मोहित कुमार पुत्र दिनेश कुमार (5539631328) भाग निवासी महाल सरैल कुमारी रीतू पुत्री रामकृष्ण पुत्र नामालूम (5539631328) भाग निवासी महाल गुम्मा, उर्मिल पुत्र पुष्पराज पुत्र नीम चंद (5539631328) भाग निवासी महाल शाकरा, लोकेंद्र पुत्र पुष्प कुमार पुत्र नीम चंद (6924539160) भाग निवासी महाल खन्डेच रवि कुमार पुत्र कृष्ण			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						गोपाल पुत्र कांशी राम (6924539160) भाग श्रीमती शिखा पुत्री रवि कुमार पुत्र कृष्ण गोपाल (6924539160) भाग घनश्याम पुत्र चरण दास पुत्र नामालूम (15003168180) भाग निवासी महाल सुन्नी प्रथम सुनील कुमार (17311347900) भाग पुत्र व अनिल कुमार, अमित कुमार भाग बराबर (30006336360) भाग पुत्र घनश्याम पुत्र चरण दास दिनेश कुमार (31160426220) भाग पुत्र व रमेश कुमार (41547234960) भाग पुत्र हेतराम पुत्र देवीदास श्रीमती नीतिका पुत्री रतन लाल पुत्र दुली चंद (9521241345) भाग श्रीमती श्यामा पुत्री ओमप्रकाश पुत्र दुली चंद (9521241345) भाग श्रीमती सोनिका पत्नी प्रिक्षित पुत्र भेषीलाल (9521241345) भाग निवासी महाल सुन्नी प्रथम कुमारी भावना पुत्री विद्या सागर पुत्र नारायण दास (9521241345) भाग निवासी महाल गढेरी प्रदीप कुमार पुत्र तेजराम पुत्र विद्याधर (7616993076) भाग आकाश पुत्र प्रदीप कुमार पुत्र तेजराम (7616993076) भाग निवासी महाल सुन्नी तृतीय योगराज पुत्र सालिग्राम पुत्र खयाली राम (7616993076) भाग निवासी महाल सुन्नी प्रथम पुष्प राज पुत्र भूप राम पुत्र चांदनू (7616993076) भाग निवासी महाल घरयाणा, ललित पुत्र नरपत पुत्र भवानू (7616993076) भाग निवासी महाल बरोड, कुलदीप पुत्र नोख राम पुत्र तुला दत्त (7790106555) भाग निवासी महाल झीवड, हेमचंद पुत्र तारा चंद पुत्र तुलसिया (7790106555) भाग निवासी महाल धलाया, हरी चंद पुत्र उत्तम पुत्र गंगू (7790106555) भाग निवासी महाल घरयाणा, विक्रांत पुत्र धर्म प्रकाश पुत्र केशवानंद (5770449300) भाग धर्म सिंह पुत्र डाबर राम पुत्र जिंदु (9232718880) भाग स्थानीय वासी दुष्यंत कुमार, संजय पुत्र धर्म सिंह पुत्र डाबर राम भाग बराबर (13079685080) भाग निवासी महाल कण्डी श्रीमती कान्ता पत्नी संत राम पुत्र नामालूम (18795177720) भाग अंशुल (18795177720) भाग पुत्र व श्रीमती मीना (131566244040) भाग पत्नी पवन कुमार पुत्र संत राम निवासी सुम्मी पंकज, दीक्षित पुत्र हरिराम पुत्र परमानन्द भाग बराबर (263132488080) भाग निवासी महाल भराडा कांशी राम, चन्द्र प्रकाश पुत्र शौकू राम पुत्र नामालूम भाग बराबर (69245391600) भाग निवासी महाल कोलका, कुमारी नीलम पुत्री व श्रीमती पुष्पा पत्नी बोध राज पुत्र साधू भाग बराबर (15827518080) भाग निवासी महाल चुराग बालक राम (7913759040) भाग पुत्र व कुंदन लाल (4156253640) भाग पुत्र दीपू पुत्र कमला राजकुमार पुत्र बालक राम पुत्र दीपू (4156253640) भाग निवासी महाल नेहरा, देवराज पुत्र दिला राम पुत्र सुंदर (7913759040) भाग, धर्मेदर पुत्र			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						देवराज पुत्र दिला राम (8655673950) भाग निवासी महाल संगोई, राम कृष्ण पुत्र मस्त राम पुत्र नामालूम (7913759040) भाग निवासी महाल घरयाणा, सालिग्राम पुत्र हेतराम पुत्र लच्छमीया (8655673950) भाग निवासी महाल दयोल, श्रीमती सपना पत्नी पंकज पुत्र सालिग्राम (8655673950) भाग निवासी महाल मण्डोड, चमन लाल पुत्र कुंदन लाल पुत्र दीपू (8655673950) भाग निवासी महाल नेहरा, तारा चंद पुत्र तुलसी राम पुत्र नरायण (8655673950) भाग निवासी महाल धलाया, सतीश कुमार पुत्र टेक चंद पुत्र तना राम (8655673950) भाग निवासी महाल भराडा, संजय कुमार पुत्र लेखराम पुत्र शिवराम (8655673950) भाग निवासी महाल घरयाणा, महेंद्र कुमार पुत्र गणपत राय पुत्र कांशी राम (6924539160) भाग निवासी महाल सांवीधार तहसील बगशाड, जिला मण्डी अंकित पुत्र महेंद्र कुमार पुत्र गणपत राय (6924539160) भाग निवासी महाल सांवीधार प्रेम लाल पुत्र गौरिया पुत्र नामालूम (6924539160) भाग निवासी महाल बसन्तपुर कुमारी प्रियंका, कुमारी हिमांशु पुत्रियां सालिग राम पुत्र नीमचन्द भाग बराबर (69245391600) भाग निवासी महाल रण्डौल उप तहसील बगशाड, जिला मण्डी, श्रीमती गोदावरी पत्नी हेतराम धर्म पुत्र देवीदास (10386808740) भाग निवासी उप-महाल सुन्नी प्रथम हिमेश कुमार पाल पुत्र दीपराम पुत्र सैहज राम (10386808740) भाग निवासी महाल पडैहण तहसील उप तहसील जलोग, जिला शिमला चुन्नी लाल (10386808740) भाग पुत्र व मदन लाल (6924539160) भाग पुत्र हिरदू पुत्र पुन्नू राम निवासी महाल डवारसू दौलत राम, अमरचंद पुत्र नोख राम पुत्र ज्वालदत्त भाग बराबर (13849078320) भाग स्थानीय वासी, मोहित पुत्र दौलत राम पुत्र नोख राम (6924539160) भाग निवासी महाल डवारसू, नोख राम पुत्र रघुनंद पुत्र नामालूम (6924539160) भाग निवासी महाल मण्डोड, जितेंदर लाल पुत्र लेखराम पुत्र नामालूम (6924539160) भाग निवासी महाल नेहरा कुमारी कामिनी, कुमारी प्रिया पुत्रियां लायक राम पुत्र नामालूम भाग बराबर (117717165720) भाग अनिल पुत्र किशोरी लाल पुत्र राम दितू (6924539160) भाग स्थानीय वासी अशोक पुत्र ठाकुर दास पुत्र जमना दास (6924539160) भाग निवासी उप महाल सुन्नी द्वितीय दिनेश कुमार (9001900908) भाग पुत्र व श्रीमती पुष्पा (71322753348) भाग पत्नी भीषम दत्त पुत्र मंगत राम निवासी महाल ततापानी, जितेंदर पुत्र श्याम लाल पुत्र लौंगू राम (22850979228) भाग निवासी महाल बसन्तपुर, बालक राम पुत्र लन्तड़ू राम			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						पुत्र तीलू (36700057548) भाग सुशील कुमार पुत्र बालक राम पुत्र लन्तड़ू राम (5770449300) भाग निवासी महाल घरयाणा, दीवान चंद पुत्र नन्दलाल पुत्र नामालूम (10386808740) भाग ललित कुमार पुत्र दीवान चंद पुत्र नन्दलाल (19388709648) भाग निवासी महाल कोट, सुभाष चंद पुत्र नोख राम पुत्र तुला दत्त (8655673950) भाग निवासी महाल मझीवड, खेम राज पुत्र दामोदर दत्त पुत्र नील कंठ (8655673950) भाग युगल किशोर पुत्र निकाराम पुत्र ज्वालादत्त (8655673950) भाग लच्छीराम पुत्र जमूरा पुत्र अलाबक्श (8655673950) भाग मनीष पुत्र हरिचंद पुत्र उत्तम (8655673950) भाग अतुल पुत्र हेमराज पुत्र उत्तम (8655673950) भाग कपिल पुत्र हरिओम पुत्र जीतराम (8655673950) भाग मोहित पुत्र मनोज कुमार पुत्र राम रतन (8655673950) भाग निवासी महाल घरयाणा श्रीमती हेमावती पत्नी धर्म प्रकाश पुत्र केशवानंद (5665532040) भाग निवासी महाल मतोगडी, श्रीमती सीता देवी पत्नी योगेश कुमार पुत्र राम सिंह (5665532040) भाग निवासी महाल ऐवग चुन्नीलाल पुत्र रतन पुत्र जीवणू (5665532040) भाग निवासी महाल नालटू उमादत्त पुत्र दुर्गा दास पुत्र धीरज (5665532040) भाग रूपेश कुमार पुत्र व कुमारी निवेदिता पुत्री उमादत्त पुत्र दुर्गा दास भाग बराबर (11331064080) भाग निवासी महाल अलसीडी श्रीमती ललिता पत्नी तेजराम पुत्र लीला दास (5665532040) भाग निवासी महाल शकरोडी श्रीमती मोनिका पत्नी प्रशांत पुत्र रामदास (5665532040) भाग निवासी महाल घरयाणा श्रीमती निशा पत्नी दिनेश कुमार पुत्र ठाकुर दास (5665532040) भाग निवासी महाल जमोग श्रीमती अनीता पत्नी नवीन पुत्र जीवन प्रकाश (5665532040) भाग निवासी महाल दाडगी धर्मेन्दर पुत्र दलपत पुत्र बीजू राम (5665532040) भाग निवासी महाल कोठी लाल सिंह, लाभ सिंह पुत्र गिरजा नन्द पुत्र मोहन लाल भाग बराबर (13079685080) भाग निवासी महाल नागडा, विनोद कुमार पुत्र दुर्गा दत्त पुत्र अमर दत्त (6539842540) भाग निवासी महाल मेहरन, लालसिंह पुत्र हुकम चंद पुत्र आदम राम (6539842540) भाग निवासी महाल सेरी गीता राम पुत्र चेत राम पुत्र तुलसी राम (6539842540) भाग निवासी महाल मधेच, हिरा लाल पुत्र सोम कृष्ण पुत्र हेम चंद (6539842540) भाग निवासी महाल माहोटा, श्रीमती सनेहरु पुत्री रतन पुत्र जीवणू राम (6539842540) भाग निवासी महाल नालटू नन्द लाल पुत्र भूप राम पुत्र हिरा लाल (6924539160) भाग मदन लाल पुत्र लेख राम पुत्र देवीराम (6924539160) भाग निवासी महाल नेहरा, घनश्याम पुत्र टेकराम पुत्र			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						दुर्गा दत्त (6924539160) भाग निवासी महाल डुम्मी, पवन कुमार पुत्र दिनेश कुमार पुत्र ध्यान दत्त (6924539160) भाग निवासी महाल हडोह, रमेश कुमार पुत्र मेद राम पुत्र दिवाकर (6924539160) भाग निवासी महाल डढेवग, हिमांशु पुत्र व कुमारी पूजा, कुमारी संतोष पुत्रियां व श्रीमती सुमित्रा पत्नी भीमी राम पुत्र मदन लाल भाग बराबर (252745679340) भाग निवासी महाल जैशी, श्रीमती रश्मि पत्नी अमित कुमार पुत्र नरेंद्र कुमार (27698156640) भाग श्रीमती सुनीता देवी पत्नी खेमराज पुत्र जमना दास (27698156640) भाग निवासी उप महाल सुन्नी द्वितीय, सुरेंद्र कुमार पुत्र व श्रीमती सत्या पत्नी हेतराम पुत्र तुलागिर भाग बराबर (13849078320) भाग निवासी महाल जुणी, भक्ति प्रकाश पुत्र बुद्धिया पुत्र रेवा दास (6924539160) भाग कुमारी भावना पुत्री भक्ति प्रकाश पुत्र बुद्धिया (6924539160) भाग निवासी महाल मंडयालु श्रीमती पूजा पत्नी जोगिन्दर पुत्र बिशन दास (6924539160) भाग निवासी महाल पडैण कमल कुमार पुत्र दीपराम पुत्र नरसिंह दत्त (68552937684) भाग विनोद कुमार पुत्र पूर्णचंद पुत्र खयालिया (68552937684) भाग निवासी महाल शाकरा नरेंद्र कुमार पुत्र श्याम सुंदर पुत्र नील कंठ (68552937684) भाग मुशु राम पुत्र छितरु पुत्र कालू (68552937684) भाग श्रीमती ज्योति पत्नी यशपाल पुत्र दयाराम (68552937684) भाग निवासी महाल चौकी केवल राम पुत्र टेकराम पुत्र बालकृष्ण (6924539160) भाग अमन पुत्र व कुमारी संगीता पुत्री केवल राम पुत्र टेकराम भाग बराबर (13849078320) भाग निवासी महाल चेबडी, रोशन लाल पुत्र हेमचंद पुत्र कपुरु (6924539160) भाग निवासी महाल सुन्नी प्रथम, दीपक, निखिल पुत्र नीम चंद पुत्र नरायण दास भाग बराबर (152339861520) भाग स्थानीय वासी रामकृष्ण पुत्र घमीर चन्द पुत्र बीरसेन (6924539160) भाग निवासी महाल घैमा रोहिन (6924539160) भाग पुत्र व रोकिन्द्र सिंह (8078629020) भाग पुत्र राजवंत पुत्र टिकम सिंह निवासी महाल किलवा खास, अमृत लाल पुत्र देवीचंद पुत्र अमरदास (6924539160) भाग रतन महेश (6924539160) भाग पुत्र व सोहन सिंह, मोहन सिंह भाग बराबर (16157258040) भाग पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र देवीचंद निवासी महाल कानम निचला योगराज पुत्र सोमराज पुत्र मदन लाल (6924539160) भाग निवासी महाल किडिया, अक्षय कुमार पुत्र फूल चंद पुत्र प्रेम सुख (6924539160) भाग निवासी महाल मण्डोडघाट निखिल पुत्र विनोद कुमार पुत्र परस राम (6924539160) भाग निवासी महाल पांगणा, करण पुत्र व श्रीमती निर्मला पुत्री प्यारे लाल पुत्र नामालूम भाग बराबर			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						(13849078320) भाग निवासी महाल सुन्नी, सतदेव पुत्र दीनानाथ पुत्र राम दिता (6924539160) भाग अश्वनी पुत्र सतदेव पुत्र दीनानाथ (6924539160) भाग निवासी महाल शाकरा, कार्तिक पुत्र विनोद पुत्र परसराम (3462269580) भाग निवासी महाल पांगणा, तेजराम पुत्र खेमराज पुत्र शिवराम (3462269580) भाग निवासी महाल पल्याड, श्रीमती बिमला देवी पत्नी गोपाल सिंह पुत्र धर्म दत्त (3462269580) भाग अभिषेक पुत्र ऋतुराज पुत्र गोपाल सिंह (3462269580) भाग निवासी महाल कांगरी, राहुल पुत्र व श्रीमती सीता पत्नी अमरचंद पुत्र केशवराम भाग बराबर (6924539160) भाग निवासी महाल खनोल, श्रीमती गीता देवी पत्नी मदन लाल पुत्र मनसा राम (3462269580) भाग निवासी महाल बखारी, राकेश पुत्र भगत राम पुत्र चेत राम (3462269580) भाग योगेश चन्द पुत्र ओम प्रकाश पुत्र भगत राम (3462269580) भाग निवासी महाल बातल श्रीमती लता पत्नी योगराज पुत्र भगत राम (3462269580) भाग निवासी महाल जखोली श्रीमती डिम्पल पत्नी नवीन पुत्र नरेश कुमार (3462269580) भाग निवासी महाल ओगली, कपिल देव पुत्र कौल राम पुत्र ईशरीया (3462269580) भाग निवासी महाल चेबडी, शांता कुमार पुत्र हिगे चन्द पुत्र श्याम सुंदर (8078629020) भाग निवासी महाल रामणी खास, प्रेमचंद पुत्र बीरचंद पुत्र छेयांगसुख (8078629020) भाग निवासी महाल घमारुनिंग, श्रीमती सुनीता पत्नी संजय कुमार पुत्र रघुवीरचंद (8078629020) भाग तेजसिंह पुत्र मदन सिंह पुत्र नामालूम (6924539160) भाग निवासी महाल बसन्तपुर, बृज मोहन पुत्र नन्द लाल पुत्र नामालूम (6924539160) भाग अनीश पुत्र बृज मोहन पुत्र नन्द लाल (6924539160) भाग निवासी महाल सुन्नी, रमेश चंद पुत्र मस्त राम पुत्र नामालूम (6924539160) भाग निवासी महाल सुन्नी प्रथम, ईश्वर दत्त पुत्र पुन्नू राम पुत्र नामालूम (6924539160) भाग निवासी महाल डवारसू, श्रीमती रेनू पुत्री प्रेमलाल पुत्र नामालूम (6924539160) भाग निवासी महाल रण्डौल, श्रीमती यशोदा पत्नी खेम दास पुत्र नामालूम (6924539160) भाग निवासी महाल जैशी, कुलदीप पुत्र देवी सिंह पुत्र गौरिया (10386808740) भाग निवासी महाल चनयाणा, चमन लाल पुत्र नोखू पुत्र भीखम राम (10386808740) भाग वीरेंद्र पुत्र धनीराम पुत्र मदन (10386808740) भाग निवासी महाल शगली नाल, श्रीमती शांता देवी पत्नी मनोज कुमार पुत्र नीम चंद (10386808740) भाग निवासी महाल ठोगी, कमल, ललित कुमार पुत्र बुद्धीराम पुत्र देबू भाग बराबर (11540898600)			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							भाग ललित कुमार पुत्र पूर्ण चंद पुत्र नामालूम (5770449300) भाग श्रीमती हेमलता पत्नी कमल दास पुत्र ज्वाला दास (5770449300) भाग निवासी महाल घरयाणा, रमेश कुमार पुत्र परमा नन्द पुत्र नामालूम (5770449300) भाग निवासी महाल पल्याड, भगत राम पुत्र जवाहर लाल पुत्र दुर्गा (6924539160) भाग जितेंदर, नीरज कुमार पुत्र भगत राम पुत्र जवाहर लाल भाग बराबर (13849078320) भाग निवासी महाल रण्डौल, तेजराम पुत्र मोती राम पुत्र चौधरी (6924539160) भाग निवासी महाल कीडीया, जहान पुत्र तेजराम पुत्र मोती राम (6924539160) भाग अनिल, विनोद कुमार पुत्र हरी राम पुत्र तिलक राम भाग बराबर (13849078320) भाग निवासी महाल ततापानी श्रीमती सरिता पुत्री श्रीमती रामप्यारी पुत्री चुडामणी (6924539160) भाग निवासी महाल देवल, बिहारी लाल पुत्र भोला दत्त पुत्र कुंदन (6924539160) भाग निवासी महाल शाकरा, उमा शंकर पुत्र निकाराम पुत्र राम सिंह (18795177720) भाग निवासी महाल हिवण अब्बल, ओमप्रकाश पुत्र व कुमारी दीक्षा पुत्री टेकसिंह पुत्र लछमी दास भाग बराबर (37590355440) भाग निवासी महाल पनैहरा परमानन्द पुत्र उमादत्त पुत्र नामालूम (18795177720) भाग श्रीमती कुसुम पत्नी देवराज पुत्र परमानन्द (18795177720) भाग निवासी महाल कलवी।				
			किता-04			00-16-29					
8.	34 मिन	86 मिन	11 / 1 40 43	मुशतर्का	घासनी बाखल अवल बाखल अवल	00-01-78 00-03-70 00-04-02	कुल भाग (1355092200) रेता राम पुत्र तिखु पुत्र करमु (415800) भाग महाल डी पी एफ तलैहण उप तहसील बगशाड, जिला मण्डी रमेश कुमार, हेमराज पुत्र दरु पुत्र अगरु भाग बराबर (831600) भाग निवासी महाल बरोड़, श्रीमती भीखमू विधवा माठकू पुत्र वीरू (623700) भाग निवासी उप-महाल सुन्नी तृतीय, श्रीमती चन्दी विधवा हरीचन्द पुत्र बसन्ता (135509220) भाग श्रीमती सन्तोष कुमारी (15100470) भाग पुत्री व श्रीमती कौशल्या देवी (8447670) भाग विधवा तोता राम पुत्र श्रीमती पार्वती स्थानीय वासी, दुमित पुत्र श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री तोता राम (7484400) भाग महाल धारकाण्लू तहसील बगशाड, जिला मण्डी श्रीमती कलाशो (11292435) भाग पुत्री व श्रीमती बेसरु देवी (21808710) भाग पुत्री श्रीमती पार्वती पुत्री बसन्ता भूपराम (1413225) भाग पुत्र व हेतराम (8066025) भाग पुत्र व तेजराम (6818625) भाग पुत्र व श्रीमती हिमी देवी (2244825) भाग पुत्री व श्रीमती अनारकली, श्रीमती सीमा देवी भाग बराबर (8231850) भाग पुत्रियां व श्रीमती रमा देवी (2868525) भाग पुत्री श्रीमती कलाशो पुत्री श्रीमती पार्वती राकेश पुत्र व श्रीमती प्रेमलता, श्रीमती मिनाक्षी,				

						कुमारी शांता पुत्रियां भूपराम पुत्र श्रीमती कलाशो भाग बराबर (5405400) भाग श्रीमती शशि पुत्री श्रीमती हिमी देवी पुत्री श्रीमती कलाशो (1039500) भाग बालकृष्ण पुत्र व श्रीमती पूनम पुत्री श्रीमती अनारकली पुत्री श्रीमती कलाशो भाग बराबर (3950100) भाग स्थानीय वासी नागेंद्र कुमार, मुकेश कुमार पुत्र श्रीमती रमा देवी पुत्री श्रीमती कलाशो भाग बराबर (5197500) भाग महाल ओखलु तहसील करसोग, जिला मण्डी जतिन कुमार पुत्र श्रीमती सीमा देवी पुत्री श्रीमती कलाशो (3950100) भाग हेमचन्द (261984492) भाग पुत्र व श्रीमती कृष्णा देवी (120238272) भाग पुत्री व श्रीमती रचना देवी (118575072) भाग पुत्री व श्रीमती कल्पना देवी पुत्री व श्रीमती फूल देवी भाग बराबर (252950544) भाग विधवा उत्तमचन्द पुत्र बसन्ता दीपक पुत्र व कुमारी मोनिका, कुमारी शेफाली पुत्रियां श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री उत्तमचन्द भाग बराबर (6237000) भाग लोकेश कुमार पुत्र व कुमारी महिमा पुत्री श्रीमती रचना देवी पुत्री उत्तमचन्द भाग बराबर (7900200) भाग स्थानीय वासी, गोविन्द पुत्र नीलकण्ठ पुत्र हुकमीया (7553700) भाग महाल खैरा, खेमचन्द (10898580) भाग पुत्र व गीताराम पुत्र व श्रीमती गोदावरी, श्रीमती केसरी, श्रीमती गुलाबू भाग बराबर (60226320) भाग पुत्रियां व देवीराम (13393380) भाग पुत्र व प्यारेलाल (1750980) भाग पुत्र व ईशवरदत्त (11314380) भाग पुत्र पीताम्बर पुत्र ठाकुरदत्त लीला दत्त (430430) भाग पुत्र व श्रीमती निर्दोष, श्रीमती शकुंतला देवी भाग बराबर (1499140) भाग पुत्रियां व श्रीमती कल्पना (1254715) भाग पुत्री व श्रीमती राधा देवी (631015) भाग पुत्री व श्रीमती प्रेमावती (2509430) भाग पत्नी खेमचन्द पुत्र पीताम्बर लक्ष्य कुमार, अभय पुत्र श्रीमती शकुंतला देवी पुत्री खेमचन्द भाग बराबर (1759860) भाग विनोद पुत्र व श्रीमती अनीता पुत्री व श्रीमती गंगा भाग बराबर (11830896) भाग विधवा व श्रीमती प्रभा (1656732) भाग पुत्री व श्रीमती बिट्टू (2280432) भाग पुत्री पूर्णदेब पुत्र पीताम्बर, तोता राम, युगल किशोर, प्रेम कुमार पुत्र व श्रीमती गुलाब देवी पत्नी गीताराम पुत्र पीताम्बर भाग बराबर (15056580) भाग, भूपेंदर पुत्र व श्रीमती साई लता, श्रीमती ज्योति भाग बराबर (4668048) भाग पुत्रियां व श्रीमती दीपिका पुत्री व श्रीमती मीना देवी भाग बराबर (6022632) भाग पत्नी देवी रामपुत्र पीताम्बर नरेश कुमार (724416) भाग पुत्र व दुष्यंत कुमार (932316) भाग पुत्र व श्रीमती सरोज (1140216) भाग पुत्री व श्रीमती प्रियंका (1505658) भाग पुत्री व श्रीमती सुषमा (3011316) भाग पत्नी प्यारेलाल पुत्र पीताम्बर पीयूष पुत्र व श्रीमती स्मृति, श्रीमती शीतल पुत्रियां व श्रीमती गंगा पत्नी ईशवरदत्त पुत्र			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						पीताम्बर भाग बराबर (15056580) भाग प्रेम कुमार (1269345) भाग पुत्र व नरेंद्र कुमार पुत्र व श्रीमती सुनीता, श्रीमती निर्मला भाग बराबर (11292435) भाग पुत्रियां श्रीमती गोदावरी पुत्री पीताम्बर निखिल पुत्र व कुमारी अम्बिका पुत्री प्रेम कुमार पुत्र श्रीमती गोदावरी भाग बराबर (2494800) भाग हिम्मत पुत्र व श्रीमती सीता देवी, श्रीमती कल्पना, श्रीमती अर्चना पुत्रियां श्रीमती केसरी पुत्री पीताम्बर भाग बराबर (15056580) भाग धर्मेन्द्र पुत्र व श्रीमती ललिता, श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती अंजना भाग बराबर (12045264) भाग पुत्रियां व श्रीमती आशा देवी (932316) भाग पुत्री श्रीमती गुलाबू पुत्री पीताम्बर कुमारी दीप शिखा, कुमारी भारती पुत्रियां श्रीमती आशा देवी पुत्री श्रीमती गुलाबू भाग बराबर (2079000) भाग दीपचंद पुत्र मदन पुत्र हरसाई (631015) भाग नवमेश्वर दत्त पुत्र दीपचंद पुत्र मदन (623700) भाग स्थानीय वासी, खेमराज पुत्र खूब चंद पुत्र बदरिया (1254715) भाग महाल जस्सल तहसील बगशाड, जिला मण्डी श्रीमती जमना पत्नी प्यारेलाल पुत्र चेताराम (1759860) भाग महाल बिजनी बाग तहसील बगशाड, जिला मण्डी तुलसीराम (1505658) भाग पुत्र व मनोहर लाल (1663200) भाग पुत्र चेताराम पुत्र जिंदु महाल शाकरा, कपिल पुत्र योगराज पुत्र गंगा दास (935550) भाग स्थानीय वासी राकेश पुत्र चुन्नी लाल पुत्र हेताराम (935550) भाग महाल मुंगना, रंजीत सिंह, मोहन सिंह पुत्र प्रेम सिंह पुत्र देवीसरन भाग बराबर (3326400) भाग महाल खडैहन उप तहसील बगशाड, जिला मण्डी भूपराम पुत्र लछमी नंद पुत्र बलीराम (1663200) भाग चन्द्रप्रकाश पुत्र भूपराम पुत्र लछमी नंद (1663200) भाग महाल शाकरा, प्रकाश चंद (1663200) भाग पुत्र व लायकराम (693000) भाग पुत्र शोभा राम पुत्र केसरु महाल तलैहण उप तहसील बगशाड, जिला मण्डी, श्रीमती रचना पत्नी चुन्नी लाल पुत्र बेसर दत्त (1663200) भाग महाल शाकरा, चुन्नी लाल पुत्र हेताराम पुत्र देविया (1663200) भाग निवासी महाल मुंगना, पिखलू राम पुत्र लछमू पुत्र छनू (571725) भाग महाल खडैहन, टेकचन्द पुत्र पिखलू राम पुत्र लछमू (571725) भाग महाल खडैहन तहसील बगशाड, जिला मण्डी श्रीमती पूनम कुमारी पत्नी वेदप्रकाश पुत्र पिखलू राम (571725) भाग महाल खडैहन, हेमंत कुमार पुत्र भगत राम पुत्र ठकरिया (571725) भाग महाल तलैहण, जितेंद्र कुमार पुत्र खुशी राम पुत्र धनंजय (1455300) भाग महाल शील तहसील बगशाड, जिला मण्डी मनोज कुमार पुत्र बंसी लाल पुत्र टिका राम (415800) भाग निवासी महाल लोअर करसोग तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिरामणि पुत्र			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						नोखराम पुत्र अर्जुन (415800) भाग महाल रणडौल, देसराज पुत्र नरसिंह पुत्र सूरजु (415800) भाग निवासी महाल मोहवा जयकृष्ण पुत्र हेमराज पुत्र नोखराम (415800) भाग निवासी महाल सांवीधर तहसील बगशाड, जिला मण्डी, श्रीमती संतोष पत्नी दुर्गा दास पुत्र हरिराम (693000) भाग स्थानीय वासी, श्रीमती सरिता पत्नी तुलसी राम पुत्र चुन्नी लाल (693000) भाग निवासी महाल मुंगना, कांशी राम पुत्र पुर देव पुत्र ठाकुर चंद (1871100) भाग निवासी महाल चौआ तहसील करसोग, जिला मण्डी, योगराज पुत्र मनसा पुत्र धानथी (1871100) भाग निवासी महाल तेबन, आदम राम पुत्र बरिया राम पुत्र बलिराम (2079000) भाग स्थानीय वासी, भगत राम पुत्र अंगत पुत्र अर्जुन (2079000) भाग निवासी महाल रणडौल, श्रीमती सावित्री देवी पत्नी महेश्वर दत्त पुत्र अंगत (2079000) भाग महाल रणडौल तहसील बगशाड, जिला मण्डी, कुल भूषण, विनय कुमार पुत्र व कुमारी मीनाक्षी पुत्री चोपराम पुत्र उत्तम चंद भाग बराबर (23284800) भाग निवासी महाल भौरा उप तहसील बगशाड, जिला मण्डी, अनूप पुत्र नारायण दत्त पुत्र नामालूम (7553700) भाग निवासी महाल सेरी तहसील करसोग, जिला मण्डी, रमन पुत्र योगराज पुत्र नामालूम (7553700) भाग निवासी महाल सेरी सुदर्शन लाल पुत्र सेव राम पुत्र चरण दास (935550) भाग निवासी महाल चौकी श्रीमती द्रोपती पत्नी विनोद कुमार पुत्र गंगा राम (935550) भाग निवासी महाल गढेरी उप तहसील जलोग, जिला शिमला करण पुत्र व कुमारी वर्षा पुत्री खेमचंद पुत्र तोताराम भाग बराबर (14137200) भाग स्थानीय वासी, डोली राज पुत्र बहादुर सिंह पुत्र भीमा राम (1455300) भाग महाल सनहोड़ तहसील थुनाग, जिला मण्डी प्रेमलाल पुत्र कृष्ण चंद पुत्र नांजु राम (1455300) भाग निवासी महाल शाकरा, विनोद कुमार, तेजेंदर कुमार पुत्र सोम कृष्ण पुत्र निकनू भाग बराबर (1247400) भाग निवासी महाल शाकरा उप तहसील बगशाड, जिला मण्डी, कुमारी दिव्यांशी, कुमारी तितिक्षा पुत्रियां विनोद कुमार पुत्र सोम कृष्ण भाग बराबर (1247400) भाग रविकांत पुत्र ज्ञान चंद पुत्र तिलक राम (623700) भाग निवासी महाल शाकरा, हरीश कुमार, महेंद्र कुमार पुत्र परमा नन्दपुत्र मनसा राम भाग बराबर (831600) भाग निवासी महाल ऊखला नाल, प्रदीप कुमार पुत्र तेजराम पुत्र चेताराम (415800) भाग निवासी महाल एवग, जतिन, नितिन पुत्र हिरा लाल पुत्र टेकराम भाग बराबर (831600) भाग निवासी महाल मटेवग तहसील उप तहसील जलोग, जिला शिमला, श्रीमती ओम प्रभा पत्नी नरेश कुमार पुत्र इन्दर			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

							चंद (415800) भाग महाल मकडच्छा, मोहित कुमार पुत्र नरेश कुमार पुत्र बंसी लाल (415800) भाग महाल शकरोडी, मंजीत कुमार पुत्र सर्वजीत सिंह पुत्र केहर सिंह (4365900) भाग महाल कुनेरन तहसील घनारी, जिला ऊना, रोशन लाल पुत्र दयाल पुत्र कानू (415800) भाग महाल बेस्टा तहसील बगशाड, जिला मण्डी, भीम सिंह, योगराज पुत्र रामकृष्ण पुत्र दयाल भाग बराबर (831600) भाग धर्मेदर कुमार, भूपेंद्र कुमार पुत्र रोशन लाल पुत्र दयाल भाग बराबर (831600) भाग महाल बेस्टा, जिया लाल पुत्र नरायण दास पुत्र शिबू (1247400) भाग स्थानीय वासी, श्रीमती सुनीता पत्नी डब्ल्यू पुत्र डाहलू राम (623700) भाग महाल कलंगार उप तहसील बगशाड, जिला मण्डी युवराज पुत्र कपूर पुत्र जानकू (415800) भाग महाल कुन्हु तहसील करसोग, जिला मण्डी, टेकचन्द, राजकुमार पुत्र युवराज पुत्र कपूर भाग बराबर (831600) भाग महाल कुन्हु, नीम चंद पुत्र मदन पुत्र धनसिया (415800) भाग मनोज कुमार पुत्र हेतराम पुत्र तुलसिया (415800) भाग भेद सिंह पुत्र बालम सिंह पुत्र देवीसरन (415800) भाग महाल खडैहन, बाबूराम, किशोरी लाल पुत्र जीतू पुत्र अछरू भाग बराबर (831600) भाग महाल बोई तहसील बगशाड, जिला मण्डी नीरज पुत्र बाबूराम पुत्र जीतू (415800) भाग स्थानीय वासी श्रीमती विद्या देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्र हेतराम (415800) भाग महाल सांवीधार।				
			किता-03			00-09-50					
9.	38 मिन	92 मिन	41 42	मुशतर्का	बाखल अवल बाखल अवल	00-02-45 00-01-74	कुल भाग (3736800) भूपिन्दर कुमार (502512) भाग पुत्र व श्रीमती निर्मला, श्रीमती कान्ता, कुमारी रीना, कुमारी सीमा भाग बराबर (498240) भाग पुत्रियां दुनीचन्द पुत्र जयराम कुमारी अंजलि पुत्री भूपिन्दर कुमार पुत्र दुनीचन्द (26988) भाग कमलेश कुमार (659130) भाग पुत्र व कुमारी सुभद्रा देवी (311400) भाग पुत्री पूर्णचन्द पुत्र जयराम हेमराज पुत्र व श्रीमती दीपिका, श्रीमती रवीना पुत्रीयां कमलेश कुमार पुत्र पूर्णचन्द भाग बराबर (67470) भाग सोहन लाल पुत्र मेदराम पुत्र जयराम (903925) भाग मोहित कुमार पुत्र व श्रीमती उमा पुत्री सोहन लाल पुत्र मेदराम भाग बराबर (47575) भाग हरीश कुमार पुत्र श्रीमती विद्या देवी पुत्री मेदराम (86500) भाग गिरधारी लाल, भूपेन्द्र पुत्र श्रीमती कोकलू पुत्री जयराम भाग बराबर (456720) भाग हेमंत कुमार, घनश्याम पुत्र गिरधारी लाल पुत्र श्रीमती कोकलू भाग बराबर (83040) भाग मनमोहन, अमित कुमार पुत्र भूपेन्द्र पुत्र श्रीमती कोकलू भाग बराबर (83040) भाग स्थानीय वासी श्रीमती पूनम पत्नी मनोज कुमार पुत्र लछमन दास (10260) भाग निवासी महाल नहरल तहसील झन्डुत्ता, जिला बिलासपुर।				
			किता-02			00-04-19					

10.	40 मिन	95 मिन	39	मुशतर्का	बाखल अवल	00-03-53	कुल भाग (36) श्रीमती पुष्पा देवी विधवा परसराम पुत्र चाननू (12) भाग, हरिराम पुत्र चाननू पुत्र देबा राम (12) भाग, चुनी राम (2) भाग, लायक राम, भिमी राम, भुपेन्द्र कुमार भाग बराबर (9) भाग पुत्र हरी राम पुत्र चाननू, संदीप, प्रदीप पुत्र चुन्नी राम पुत्र हरि राम भाग बराबर (1) भाग स्थानीय वासी।				
11.	43 मिन	102	656६150	वाहिद	बंजर कदीम	00-24-43	कुल भाग (183) गोवर्धन (58) भाग पुत्र व लवकुश पुत्र व कुमारी साक्षी पुत्री पूर्ण चन्द पुत्र रामू भाग बराबर (122) भाग, श्रीमती लाजवन्ती पत्नी छविन्द्र सिंह पुत्र खुब राम (3) भाग स्थानीय वासी।				
			152		बाखल अवल	00-00-90	गोवर्धन, लवकुश पुत्र व कुमारी साक्षी पुत्री पूर्ण चन्द पुत्र रामू भाग बराबर स्थानीय वासी (काबिजान प्रेमलाल, मित्रदेब, जिया लाल पुत्र नाथू पुत्र आत्मा स्थानीय वासी)।				
12.	44	104	151	वाहिद	घासनी	00-01-91	गोवर्धन पुत्र पूर्ण चन्द पुत्र रामू स्थानीय वासी।				
13.	46 मिन	106 मिन	231	मुशतर्का	बंजर कदीम	00-17-88	कुल भाग (701440) गिरधारीलाल, सुदर्शनलाल, नन्दलाल भाग बराबर (104120) भाग पुत्र व श्रीमती व्यासा देवी, श्रीमती विमला देवी भाग बराबर (10960) भाग पुत्रियां व श्रीमती सनैहरू (21920) भाग विधवा परशोतम पुत्र रामू सतीश कुमार (116450) भाग पुत्र व श्रीमती सावित्री देवी, श्रीमती सरला देवी, श्रीमती प्रागी देवी भाग बराबर (20550) भाग पुत्रियां विद्याधर पुत्र रामू गोवर्धन, लवकुश पुत्र व कुमारी साक्षी पुत्री पूर्णचन्द पुत्र रामू भाग बराबर (137000) भाग लायकराम, गुरुराम, जीतराम, हिमाराम पुत्र व श्रीमती कौशल्या देवी, श्रीमती राधा देवी, श्रीमती नर्वदा देवी भाग बराबर (23975) भाग पुत्रियां व श्रीमती कृष्णा देवी (865) भाग पुत्री श्रीमती सुबद्धि देवी पुत्री रामू दुर्गा दास, गीता राम, राजेंद्र कुमार, चंद्रमोहन भाग बराबर (2048) भाग पुत्र व दीपराम (384) भाग पुत्र श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्रीमती सुबद्धि देवी श्रीमती देवकू, श्रीमती फूली पुत्रियां दिवलू पुत्र काथू भाग बराबर (175360) भाग कुमारी नीरू पुत्री परसराम पुत्र नामालूम (87680) भाग स्थानीय वासी गोपाल पुत्र तिलकराम पुत्र ज्वाला दत्त (128) भाग निवासी महाल चेबडी।				

14.	58	121	147	मुशतर्का	बंजर कदीम	00-21-66	कुल भाग (1364580) श्रीमती चम्पा देवी पत्नी मीन चंद पुत्र परसा (1260) भाग निवासी महाल संगरोही, राजेंद्र कुमार पुत्र व श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी रूपलाल पुत्र सरन भाग बराबर (2520) भाग सीस राम पुत्र रतनू पुत्र अगरू (1260) भाग निवासी महाल शाकरा गीता राम पुत्र घनश्याम दास पुत्र पूर्ण दास (1260) भाग निवासी महाल थली श्याम लाल पुत्र नीम चंद पुत्र सरनू (1260) भाग निवासी महाल देओल राजेश कुमार पुत्र टैहल दास पुत्र जगत राम (1260) भाग निवासी महाल शाकरा खेमराज पुत्र धनीराम पुत्र नाथू (1260) भाग दीक्षित भारती पुत्र ठाकुर दास पुत्र पीरू (1260) भाग निवासी महाल जेहडू चरण दास पुत्र चेताराम पुत्र विपतु (1260) भाग निवासी महाल जेहडू तहसील बगशाड, जिला मण्डी, श्रीमती नागू (89838) भाग पुत्री व श्रीमती बेगू (136458) भाग पुत्री व कुमारी विद्या (67158) भाग पुत्री व कुमारी रोशनी (26208) भाग पुत्री माटू पुत्र चान्दनू पूरबू पुत्र हिरदा पुत्र नामालूम (94500) भाग टिकम दास, केशवा नन्द पुत्र व श्रीमती प्रेम लता भाग बराबर (25326) भाग पुत्री व डोला राम (13482) भाग पुत्र व जोगिन्दर पाल (9702) भाग पुत्र पूरबू पुत्र हिरदा तरुण (17010) भाग पुत्र व कुमारी भूमिका, कुमारी शिवानी भाग बराबर (18900) भाग पुत्रियां टिकम दास पुत्र पूरबू युवराज (8190) भाग पुत्र व राहुल (17010) भाग पुत्र व श्रीमती मिनाक्षी, श्रीमती मनीषा भाग बराबर (18900) भाग पुत्रियां केशवा नन्द पुत्र पूरबू रोहित पुत्र डोला राम पुत्र पूरबू (17010) भाग युवराज पुत्र व कुमारी लेखा पुत्री श्रीमती प्रेम लता पुत्री पूरबू भाग बराबर (18900) भाग श्रीमती शिवानी (91035) भाग पुत्री व श्रीमती शशी कला (22743) भाग पत्नी मनोहर लाल पुत्र लक्ष्मी दत्त स्थानीय वासी, भौमप्रकाश पुत्र घनानन्द पुत्र नामालूम (3780) भाग निवासी महाल घरयाणा, श्याम लाल पुत्र प्रीतम दास पुत्र बलिया (13860) भाग निवासी महाल चेबडी, श्रीमती मीना पत्नी पवन कुमार पुत्र संत राम (7560) भाग निवासी महाल सुम्मी, अंकित पुत्र चुन्नी लाल पुत्र हिरदू (3240) भाग नगीन पुत्र हिरदू पुत्र पुन्नू राम (3240) भाग निवासी महाल डवारसू,			
-----	----	-----	-----	----------	-----------	----------	--	--	--	--

						टेकसिंह पुत्र लछमी दास पुत्र नामालूम (7560) भाग निवासी पनैहरा, परमानन्द पुत्र उमादत्त पुत्र नामालूम (7560) भाग निवासी महाल कलवी, विपुल पाल, संजीव पाल पुत्र सोहन लाल पाल पुत्र नामालूम भाग बराबर (4410) भाग निवासी महाल बवासी, टेकचंद, धनपाल पुत्र जीतराम पुत्र नामालूम भाग बराबर (4410) भाग निवासी महाल कपलोग, आदित्य (1260) भाग पुत्र व श्रीमती सुभद्रा (4830) भाग पत्नी जमना दास पुत्र साधु निवासी महाल पटुखर खेम राज पुत्र सन्तु पुत्र बौजू (2940) भाग निवासी महाल चैबडी निखिल पुत्र व श्रीमती मधुबाला, श्रीमती मनीषा, श्रीमती स्मृति पुत्रियां खेम राज पुत्र सन्तु भाग बराबर (5670) भाग स्थानीय वासी श्रीमती गोदी विधवा सन्तु पुत्र नामालूम (8610) भाग निवासी महाल कदोग देवीराम पुत्र दयालु पुत्र तुलसिया (7560) भाग कमल किशोर पुत्र देवीराम पुत्र दयालु (3780) भाग निवासी महाल काओ सुदेश कुमार पुत्र तेजराम पुत्र सीपू (7560) भाग निवासी महाल मन्दरानू कुमारी मनीषा, कुमारी आरती पुत्रियां व श्रीमती हेमा देवी पत्नी चमन लाल पुत्र छज्जू राम भाग बराबर (35910) भाग श्रीमती जुध्या देवी पत्नी छज्जू राम पुत्र दारू (6300) भाग निवासी महाल शाकरा पियूष पुत्र गंगा राम पुत्र छज्जू राम (6300) भाग स्थानीय वासी श्याम सिंह पुत्र व श्रीमती कौशल्य, श्रीमती रुकमणी देवी, श्रीमती कान्ता देवी भाग बराबर (5040) भाग पुत्रियां व निवासी महाल लगाल ओम प्रकाश (630) भाग पुत्र धर्म दास पुत्र उमादत्त श्रीमती निर्मला पत्नी अश्वनी पुत्र धर्म दास (1260) भाग निवासी महाल चेरी दिवान सिंह, दलीप सिंह पुत्र दुर्गा पुत्र लेखराम भाग बराबर (1260) भाग रोहित, भरत कुमार पुत्र दलीप सिंह पुत्र दुर्गा भाग बराबर (1260) भाग पुष्पेंद्र कुमार पुत्र व श्रीमती भावना, श्रीमती रूबल, श्रीमती हिमांशु, श्रीमती नेहा पुत्रियां दिवान सिंह पुत्र दुर्गा भाग बराबर (6300) भाग नवासी महाल बसन्तपुर तेजराम पुत्र बुद्धी राम पुत्र नामालूम (4200) भाग संजीव कुमार (3780) भाग पुत्र व श्रीमती मंजू (2520) भाग पुत्री व श्रीमती शांति देवी (1197) निवासी महाल शील सरकारी श्रीमती रीता पत्नी कपिल देव पुत्र प्रेम प्रकाश (11970) भाग निवासी महाल भराडा पूर्ण चंद पुत्र तीखू राम पुत्र रूलदू (23730) भाग निवासी महाल बझौल मस्त राम पुत्र देबू पुत्र प्रीतम (11760) भाग निवासी महाल थली हरीश कुमार पुत्र मस्त राम पुत्र देबू (11970) भाग स्थानीय वासी 0) भगत राम पुत्र बरेस्तू पुत्र नामालूम (22680) भाग श्रीमती प्रियंका पुत्री भगत राम पुत्र बरेस्तू (22680) भाग निवासी महाल शकरोडी पवन कुमार, गुरजीत पुत्र कुंदन लाल पुत्र मीन चंद भाग			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						बराबर (2520) भाग निवासी महाल चनयाणा श्रीमती सुनीता पत्नी गुलाब सिंह पुत्र तेजराम (1260) भाग निवासी महाल भराडा कुंदन लाल पुत्र चुन्नी लाल पुत्र गुरसाई (1260) भाग निवासी महाल बसन्तपुर कुमारी हिमांशु पुत्र ओम प्रकाश पुत्र छांगू राम (1260) भाग निवासी महाल चेरी राजेंदर कुमार पुत्र लायक राम पुत्र बालक राम (1260) भाग निवासी महाल मुंगर बाला दत्त, रमेश दत्त पुत्र प्रेम दत्त पुत्र शंकरु भाग बराबर (2520) भाग रोहित पुत्र बाला दत्त पुत्र प्रेम दत्त (1260) भाग निवासी महाल बगरोल नरेश कुमार पुत्र सुंदर लाल पुत्र बीरबल (1260) भाग निवासी महाल ऐवग हेमराज पुत्र मनीराम पुत्र मोतीराम (1050) भाग निवासी महाल बमौत श्रीमती राधा पत्नी अजीत सिंह पुत्र नामालूम (1050) भाग अजय कुमार पुत्र व कुमारी पूजा पुत्री श्याम सिंह पुत्र अजीत सिंह भाग बराबर (2100) भाग निवासी महाल जाहु श्रीमती लता पत्नी दलीप सिंह पुत्र सुन्दर लाल (1050) भाग निवासी महाल ऐवग अनंत राम पुत्र काकू राम पुत्र साधु (1050) भाग निवासी तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला रमेश कुमार पुत्र इन्दर सिंह पुत्र अनंत राम (1050) भाग निवासी महाल मूलकोटि श्रीमती शांता देवी पुत्र नरेण सिंह पुत्र पदमा (1050) भाग निवासी महाल छछील महेंद्र सिंह पुत्र गन्ठा पुत्र पचीड (1050) भाग निवासी महाल धरेच खेच हरिसरन (5670) भाग सुभाष चंद (4410) भाग पुत्र मनीराम पुत्र गरीबू निवासी महाल नालटु कुमारी पारुल पुत्री हरिसरन पुत्र मनीराम (3780) भाग निवासी महाल नालटू प्रेम सिंह पुत्र जगत राम पुत्र हुकमी राम (1035) भाग श्रीमती सत्या पत्नी सत्य प्रकाश पुत्र देवी राम (1035) भाग केदार सिंह पुत्र रत्ती राम पुत्र देवी राम (1035) भाग निवासी महाल धरेच कमला दत्त पुत्र धर्म दास पुत्र सहीराम (1035) भाग निवासी महाल शील दलीप सिंह पुत्र कली राम पुत्र हरिराम (1035) भाग निवासी महाल चेरी लायक राम पुत्र चरण दत्त पुत्र रोलटू (1035) भाग निवासी महाल चलावती रमेश पुत्र पदमा राम पुत्र लच्छी राम (1035) भाग निवासी महाल खलासी हिरा सिंह पुत्र चेताराम पुत्र हुकमी (1035) भाग निवासी महाल चेरी श्रीमती बबली, श्रीमती सुनीता, श्रीमती सरस्वती पुत्रियां व श्रीमती लज्जा देवी पत्नी लायक राम पुत्र बालक राम भाग बराबर (4140) भाग निवासी महाल मुंगर प्रेम सिंह पुत्र रत्ती राम पुत्र हुकमी (1035) भाग निवासी महाल शटैया श्रीमती अनीता पत्नी कुशाल चंद पुत्र नेकराम (1035) भाग निवासी महाल रेवग श्रीमती पूनम पत्नी सुख देव पुत्र मदन लाल (8820) भाग निवासी महाल मूल भज्जी श्रीमती रीना पुत्री गिरधारी लाल पुत्र उदमु राम			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						(8820) भाग निवासी महाल थली श्रीमती ममता पत्नी दिनेश पुत्र राम कृष्ण (900) भाग निवासी महाल कठख मोहन लाल पुत्र गीता राम पुत्र कलिया (900) भाग निवासी महाल चियोग राज कपूर पुत्र आत्मा राम पुत्र धर्मा (900) भाग निवासी महाल धरेच दीवान सिंह पुत्र सूरत राम पुत्र लच्छी राम (900) भाग निवासी महाल क्यारी महेन्द्र पुत्र शिवदत्त पुत्र साध राम (1050) भाग संजीव पुत्र हिरा सिंह पुत्र साध राम (900) भाग निवासी महाल धरेच सुरेश कुमार पुत्र नारायण सिंह पुत्र रत्ती राम (900) भाग निवासी महाल क्यारी रामेश्वर दत्त पुत्र जगत राम पुत्र कुण्डी राम (900) भाग निवासी चडेन नवीन पुत्र रामेश्वर दत्त पुत्र जगत राम (900) भाग निवासी महाल चडेच चंचल पुत्र कमला दत्त पुत्र धर्म दास (900) भाग निवासी महाल शील आनंद पुत्र अमर दत्त पुत्र गोविन्द राम (900) भाग निवासी महाल टिककर किशोरी लाल पुत्र नानक चंद पुत्र रोहडू राम (900) भाग निवासी महाल जलोग नितेश कुमार पुत्र भास्करा नन्द पुत्र बालक राम (900) भाग निवासी महाल बनयाना लाल चंद पुत्र चत्तर सिंह पुत्र हिरा नन्द (900) भाग निवासी महाल खोब बलवीर सिंह पुत्र दौलत राम पुत्र धनीया राम (900) भाग निवासी महाल पराला पाली पुत्र दर्शन पुत्र निका राम (23310) भाग निवासी महाल सुन्नी तृतीय श्रीमती शाहिना पुत्री श्रीमती बशीरा पुत्री उमरदीन (6615) भाग आरिफ खान (315) भाग पुत्र व अरशद खान (4536) भाग पुत्र श्रीमती शाहिना पुत्री श्रीमती बशीरा निवासी महाल सुन्नी प्रथम अमित पुत्र तारा चंद पुत्र हरिसरन (630) भाग निवासी महाल कदोग अंकुश पुत्र विनय पुत्र चरण दास (630) भाग निवासी महाल बसन्तपुर जितेंद्र पुत्र हरिसरन पुत्र रूप चंद (630) भाग निवासी महाल पनेहरा सिद्धार्थ शंकर पुत्र चेताराम पुत्र नरगु (630) भाग निवासी महाल धर्मालिंग श्रीमती गायत्री पत्नी ध्यान सिंह पुत्र देवीदास (630) भाग विनोद कुमार पुत्र हेत राम पुत्र खयाली राम (630) भाग हेमंत कुमार पुत्र रूप चंद पुत्र धनीराम (630) भाग धर्मंदर पुत्र कुंदन लाल पुत्र गुरसाई (630) भाग निवासी महाल बसन्तपुर, श्रीमती शांति देवी पत्नी कुंदन लाल पुत्र मीन चंद (630) भाग निवासी महाल चनयाणा श्रीमती रीना पत्नी देवेंद्र पुत्र कृष्ण दत्त (1050) भाग श्रीमती संतोष पत्नी रमेश चंद पुत्र सुंदर (1050) भाग निवासी महाल गहेच श्रीमती सुनीता पत्नी श्याम लाल पुत्र शिवदत्त (1050) भाग श्रीमती कान्ता पत्नी ब्रह्मानंद पुत्र परमानन्द (1050) भाग निवासी महाल चेरी देवेंद्र सिंह पुत्र नारायण सिंह पुत्र बालक राम (1050) भाग निवासी महाल मखडोल संजय पुत्र हिरा सिंह पुत्र साध राम			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						(1050) भाग श्याम सिंह पुत्र अजित सिंह पुत्र बलिराम (1050) भाग निवासी महाल धरेच विद्याधर पुत्र राम कृष्ण पुत्र बालक राम (1050) भाग निवासी महाल बथलावग श्रीमती निशा पत्नी राकेश पुत्र ब्रह्मा नन्द (1050) भाग निवासी महाल शील मेहर सिंह पुत्र मूल राम पुत्र धनु (1050) भाग अक्षित पुत्र मोलक राम पुत्र नामालूम (1050) भाग निवासी महाल चलोटी कुमारी स्वाति, कुमारी साक्षी पुत्रियां व श्रीमती कौशल्या पत्नी उमा शंकर पुत्र जियाराज भाग बराबर (4620) भाग निवासी महाल करयाली श्रीमती रीना पुत्री कुंदन लाल पुत्र घनानंद (1540) भाग निवासी महाल घरयाणा भरत भूषण पुत्र विद्यानन्द उपनाम अनंत राम पुत्र सरनी (1540) भाग निवासी महाल दलगौव नवीन कुमार पुत्र अम्बा दत्त पुत्र सीता राम (1540) भाग निवासी महाल जमलोग हरिचंद पुत्र मदन गोपाल पुत्र कांशी राम (1540) भाग निवासी महाल पनोही श्रीमती सुषमलता पुत्री तारा पुत्र दिलाराम (1540) भाग निवासी महाल चलावग करण पुत्र तेज राम पुत्र बालक राम (1540) भाग निवासी महाल खील राजेश पुत्र जानक सिंह पुत्र दुर्गा (630) भाग निवासी महाल बथैलडी नरायण पुत्र जयराम पुत्र दुर्गा (630) भाग प्रवीण पुत्र व कुमारी समृति पुत्री नरायण पुत्र जयराम भाग बराबर (1260) भाग निवासी महाल घाटी हरिद्र पाल सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र धर्म दास (630) भाग निवासी महाल नेरी श्रीमती रेखा पुत्र इंद्र सिंह पुत्र हरीनंद (630) भाग निवासी महाल ठाकर का शील अनिल कुमार पुत्र हरी सिंह पुत्र बुधिराम (630) भाग निवासी महाल सीपुर श्रीमती भुवनेश्वरी पुत्र व कुमारी अकिता, कुमारी दीपिका पुत्रियां धर्म चंद पुत्र मेद राम भाग बराबर (1890) भाग निवासी महाल ममलीग विनोद पुत्र जगदीश पुत्र लक्ष्मण दास (630) भाग निवासी महाल मनाजी चौतन्य स्वरूप, हरी कृष्ण पुत्र तारा दत्त पुत्र लच्छमी नंद भाग बराबर (1260) भाग कुशल पुत्र हरी कृष्ण पुत्र तारा दत्त (630) भाग निवासी महाल कवारग हितेश पुत्र बलदेव राज पुत्र फौजू (630) भाग निवासी महाल कंडौला श्रीमती रंजना पत्नी ओम प्रकाश पुत्र जगत राम (630) भाग निवासी महाल दुर्गापुर रमेश पुत्र व कुमारी पिकी पुत्री हेमराज पुत्र मनीराम भाग बराबर (1260) भाग निवासी महाल बमोत मदन लाल पुत्र भीखम चंद पुत्र खूब राम (630) भाग निवासी महाल शाली, बाल कृष्ण पुत्र लायक राम पुत्र बालक राम (630) भाग निवासी महाल टभोग अंशुल पुत्र सत्य प्रकाश पुत्र देवी राम (630) भाग निवासी महाल धरेच अमन पुत्र वीरेंद्र कुमार पुत्र मोलक राम (630) भाग निवासी महाल मूलकोटि रीती राज पुत्र पूर्ण दास पुत्र परमा राम			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						(11970) भाग श्रीमती नेहा पत्नी रीती राज पुत्र पूर्ण दास (11970) भाग स्थानीय वासी श्रीमती नागणू देवी पुत्री रूपु पुत्र नोखू (11970) भाग श्रीमती शांति देवी पत्नी हेतराम पुत्र रूपु (11970) भाग निवासी महाल सुम्मी मुकेश पुत्र व श्रीमती सत्या पत्नी धर्म प्रकाश पुत्र धनीराम भाग बराबर (9072) भाग निवासी महाल बठोरा वरुण पुत्र वीर सिंह पुत्र जीत राम (4536) भाग निवासी महाल गढेरी संदीप कुमार पुत्र राम नाथ पुत्र बेली राम (4536) भाग निवासी महाल भयाड अरुण पुत्र व श्रीमती शोभा पत्नी गिरधारी लाल पुत्र पुरनु भाग बराबर (22680) भाग निवासी महाल मूल भज्जी अमर सिंह पुत्र बुद्धि राम पुत्र माठकू (1890) भाग निवासी महाल शील सरकारी शशिपाल पुत्र नाग पुत्र डिम्फर (1890) भाग निवासी महाल बडरेसा पवन कुमार पुत्र मान सिंह पुत्र मदन (1890) भाग निवासी महाल डी. पी. एफ. बगशाड किशन पुत्र व कुमारी पायल पुत्री पवन कुमार पुत्र मान सिंह भाग बराबर (3780) भाग निवासी महाल बगशाड श्रीमती कान्ता देवी पुत्री मुन्नी लाल पुत्र जालम (1890) भाग निवासी महाल काऊ श्रीमती हेमलता पुत्री तेजराम पुत्र खेम राज (1890) भाग निवासी महाल पल्याड अब्बल मस्त राम पुत्र देवी सिंह पुत्र गरीब दास (8820) भाग निवासी महाल शाहल बोध राज (630) भाग पुत्र व संजीव कुमार पुत्र व श्रीमती सविता पुत्री व श्रीमती नर्वदा भाग बराबर (3024) भाग पत्नी धर्म दत्त पुत्र चुन्नी राम निवासी महाल मुंगर श्रीमती वैजयन्ती पत्नी प्रमोद कुमार पुत्र तारा दत्त (630) भाग निवासी महाल कवारग मदन कुमार पुत्र प्रेम दत्त पुत्र जमना दत्त (630) भाग निवासी महाल शील सुनील दत्त पुत्र ईश्वर दत्त पुत्र देवी राम (630) भाग निवासी महाल डयारग लक्ष्मी दत्त पुत्र सुनील दत्त पुत्र ईश्वर दत्त (630) भाग निवासी महाल बुखार दिनेश कुमार पुत्र जयप्रकाश पुत्र सही राम (630) भाग निवासी महाल शील राजेंदर कुमार पुत्र चेत राम पुत्र नरातू (630) भाग निवासी महाल बनोह कुमारी प्रियंका पुत्री कंवर सिंह पुत्र हिरा सिंह (630) भाग निवासी महाल कांडा प्रेम सिंह पुत्र बुली चंद पुत्र गौरी दत्त (630) भाग निवासी महाल फागला इंद्र सिंह, अमर सिंह पुत्र रामलाल पुत्र प्रेमदास भाग बराबर (7560) भाग निवासी महाल पराहणी श्रीमती बसंती पत्नी मनीराम पुत्र देबू (3780) भाग निवासी महाल नालटु परमा नंद पुत्र सीतू पुत्र तिखु (3780) भाग निवासी महाल जूणी कलां गणपत राम पुत्र देवी राम पुत्र परसू (3240) भाग राजेंद्र कुमार पुत्र गणपत राम पुत्र देवी राम (3240) भाग अभिषेक पुत्र व कुमारी प्रियंका पुत्री राजेंद्र कुमार पुत्र गणपत राम भाग			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						बराबर (6480) भाग निवासी महाल थली श्रीमती मीरा पुत्री टेक चंद पुत्र ठाकुर दास (3240) भाग निवासी महाल ततापानी कुमारी वनिता पुत्री सीता राम पुत्र बिहारी लाल (6930) भाग निवासी महाल डवारसू श्रीमती माधुरी पत्नी नरेंद्र पुत्र मेहर सिंह (6930) भाग निवासी महाल शकरोडी सुनील कुमार पुत्र चुन्नी लाल पुत्र चरण दास (3780) भाग निवासी महाल कढारघाट राकेश, विवेक कुमार पुत्र जीतराम पुत्र धनीराम भाग बराबर (7560) भाग निवासी महाल तून राम रतन पुत्र मेहरा पुत्र गंगू (3780) भाग निवासी महाल मण्डयालू अभिषेक पुत्र अमर सिंह पुत्र रामु (3780) भाग निवासी महाल पराहणी पूर्ण चंद पुत्र जीत राम पुत्र लच्छमी राम (1260) भाग मदनलाल पुत्र शौकू राम पुत्र देवीराम (1260) भाग निवासी महाल पनोही विद्यासागर पुत्र हिरा लाल पुत्र धर्म दास (1260) भाग निवासी महाल बैश संजीव पुत्र हरी सिंह पुत्र नरसिंह दत्त (1260) भाग निवासी महाल पनोही हंस राज पुत्र रोशन लाल पुत्र मूरत सिंह (1260) भाग निवासी महाल दलगाँव हरिंद्र सिंह पुत्र गुरजीत सिंह पुत्र रतन सिंह (1008) भाग निवासी महाल मण्डयालू दिनेश कुमार पुत्र कुंदन लाल पुत्र भूप राम (1008) भाग निवासी महाल निहरी श्रीमती मीना देवी पत्नी रमेश कुमार पुत्र ईशरू (315) भाग लेख चंद पुत्र देवीदास पुत्र घनश्याम दास (315) भाग निवासी महाल बसन्तपुर देवीराम पुत्र तिखु राम पुत्र मोलक (315) भाग वीरेंद्र कुमार पुत्र देवीराम पुत्र तिखु राम (315) भाग निवासी महाल ऐम्बरी कुलदीप कुमार पुत्र हेतराम धर्म पुत्र बालक राम (315) भाग निवासी महाल बसन्तपुर सुभाष चंद पुत्र बेसर लाल पुत्र चिंतामणी (315) भाग निवासी महाल कदोग ज्ञान चंद पुत्र चेत राम पुत्र नामालूम (315) भाग निवासी महाल अर्की निर्मल कुमार पुत्र सन्ता तन्दर पुत्र करजंग छोजुर (315) भाग निवासी महाल खाहरा श्रीमती ज्ञान देवी पत्नी चेताराम पुत्र नामालूम (315) भाग निवासी महाल टापरी चन्नी उर्फ चंद्रशेखर पुत्र वलिया पुत्र नामालूम (315) भाग नीरज पुत्र खूब राम पुत्र किशन लाल (1260) भाग स्थानीय वासी लोकपाल पुत्र दुर्गा दास पुत्र देवी सरन (1260) भाग निवासी महाल बागड़ी तहसील उप तहसील जलोग, जिला शिमला दीपक पुत्र चुन्नी लाल पुत्र घाँगलू (1260) भाग निवासी महाल जेहड़ उप तहसील बगशाड, जिला मण्डी तेज सिंह पुत्र रेवा दास पुत्र कर्म दास (1260) भाग निवासी महाल सोहल उप-तहसील धामी, जिला शिमला प्रेम लाल पुत्र धनीराम पुत्र लछमी (1260) भाग निवासी महाल रण्डौल तहसील बगशाड, जिला मण्डी श्रीमती चन्द्रकांता पुत्र खेम राज			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							पुत्र मौजिया (1260) भाग निवासी महाल मझीवड डिंपल पुत्र पुष्पदेव पुत्र बंसी राम (1260) भाग निवासी महाल पनोही तहसील उप तहसील धामी, जिला शिमला महेंद्र कुमार पुत्र गोरखीया पुत्र बजीरू (1260) भाग निवासी महाल बाग श्रीमती सुमन पत्नी जिया लाल पुत्र रामेश्वर दत्त (1260) भाग निवासी महाल सुन्नी तृतीय तोताराम पुत्र सन्तु पुत्र जीवणु (1260) भाग निवासी महाल कदोग सुनील कुमार पुत्र मोतीराम पुत्र पुन्नू (1260) भाग निवासी महाल डवारसू				
			कुल किता-24			01.99.43 (26.10.00 बिघा)					

अनुलग्नक-ब

महाल जैशी तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि.प्र. (अतिरिक्त भूमि)

क्र. सं.	खेवट / खतौनी न.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1.	122 मिन	237 मिन	481 487	मुशतर्का	ब.क.द. फलदार बंजर कदीम	00-06-93 00-00-26	कुल भाग (3600) श्रीमती लीला, श्रीमती कमला, श्रीमती चम्पा, श्रीमती रोशनी देबी, श्रीमती गुडी देबी पुत्रियां दौलत राम पुत्र हिरदा भाग बराबर (126) भाग, मनीश पुत्र व कुमारी हिताक्षी पुत्री सुरजू पुत्र दौलत राम भाग बराबर (60) भाग, तुषार पुत्र रामानन्द पुत्र दौलत राम (30) भाग, दौलत राम पुत्र हिरदा पुत्र शुईया (957) भाग बुद्धी सिंह पुत्र बालक राम पुत्र देबी नाथ निवासी महाल कुमसू तहसील रामपुर (29) भाग, जगदीष चन्द पुत्र धर्मानन्द पुत्र बलिया निवासी महाल टिपरी तहसील कुमारसेन (29) भाग, ओम प्रकाश पुत्र रामनाथ पुत्र चनालू (29) भाग निवासी महाल ममैल तहसील करसोग, राजकुमार पुत्र व श्रीमती पुष्पा देबी पुत्री व श्रीमती दयावती विधवा लायक राम पुत्र कांषी राम उर्फ इन्द्रजीत भाग बराबर (360) भाग, रोशन लाल पुत्र व श्रीमती सन्ती पुत्री कांशी राम उर्फ इन्द्रजीत पुत्र बलीया भाग बराबर (720) भाग, वनीत, हरिश पुत्र व श्रीमती हिमी देबी विधवा सेवाराम उर्फ गुडू पुत्र कांषी राम उर्फ इन्द्रजीत भाग बराबर (360) भाग, शेर सिंह पुत्र व श्रीमती बिमला देबी, श्रीमती मथरा देबी, श्रीमती विद्या देबी पुत्रिया श्रीमती फूली पुत्री कांशी राम उर्फ इन्द्रजीत भाग बराबर (360) भाग, मस्त राम, दीप राम पुत्र व श्रीमती चम्पा पुत्री श्रीमती सावित्री पुत्री कांशी राम उर्फ इन्द्रजीत भाग बराबर (360) भाग स्थानीय वासी।	राजलज्जा	राजमार्ग	भराजा	क्षेत्र
			किता-2			00-07-19					
2.	122 मिन	237 मिन	486	मुशतर्का	गै.मु.घराट एक चक्की जारी 12 माही	00-00-15	कुल भाग (20) दौलत राम पुत्र हिरदा पुत्र शुईया (7) भाग, सुरजू, रामानन्द पुत्र दौलत राम पुत्र हिरदा भाग बराबर (1) भाग, राजकुमार पुत्र व श्रीमती पुष्पा देबी पुत्री व श्रीमती दयावती विधवा लायक राम पुत्र कांषी राम उर्फ इन्द्रजीत भाग बराबर (2) भाग, रोशन लाल पुत्र व श्रीमती सन्ती पुत्री कांषी राम उर्फ इन्द्रजीत पुत्र बलीया भाग बराबर (4) भाग, वनीत, हरिश पुत्र व श्रीमती हिमी देबी विधवा सेवाराम उर्फ गुडू पुत्र कांशी राम उर्फ इन्द्रजीत भाग बराबर (2) भाग, शेर सिंह पुत्र व श्रीमती बिमला देबी, श्रीमती मथरा देबी, श्रीमती विद्या देबी पुत्रिया श्रीमती फूली पुत्री कांशी राम उर्फ इन्द्रजीत भाग बराबर				

							(2) भाग, मस्त राम, दीप राम पुत्र व श्रीमती चम्पा पुत्री श्रीमती सावित्री पुत्री कांशी राम उर्फ इन्द्रजीत भाग बराबर (2) भाग स्थानीय वासी।				
3.	124 मिन	241 मिन	480/2/1	मुशतर्का	बाखल दोयम	00-01-72	कुल भाग (10) चन्द्रदास पुत्र किशन दास पुत्र अमरु (1)भाग, शुभम, भुपेन्द्र व श्रीमती मिनाक्षी पुत्री चन्द्रदास पुत्र किशन दास भाग बराबर (1) भाग, रमेश पुत्र व श्रीमती प्रेम दासी, श्रीमती कौशल्या देवी, श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्रियां किशन दास पुत्र अमरु भाग बराबर (8) भाग स्थानीय वासी।				
4.	133 मिन	250 मिन	484	मुशतर्का	बंजर कदीम	00-07-35	कुल भाग (20) पूर्ण चन्द पुत्र बेसर दास पुत्र अकलू (5) भाग, हेतराम पुत्र अकलू पुत्र हीरा (2) भाग, नेकचन्द, बिजू पुत्र व श्रीमती आशा देवी पुत्री हेत राम पुत्र अकलू भाग बराबर (3) भाग, राकेश, महेन्द्र पुत्र व श्रीमती रंजना देवी पुत्री बेग राम पुत्र अकलू भाग बराबर (5) भाग बीटू पुत्र व श्रीमती हिमी देवी, श्रीमती राधा देवी पुत्रियां व श्रीमती कला देवी उपनाम कली देवी विधवा निका राम पुत्र अकलू भाग बराबर (5) भाग स्थानीय वासी।				
			किता-5			00-16-41 (02-04-00 बीघा)					

अनुलग्नक-ब

महाल भराड़ा तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि.प्र. (अतिरिक्त भूमि)

क्र. सं.	खेवट / खतौनी नं.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (हैक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1.	105 मिन	195 मिन	20 21 22	मुशतर्का	गै.मु.कुहल गै.मु.घराट गै.मु. सैहन	00-00-25 00-00-26 00-00-25	कुल भाग (152) हुकमिया पुत्र दिवलू पुत्र मिथनू (76) भाग, तेज राम (14) भाग केशव राम (15) भाग पुत्र दास पुत्र दिवलू, श्रीमती खीमी, श्रीमती देबकू पुत्रीया दास पुत्र दिवलू भाग बराबर (38) भाग, महेश कुमार, संजय पुत्र तेज राम पुत्र दास भाग बराबर (5) भाग, श्रीमती प्रेम लता पुत्री तेज राम (2) भाग, श्रीमती ललिता पत्नी रमेश कुमार पुत्र पुर्ण दास (2) भाग स्थानीय वासी।	सतलुज	राजमार्ग	तराह	जैशी
			किता-3			00-00-76 (00-02-00 बीघा)					

अनुलग्नक-ब

महाल मजरोग, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि.प्र. (अतिरिक्त भूमि)

क्र. सं.	खेवट / खतौनी नं.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (हैक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1.	10 मिन	23 मिन	64	मुशतर्का	गै.मु.कुहल	00-01-33 (00-03-00 बिघा)	कुल भाग (21) अमर चन्द, ठाकुरसैन, रूपचन्द भाग बराबर (15) भाग, चरन्जी लाल (3) भाग पुत्र व श्रीमती कला देवी (3) भाग पुत्री देवी राम पुत्र लच्छमी नन्द स्थानीय वासी।	सतलुज	राजमार्ग	सनावणी	झंझन

जिला शिमला में अर्जित की जा रही भूमि में स्थित वृक्ष व संरचनाओं का ब्यौरा

वृक्ष			संरचनाएं	
किस्म	संख्या		प्रकार	प्लिंथ क्षेत्र

वन वृक्ष	25		कार्यशील व गैर-कार्यशील	00.00.41 (है०)
फलदार वृक्ष	313		घराट	
कुल	38			

अनुलग्नक-ब

महाल भौरा, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि.प्र. (अतिरिक्त भूमि)

क्र. सं.	खेवट / खतौनी नं.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (बीघा में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1.	19 मिन	28 मिन	262	मुशतर्का	गै.मु. कुहल	00-03-04	कुल भाग (806400) हिमा नन्द, चेत राम, चुनी लाल पुत्र तुलसी राम पुत्र दिवाकर भाग बराबर (31248) भाग, जतिन (9912) भाग पुत्र व श्रीमती प्रकाशा देबी विधवा ईश्वर चन्द पुत्र तुलसी राम (504) भाग, खेमन्त, मनोज कुमार पुत्र भेद राम पुत्र तुलसी राम भाग बराबर (10416) भाग, श्याम लाल, ठाकुर दत्त, सोम कृष्ण भाग बराबर (50820) भाग पुत्र व श्रीमती बेसरु देबी विधवा आदम राम पुत्र दिवाकर (1260) भाग, जितेन्द्र कुमार, गोपाल पुत्रगण बासूदेब पुत्र नाथू भाग बराबर (20720) भाग, श्रीमती प्रेमकान्ता, श्रीमती मीना देबी, श्रीमती सुषमा पुत्रिया व श्रीमती गंगादेबी विधवा वासूदेब पुत्र नाथू भाग बराबर (1120) भाग, रामलाल पुत्र नाथु पुत्र देवी सरन (21840) भाग, श्रीमती कमली, श्रीमती गोदावरी, श्रीमती पदमू, श्रीमती फूलू पुत्रियां नाथू पुत्र देबी सरन भाग बराबर (60480) भाग, गोविंद राम, उत्तम चन्द, इन्द्र चन्द, लाल चन्द पुत्र व श्रीमती सत्या, श्रीमती चन्द्रावती, श्रीमती निलावती पुत्रियां भूपराम पुत्र देबी सरन भाग बराबर (79380) भाग, मेहर चन्द, बृजलाल, बोध राज पुत्र भूप राम पुत्र देबी सरन भाग बराबर (59703) भाग, श्रीमती मैना देबी, श्रीमती प्रेमा, श्रीमती सीमा पुत्रिया भूप राम पुत्र देबी सरन भाग बराबर (6615) भाग, केवल, राज, राजेश दत्त पुत्र व कुमारी प्रभा पुत्री श्रीमती मालतू पुत्री भूप राम भाग बराबर (11340) भाग, तेजपाल, लोकेष पुत्र व श्रीमती सुदेश, श्रीमती सुषमा, कुमारी बबली पुत्रिया व श्रीमती कृष्णा भाग बराबर (15693) भाग विधवा व योगेश (2248) भाग पुत्र दीपराम पुत्र भूप राम, हरेन्द्र, विरेन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमती बबिता देबी पुत्री व श्रीमती त्रिपता विधवा हेत राम पुत्र भूप राम भाग बराबर (19901) भाग, भगत राम, उत्तम राम पुत्र टेक चन्द पुत्र बिहारी भाग बराबर	सरतयाला	सरतयाला	बलोना	मरयाला

							(268800) भाग, प्रमोद कुमार पुत्र व श्रीमती सोमी देवी, श्रीमती कमला देवी, श्रीमती हिमी देवी, कुमारी रक्षा पुत्रियां गीता राम पुत्र बिहारी भाग बराबर (84000) भाग, श्रीमती गोदावरी (8400) भाग व श्रीमती तारा वती (25200) भाग विधवाएँ गीता राम पुत्र बिहारी, यशोदेव उर्फ अश्वनी कुमार पुत्र मोहन लाल पुत्र बालक राम (5600) भाग, डिम्पल पुत्र व कुमारी मिनाक्षी पुत्री यशोदेव उर्फ अश्वनी कुमार पुत्र मोहन लाल भाग बराबर (11200) भाग स्थानीय वासी।				
2.	20 मिन	30 मिन 31 मिन	263 264 265	मुशतर्का	खडैतर धानी अव्वल गै.मु. बीड धानी अव्वल गै.मु. बीड	02-19-10 01-10-19 01-08-19 00-02-00 02-08-13 02-05-00 00-03-13	कुल भाग (10473523200) राहुल कुमार पुत्र हेत राम पुत्र जिवणू राम (1075200) भाग, हिमानन्द (70771008) भाग पुत्र व चेताराम, चुनी लाल भाग बराबर (206054016) भाग पुत्र तुलसी राम पुत्र दिवाकर, सेवानन्द (9676800) भाग पुत्र व जिया लाल (2150400) भाग पुत्र व श्रीमती मीना देवी (10752000) भाग पुत्री चेत राम पुत्र तुलसी राम, कु० देवांशी शर्मा पुत्री सेवानन्द पुत्र चेत राम (1075200) भाग, यशपाल, तिलक राज पुत्र व श्रीमती कान्ता शर्मा पुत्री चुनी लाल पुत्र तुलसी राम भाग बराबर (32256000) भाग, जतिन (128737056) भाग पुत्र व श्रीमती प्रकाशा देवी (6545952) भाग विधवा ईश्वर चन्द पुत्र तुलसी राम, खेमन्त (54739104) भाग पुत्र व मनोज कुमार (62265504) भाग पुत्र भेदराम पुत्र तुलसी राम, श्याम लाल (213027920) भाग पुत्र व ठाकुर दत्त (209264720) भाग पुत्र व सोमकृष्ण (220016720) भाग पुत्र व श्रीमती बेसरू देवी (16364880) भाग विधवा आदम राम पुत्र दिवाकर, कुमारी नेहा, कुमारी पुजा पुत्रियां श्याम लाल पुत्र आदम राम भाग बराबर (4838400) भाग, कुमारी कृति, कुमारी जागृति पुत्रियां ठाकरदत्त पुत्र आदमराम भाग बराबर (10752000) भाग, जितेन्द्र कुमार, गोपाल भाग बराबर (618860480) भाग पुत्र व श्रीमती प्रेमकान्ता, श्रीमती मीना देवी, श्रीमती सुषमा पुत्रियां व श्रीमती गंगादेवी भाग बराबर (14546560) भाग विधवा वासुदेव पुत्र नाथू, मेहुल शर्मा पुत्र व कुमारी मिशिका शर्मा पुत्री जितेन्द्र कुमार पुत्र वासूदेव भाग बराबर (21504000) भाग, सक्षम शर्मा पुत्र व कुमारी सुहानी शर्मा पुत्री गोपाल पुत्र वासूदेव भाग बराबर (21504000) भाग, राम लाल पुत्र नाथु पुत्र देवी सरन (622655040) भाग, कमलराज				

						(6988800) भाग पुत्र व धर्मनंद कुमार, भूपेन्द्र कुमार भाग बराबर (21504000) भाग पुत्र रामलाल पुत्र नाथू, केतन, प्रांजल पुत्र कमलराज पुत्र रामलाल भाग बराबर (21504000) भाग, गोविन्द राम (16996560) भाग पुत्र व उत्तम चन्द (33124560) भाग पुत्र व इन्द्र चन्द (328159440) भाग पुत्र व लालचन्द (38500560) भाग पुत्र व मेहर चन्द (226218188) भाग पुत्र व बृजलाल, बोधराज भाग बराबर (473940376) भाग पुत्र व श्रीमती सत्या, श्रीमती चन्द्रावती भाग बराबर (55497120) भाग पुत्रियां व श्रीमती नीलावती (49252560) भाग पुत्री व श्रीमती मैना देबी (4446540) भाग पुत्री व श्रीमती प्रेमा, श्रीमती सीता भाग बराबर (18569880) भाग पुत्रियां भूपराम पुत्र देबी सरन, भरत भूषण पुत्र व श्रीमती पूनम, श्रीमती पुजा, श्रीमती प्रीति व पुत्रियां गोविन्द राम पुत्र भूप राम भाग बराबर (60004560) भाग, दयानन्द (10752000) भाग पुत्र व तारादत्त पुत्र व श्रीमती रोशनी देवी भाग बराबर (10752000) भाग पुत्री श्रीमती सत्या पुत्री भूप राम, हर्ष पुत्र व कुमारी प्रकृति पुत्री तारादत्त पुत्र श्रीमती सत्या भाग बराबर (5376000) भाग, ईश्वर दत्त पुत्र व श्रीमती लोमिशा भाग बराबर (10752000) भाग पुत्री व कामराज (10752000) भाग पुत्र श्रीमती चन्द्रावती पुत्री भूप राम, कुमारी तितिक्षा पुत्री ईश्वर दत्त पुत्र श्रीमती चन्द्रावती (5376000) भाग, सत्यम, प्रीयम पुत्र श्रीमती लोमिशा पुत्री श्रीमती चन्द्रावती भाग बराबर (5376000) भाग, धृतियामन पुत्र व श्रीमती तेजश्वीता पुत्री उत्तम चन्द पुत्र भूप राम भाग बराबर (21504000) भाग, कुशल, यशपाल पुत्र व श्रीमती कामाक्षी देवी पुत्री व श्रीमती बिमला देवी पत्नी इन्द्रचन्द पुत्र भूप राम भाग बराबर (430080000) भाग, भरत भूषण पुत्र श्रीमती नीलावती पुत्री भूप राम (5376000) भाग, कुमारी उज्जवल, कुमारी उन्नत पुत्रियां लाल चन्द पुत्र भूप राम भाग बराबर (21504000) भाग, नवीन कुमार, दिवान चन्द, सन्तोष कुमार पुत्र व श्रीमती गीता देवी, श्रीमती संजू देवी पुत्रियां श्रीमती मैना देवी पुत्री भूप राम भाग बराबर (24192000) भाग, तेज पाल पुत्र व कु० बबली पुत्री व श्रीमती कृष्णा भाग बराबर (101910342) भाग विद्या व लोकेश (22142914) भाग पुत्र व योगेश (29197024) भाग पुत्र व श्रीमती सुदेश (28594114) भाग पुत्री व पुत्र				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

						श्रीमती सुषमा (23218114) भाग पुत्री दीप राम पुत्र भूप राम, सचिन, पियुष पुत्र श्रीमती सुदेश पुत्री दीप राम भाग बराबर (5376000) भाग, अमन शर्मा पुत्र व कुमारी नेहा शर्मा पुत्री श्रीमती सुषमा पुत्री दीप राम भाग बराबर (10752000) भाग, निखिल पुत्र व श्रीमती कंचन, श्रीमती क्षितिजा पुत्रियां मेहर चन्द भूप राम भाग बराबर (32256000) भाग, हरेन्द्र कुमार, विरेन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमती बबीता देवी भाग बराबर (201919641) भाग पुत्री व श्रीमती तृपता (56554547) भाग विधवा हेत राम पुत्र भप राम, हितेश पुत्र व कुमारी गीतांजली पुत्र बृजलाल पुत्र भूप राम भाग बराबर (21504000) भाग, राहुल शर्मा पुत्र व कुमारी पारुल शर्मा पुत्री बोध राज पुत्र भूप राम भाग बराबर (21504000) भाग, हितेश शर्मा पुत्र व श्रीमती दीपिका शर्मा पुत्री श्रीमती प्रेमा पुत्री भूप राम भाग बराबर (19353600) भाग, लोकेश शर्मा, पंकज शर्मा पुत्र श्रीमती सीता पुत्री भूप राम भाग बराबर (19353600) भाग, भगत राम, उत्तम राम पुत्र टेक चन्द पुत्र बिहारी भाग बराबर (3491174400) भाग, प्रमोद कुमार (191318400) भाग पुत्र व श्रीमती सोमी देवी, श्रीमती कमला देवी, श्रीमती हिमी देवी, कुमारी रक्षा भाग बराबर (872793600) भाग पुत्रियां व श्रीमती गोदावरी (109099200) भाग विधवा व श्रीमती तारावती (327297600) भाग विधवा गीता राम पुत्र बिहारी, कुमारी ज्योत्सना (3225600) भाग पुत्री व कुमारी रंजना (21504000) भाग पुत्री प्रमोद कुमार पुत्र गीता राम स्थानीय निवासी श्रीमती ममता पत्नी विनोद कुमार पुत्र वृज लाल (1075200) भाग निवासी महाल तलैहण, अशुल पुत्र अशोक कुमार पुत्र तारा चन्द (537600) भाग निवासी महाल सरौर, संदीप पुत्र शिव राम पुत्र केशव (1075200) भाग निवासी महाल दिगठ शिमला हर्ष पुत्र यशवंत पुत्र सनम राम (1075200) भाग निवासी गांव बहली रोहड़, कुमारी विपना पुत्री धर्मपाल पुत्र सुपत सिंह (1344000) भाग निवासी महाल धन्धरवाडी डोडरा कवार षिमला, पदम चन्द रोहाल पुत्र केषव राम रोहाल पुत्र झामडिया (537600) भाग निवासी महाल कटोह ममलीग सोलन, कुमारी लोविना पुत्री बेष्ठी लाल पुत्र रामसरन (537600) भाग स्थानीय वासी, श्रीमती अनिला कुमारी पुत्री भीम दत्त पुत्र मस्त राम (1075200) भाग, इंद्र दत्त पुत्र अर्जुन देव पुत्र				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					कुमार पुत्र इंद्र दत्त पुत्र अर्जुन देव (1075200) भाग निवासी गांव नौहरा कंडाघाट सोलन, श्रीमती मस्त राम (1075200) भाग, संदीप अनीता कुमारी पत्नीराजीव पुत्र रमेश दत्त (1075200) भाग, श्रीमती सरला पत्नी रमेश दत्त पुत्र अर्जुन देव (1075200) भाग निवासी गांव कुरगल कंडाघाट सोलन, श्रीमती सुनीता पत्नी हरीकृष्ण पुत्र मोहन लाल (1344000) भाग निवासी महाल ततापानी, राकेष पुत्र हीरा सिंह पुत्र चेत राम(985600) भाग निवासी महाल चैरी ठियोग षिमला, मदन सिंह पुत्र हीरा सिंह पुत्र दुर्गा (985600) भाग निवासी महाल जाऊ ठियोग शिमला, अंकित पुत्र श्याम लाल पुत्र शिवदत्त (985600) भाग निवासी महाल चेरी तहसील ठियोग षिमला, रमेश पुत्र गीता राम पुत्र पुर्ण दत्त (985600) भाग निवासी महाल चलावली ठियोग, श्रीमती मीरा पत्नी सीता राम पुत्र रती राम (985600) भाग निवासी महाल धरेच ठियोग शिमला, श्रीमती रीता देबी पत्नी भूपेन्द्र पुत्र किशन लाल (985600) भाग निवासी महाल हिमरी जलोग, श्रीमती कृष्णा पत्नी लीलादत्त पुत्र बाला राम (1075200) भाग निवासी महाल सौथल षिमला, खेमराज, नरेंद्र कुमार पुत्र अमी चंद पुत्र ठाकुर दत्त भाग बराबर (2150400) भाग निवासी महाल मंडोलघाट सुन्नी, धर्मेश शर्मा पुत्र गंगा राम पुत्र पुर्ण चंद (1075200) भाग निवासी महाल भराड़ा, श्रीमती निषा देवी पत्नी कमल कुमार पुत्र मेहर सिंह (1075200) भाग निवासी महाल भरगन सुन्नी, श्रीमती विद्या देवी पत्नी भूप राज पुत्र रामदत्त (537600) भाग निवासी महाल झुन्गी निहरी, यशोदेव उर्फ अष्वनी कुमार पुत्र मोहन लाल पुत्र बालक राम (72732800) भाग, डिम्पल पुत्र व कुमारी मिनाक्षी पुत्री यशोदेव उर्फ अष्वनी कुमार पुत्र मोहन लाल भाग बराबर (145465600) भाग स्थानीय वासी, आशीश कुमार पुत्र रतन लाल पुत्र परस राम (5376000) भाग निवासी डुहक झाण्डूता बिलासपुर, सोमकृष्ण, महिन्द्र लाल, नरेश कुमार पुत्र श्रीमती कलावती पत्नी लायक राम भाग बराबर (1612800) भाग, श्रीमती कलावती पत्नी लायक राम पुत्र भजन दास (9139200) भाग निवासी महाल चेबडी सुन्नी, भूपेश कुमार पुत्र रेता राम पुत्र जयानन्द (1075200) भाग निवासी महाल मुंगना सुन्नी, ह्रदेश शर्मा पुत्र नन्द किशोर शर्मा पुत्र हेत राम (1075200) भाग निवासी महाल कोहान जुन्गा शिमला, कुनाल शर्मा				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

							देवीदत्त (985600) भाग निवासी महाल चौकी सुन्नी, दुष्यंत कुमार पुत्र टेका राम पुत्र रामसरन (5913600) भाग निवासी महाल बाग, कुमारी दीपशिखा शर्मा, कुमारी भारती शर्मा, कुमारी प्रीती शर्मा पुत्रियां दुष्यंत कुमार पुत्र टेका राम भाग बराबर (4838400) भाग स्थानीय निवासी राकेश कुमार पुत्र हुक्म चन्द पुत्र रेता राम (10752000) भाग निवासी महाल कलंगार बगशाड़, जगदीश कुमार पुत्र हेम चन्द पुत्र लौंग राम (1075200) भाग निवासी महाल खडैहन, श्रीमती चम्पा देवी पत्नी पूर्ण पुत्र जीत राम (1075200) भाग निवासी महाल पनोही धामी, दुनी चन्द पुत्र मद्दु, पुत्र धनसिया (537600) भाग खेम चन्द, हेम राज पुत्र दुनी चन्द पुत्र मद्दु भाग बराबर (1075200) भाग स्थानीय निवासी दिनेश कुमार पुत्र अनंत राम पुत्र काकू (985600) भाग निवासी महाल बगथल, शिमला ग्रामीण जितेन्द्र कुमार पुत्र दया नन्द पुत्र मोलक राम (985600) भाग निवासी महाल मूल कोटी शिमला ग्रामीण, देवी सिंह पुत्र जुब्बल राम पुत्र डैम्बी (537600) भाग निवासी महाल चिठा धारटू।				
			किता-3			06.19.02					
3.	26	40	266	मुशतर्का	बंजर कावले काश्त	00-05-10	कुल भाग (6930) डोला राम पुत्र श्रीमती दासी पुत्री हिरू (1155) भाग, कमल पुत्र व श्रीमती पुष्पा, श्रीमती लता, श्रीमती रोशनी पुत्रीयां व श्रीमती सावित्री देवी विधवा मोलक राम पुत्र श्रीमती लपरी पुत्री हिरू भाग बराबर (385) भाग, चुनी लाल, नन्तराम पुत्र श्रीमती लपरी पुत्री हिरू भाग बराबर (770) भाग, तेज राम पुत्र व कुमारी लता, कुमारी रोशनी पुत्रियां व श्रीमती अमकू विधवा गोलू पुत्र हिरू भाग बराबर (1155) भाग, लच्छीराम पुत्र व श्रीमती मणी देवी पुत्री मनी राम पुत्र हिरू भाग बराबर (1155) भाग, ललित, संजीव पुत्र व श्रीमती रीना देवी पुत्री व श्रीमती पदी देवी विधवा काहनू पुत्र हिरू भाग बराबर (1320) भाग, श्रीमती शीला देवी पुत्री काहनू पुत्र हिरू (141) भाग, श्रीमती कमला देवी, श्रीमती पुष्पा देवी पुत्रिया काहन पुत्र हिरू भाग बराबर(408) भाग, जगदीश कुमार, योगेन्द्र कुमार पुत्र व कुमारी रमिका पुत्री श्रीमती शीला देवी पुत्री काहनू भाग बराबर (189) भाग, गौरव पुत्र श्रीमती पुष्पा पुत्री काहनू (126) भाग, राहुल, यतिन पुत्र श्रीमती कमला पुत्री काहनू भाग बराबर (126) भाग स्थानीय वासी।				

4.	29	43	258	मुशतर्का	गै.मु. कुहल	00.01.08	कुल भाग (1080) डोला राम पुत्र श्रीमती दासी पुत्री हिरू (48) भाग, कमल पुत्र व श्रीमती पुष्पा, श्रीमती लता, श्रीमती रोशनी पुत्रियां व श्रीमती सावित्री देवी विधवा मोलक राम पुत्र श्रीमती लपरी भाग बराबर(16) भाग, चुनी लाल, नन्तराम पुत्र श्रीमती लपरी पुत्री हिरू भाग बराबर (32) भाग, तेज राम पुत्र व कुमारी लता, कुमारी रोशनी पुत्रियां व श्रीमती अमकू विधवा गोलू पुत्र हिरू भाग बराबर (192) भाग, लच्छी राम पुत्र व श्रीमती मणी देवी पुत्री मनी राम पुत्र हिरू भाग बराबर (192) भाग, ललित, संजीव पुत्र व श्रीमती शीला देवी, श्रीमती कमला देवी, श्रीमती पुष्पा देवी, श्रीमती रीना देवी पुत्रियां व श्रीमती पदी देवी विधवा काहनू पुत्र हिरू भाग बराबर (384) भाग, टेक चन्द, टिकम दास, देवी दास, प्रेमलाल पुत्र व श्रीमती प्रेमा देवी, श्रीमती बिमला देवी, लता देवी, गुलाबू देवी पुत्रियां व श्रीमती द्रोपती देवी विधवा मोलक पुत्र ब्रीजू भाग बराबर (81) भाग, श्रीमती सावित्री पुत्री अगरु पुत्र दासू (54) भाग, श्रीमती कान्ता पुत्री मालतू पुत्री अगरु (54) भाग, श्रीमती दर्शनू पुत्री बृजु पुत्र सैनू (27) भाग स्थानीय वासी।				
5.	30	44	267	मुशतर्का	बंजर कावले काश्त	00.06.12	कुल भाग (2160) डोला राम पुत्र श्रीमती दासी पुत्री हिरू (210) भाग, कमल पुत्र व श्रीमती पुष्पा, श्रीमती लता, श्रीमती रोशनी पुत्रियां व श्रीमती सावित्री देवी विधवा मोलक राम पुत्र श्रीमती लपरी भाग बराबर (34) भाग, चुन्नी लाल, नन्तराम पुत्र श्रीमती लपरी पुत्री हिरू भाग बराबर (68) भाग, तेजराम पुत्र व कुमारी लता, कुमारी रोशनी पुत्रियां व श्रीमती अमकू विधवा गोलू पुत्र हिरू भाग बराबर (408) भाग, लच्छीराम पुत्र व श्रीमती मणी देवी पुत्री मनीराम पुत्र हिरू भाग बराबर (408) भाग, ललित, संजीव पुत्र व श्रीमती शीला देवी, श्रीमती कमला देवी, श्रीमती पुष्पा देवी, श्रीमती रीना देवी पुत्रियां व श्रीमती पदी देवी विधवा काहनू पुत्र हिरू भाग बराबर (816) भाग, टेकचन्द, टिकम दास, देवीदास, प्रेमलाल पुत्र व श्रीमती प्रेमादेवी, श्रीमती बिमला देवी, श्रीमती लता देवी, श्रीमती गुलाबू देवी पुत्रियां व श्रीमती द्रोपती देवी विधवा मोलक पुत्र ब्रीजू भाग बराबर (81) भाग, श्रीमती सावित्री पुत्री अगरु पुत्र दासू (54) भाग, श्रीमती कान्ता देवी पुत्री मालतू पुत्री अगरु (54) भाग, श्रीमती दर्शनू पुत्री बृजु पुत्र सैनू (27) भाग स्थानीय वासी।				
			कुल किता-7			07.15.16 (0.6304 हैक्टेयर)					

महाल जकलीन, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि.प्र. (अतिरिक्त भूमि)

क्र. सं.	खेवट / खतौनी नं.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (बीघा में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1.	5 मिन	6 मिन	91/2	मुशतर्का	धानी दोयम	00.18.19	कुल (5) भाग हिमा राम, डावर, बृजलाल, कर्मचन्द पुत्र कर्मदास पुत्र मगनिया भाग बराबर (4) भाग, गिरधारी लाल, किशोर कुमार पुत्र दरसू राम पुत्र मगनिया भाग बराबर (1) भाग स्थानीय वासी।	सरतयौला	सरतयौला	मगांन	बलोरा
2.	5 मिन	6 मिन	42 43	मुशतर्का	धानी दोयम बंजर काबले काश्त	00.19.18 00.04.16	कुल (120) भाग हिमा राम (11) भाग, डावर (6) भाग, बृजलाल (20) भाग, कर्मचन्द (19) भाग पुत्रगण कर्मदास पुत्र मगनिया, गिरधारी लाल (9) भाग किशोर कुमार (11) भाग पुत्रगण दरसू राम पुत्र कर्मदास, जगदेब चन्द, लाला लाजपतराय पुत्र व श्रीमती बिमला देबी पुत्री डावर पुत्र कर्मदास भाग बराबर (15) भाग, कर्णवीर पुत्र व श्रीमती सुनिता, श्रीमती सीमा देबी पुत्रियां व श्रीमती सुरती देबी पत्नी बृजलाल पुत्र कर्मदास भाग बराबर (4) भाग, डिकम चन्द, भुपेन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमती सुभद्रा देबी, श्रीमती लक्ष्मी देबी पुत्रियां व श्रीमती शीला देबी पत्नी कर्मचन्द पुत्र कर्मदास भाग बराबर (5) भाग, पवन कुमार, चेत राम पुत्र व श्रीमती सत्या देबी, श्रीमती सनेहरू देबी पुत्रियां कर्मदास पुत्र मगनिया भाग बराबर (8) भाग, श्रीमती ममता पत्नी किशोर कुमार पुत्र दरसू (1) भाग, ललित कुमार पुत्र व श्रीमती कृष्णा देबी पत्नी पवन कुमार पुत्र कर्मदास भाग बराबर (2) भाग, जतिन, वेद प्रकाश पुत्र व श्रीमती वनीता देबी पत्नी चेत राम भाग बराबर (3) भाग, श्रीमती कृष्णा देबी पत्नी यशपाल (1) भाग, श्रीमती रक्षा देबी पत्नी हरिचन्द (1) भाग, श्रीमती कलावती विधवा दरसू पुत्र मगनिया (1) भाग, श्रीमती प्रिया पुत्री व श्रीमती रोशनी देबी पत्नी जगदेब चन्द पुत्र डावर भाग बराबर (2) भाग, श्रीमती प्रेम लता पत्नी लाला लाजपतराय पुत्र डावर (1) भाग स्थानीय वासी।				
			किता-2			01.03.14					
			कुल किता-3			02.03.13 (0.1767 हेक्टेयर)					

महाल मगांन, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि.प्र.(अतिरिक्त भूमि)

क्र. सं.	खेवट / खतौनी नं.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (बीघा में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1.	12	16	180/1/1	वाहिद	बरानी दोयम गै.मु.बीड	01.02.04 01.01.03 00.01.01	कुल (842) भाग रूप लाल पुत्र मुशू पुत्र गुवशू (601) भाग, कमलदेब, रोशन लाल, सतोष कुमार, गंगाराम पुत्र व कुमारी पूनम पुत्री रूप लाल पुत्र मुशू भाग बराबर (210) भाग स्थानीय वासी, राहुल पुत्र नारायण सिंह पुत्र सही राम निवासी महाल मशोगल पांगणा (1) भाग, गुलशन पुत्र निमा राम पुत्र कमला राम (1) भाग, जगत राम पुत्र सही राम पुत्र कमला राम निवासी महाल कोट बगशाड (1) भाग, चुडामणी पुत्र आत्मा राम पुत्र धनिया (1) भाग, मितुल पुत्र चुडामणी पुत्र आत्मा राम निवासी	सरतयौला	सरतयौला	फफन	जकलीन

							महाल सेरी (1) भाग, ईश्वर दास पुत्र प्यारे लाल पुत्र बरिया (1) भाग, सुरेन्द्र कुमार पुत्र उत्तम सिंह पुत्र लच्छी राम निवासी महाल नेहरा (1) भाग, श्रीमती संजू देबी पत्नी एमन्त कुमार पुत्र दिला राम निवासी महाल शैहन्दल (1) भाग, करतार सिंह पुत्र मनसा राम पुत्र गंगा राम निवासी महाल धार छतरी (1) भाग, श्रीमती अनिता कुमारी पत्नी शेर सिंह पुत्र मोलक राम निवासी महाल चाडीनाल छतरी (1) भाग, श्रीमती सुषमा पत्नी मनोज कुमार पुत्र मंगरू निवासी महाल करगनू छतरी (1) भाग, श्रीमती पुष्पलता पत्नी यशपाल पुत्र नेगी राम निवासी महाल सेरी (1) भाग, श्रीमती गुलाबु देबी पत्नी नेगी राम पुत्र आदम निवासी महाल सेरी (1) भाग, श्रीमती प्रिया पुत्री लाल सिंह पुत्र हुवम चन्द निवासी महाल सेरी (1) भाग, श्रीमती नेहा पत्नी चुन्नी लाल पुत्र जय राम निवासी महाल डीपीएफ सुरांडा (1) भाग, श्रीमती पूनम पत्नी सोमकृष्ण पुत्र शेत राम निवासी माहल डीपीएफ पथरेबी (1) भाग, शीश राम, पदम सिंह पुत्र देबी सिंह पुत्र परसू भाग बराबर (2) भाग, रोहित पुत्र शीश राम पुत्र देबी सिंह (1) भाग, मनमोहन सिंह पुत्र गौरी दत्त पुत्र काहन चन्द (1) भाग, भीम सिंह पुत्र नरपत पुत्र परसू निवासी महाल कांडी-3 बगशाड़ (1) भाग, खेम राज पुत्र व श्रीमती ईशा पुत्री व श्रीमती नैना पत्नी कृष्ण दास पुत्र देबी रूप निवासी महाल मड़ीयुणी बगशाड़ (3) भाग, रूप सिंह पुत्र शिवराम पुत्र धारी निवासी महाल मनोला बगशाड़ (1) भाग, केशव राम पुत्र मनीराम पुत्र धीरज निवासी महाल मझास (1) भाग, श्रीमती सुषमा कुमारी पत्नी दिनेश कुमार पुत्र दलीप सिंह (1) भाग, दिनेश कुमार पुत्र दलीप सिंह पुत्र रूप लाल निवासी महाल शिरगल (1) भाग, कुमारी सिमरन पुत्री जयगोपाल पुत्र प्रितम (1) भाग, जय गोपाल पुत्र प्रितम पुत्र जगेश्वर निवासी महाल बगैला (1) भाग, भुवनेश पुत्र सुरेन्द्र सिंह पुत्र हेत राम निवासी महाल खैरा (1) भाग तहसील सुन्नी।				
						01.02.04 (0.0898 हैक्टेयर)					

अनुलग्नक-ब

महाल परलोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि.प्र. (अतिरिक्त भूमि)

क्र. सं.	खेवट / खतौनी नं.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (बीघा में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1.	1 मिन	1 मिन	263 / 2 61 / 24 / 1	मुशतर्का	बारानी दायम	00.01.07	कुल भाग (9) शीश राम, भूपेन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमती लीला कुमारी, श्रीमती गीता देवी, श्रीमती चमकीला देवी, श्रीमती इन्द्रा देवी, श्रीमती निशा पुत्रियां व श्रीमती अक्छरी देवी विधवा सुरत राम पुत्र मंघरु भाग बराबर (8) भाग श्रीमती देवकू विधवा मंघरु पुत्र जर्वू (1) भाग स्थानीय वासी।	खनौव	सतवुज	फफान	वर्तुका
2.	12 मिन	14 मिन	230 / 2	मुशतर्का	गै.मु. कुहल	00.08.08	कुल भाग (22400) गुणा नन्द, मेहर सिंह पुत्र व श्रीमती पिंगला देवी पुत्री व श्रीमती निलमा देवी विधवा पुर्ण चन्द पुत्र तवारु भाग बराबर (755) भाग, गोवर्धन दास, सुरत राम, केशव राम, गुरदयाल, मीना राम, मोद राज, लीलाधर, ओम प्रकाश पुत्र व श्रीमती सैनापत्नी श्रीमती नरायण दासी, श्रीमती कौशल्या देवी, श्रीमती गूंदली देवी, श्रीमती लीलावती भाग बराबर (9815) भाग पुत्रियां व श्रीमती गुलाबू देवी विधवा प्रेमू पुत्र तवारु (630) भाग, व श्रीमती गौरी पुत्री तवारु पुत्र तुलसीया (11200) भाग स्थानीय वासी।				

3.	15 मिन	17 मिन 18 मिन	30 31	मुशतर्का	धानी अव्वल धानी अव्वल	01.09.00 01.02.07	कुल भाग (186240) लाल चन्द पुत्र डबलू पुत्र बदरी (13440) भाग, भीमेश चन्द, सिमेश चन्द, योगेश चन्द पुत्र लाल चन्द पुत्र डबलू भाग बराबर (40368) भाग, श्रीमती रामकली (11760) भाग व श्रीमती हीमू (8304) भाग पुत्रियां तवारु पुत्र जानकू बंटी कुमार (3224) भाग लबली किशोर (4136) भाग रवि कुमार (2792) भाग पुत्र व कुमारी अनुराधा (3944) भाग, कुमारी दिक्षा (3560) भाग पुत्रियां व श्रीमती गीता देवी (3992) भाग विधा भगवान दास पुत्र हेतू, बेगा राम पुत्र हेतू पुत्र नाजकू (24840) भाग, केशव राम, धर्म सिंह भाग बराबर (12420) भाग पुत्र व श्रीमती कृष्णा देवी (3138) भाग श्रीमती बिमला देवी (3330) भाग पुत्रियां श्रीमती कागदू देवी पुत्री हेतू, दिनेश कुमार (1656) भाग पुत्र व श्रीमती रीना देवी (12408) भाग पुत्री श्रीमती लीला देवी पुत्री हेतू, यशवन्त, नरेश पुत्र व श्रीमती लता देवी पुत्री श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्रीमती कागदू देवी भाग बराबर (3072) भाग, हरिकृष्ण, नमोन्द्र पुत्र व श्रीमती बनिता देवी पुत्री श्रीमती कागदू देवी पुत्री हेतू भाग बराबर (2880) भाग स्थानीय वासी, निरम सिंह पुत्र आशा राम पुत्र तुलसिया (4800) भाग, धर्म प्रकाश, बुद्धि प्रकाश, नवल किशोर पुत्र व श्रीमती कृष्णा, श्रीमती राधा पुत्रिया रामानन्द पुत्र बालकराम भाग बराबर (4800) भाग, भीम सिंह, पदम देब पुत्र व श्रीमती सेना देवी, श्रीमती सूमावती पुत्रियां श्रीमती हिमू पुत्री तवारु भाग बराबर (8256) भाग, ईशान पुत्र बालम सिंह पुत्र दौलत राम (96) भाग निवासी सांवीधर बगशाड, दुर्गाराम पुत्र मंगलदास पुत्र करमू (96) भाग निवासी थली बगशाड, हेमदास पुत्र तुसली राम पुत्र उत्तम राम (96) भाग निवासी जमोग सुन्नी, मोहन लाल पुत्र लीला दत्त पुत्र पुरबू (96) भाग निवासी सरोग धामी, राजेन्द्र कुमार पुत्र शौक राम पुत्र उत्तम (96) भाग निवासी जमोग सुन्नी, श्रीमती निलम पत्नी श्याम लाल पुत्र रतिराम (96) भाग निवासी सुन्नी, श्रीमती गीता पत्नी अमित पुत्र साजनू (96) भाग निवासी बनारा जुबल, हेम राज पुत्र इन्द्रदत्त पुत्र देवी सरन (480) भाग, कमल पुत्र हेमराज पुत्र इन्द्रदत्त (480) भाग निवासी अलसिंडी, इन्द्रसिंह पुत्र बलदेब पुत्र धर्मदास (960) भाग निवासी थनाली करसोग, राजेश कुमार पुत्र जगत राम पुत्र सीता राम (96) भाग निवासी बन्बीरा दाडलाघाट, लेख राज पुत्र कपरु राम पुत्र जीवणू (48) भाग निवासी कांगरी सुन्नी, कपिल कुमार पुत्र देवी दास पुत्र जीवणू (48) भाग निवासी भौरा, भूपेश पुत्र रमेश चन्द पुत्र नीलकंठ (48) भाग निवासी डीपीएफ तलैहन, श्रीमती रोमा कुमारी पुत्री हेतू पुत्र जीवणू (48) भाग निवासी भौरा, टीकम चन्द पुत्र सेवा नन्द पुत्र करमू (48) भाग निवासी तलैहन, श्रीमती रमा देवी पत्नी बेली राम पुत्र चेत राम (96) भाग निवासी कोठी अर्की, धर्मपाल पुत्र कृष्ण पुत्र गुलाबा (96) भाग धन्जय पुत्र व कुमारी ललिता, कुमारी अदिति पुत्रियां धर्मपाल पुत्र कृष्ण भाग बराबर (288) भाग, विनोद कुमार पुत्र निकू पुत्र गुलाबा (96) भाग निवासी बदिथार दालड़ाघाट, मनीष कुमार पुत्र लीलाधर पुत्र खीमू (96) भाग आकाष पुत्र घन्श्याम पुत्र परमाराम (96) भाग निवासी भरगण सुन्नी, महेशकृष्ण पुत्र दौलत राम पुत्र नारायण सिंह (96) भाग निवासी बडोग दालड़ाघाट, नरेन्द्र पुत्र गोपी चन्द पुत्र जयनन्द (96) भाग निवासी मुर्गणा, तरुण पुत्र ललित कुमार पुत्र कृष्ण चन्द (96) भाग निवासी भझाड धामी, गोकूल चन्द पुत्र उधमू राम पुत्र मोहलू (96) भाग निवासी थली बगशाड, पंकज पुत्र सतपाल पुत्र देवी सिंह (96) भाग निवासी सांवीधर, ईश्वर पुत्र रामानन्द पुत्र नरम (96) भाग मोहित पुत्र व श्रीमती पूजा पुत्री व श्रीमती सुन्दर कुमारी पत्नी ईश्वर पुत्र रामानन्द भाग बराबर (288) भाग निवासी नावण ननखरी, जोगिन्द्र लाल पुत्र प्यारे लाल पुत्र केशव राम (96) भाग धीरज पुत्र व कुमारी दिव्या, कुमारी अदितिका पुत्रियां व श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी जोगिन्द्र लाल पुत्र प्यारे लाल भाग बराबर (384) भाग निवासी दतनगर रामपुर, यशपाल पुत्र रोशनलाल पुत्र निकाराम (1152) भाग रवि, नरेश पुत्र व श्रीमती खाम्पी देवी पत्नी यशपाल पुत्र रोशन लाल भाग बराबर (288) भाग निवासी टिक्करी ननखड़ी, भूपेन्द्र सिंह पुत्र चैन सिंह पुत्र मीनू (96) भाग रविन्द्र पुत्र भूपेन्द्र सिंह पुत्र चैन सिंह (96) भाग निवासी पनेहल ननखड़ी, अनन्तराम पुत्र सेरु राम पुत्र दासू (96) भाग सौरव कुमार, संजय कुमार पुत्र व श्रीमती रक्षा देवी पत्नी अनन्तराम पुत्र सेरु राम भाग बराबर (288) भाग निवासी देलठ ननखड़ी, देब राज पुत्र रत्न सिंह पुत्र मुनी (144) भाग निवासी जौंग तहसील करसोग, श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नी भाग सिंह पुत्र कर्म सिंह				
----	-----------	------------------------	----------	----------	--------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--

							(96) भाग निवासी जंजैहली थुनाग, श्रीमती रमीली देबी पत्नी डोला राम पुत्र रती राम (96) भाग निवासी मैहण्डी करसोग, जगत राम पुत्र शिवराम पुत्र मगरू (144) भाग किशोरी लाल, पदम देब पुत्र जगत राम पुत्र शिवराम भागबराबर (288) भाग दिपक पुत्र किशोरी लाल पुत्र जगत राम (144) भाग केशव राम, हेत राम, झाबा राम पुत्र बिन्दू राम पुत्र आलमू राम भाग बराबर (432) भाग निवासी बखरूडा करसोग, श्रीमती कृष्णा देबी पत्नी जीवा नन्द पुत्र धनी राम (144) भाग निवासी सेरी करसोग, टेक सिंह पुत्र हरिसरन पुत्र लीला दत्त (96) भाग बसन्त लाल पुत्र लीला दत्त पुत्र बरडू राम (96) भाग निवासी ठहली बगशाड, केशव राम पुत्र गोवर्धन पुत्र गौरी दत्त (96) भाग खेम राज, मुरारी लाल पुत्र केशव राम पुत्र गोवर्धन भाग बराबर (192) भाग, श्रीमती शान्ता देबी पत्नी गिरधारी लाल पुत्र केशव राम (96) भाग निवासी डबरोट करसोग।				
			किता-2			02.11.07					
4.	16	19	244 / 27 / 1	मुशतर्का	बारानी दायम	00.06.00	कुल भाग (2262) ललित कुमार (601) भाग, डोला राम (271) भाग पुत्र व श्रीमती सुरेशा कुमारी (118) भाग पुत्री श्रीमती खुबकला पुत्री भीखू स्थानीय वासी, ठीकम राम पुत्र भवानीदत्त पुत्र नामालूम (30) भाग निवासी महाल, श्रीमती गायत्री पुत्नी संजीव कुमार पुत्र लालचन्द (15) भाग, श्रीमती पुष्पा देबी पत्नी जसपाल पुत्र निकाराम (6) भाग निवासी महाल पन्दोआ, योग राज पुत्र कुन्दन पुत्र पूरबू (15) भाग निवासी महाल ठारू, रामेश्वर पुत्र लच्छमी दास पुत्र मंगरू (6) भाग निवासी महाल दोगरी निहरी, भूप राम पुत्र नोख राम पुत्र नरसिंह (6) भाग निवासी महाल ततापानी, नरेश कुमार पुत्र चुड़ामणी पुत्र निकनू (6) भाग निवासी महाल ततापानी, श्रीमती संजय कुमारी पत्नी चमन लाल पुत्र नामालूम (6) भाग निवासी महाल मंथल करसोग, श्रीमती विनता देबी पत्नी निहाल चन्द पुत्र नामालूम (6) भाग निवासी चून्जा रामपुर, श्रीमती निर्मला देबी, श्रीमती रीता देबी पुत्रिया व श्रीमती लक्ष्मी देबी पत्नी जीत राम पुत्र देबी राम भाग बराबर (18) भाग निवासी महाल द्राबला श्रीमती निलम पत्नी मोहन लाल पुत्र जीत राम (6) भाग निवासी महाल द्राबला, श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नी कृष्णदत्त पुत्र पूर्णदास (6) भाग निवासी हिमरी जलोग, श्री सोमकृष्ण पुत्र किरपा राम पुत्र बदरी दत्त (6) भाग निवासी शनोल शिमला ग्रामीण, सत्यप्रकाश पुत्र सिता राम पुत्र परमानन्द (6) भाग निवासी मालगी जलोग, ईलाश पुत्र व श्रीमती कुसुम लता पत्नी सत्यप्रकाश पुत्र सिता राम भाग बराबर (12) भाग निवासी मालगी जलोग, श्रीमती प्रितिका पत्नी ईलाश पुत्र सत्यप्रकाश (6) भाग निवासी मालगी जलोग, सोहन सिंह पुत्र तुलसी राम पुत्र नैनसुख (6) भाग निवासी महाल लेलन ननखड़ी, सुरेन्द्र सिंह, हेम राज, यशपाल पुत्र व श्रीमती सुभद्रा देबी पत्नी सोहन सिंह पुत्र तुलसी राम भाग बराबर (24) भाग, श्रीमती कृष्णा देबी पत्नी हेम राज पुत्र सोहन सिंह (6) भाग, श्रीमती सोमलता पत्नी यशपाल पुत्र सोहन सिंह (6) भाग निवासी, हेमन्त पुत्र व श्रीमती पलवी पुत्री व श्रीमती सीता देबी पत्नी सुरेन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह भाग बराबर (18) भाग निवासी, श्यामलाल पुत्र देबी राम पुत्र चरण दास (6) भाग निवासी महाल लेलन ननखड़ी, यशपाल पुत्र मोती राम पुत्र सुखदास (6) भाग, वंश पुत्र व श्रीमती पिंगला देबी पत्नी यशपाल पुत्र मोती राम भाग बराबर (12) भाग निवासी महाल नागाधार ननखड़ी, लायक राम पुत्र बली राम पुत्र रति राम (6) भाग निवासी चखटी ननखड़ी, गोपाल सिंह पुत्र जगरनाथ पुत्र तेजू (6) भाग, विरेन्द्र सिंह पुत्र व श्रीमती उषा पत्नी गोपाल सिंह पुत्र जगरनाथ भाग बराबर (12) भाग, श्रीमती कोमल पत्नी विरेन्द्र पुत्र गोपाल सिंह (6) भाग निवासी महाल मडोली ननखड़ी, दुनीचन्द पुत्र रोशन लाल पुत्र सुंकीराम (6) भाग, श्रीमती नेहा पुत्री व श्रीमती विन्दा पत्नी दुनीचन्द पुत्र रोशन लाल भाग बराबर (12) भाग, भूपेन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमती आशा देबी पत्नी पदम दास पुत्र रोशन लाल				

						भाग बराबर (12) भाग, श्रीमती प्रिति पत्नी भूपेन्द्र कुमार पुत्र पदम दास (6) भाग, श्रीमती पूर्णा देबी पत्नी राजेश कुमार पुत्र रोशन लाल (6) भाग, राजेश कुमार पुत्र रोशन लाल पुत्र गोकल राम (6) भाग निवासी महाल निरथ रामपुर, राजेश कुमार पुत्र मुनी लाल पुत्र परमानन्द (6) भाग निवासी बायल निरमण्ड, श्रीमती सरिता देबी पत्नी संजय कुमार पुत्र बसन्त लाल (6) भाग निवासी महाल तुन्दल, मोहन सिंह पुत्र मोती लाल पुत्र तुलसी राम (6) भाग, भीष्म पुत्र व श्रीमती सम्भ्या, श्रीमती दिव्या, श्रीमती ज्योति व श्रीमती सविता पत्नी मोहन सिंह पुत्र मोती लाल भाग बराबर (24) भाग निवासी महाल कमलाहू रामपुर, हरिचन्द पुत्र मंगत राम पुत्र परमानन्द (6) भाग, पंकज पुत्र व श्रीमती लोकेशवरी पत्नी हरिचन्द पुत्र मंगत राम भाग बराबर (12) भाग निवासी घरागल ननखड़ी, उमेश कुमार, पुष्प कुमार पुत्र व श्रीमती फुलमा देबी पत्नी देविन्द्र कुमार पुत्र तुला राम भाग बराबर (18) भाग, चन्दन पुत्र व श्रीमती भुवनेश्वरी पुत्री व श्रीमती रमा देबी पत्नी हेम सिंह पुत्र तुला राम भाग बराबर (18) भाग, सुशील व श्रीमती हिमी देबी पत्नी हीरा लाल पुत्र तुला राम भाग बराबर (12) भाग, श्रीमती मनीषा पत्नी सुशील पुत्र हीरा लाल (6) भाग निवासी महाल मालगी, यशपाल पुत्र हरदयाल पुत्र मंगत राम (6) भाग, श्रीमती मुनीशा पत्नी यशपाल पुत्र हरदयाल (6) भाग निवासी पनेहल ननखड़ी, संजय कुमार पुत्र रोशन लाल पुत्र रामानन्द (6) भाग निवासी सरघा निरमंड, युगल पुत्र अजीत सिंह पुत्र धनी राम (6) भाग निवासी महाल निरमंड, जोगिन्द्र पुत्र व श्रीमती कलावती पत्नी मनसा राम पुत्र दीप राम भाग बराबर (12) भाग, राजीव, तरुण पुत्र व श्रीमती शान्ता पत्नी जोगिन्द्र पुत्र मनसा राम भाग बराबर (18) भाग निवासी महाल चनारड़ी धामी, विनोद कुमार पुत्र मेहर चन्द पुत्र कुन्द लाल (6) भाग, जितेन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमती सन्तोष पत्नी विनोद कुमार पुत्र मेहर चन्द भाग बराबर (12) भाग निवासी महाल सुन्नी, दिवान चन्द पुत्र खुबी राम पुत्र मस्त राम (6) भाग निवासी पंजोल बजीरा धामी, भूपेन्द्र पुत्र नरेश कुमार पुत्र नारायण दत्त (6) भाग निवासी बशैलड़ी सुन्नी, इन्द्र दास पुत्र शिवलाल पुत्र झोगर दास (6) भाग, हरिश चन्द्र पुत्र व श्रीमती लीला देबी पत्नी इन्द्र दास पुत्र शिवलाल भाग बराबर (12) भाग, श्रीमती प्रिती पत्नी हरिश चन्द्र पुत्र इन्द्र दास (6) भाग निवासी महाल नरोला रामपुर, शीतल पुत्र गुरनाम सिंह पुत्र राम सिंह (6) भाग निवासी महाल नंझा कोटगढ़, विनीत कुमार पुत्र मोहन लाल पुत्र मस्त राम (6) भाग निवासी कुशवा निरमण्ड, दलीप सिंह पुत्र जिया लाल पुत्र गोरखू राम (6) भाग, राजकुमार पुत्र दलीप सिंह पुत्र जिया लाल (6) भाग निवासी कलेडा रामपुर, सतपाल पुत्र श्यामदेब पुत्र तवार देब (6) भाग, श्रीमती योगिता पुत्री व श्रीमती गुलशन देबी पत्नी सतपाल पुत्र श्यामदेब भाग बराबर (12) भाग, श्रीमती पूजा पत्नी रवि मोहन पुत्र सुरत देब (6) भाग निवासी महाल निरथ, ललिता पुत्र राजेश कुमार पुत्र रामदयाल (6) भाग, संदीप कुमार, दुर्गेश कुमार पुत्र व श्रीमती सविता देबी पत्नी लाल सिंह पुत्र ज्वाला सिंह भाग बराबर (18) भाग, श्रीमती ज्योतसना पत्नी संदीप कुमार पुत्र लाल सिंह (6) भाग, श्रीमती ऋषा पत्नी दुर्गेश कुमार पुत्र लाल सिंह (6) भाग, पूर्ण चन्द पुत्र संगत राम पुत्र दौलत राम (6) भाग, दिवान चन्द पुत्र प्यारे लाल पुत्र पदमू (6) भाग संजीव कुमार पुत्र प्रेम चन्द पुत्र मस्त राम (6) भाग निवासी महाल निरथ, श्रीमती वीणा देबी पत्नी संजीव कुमार पुत्र प्रेम चन्द (6) भाग, तरुण पुत्र व श्रीमती बबली देबी पत्नी राजेश पुत्र रामदयाल भाग बराबर (12) भाग, श्रीमती प्रभा देबी पत्नी दिवान चन्द पुत्र प्यारे लाल (6) भाग निवासी महाल निरथ, हर्षेन्द्र कुमार पुत्र नरेन्द्र पुत्र कौल राम (6) भाग निवासी बहली तकलेच, सन्तोष कुमार पुत्र टिकम राम पुत्र मेहर चन्द (6) भाग निवासी महाल निथर, राहुल (3) भाग, रविमोहन, अक्षय पुत्र मनमोहन				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

						निथर कुल्लू, श्रीमती वन्दना कुमारी पत्नी रणजीत सिंह पुत्र श्रीमती शकुन्तला (6) भाग, रणजीत सिंह पुत्र श्रीमती शकुन्तला पुत्री शेर सिंह (6) भाग निवासी महाल पोशना निरमण्ड, परमिन्द्र कुमार पुत्र जयदेव पुत्र पदम देव (3) भाग निवासी कलेडा रामपुर, सुरेश कुमार पुत्र सुरत राम पुत्र मेहताब चन्द (3) भाग निवासी महाल निरथ रामपुर, श्रीमती आशा देवी पत्नी हेमकुन्त पुत्र बासुदेव (6) भाग निवासी महाल शनैरी रामपुर, विक्रान्त पुत्र चमन लाल पुत्र देवी सरन (6) भाग निवासी महाल शिंगला रामपुर, हरिश कुमार पुत्र चुरादत पुत्र नामालूम (6) भाग निवासी महाल जडीड रामपुर, श्रीमती अर्चना पुत्री केशव राम पुत्र दिला राम (6) भाग, केशव राम पुत्र दिला राम पुत्र शोभा नन्द (6) भाग निवासी महाल तुमण करसोग, श्रीमती समृति पुत्री सुरेश पुत्र नामालूम (6) भाग निवासी भनोली रोहडू, सुनिल पुत्र व श्रीमती सुनिता पुत्री राजेन्द्र कुमार पुत्र लच्छमण दास भाग बराबर (12) भाग, दिनेश पुत्र व श्रीमती विमला पत्नी बालकराम पुत्र टिबलू भाग बराबर (12) भाग, रमेश कुमार, पुष्प राज पुत्र रूप लाल पुत्र धर्म सिंह भाग बराबर (12) भाग, अमित पुत्र नरेश पुत्र बालक राम (6) भाग, मंगलेश्वर पुत्र केवल कृष्ण पुत्र टिबलू (6) भाग निवासी महाल मथल, भीष्म पाल पुत्र भीम सिंह पुत्र डुमणू (6) भाग निवासी सनारली करसोग, दीपक पुत्र झाबे राम पुत्र नामालूम (6) भाग निवासी महाल कसौली निरमण्ड, श्रीमती विधा देवी पत्नी इन्द्र सिंह पुत्र बली राम (3) भाग निवासी सूमा जलोग, श्रीमती उमाप्यारी पत्नी हेमराज पुत्र अनन्त राम (3) भाग, श्रीमती बबली देवी पत्नी धर्म प्रकाश पुत्र अनन्त राम (3) भाग निवासी महाल साल, गोपाल सिंह पुत्र नरपत राम पुत्र पूर्ण चन्द (3) भाग निवासी महाल कांगरी सुन्नी, हरिश कुमार पुत्र भीष्म दत्त पुत्र मोती (3) भाग निवासी महाल बिन्दला बगशाड, खमेश कुमार पुत्र व कुमारी ज्योतिबाला पुत्री इन्द्र सिंह पुत्र बली राम भाग बराबर (6) भाग, लेख राज, घन्स्याम पुत्र बलीराम पुत्र देवी सिंह भाग बराबर (6) भाग निवासी महाल सूमा जलोग, नितिन पुत्र व कुमारी नेहा पुत्री धर्मदास पुत्र अनन्त राम भाग बराबर (6) भाग निवासी महाल साल, श्रीमती राधा पत्नी रामकृष्ण पुत्र ठाकुर दास (3) भाग निवासी महाल गलाह, युगल किशोर पुत्र टेक चन्द पुत्र नामालूम (6) भाग निवासी महाल शाकरा, कुमारी कुमकुम, कुमारी मृदुल पुत्रिया राधाकृष्ण पुत्र सरनपत (6) भाग निवासी महाल गढेरी, कुमारी कृतिका पुत्री सतीश पुत्र प्रकाश (3) भाग निवासी महाल परलोग, निखिल, दीपक पुत्र सुरेन्द्र पुत्र साधराम (6) भाग निवासी कोटी कुमारसेन, विनय कुमार पुत्र सुरेश कुमार पुत्र सूरत राम (3) भाग, श्रीमती शशी पत्नी मनमोहन पुत्र सूरत राम (3) भाग निवासी महाल निरथ, श्रीमती शशी पत्नी हरिश कुमार पुत्र लोकनाथ (3) भाग निवासी मसोग पांगणा, चेत राम, भाग चन्द पुत्र जीवनन्द पुत्र जेदू भाग बराबर (18) भाग निवासी महाल बलिन्डी बगशाड, श्रीमती भूमिका पत्नी परमिन्द्र पुत्र जयदेव (3) भाग निवासी कलेडा रामपुर, अमर सिंह पुत्र व श्रीमती हेमलता पुत्री टेक सिंह पुत्र हरि सिंह भाग बराबर (6) भाग निवासी महाल छण्डयारा पांगणा, रविन्द्र कुमार पुत्र ज्ञान सिंह पुत्र दयाल सिंह (3) भाग निवासी महाल नडूखर, कंवर सिंह पुत्र टेक सिंह पुत्र हरि सिंह (3) भाग निवासी ट्रैच्छ निहरी, योगिन्द्र कुमार पुत्र अमिताभ पुत्र अच्छर (6) भाग निवासी महाल दोगरी निहरी, धर्मेन्द्र कुमार, दुश्यन्त कुमार पुत्र तुला राम पुत्र नरायण दास उर्फ ठीकम दास भाग बराबर (6) भाग निवासी सूमा जलोग, किशोरी लाल, पदम देव पुत्र दुला राम पुत्र मंगतू भाग बराबर (6) भाग निवासी कंथाल छतरी, राजेश कुमार पुत्र बसन्त राम पुत्र बजीरा राम (60) भाग निवासी भटेड भोरंज				
			कुल किता-5		03.07.02 (0.2715 हैक्टेयर)					

महाल बेलूडांक, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि.प्र. (अतिरिक्त भूमि)

क्र. सं.	खेवट / खतौनी न.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (बीघा में)	हितद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1.	22	30	208	मुशतर्का	गैरमुम. कुहल	00.05.04	कुल भाग (1040) कौल राम, विपूल कुमार, राम कृष्ण पुत्र विलूराम पुत्र दुर्गा भाग बराबर (170) भाग, खेर सिंह पुत्र व श्रीमती सुषमा देवी, श्रीमती लता देवी पुत्रिया व श्रीमती नारकली पत्नी चंदू पुत्र दुर्गा भाग बराबर (170) भाग, कमल जित सिंह पुत्र चेत राम पुत्र दुर्गा (14) भाग, खेमन्त कुमार, गंगेश कुमार पुत्र कमल जीत सिंह पुत्र चेत राम भाग बराबर (20) भाग, ओम राज पुत्र चेत राम पुत्र दुर्गा (24) भाग, भीमेश कुमार पुत्र ओमराज पुत्र चेत राम (10) भाग, भीम सिंह पुत्र चेत राम पुत्र दुर्गा (14) भाग, बेद प्रकाश (14) भाग पुत्र व श्रीमती लीला देवी विधवा चेताराम पुत्र दुर्गा (34) भाग, जोतराम (185) भाग, आशा राम (155) भाग पुत्रगण देवीसरन पुत्र पदमा, खुशवन्त सिंह, चुन्नी लाल पुत्र आशा राम पुत्र देवी सरन भाग बराबर (20) भाग, परिक्षित, दीक्षित पुत्र वेद प्रकाश पुत्र चेत राम भाग बराबर (20) भाग, सतीश कुमार, बुधी सिंह, देव राज भाग बराबर (120) भाग पुत्र व श्रीमती मोरदासी विधवा दिवान चंद पुत्र देवी सरण (40) भाग स्थानीय वासी, विनोद कुमार पुत्र बेली राम पुत्र धीरमल (10) भाग निवासी तुन्दल करसोग, मोहर सिंह पुत्र बाला राम पुत्र श्याम चन्द (10) भाग निवासी डीपीएफ खादरा करसोग, आमी चन्द पुत्र शोभा राम पुत्र मोलक (10) भाग निवासी बगैल करसोग।	खनैव	सतलुज	खरयाली	परतोण
2.	23 मिन	31 मिन	223 224 225 226 227	मुशतर्का	धानी दोयम धानी दोयम गैर. मुम. खण्डर बारानी दोयम खडैतर	00.05.02 01.07.14 00.00.09 00.13.06 01.03.06	कुल भाग (240) कौलराम, विपुल कुमार, रामकृष्ण पुत्र बिलू राम पुत्र दुर्गा भाग बराबर भाग बराबर (40) भाग, खेर सिंह पुत्र व श्रीमती सुषमा देवी, श्रीमती लता देवी पुत्रिया व श्रीमती नारकली पत्नी चन्दू पुत्र दुर्गा भाग बराबर (40) भाग, जोत राम, आशा राम देवीसरण पुत्र पदमा भाग बराबर (82) भाग, सतीश कुमार, बुधी सिंह, देव राज भाग बराबर (35) भाग पुत्र व श्रीमती मोरदासी (3) भाग विधवा दिवान चंद पुत्र देवी सरण स्थानीय वासी, जीत सिंह, यशवन्त सिंह उपनाम सिंघूराम, भाग चंद पुत्र सुरत राम पुत्र डणकू भाग बराबर (40) भाग निवासी महाल बगैल।				
			किता-5			03.09.17					
3.	65 मिन	88 मिन	228	मुशतर्का	गै.मु. गोहर	00.14.01	कुल भाग (1790) अमर सिंह पुत्र व श्रीमती चुडागणी, श्रीमती इन्द्रा देवी, श्रीमती सैनापतू पुत्रियां हिरानंद पुत्र मानक भाग बराबर (128) भाग, अमर चंद पुत्र हिरानंद पुत्र मानक (12) भाग, प्रदीप सिंह, हेम राज पुत्र व श्रीमती मीना कुमारी पुत्री श्रीमती भगवतू पुत्री हिरानन्द भाग बराबर (30) भाग, संजय कुमार पुत्र अमर चन्द पुत्र हिरानन्द (25) भाग, पूर्ण चन्द पुत्र मेघ सिंह पुत्र दरसू (300) भाग, महेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार पुत्र अमर चन्द पुत्र हिरानन्द भाग बराबर (10) भाग, श्रीमती मीना देवी पत्नी महेन्द्र कुमार पुत्र अमर चन्द (5) भाग, श्रीमती सीता देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार पुत्र अमर चन्द (5) भाग, श्रीमती केसरी पत्नी अमर सिंह पुत्र हीरानन्द (5) भाग स्थानीय वासी, हेम सिंह पुत्र तुला राम पुत्र लच्छमी नन्द (165) भाग निवासी महाल मालगी, पवन कुमार पुत्र बलबीर सिंह (10) भाग निवासी कलेड़ा रामपुर, श्रीमती अन्जु पत्नी विक्रान्त पुत्र मनमोहन (10) भाग, विक्रान्त पुत्र मनमोहन पुत्र हरि राम (10) भाग निवासी महाल घरागल ननखडी, विशाल पुत्र बालमकुन्द (10) भाग निवासी डोई रामपुर, श्रीमती मिनल पत्नी प्रदीप कुमार (10) भाग निवासी मेलन कोटगढ़, रोहन पुत्र दलीप कुमार (10) भाग निवासी दतनगर, श्रीमती चन्देश पत्नी जसबीर सिंह(5)				

[illegible]

						बठोरा जलोग, भीष्म सिंह पुत्र सेवा दास पुत्र केसरू राम (5) भाग निवासी महाल कोठी जलोग, श्रीमती राधा पत्नी खेम राम पुत्र बट्टी दास (5) भाग निवासी मडयालु, गुरु राम पुत्र नारायण दत्त पुत्र पुर्ण दत्त (5) भाग निवासी बशेलडी प्रथम, तरुण पुत्र संत राम पुत्र रूप लाल (5) भाग निवासी सुमी, विनोद कुमार पुत्र हेत राम पुत्र कपूर (5) भाग निवासी बछागड़ धामी, यषवन्त सिंह, हेम राम पुत्र परमानन्द पुत्र कुन्दन लाल भाग बराबर (10) भाग निवासी मटेवग जलोग, श्रीमती सत्या पत्नी बालकृष्ण पुत्र बेग राम (5) भाग निवासी महाल खोब, नेक चन्द पुत्र व श्रीमती विधा देबी पत्नी जीत राम पुत्र मोलक राम भाग बराबर (10) भाग, श्रीमती अन्जु पत्नी नेक चन्द पुत्र जीत राम (5) भाग निवासी महाल तलाह, श्रीमती मधू पत्नी भुवनेश्वर पुत्र मस्त (5) भाग निवासी सेर अर्की, रीतिक पुत्र व श्रीमती डिम्पल पत्नी जोगेन्द्र सिंह पुत्र नन्दलाल भाग बराबर (10) भाग निवासी ठारू, भूमि दास पुत्र मोलक राम पुत्र खीवान (5) भाग, हरिश कुमार, तेज पाल पुत्र भूमि दास पुत्र मोलक भाग बराबर (10) भाग, श्रीमती अन्जना पत्नी हरिश कुमार पुत्र भूमि दास (5) भाग निवासी सन्दोआ, श्रीमती उर्मिला पत्नी कमलेश कुमार पुत्र जगदीश चन्द (5) भाग निवासी पटखाना बल्दवाड़ा, लाल चन्द पुत्र गोविन्द राम पुत्र धना राम (5) भाग, धर्म प्रकाश पुत्र नारायण दत्त पुत्र धना राम (5) भाग, रोशन लाल पुत्र निकाराम पुत्र बीरबल (5) भाग निवासी ठाह कुमारसैन, मनमोहन पुत्र मदन लाल पुत्र देबकी नन्द (5) भाग, श्रीमती मधुबाला पुत्री मनमोहन पुत्र मदन लाल (5) भाग, रविश्याम पुत्र होशियार पुत्र सूरत राम (5) भाग निवासी कचेड़ी कुमारसैन, आशुतोष, खुशवन्त पुत्र मदन दास पुत्र चेत राम भाग बराबर (10) भाग निवासी कांगल कुमारसैन, भाग चन्द पुत्र रतिराम पुत्र नानकू (5) भाग निवासी चजोल कुमारसैन, श्रीमती आकृति पुत्री मोती लाल पुत्र जीया लाल (5) भाग निवासी पमलाई कोटगढ़, भुतेश्वर राज पुत्र गुलाब सिंह पुत्र दलपत (5) भाग निवासी सरकोल करसोग, अनिल पुत्र बाला राम पुत्र गुरुदास (5) भाग, श्रीमती मधु पत्नी अनिल पुत्र बाला राम (5) भाग निवासी गड़काहन, पवन कुमार पुत्र धर्म प्रकाश पुत्र नारायण दत्त (5) भाग निवासी ठाह कुमारसैन, श्रीमती पवीना पत्नी सुनिल कुमार पुत्र लोक चन्द (5) भाग निवासी थाथल ठियोग, पदम सिंह पुत्र नारायण दत्त पुत्र धना राम (5) भाग, पुष्पेन्द्र पुत्र योगराज पुत्र नारायण दत्त (5) भाग निवासी कांगल, लोक चन्द पुत्र भाग चन्द पुत्र रति राम (5) भाग निवासी चजोल, अशोक कुमार पुत्र तुला राम पुत्र हीरू (5) भाग, यादवेन्द्र, राजीव पुत्र नरेश कुमार पुत्र तुला राम भाग बराबर (10) भाग निवासी तरामली कुमारसैन, श्रीमती जानकी देबी पत्नी प्यारे लाल पुत्र देबी राम (5) भाग निवासी मानन्द, श्रीमती रीना पत्नी जगदीश पुत्र कौल (5) भाग निवासी शकरोड़ी, श्रीमती हिमलता कुमारी पत्नी सोमकृष्ण पुत्र कृपा राम (5) भाग निवासी शनोल शिमला ग्रामिण, हरमीन्द्र, रविन्द्र पुत्र देश राज पुत्र नारायण दास भाग बराबर (10) भाग निवासी सैन्ज जलोग, प्रित राज पुत्र मेहर सिंह पुत्र चेत राम (5) भाग निवासी लेलन ननखड़ी, श्रीमती बिमला पत्नी हुक्मी राम पुत्र अमर दत्त (5) भाग, हरितिक पुत्र व कुमारी यशीता पुत्री व श्रीमती मीरा पत्नी प्रेम चन्द पुत्र हुक्मी राम भाग बराबर (15) भाग निवासी सन्दोआ, नरेश कुमार पुत्र ठाकुर दास पुत्र तुलसी राम (5) भाग, श्रीमती महेश्वरी पत्नी नरेश कुमार पुत्र ठाकुर दास (5) भाग निवासी सन्दोआ, श्रीमती ईन्दिरा देबी पत्नी लायक राम पुत्र नारायण सिंह (5) भाग, श्रीमती भिकमू देबी पत्नी नारायण सिंह पुत्र देबी दत्त (5) भाग निवासी द्राबला, श्रीमती तारावती पत्नी केवल राम पुत्र गोकुल (5) भाग निवासी भराड़ा, कृष्णदत्त पुत्र पूर्णदास पुत्र कर्मदास (5) भाग, भक्ति प्रकाश पुत्र कृष्ण दत्त पुत्र पूर्ण दास (5) भाग निवासी हिमरी, कुमारी मोनिका पुत्री भीष्म दत्त पुत्र हेत राम (5) भाग निवासी ओगली,				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				कपिल देब पुत्र कुन्दन लाल पुत्र परसराम (5) भाग, श्रीमती निशा देबी पत्नी कपिल देब पुत्र कुन्दन लाल (5) भाग निवासी मालगी, राकेश कुमार पुत्र नीला दास पुत्र परमा (5) भाग, श्रीमती रीता देबी पत्नी राकेश कुमार पुत्र नीला दास (5) भाग निवासी गढेरी, नरेन्द्र सिंह पुत्र ज्वाला दास पुत्र रामनाथ (5) भाग, मनोज सिंह पुत्र व कुमारी नेहा पुत्री व श्रीमती नीलम पत्नी नरेन्द्र सिंह पुत्र ज्वाला दास भाग बराबर (15) भाग निवासी मटेवग जलोग, कृष्ण कुमार पुत्र लायक राम पुत्र भगवान दास (5) भाग, श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी कृष्ण कुमार पुत्र लायक राम (5) भाग निवासी सन्तोआ, नरेन्द्र कुमार पुत्र उस्नाद सिंह पुत्र रामया (5) भाग, श्रीमती मनु पत्नी नरेन्द्र कुमार पुत्र उस्नाद सिंह (5) भाग निवासी बैह डाडासिबा कांगड़ा, हेम राज पुत्र नोमीधर पुत्र बिहारी लाल (5) भाग निवासी कंलगार, ओम प्रकाश पुत्र बलिराम पुत्र दीप राम (5) भाग निवासी आन्जी कसौली, राजेन्द्र कुमार पुत्र गीता राम पुत्र रूप राम (5) भाग, श्रीमती निर्मला देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्र गीता राम (5) भाग निवासी उपरली गागूड़ी कसौली, मदन मोहन पुत्र नन्दलाल पुत्र हरि सिंह (5) भाग, श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी मदन मोहन पुत्र नन्द लाल (5) भाग निवासी नावी, राजू पुत्र नारायण दास पुत्र कृष्णीया (5) भाग निवासी महय धामी, श्रीमती बिमला देवी पत्नी धर्मप्रकाश पुत्र नारायण दत (5) भाग निवासी ठाह कुमारसैन, बलदेब पुत्र धनपत पुत्र कांशी राम (5) भाग निवासी चजोल, हिमांशु पुत्र अषोक कुमार पुत्र तुलाराम (5) भाग निवासी तराम्बली, सौरभ पुत्र दिनेश पुत्र जयनन्द (5) भाग निवासी कांगल, देवेन्द्र सिंह, चन्द्र पाल पुत्र गुलाब सिंह पुत्र श्यामलाल भाग बराबर (10) भाग, अनमीता पत्नी देवेन्द्र सिंह पुत्र गुलाब सिंह (5) भाग, गुलाब सिंह पुत्र श्यामलाल पुत्र रामी (5) भाग निवासी निरथ, बाबू राम पुत्र नीजू राम पुत्र मिचरू (5) भाग निवासी थाना ननखड़ी, मेहर चन्द पुत्र प्रताप चन्द पुत्र गोपाल दास (5) भाग निवासी कराड़ आनी, नरेन्द्र कुमार पुत्र अनन्त राम पुत्र उत्तम राम (5) भाग निवासी गढेरी, सुनील कुमार, दयानन्द पुत्र तुला राम पुत्र मगनीया (10) भाग, श्रीमती डिम्पल पत्नी सुनिल पुत्र तुला राम (5) भाग, भूपेन्द्र पुत्र कृष्णदत्त पुत्र लच्छमी नन्द (5) भाग निवासी झोल, श्रीमती हेमलता पत्नी इन्द्र सिंह पुत्र ईश्वर दत्त (5) भाग, ईश्वर दत्त पुत्र पूरनू राम पुत्र सहज राम (5) भाग निवासी ओगली, राजकुमार पुत्र व श्रीमती लजादेवी पत्नी दयाल सिंह पुत्र धनी राम भाग बराबर (10) भाग, श्रीमती रीना देवी पत्नी राजकुमार पुत्र दयाल सिंह (5) भाग निवासी कुन्थला कसौली, श्रीमती प्रेमलता पत्नी पवन कुमार पुत्र उस्ताद सिंह (5) भाग निवासी बैह डाडासिबा कांगड़ा, श्रीमती लता देवी पत्नी प्रकाश चन्द पुत्र मस्त राम (5) भाग, प्रकाश चन्द पुत्र मस्त राम पुत्र पदमू राम (5) भाग निवासी बगेला करसोग, हरिश कुमार पुत्र शोभा राम पुत्र ईश्वर दत्त (5) भाग निवासी सुमी, सुरेश कुमार पुत्र भीमी राम पुत्र हिरदा राम (5) भाग निवासी करयाली, विनित कुमार पुत्र राजकुमार पुत्र ज्वाला दास (5) भाग, श्रीमती नीता देवी पत्नी विनित कुमार पुत्र राजकुमार (5) भाग निवासी शमाथला कोटगढ़, श्रीमती मालत देवी पत्नी ईश्वर दत्त पुत्र परन राम			
--	--	--	--	---	--	--	--

						(5) भाग निवासी ओगली, सुरेन्द्र सिंह पुत्र सन्त राम पुत्र मस्त राम (5) भाग, कुमारी मुस्कान पुत्री व श्रीमती अनिता पत्नी सुरेन्द्र सिंह पुत्र सन्त राम भाग बराबर (10) भाग निवासी मान्जू अर्की, विकास पुत्र राजेन्द्र कुमार पुत्र बेली राम (5) भाग निवासी बातल अर्की, युगल किशोर पुत्र व श्रीमती पारजू देबी पत्नी प्यारे लाल पुत्र तुला राम भाग बराबर (10) भाग, श्रीमती प्रेमलता पत्नी युगल किशोर पुत्र प्यारे लाल (5) भाग निवासी मोगड़ा कुमारसैन, नरेन्द्र कुमार पुत्र सन्त राम पुत्र शिबू (5) भाग, कुनाल पुत्र नरेन्द्र कुमार पुत्र सन्त राम (5) भाग निवासी घाटी शिमला ग्रामिण, नीरज पुत्र आशा राम पुत्र रामरेखा (5) भाग निवासी चन्गर घुमारा रामशहर, कुमारी भाविका पुत्री गिरधारी लाल पुत्र खुबी राम (5) भाग निवासी पड़ेण जलोग, श्रीमती नितिका पत्नी भुपेन्द्र पुत्र कृष्ण दत्त (5) भाग, धीरज पुत्र सोहन लाल पुत्र लच्छमी नन्द (5) भाग निवासी तलाह, श्रीमती मोनिका देबी पत्नी सुर्यकान्त पुत्र रमेश कुमार (5) भाग निवासी मशोबरा, महेन्द्र पुत्र तुलसी राम पुत्र कोल राम (5) भाग, श्रीमती कल्पना पत्नी महेन्द्र पुत्र तुलसी राम (5) भाग निवासी गवाई ठियोग, श्रीमती बतू देबी पत्नी सन्त राम पुत्र शिबू (5) भाग, धीरज पुत्र व श्रीमती नीता देबी पत्नी नरेन्द्र कुमार पुत्र सन्त राम भाग बराबर (10) भाग निवासी घाटी शिमला ग्रामिण, जितेन्द्र पुत्र ईन्द्र सिंह पुत्र तम्बू राम (5) भाग निवासी शगीन, उमेश कुमार पुत्र मौजी राम पुत्र सुरतीया (5) भाग निवासी सौल शिमला ग्रामिण, ईन्द्र सिंह पुत्र ईश्वर दत्त पुत्र पूरनू राम (5) भाग निवासी ओगली, कुमारी हिमानी पुत्र सुरेश कुमार पुत्र रत्न सिंह (5) भाग निवासी गलानग सोलन, श्रीमती वन्दना पत्नी अमित कुमार पुत्र बेली राम (5) भाग, अमित कुमार पुत्र बेली राम पुत्र देबी राम (5) भाग निवासी बकेसु ममलीग, सतनाम सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह पुत्र टेक चन्द (5) भाग निवासी लबड़ी भोरंज, कुलवन्त सिंह पुत्र परसू राम पुत्र साधू (5) भाग, श्रीमती सुमनबाला पत्नी विकास पुत्र कुलवन्त सिंह (5) भाग निवासी दयोरा, भुवनेश पुत्र भगत राम पुत्र नानकू (5) भाग निवासी बखालग अर्की, नरेन्द्र कुमार पुत्र ईश्वर दत्त पुत्र पूरनू राम (5) भाग, जय आदित्य पुत्र व श्रीमती रीता पत्नी नरेन्द्र कुमार पुत्र ईश्वर दत्त भाग बराबर (10) भाग निवासी ओगली, गुरदास राम पुत्र अकलु राम पुत्र आत्मा राम (5) भाग, टेक सिंह पुत्र गुरदास राम पुत्र अकलु राम (5) भाग निवासी गढेरी, श्रीमती कल्पना पुत्री मस्त राम पुत्र सेवा राम (5) भाग निवासी चाबरी ननखड़ी, श्रीमती बिमला देबी पुत्री मोती राम पुत्र ईशरू (5) भाग निवासी बागड़ी, कुमारी किरनबाला पुत्री सोहन सिंह पुत्र धर्म सिंह (5) भाग निवासी मांदल सरस्वती नगर शिमला, संदीप पुत्र गुमान सिंह पुत्र जालम सिंह (5) भाग निवासी सतका चौपाल, भुपेन्द्र कुमार, दीपक पुत्र व श्रीमती भागी देबी पत्नी हेत राम पुत्र लच्छमी भाग बराबर (15) भाग निवासी बढोरा।				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.	66 मिन	89 मिन	211 213	मुशतर्का	गैरमुम. कुहल गैरमुम. कुहल	0.07.14 0.00.16	कुल भाग (1360) सीसराम (4) भाग, भूपेन्द्र कुमार (20) भाग पुत्र व श्रीमती लीला कुमारी (76) भाग, श्रीमती गीता देवी (60) भाग, श्रीमती चमकीला देवी, श्रीमती इन्द्रावती भाग बराबर (152) भाग, श्रीमती निशा कुमारी (44) भाग पुत्रियां व श्रीमती अच्छरी देवी (76) भाग विधवा सुरतराम पुत्र मंघरू, श्रीमती देवकू विधवा मंघरू पुत्र जरवू (752) भाग स्थानीय वासी, जगदीश चन्द पुत्र भीखू राम पुत्र शुकरू (8) भाग निवासी परलोग, श्रीमती सरोजना पत्नी मघेत कुमार पुत्र राम (8) भाग निवासी ठाकर ठाणा करसोग, अजय कुमार पुत्र मुरारी लाल पुत्र ज्ञान चन्द (8) भाग निवासी महाल खील बगशाड़, प्रवीन कुमार, ललित कुमार पुत्र व श्रीमती बन्ती देबी पत्नी धर्म दास पुत्र घेलो राम भाग बराबर (24) भाग निवासी मौहवा करसोग, श्रीमती शकुन्तला देबी पत्नी सुरेन्द्र कुमार पुत्र मेहर सिंह (8) भाग निवासी महाल दलाश आनी, श्रीमती किरना देबी पत्नी यशवन्त सिंह पुत्र जगपाल सिंह (8) भाग निवासी लोल करसोग, श्रीमती शोभा कुमारी पत्नी केशव राम पुत्र शुकरू (8) भाग निवासी चलारू करसोग, लेख राम पुत्र दया राम पुत्र धनी राम (8) भाग, श्रीमती पार्वती, श्रीमती नीलावती, श्रीमती अनिता देबी पुत्रियां लेखराम पुत्र दया राम भाग बराबर (24) भाग निवासी झोल, कृष्ण लाल पुत्र हरिराम पुत्र बिकू (8) भाग निवासी मटेवग, मयंक पुत्र व श्रीमती सीता पत्नी लायक राम पुत्र लच्छमी नन्द भाग बराबर (16) भाग निवासी ग्राओं, धर्म प्रकाश पुत्र देबी राम पुत्र प्रितम (8) भाग निवासी तलाह, नरेन्द्र कुमार पुत्र सीता राम पुत्र भजन दास (8) भाग, दीप राम पुत्र भजन दास पुत्र बलू (8) भाग, योग राज पुत्र उमादास पुत्र बलू (8) भाग निवासी भराड़ा, गोपाल चन्द पुत्र चन्दुराम पुत्र बली राम (8) भाग निवासी बेलूधार, पन्ना लाल पुत्र छाजू राम पुत्र दरसू (8) भाग निवासी डीपीएफ खादरा।				
			किता-2			00.08.10					
5.	67	90	214	मुशतर्का	बंजरकाब लेकाष्ट	00.01.04	कुल भाग (18) देवी सिंह, नंद कुमार, हेमराज पुत्र व कुमारी कौशल्या, कुमारी सरला पुत्रियां व श्रीमती सेनापतू विधवा सिपु पुत्र जरवू भाग बराबर (9) भाग सीस राम, भूपेन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमती लीला कुमारी, श्रीमती गीता देवी, श्रीमती चमकीला देवी, श्रीमती इन्द्रावती, श्रीमती निशा कुमारी पुत्रियां व श्रीमती अच्छरी देवी विधवा सुरतराम पुत्र मंघरू भाग बराबर (4) भाग श्रीमती देवकू विधवा मंघरू पुत्र जरवू (5) भाग स्थानीय वासी।				
6.	77 मिन	102 मिन	212	मुशतर्का	गैरमुम. कुहल	00.01.08	डोलाराम, निका राम, राज कुमार, इन्द्र सिंह, निर्मल दास पुत्र व श्रीमती मीरा पुत्री जफू पुत्र झैणू स्थानीय वासी।				
7.	80 मिन	105 मिन	209 210 218	मुशतर्का	गैरमुम. कुहल गैरमुम. कुहल गैरमुम. घराट	00.00.12 00.08.18 00.01.04	कुल भाग (642) बंटी कुमार, लवली किशोर, रवि कुमार पुत्र व श्रीमती अनुराधा, श्रीमती दीक्षा पुत्रियां व श्रीमती गीता देबी विधवा भगवान दास भाग बराबर (214) भाग, वेगा राम पुत्र हेतू पुत्र जानकू (164) भाग, प्रवीन कुमार, युवराज, राजेश कुमार पुत्र व श्रीमती सीमा देबी पुत्री व नर्सा देबी पत्नी बेगा राम पुत्र हेतू भाग बराबर (50) भाग, दिनेश कुमार (81) भाग पुत्र व श्रीमती रीना देबी (97) भाग पुत्री श्रीमती लीला देवी पुत्री हेतू स्थानीय वासी, केवल राम पुत्र चन्दु राम उर्फ उमादत (6) भाग निवासी महाल बगैल खनयोल बगड़ा, अजय कुमार पुत्र हाडु राम पुत्र नन्दू (6) भाग निवासी महाल रटोहा बल्ह, श्रीमती जमना देबी पत्नी कृष्ण चन्द पुत्र चेत राम (3) भाग निवासी महाल कुम्मी बल्ह, लीलादत, पवन कुमार पुत्र काहन चन्द पुत्र मोलक भाग बराबर (10) भाग निवासी महाल कुरना खनयोल बगड़ा, खेम राज पुत्र मान सिंह पुत्र ज्ञानन्द (1) भाग निवासी गवाला करसोग, पिंजर सिंह पुत्र शुकु पुत्र मगनिया (6) भाग, मनोज कुमार पुत्र पिंजर सिंह पुत्र शुकु (3) भाग निवासी महाल जौंग करसोग, डिम्पल पुत्र रघुवीर पुत्र टिक्कम राम (1) भाग निवासी महाल कलंगार बगशाड़, तेज सिंह पुत्र सेवक राम पुत्र गुरिया (1) भाग निवासी महाल माण्डल बल्ह।				

			किता-3			00.10.14					
			कुल किता-14			05.10.18 (0.4487 हैक्टेयर)					

अनुलग्नक-ब

महाल फफान, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि.प्र. (अतिरिक्त भूमि)

क्र. सं.	खेवट / खतोनी न.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (बिघा में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1.	1	1	151 / 139	मुशतर्का	बरानी दोयम गैरमुम. बीड़	<u>03.04.05</u> 03.00.00 00.04.05	कुल (1985) भाग रेवादास पुत्र पुरन पुत्र भीमी (1380) भाग हेम राज (195) भाग पुत्र व श्रीमती ममता देवी, शकुन्तला देवी भाग बराबर (350) भाग पुत्रियां व धनी देवी (20) भाग पत्नी रेवादास पुत्र पुरन, श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी हेमराज पुत्र रेवादास (20) भाग, गुरदास पुत्र लच्छमी नन्द पुत्र ईशरू (10) भाग, राजेन्द्र पुत्र व श्रीमती विनिता पुत्री गुरदास पुत्र लच्छमी नन्द भाग बराबर (10) भाग निवासी महाल ओगली।	सरतपोला	सतलुज	परलोग	मंगान
2.	8	8	138 / 137 / 1	वाहिद	बरानी अवल	<u>00.18.06</u>	कुल (14952) भाग ओम प्रकाश (2690) भाग, विद्या प्रकाश (3278) भाग पुत्र व श्रीमती अनिता देवी (38) भाग, श्रीमती अन्जु देवी (20) भाग, श्रीमती रीतू देवी (26) भाग पुत्रीया व श्रीमती लीला देवी (1892) भाग विधवा खोर सिंह पुत्र शुकुरु स्थानीय वासी, संजय पुत्र व श्रीमती आरती (240) भाग पुत्रीयां व श्रीमती मीना देवी (114) भाग पत्नी ओम प्रकाश पुत्र खोर सिंह, रविन्द्र कुमार पुत्र सोमकृष्ण पुत्र धर्मदास (24) भाग, जगत राम पुत्र परमानन्द (6) भाग निवासी गरयाड़ा सुन्नी, पुष्प राज पुत्र बिहारी लाल (6) भाग निवासी पल्याड़ सुन्नी, नरेश कुमार पुत्र व श्रीमती कामाक्षी, श्रीमती नागनी पुत्रीया व श्रीमती शकुन्तला देवी भाग बराबर (80) भाग पत्नी प्रेम लाल पुत्र भगत राम, कुमारी रिदम पुत्री नरेश रजनी, श्रीमती सुदेश				

						भाग बराबर (60) भाग पुत्रीया रत्न लाल पुत्र गिरधारी लाल निवासी पण्डोह मण्डी, श्रीमती अनिता पत्नी चमन लाल पुत्र रूप लाल (20) भाग निवासी कचेडी कुमारसैन, श्रीमती शिवाली पुत्री रणजीत सिंह पुत्र नानक चन्द (12) भाग निवासी धमान्दर नदौन, अजय, मोहित पुत्र व श्रीमती मीरा पत्नी प्यार चन्द पुत्र जीवा भाग बराबर (36) भाग, प्यार चन्द पुत्र जीवा पुत्र धर्मा (12) भाग निवासी सुन्नी तृतीय, दिनेश पुत्र परस राम पुत्र निकू (12) भाग, निखिल पुत्र व कुमारी मुस्कान, कुमारी सनेहा पुत्रीया व श्रीमती ब्यासा पत्नी दिनेश पुत्र परस राम भाग बराबर (48) भाग निवासी सुन्नी प्रथम, चमन लाल पुत्र हेम चन्द पुत्र लौंग राम (118) भाग निवासी सुन्नी प्रथम, योग राज, दुष्यन्त कुमार पुत्र व श्रीमती सावित्री देबी पत्नी चुन्नी लाल पुत्र खूब चन्द भाग बराबर (36) भाग निवासी मरोला बगशाड़, श्रीमती शीला देबी पत्नी हरिश कुमार पुत्र देशराज (12) भाग निवासी रण्डौल, श्रीमती अन्जना कुमारी पत्नी हरिकृष्ण पुत्र सौज राज (12) भाग निवासी सांवीधार बगशाड़, श्रीमती सोनू देबी पत्नी दिवान चन्द पुत्र डिलू राम (12) भाग निवासी कलंगार, श्रीमती सोनिया पत्नी नरेश कुमार पुत्र केशव राम (12) भाग निवासी सरहैच बगशाड़, श्रीमती सुनिता देबी पत्नी रोहित पुत्र टिकम चन्द (12) भाग निवासी चेबडी, श्रीमती प्रियंका पत्नी दीप राम पुत्र धनू (12) भाग निवासी सिहारली दाड़लाघाट, श्रीमती सरोज पत्नी रतन सिंह पुत्र आशा राम (60) भाग निवासी चलारु करसोग, श्रीमती हेमकला पुत्री भोपाल सिंह पुत्र आशा राम (60) भाग, हेमपुष्प (6) भाग पुत्र व श्रीमती निर्मला (30) भाग पत्नी मस्त राम पुत्र नरू निवासी करसोग, प्रवीन कुमार पुत्र योग राज पुत्र हेम चन्द (6) भाग निवासी बगशाड़, गोपाल सिंह पुत्र डूमणू राम पुत्र भयारी लाल (6) भाग निवासी बगशाड़, श्रीमती बबीता देबी पत्नी पुर्ण चन्द पुत्र उमादत (6) भाग निवासी रिछणी करसोग, एमत कुमार पुत्र दिला राम पुत्र देबीसरन (6) भाग निवासी बगशाड़, प्रकाश पुत्र भरत सिंह पुत्र रामदत (12) भाग, अरमान पुत्र कलीराम पुत्र भीमी राम (12) भाग, विनय कुमार, ललीत हिमालवी पुत्र प्रकाश चन्द पुत्र भरत सिंह भाग बराबर (24) भाग, दीपक कुमार पुत्र व कुमारी सानिया पुत्री मोहिन्द्र सिंह पुत्र आत्मा राम भाग बराबर (24) भाग निवासी धरेच गहेच ठियोग, हुक्म चन्द, लेख राज पुत्र व श्रीमती कृष्णा देबी पत्नी स्वर्ण सिंह पुत्र हिमसरन भाग बराबर (36) भाग निवासी बझोल धामी, हेमांशु पुत्र गितेश्वर दत्त पुत्र विद्यासागर (12) भाग निवासी बसन्तपुर, बालम सिंह पुत्र रतू राम पुत्र विणू (12) भाग निवासी चन्याणा बगशाड़, बिक्रम पुत्र देब राज पुत्र सेनू (12) भाग निवासी रण्डौल, रूप लाल पुत्र गंगा राम पुत्र नरायण दास (12) भाग, ललित रोहन पुत्र रूप लाल पुत्र गंगा राम (12) भाग निवासी किन्दर निहरी, बाबू राम पुत्र नारायणू पुत्र कांशी राम (12) भाग निवासी पानिया शिमला,			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						नितिश पुत्र खेम चन्द पुत्र कलीराम (12) भाग निवासी चैरी, बालक राम पुत्र शिवदत्त पुत्र साहद राम (12) भाग निवासी धरेंच गहेंच ठियोग, रवि, ललित पुत्र व श्रीमती कमला देवी पत्नी भूप राम पुत्र गीता राम भाग बराबर (36) भाग निवासी जुन्गा, श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी हेमन्त कुमार पुत्र भूप राम (12) भाग निवासी डूमी शिमला ग्रामिण, श्रीमती चम्पा देवी पत्नी जय राम पुत्र दुर्गा (12) भाग निवासी घाटी, कार्तिक पुत्र व श्रीमती रोशनी पत्नी रमेश कुमार पुत्र गुलाब राम भाग बराबर (24) भाग निवासी सनारली करसोग, लाल चन्द पुत्र सन्त राम मोदू (6) भाग निवासी भंथल, मनसा राम पुत्र किरपा राम पुत्र दाखू राम (6) भाग निवासी अनोग, दिनेश कुमार पुत्र धनी राम पुत्र किरपा राम (6) भाग निवासी मझार, श्रीमती विद्या देवी विधवा चेत राम पुत्र ख्याली (6) भाग निवासी जाछ, कुमारी मोनिका पुत्री भूमि राज पुत्र नानक चन्द (6) भाग निवासी बगैण, कुमारी दीपा पुत्री टिकम राम पुत्र किशोरी लाल (6) भाग निवासी काण्डा करसोग, भावना पुत्री हरिकृष्ण पुत्र सोमराज (6) भाग, श्रीमती निषा कुमारी पत्नी प्रेम प्रकाश पुत्र भरत (6) भाग निवासी सांवीधार, सुरेन्द्र कुमार पुत्र दुर्गा राम पुत्र अमरिया (6) भाग, चिरन्जी लाल पुत्र परमानन्द पुत्र सीता राम (6) भाग निवासी कूरना करसोग, कमल किशोर पुत्र दुष्यन्त कुमार पुत्र दुर्गा राम (6) भाग निवासी तलैहण, श्रीमती सपना पत्नी हरिश कुमार पुत्र धर्मसिंह (6) भाग निवासी गलशाडी करसोग, पुष्पराम पुत्र टेक सिंह पुत्र लीलाधर (6) भाग, रुप सिंह पुत्र लीलाधर पुत्र करमू (6) भाग बलदेब राज पुत्र पुरशोत्तम राम पुत्र आलम (6) भाग निवासी गड़कन यशवन्त सिंह पुत्र खोला राम पुत्र देवी राम (6) भाग निवासी नेहरा श्रीमती रीना कुमारी पत्नी बृजमोहन पुत्र तेज राम (6) भाग निवासी द्रष्टी करसोग श्रीमती राजकुमारी पत्नी भूपेन्द्र सिंह पुत्र जयसिंह (6) भाग देवांश पुत्र देस राज पुत्र जयसिंह (6) भाग जयसिंह पुत्र पारस पुत्र हिरदू (6) भाग निवासी हहरन राजीव कुमार रमेश कुमार पुत्र बहादुर राम भाग बराबर (12) भाग निवासी चन्याणा बगशाड़ जगदीश कुमार लाल दीप राम पुत्र बरडू राम पुत्र काहनू भाग बराबर (18) भाग निवासी महाल तलैहण, रमेश, गुलशन कुमार पुत्र व श्रीमती रुमती देवी पत्नी हीरा राम पुत्र अमर दत्त भाग बराबर (18) भाग निवासी सरहैच बगशाड़, श्रीमती माला पत्नी अमर सिंह पुत्र मोती राम (12) पुत्र भाग, सुनील कुमार पुत्र नोखू राम पुत्र पुर्ण दत्त (12) भाग निवासी ऐवंग, भीमसेन पुत्र काहन चन्द (12) भाग, प्यारे लाल पुत्र सोम कृष्ण (12) भाग निवासी मनाह नेरी, कुमारी योगेश्वरी पुत्री मालता राम पुत्र हेत राम (12) भाग, पीयूष पुत्र नरेन्द्र कुमार पुत्र हेत राम (12) भाग निवासी रणडील, उदय कुमार पुत्र विनोद कुमार पुत्र बृज लाल (12) भाग, ललित कुमार पुत्र खेम राज (12) भाग निवासी तलैहण, अभिषेक पुत्र हरिकृष्ण पुत्र मोहन लाल (12) भाग निवासी ततापानी, उपेन्द्र			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						कुमार पुत्र बेसर दत्त पुत्र बिशन दास (12) भाग निवासी कोट बगशाड़, आशिष पुत्र व श्रीमती निशा पत्नी धर्म सुभाष परस राम भाग बराबर (36) भाग, धर्म सुभाष पुत्र परस राम पुत्र मनी राम (18) भाग सुन्नी तृतीय, बाबू राम पुत्र घुंघर पुत्र नरेणू (12) भाग, पंकज कुमार, नरेश कुमार पुत्र बाबू राम पुत्र घुंघर राम भाग बराबर (24) भाग, रामलाल पुत्र घुंघर राम पुत्र नरेश (6) भाग, सुमन कुमार पुत्र रामलाल पुत्र घुंघर (6) भाग निवासी सुरहाड़ बिलासपुर, यशपाल पुत्र मुन्शी राम पुत्र गोसाउ राम (12) भाग, साहिल पुत्र यशपाल पुत्र मुन्शी राम (12) भाग निवासी परनू दाड़लाघाट, मदन लाल, ओम प्रकाश पुत्र नन्द लाल पुत्र रामसरन भाग बराबर (24) भाग निवासी सेवड़ा दाड़लाघाट, जसबीर सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र पोहलो राम (12) भाग, रणजीत सिंह पुत्र पोहलो राम पुत्र कपूरा (12) भाग निवासी लखनपूरा बिलासपुर, अभिनव, बिक्रमादित्य सिंह पुत्र व कुमारी आदिती भाग बराबर (60) भाग, श्रीमती गीता पत्नी चमेल सिंह पुत्र हरिसरन (60) भाग निवासी नालटू, अशोक कुमार पुत्र अमर सिंह पुत्र गंगाराम (12) भाग निवासी गुनाहकर्ता रामशहर, तिलकराज पुत्र नानक चन्द पुत्र सीताराम (12) भाग निवासी चपलाह डाडासिबा कांगड़ा, श्रीमती बिमला पत्नी प्रितम सिंह पुत्र गुगा राम (12) भाग निवासी गुनाह खुरद रामशहर, श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्यामलाल पुत्र रामधन (12) भाग निवासी जबली बिलासपुर, नन्द लाल पुत्र राम लाल पुत्र रूप चन्द (12) भाग निवासी नोआ बिलासपुर, नरेन्द्र पुत्र प्रेम लाल पुत्र परमानन्द (12) भाग, परिक्षित पुत्र व कुमारी दीक्षा पुत्री नरेन्द्र पुत्र प्रेम लाल भाग बराबर (12) भाग निवासी रिहणू सोलन, रोहित कुमार पुत्र व श्रीमती सुषमा पत्नी इन्द्रदत्त पुत्र गंगाधर भाग बराबर (12) भाग निवासी बिशा कण्डाघाट, श्रीमती सरिता पत्नी हरिदत्त पुत्र लक्ष्मी दत्त (12) भाग निवासी गढखल कसौली, श्रीमती मीना पुत्री पलक राम पुत्र कांशी राम (12) भाग निवासी समोहल कसौली, कुमारी उर्वशी पुत्री चुन्नी लाल पुत्र मस्ती देबी (12) भाग निवासी बगैला करसोग श्रीमती सुनेना पुत्री मदन लाल पुत्र मुन्शी राम (12) भाग निवासी परनू दाड़लाघाट नन्द लाल पुत्र रामचरण पुत्र मसदी राम (12) भाग निवासी सेवड़ा दाड़लाघाट बाबू राम पुत्र गोरखु राम पुत्र कानू राम (12) भाग नितिन पुत्र बाबू राम पुत्र गोरखू राम (12) श्रीमती सरिता देबी पत्नी मानव कुमार पुत्र गोरखू राम (12) भाग निवासी बनी सोलन श्रीमती सुनिता देबी पुत्री बस्ती राम पुत्र तीखु (12) भाग निवासी धनियासेठ पड़ौता चुन्नी लाल पुत्र सन्त राम पुत्र खीन्दु राम (12) भाग कुमारी प्रियंका पुत्री चुन्नी लाल पुत्र सन्त राम (12) भाग निवासी बगैला करसोग पंकज पुत्र सतीश कुमार पुत्र हेमानंद (12) भाग निवासी बड़ह शिमला ग्रामीण सचिन पुत्र श्रीमती कान्ता देबी पुत्र शिवलाल (12) भाग निवासी शिरडू शिमला ग्रामिण, शुभम पुत्र मदन लाल पुत्र आत्मा राम			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						(12) भाग निवासी जल कुमारसैन, हेमन्त पुत्र प्रेमदत्त पुत्र गंगाधर (12) भाग निवासी बिशा कंडाघाट, लोकेश पुत्र बालकृष्ण पुत्र चेत पुत्र राम (6) भाग, दुष्यन्त पुत्र दिवाकर दत्त पुत्र गौरी बेली राम पुत्र अगुरु राम पुत्र बशाखु (6) भाग निवासी चमोग करसोग, विजय कुमार पुत्र पिंजर सिंह पुत्र शुक्ल राम (6) भाग निवासी जौंग करसोग, श्रीमती कौशल्या पत्नी कृष्ण चन्द पुत्र तोता राम (6) भाग निवासी जुणी कला सुन्नी, दत्त (6) भाग निवासी भराणा ठियोग, टेजिन्द्र कुमार पुत्र सूरत राम पुत्र हेत राम (6) भाग निवासी माना पांगणा, धर्मन्द्र कुमार पुत्र बेसरदत्त पुत्र बिशन दास (12) भाग निवासी कोट, प्यारे लाल पुत्र कांशी राम पुत्र परस राम (12) भाग निवासी सांवीधार, महेश कुमार पुत्र बृज लाल पुत्र ठाकर (12) भाग निवासी तलैहण, गोविन्द राम पुत्र जमनू राम पुत्र पीरू राम (12) भाग निवासी बगशाड़, श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी पुर्ण चन्द पुत्र शुकुरु (6) भाग निवासी बिशलाधार आनी, बबिन्द्र पुत्र व श्रीमती जलही देवी पत्नी रामेश्वर पुत्र तेज राम भाग बराबर (12) भाग, श्रीमती कल्पना देवी पत्नी चमन लाल पुत्र रामेश्वर (6) भाग निवासी डबरोट, ओम प्रकाश पुत्र सोमकृष्ण पुत्र धर्मदास (6) भाग निवासी मैहडी करसोग, श्रीमती चिन्तामणी पत्नी विद्या प्रकाश पुत्र खोर सिंह (120) भाग, मनसा राम पुत्र मान सिंह पुत्र रूप सिंह (30) भाग, वेद प्रकाश पुत्र व श्रीमती पायल कुमारी, नेहा पुत्रीया मनसा राम पुत्र मान सिंह भाग बराबर (90) भाग, महेन्द्र कुमार पुत्र भूमि चन्द पुत्र परशोत्तम (18) भाग निवासी महाल खडेहण बगशाड़, आशिश कुमार पुत्र कमलदास पुत्र मनसा राम (6) भाग निवासी गुमा शिमला, अक्षत पुत्र व कुमारी अन्या पुत्री व श्रीमती मन्जू पत्नी चन्द्रपाल पुत्र शरण दास भाग बराबर (90) भाग निवासी रझेहड़ पालमपुर, श्रीमती श्वेता पुत्री उमेश कुमार पुत्र मुनी लाल (12) भाग निवासी पन्डोह, श्रीमती पूनम पत्नी ओम प्रकाश पुत्र तारा चन्द (12) भाग निवासी शील मशोरा ओट, सुर्या पुत्र व श्रीमती सरिता कुमारी पत्नी बालबिहारी लाल पुत्र भुपेन्द्र पाल भाग बराबर (24) भाग निवासी पन्डोह, हर्ष पुत्र बलबीर सिंह पुत्र तुलसी (12) भाग निवासी मटयाख बलदवाणा, किशन चन्द पुत्र डागु राम पुत्र गुगना (12) भाग निवासी महाल नेर बल्ह, राजेश कुमार पुत्र गंगे राम पुत्र डोला राम (12) भाग निवासी नमलाये कटोला, श्रीमती आशा पुत्री प्रेम लाल पुत्र भगत राम (12) भाग निवासी सुन्नी, कुमारी आंचल पुत्र चमन लाल पुत्र रूप दास (12) भाग निवासी कचेहड़ी कुमारसैन, संदीप पुत्र गरीब दास पुत्र केसरू (12) भाग निवासी महाल टटूल सोलन, सोम कृष्ण पुत्र कामेश्वर पुत्र चेत राम (12) भाग निवासी महाल भमराला करसोग, श्रीमती निर्मला पत्नी गुरजीत सिंह पुत्र रत्न सिंह (12) भाग निवासी मंडयालू तहसील सुन्नी श्रीमती सीमा पत्नी विरेन्द्र कुमार भीमी राम निवासी धरोगड़ा हिरा लाल पुत्र			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						हिमा राम पुत्र जसनन्द (12) भाग निवासी गढेरी चमन लाल टेक चन्द कर्म चन्द गंगा राम पुत्र मानक भाग बराबर (36) भाग निवासी जगेलडू, शिमला महेन्द्र सिंह नीरज कुमार पुत्र टेक चन्द पुत्र गंगा राम भाग बराबर (24) भाग देवांशु पुत्र चमन लाल पुत्र गंगा राम (12) भाग निवासी जगेलडू, खुशी राम पुत्र बृजु पुत्र हिरा (12) भाग विजय कुमार विवेक कुमार पुत्र खुशीराम पुत्र बृजु भाग बराबर (24) भाग निवासी धारकान्डलू, हिरामणी पुत्र अनन्त राम पुत्र परमा (12) भाग, विजय कुमार पुत्र हिरामणी पुत्र अनन्त राम (12) भाग निवासी मतोल, योग राज पुत्र नीम चन्द पुत्र मनी राम (12) भाग निवासी महालशोजा, भगत राम पुत्र कृष्ण लाल पुत्र छजू (12) भाग निवासी किन्दर, श्रीमती सविता देबी पत्नी चेत राम पुत्र हिरा (12) भाग निवासी बाखा निहरी, इन्द्र कुमार पुत्र गीता राम पुत्र चेत राम (12) भाग निवासी बमोत धामी, दलीप कुमार पुत्र हरीश कुमार पुत्र तुलसू (12) भाग निवासी शकरोड़ी, मोहित (96) भाग, शुभम (12) भाग पुत्रगण ज्ञान प्रकाश पुत्र इन्द्र दत्त निवासी सुन्नी प्रथम, हेम प्रकाश पुत्र जीवा राम पुत्र सुबा (12) भाग निवासी किन्दर निहरी, कुमारी ईशा पुत्री पुर्ण चन्द पुत्र हिरानन्द (6) भाग निवासी खनौच, श्रीमती प्रोजी देबी पत्नी भोपाल सिंह पुत्र आशा राम (6) भाग निवासी डबरोट, श्रीमती राजकुमारी पत्नी लालचन्द पुत्र शिवचन्द (6) भाग निवासी अनोग, श्रीमती रेशमा देबी पत्नी मोती लाल पुत्र कौल राम (6) भाग निवासी सयांज करसोग, अमित कुमार पुत्र श्रीमती सुनिता पुत्री खेम राज (6) भाग, खेम राज पुत्र जमना दास पुत्र थोलू राम (6) भाग निवासी सुन्नी प्रथम, पवन कुमार पुत्र डबलू पुत्र नोख राम (6) भाग निवासी बरेकड़ बगशाड़, नरेन्द्र सिंह, इन्द्र सिंह पुत्र गिरधारी लाल पुत्र बिरू राम भाग बराबर (12) भाग निवासी चायल चचेयोट मण्डी, तेज राम पुत्र भुतेश्वर पुत्र खूब राम (12) भाग निवासी मेहरन, पदम सिंह पुत्र बालम सिंह पुत्र देबी सरन (12) भाग निवासी खडेहण बगशाड़, टिकल पुत्र व कुमारी निशा, कुमारी हेम लता पुत्रीया कर्म सिंह पुत्र गंगा राम भाग बराबर (36) भाग, कुमारी पूनम पुत्री टेक चन्द पुत्र गंगा राम भाग बराबर (12) भाग, कुमारी चेतना पुत्री चमन लाल पुत्र गंगा राम (12) भाग, कुमारी मीना देबी पुत्री गंगा राम पुत्र मानक (12) भाग निवासी जगैलडू, शिमला ग्रामिण, पुष्पेन्द्र पुत्र हिरा लाल पुत्र हिमा राम (12) भाग, कुमारी रविता पुत्री हरीश कुमार पुत्र हिमा राम (12) भाग निवासी गढेरी, ललित कुमार पुत्र चेत राम पुत्र जयनन्द (12) भाग निवासी महाल शाकरा, श्रीमती सीता देबी पत्नी हेम चन्द पुत्र हिरदू (12) भाग निवासी बगशाड़, श्रीमती निर्मला पुत्री श्रीमती दवारकू पुत्री सकन्दू (12) भाग, श्रीमती प्रेमा पुत्री भूरू पुत्र कानू (12) भाग, श्रीमती निशा देबी पुत्री प्रेमा पुत्री भूरू (12) भाग निवासी बरेकड़ बगशाड़, हरिश पुत्र इन्द्र सिंह पुत्र ठाकर दास			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						(12) भाग, गोपाल पुत्र नेक राम पुत्र ठाकर दास (12) भाग निवासी कांडी शिमला ग्रामिण, भिखू राम पुत्र देबू पुत्र धूनकु (12) भाग निवासी हनोट सुन्नी, श्रीमती हर्षा देबी पत्नी हंसराज पुत्र गुलाब सिंह (12) भाग निवासी निहरी, दुनी चन्द पुत्र खोर सिंह पुत्र मही राम (6) भाग निवासी महाल कुन्थली करसोग, मदन लाल पुत्र मुन्शी राम पुत्र गसाउ राम (12) भाग दीपक पुत्र व श्रीमती यमिका पुत्री मदन लाल पुत्र मुन्शी राम भाग बराबर (24) भाग निवासी परनू दाड़लाघाट, मदन लाल सुरेन्द्र कुमार पुत्र लछमण सिंह पुत्र कपूरा राम भाग बराबर (24) भाग शिवम पुत्र सुरेन्द्र कुमार पुत्र लच्छण सिंह (12) भाग निवासी लखनपुर बिलासपुर सदर, आदित्य पुत्र श्याम पुत्र धनी राम (12) भाग निवासी धारजंटा अर्की मंजीत पुत्र धर्म दास पुत्र साहिब (12) भाग कुमारी उपासना पुत्र मनजीत पुत्र धर्म दास (12) भाग निवासी बगरोल सोलन, शशी भूषण पुत्र सरवन कुमार पुत्र परस राम (12) भाग निवासी टमरोह चौतड़ा बल्ह, हरीश कुमार पुत्र गोपाल पुत्र राम सरन (12) भाग निवासी सुहड़ा मण्डी, लक्ष्मी चन्द पुत्र गंगे राम पुत्र डोले राम (12) भाग निवासी पारनू करोल, कुमारी अनवेशा पुत्री बिनय पुत्र जगदीश (12) भाग निवासी पण्डोह मण्डी, श्रीमती शशी कान्त पत्नी करतार चन्द पुत्र गंगू (12) भाग निवासी नागन बैजनाथ, रोहित कुमार पुत्र छोटू राम पुत्र सुखिया (12) भाग निवासी गोंडा गागल बल्ह, जगदीश पुत्र लायक राम पुत्र साहद राम (6) भाग निवासी धरेज गहेच ठियोग, मनोहर सिंह पुत्र हिरा सिंह पुत्र रत्न (6) भाग, अमन पुत्र मनोहर सिंह पुत्र हिरा सिंह (6) भाग निवासी माखड़ी, श्रीमती अमरीता पत्नी निवासी नलैहा, श्याम सिंह पुत्र धर्मदास पुत्र उमादत (6) भाग निवासी चौरी ठियोग, सतपाल पुत्र मगनिया राम पुत्र हरिया (6) भाग, दिनेश कुमार पुत्र सतपाल पुत्र मगनिया (6) भाग निवास मदावली कुमारसैन, कुमारी शिवानी पुत्री इन्द्र सिंह पुत्र ठाकर दास (6) भाग निवासी कांडी शिमला ग्रामिण, विद्या प्रकाश पुत्र कृष्ण लाल पुत्र लच्छमू (12) भाग निवासी चेबड़ी, सूर्यप्रकाश पुत्र व श्रीमती नितकला पुत्री टिकम राम पुत्र खूब चन्द भाग बराबर (24) भाग, नीरज (24) भाग पुत्र व श्रीमती प्रीती, श्रीमती श्वेता पुत्रीया सोमकृष्ण पुत्र खूब चन्द भाग बराबर (24) भाग निवासी मरोला, रिशी कुमार पुत्र निका राम पुत्र भादुर चन्द (12) भाग निवासी मरान्डी बगशाड़, श्रीमती निशा पत्नी अशोक कुमार पुत्र केशव दत्त (12) भाग, श्रीमती बनिता देबी पत्नी सोम कृष्ण पुत्र केशवदत्त (12) भाग निवासी जमोगड़ा सुन्नी, कुमारी नेहा पुत्री श्रीमती आशा पुत्री प्रेम लाल (12) भाग निवासी शील सरकारी सुन्नी, नमन पुत्र व श्रीमती सावित्री पत्नी राजकुमार पुत्र अनन्त राम भाग बराबर (24) भाग निवासी हरिपुर कुनिहार, श्रीमती माया देबी पत्नी मस्त राम पुत्र चुहड़ू राम (12) भाग निवासी रतेयोड़ पंजेरा सोलन, ज्योति प्रकाश पुत्र मखन कुमार पुत्र			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						बल्ह, कुमारी वन्दना पुत्री करतार चन्द पुत्र गंगू (12) भाग निवासी नागन बैजनाथ, रजत, शुभम पुत्र मदन लाल पुत्र लच्छमन सिंह भाग बराबर (24) भाग निवासी लखनपुर बिलासपुर सदर, गौरव पुत्र चिरन्जी लाल पुत्र उमादत्त (6) भाग निवासी बाग बगशाड़, श्रीमती मुक्ता देवी पत्नी देवेन्द्र कुमार पुत्र पदम देब (12) भाग, श्रीमती रामेश्वरी पत्नी रोहित कुमार पुत्र पदम देब (12) भाग, लक्ष्म पुत्र महेन्द्र कुमार पुत्र भूमि चन्द (12) भाग निवासी महाल कडेहण बगशाड़, श्रीमती रक्षा पत्नी भीमी राम पुत्र दीप चन्द (12) भाग, श्रीमती रीना कुमारी पत्नी तोता राम पुत्र दीप चन्द (12) भाग निवासी बिन्दला बगशाड़, अश्वनी कुमार पुत्र नोख राम पुत्र जालम (12) भाग निवासी कलंगार बगशाड़, बेगराम पुत्र परमा (12) भाग निवासी तमरोह चोंतड़ा गोकल राम पुत्र शिबू (6) भाग निवासी चेबड़ी, गोकल राम पुत्र शिबू पुत्र देवीसरन (6) भाग हरलोटी सुन्नी, प्रेम राज पुत्र ध्यानसवरूप पुत्र लोभी (6) भाग निवासी देवगाह सलोनी चम्बा नीलाधर पुत्र तेज राम पुत्र धर्म सुख (6) भाग निवासी शाकरा रोहित पुत्र वासुदेव पुत्र हिरा दास (6) भाग निवासी गुम्मा शिमला ग्रामीण देवेन्द्र कुमार पुत्र भजना नन्द पुत्र राम कृष्ण (6) भाग निवासी लोली ठियोग टेक चन्द पुत्र श्रीमती अनिता पुत्री खोर सिंह (120) भाग श्रीमती रंजना श्रीमती सपना देवी श्रीमती कल्पना पुत्रियां श्रीमती अनिता पुत्र खोर सिंह भाग बराबर (360) भाग सोक कृष्ण पुत्र नरेन्द्र पुत्र दुनी चन्द (48) भाग निवासी शाकरा, ठाकुर सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र गौरीदत्त (12) भाग निवासी बेशटा बगशाड़ भुपेश कुमार पुत्र भास्करा नन्द पुत्र निकनू राम (12) भाग निवासी तलैहन, अमन पुत्र रोहित कुमार पुत्र पदम देब (12) भाग निवासी खडेहण बगशाड़, हेम राज, लाल चन्द, पुर्ण चन्द पुत्र जगरनाथ पुत्र मनी राम भाग बराबर (18) भाग निवासी भौरा, हिरा लाल पुत्र नरायण दत्त पुत्र गुरुसरन (6) भाग निवासी शाकरा, नरेश कुमार पुत्र प्रेम सिंह पुत्र तानी राम (6) भाग निवासी बलीडी, श्रीमती सन्जु देवी पत्नी ऐमन्त कुमार पुत्र दिला राम (6) भाग निवासी शेबल करसोग, हिमांशु, खेम राज पुत्र सोम कृष्ण पुत्र मेहर चन्द भाग बराबर (12) भाग निवासी मुगंगा, नरेन्द्र पुत्र दुनी चन्द पुत्र छांगू (24) भाग, ईश्वर दत्त, पवन पुत्र नरेन्द्र पुत्र दुनी चन्द भाग बराबर (48) भाग निवासी महाल शाकरा, योगेश कुमार पुत्र श्रीमती अन्जु पुत्री खोर सिंह (240) भाग, मोहन सिंह पुत्र प्रेम सिंह पुत्र देवी लाल (12) भाग निवासी खडेहण, श्रीमती गीता पत्नी केलाष चन्द पुत्र शोभा राम (60) भाग, श्रीमती तारावती पत्नी शोभा राम पुत्र मोती (12) भाग निवासी चेबड़ी, श्रीमती वेजन्ती देवी पत्नी नरायण दास पुत्र गुरुसरन (12) भाग निवासी महाल शाकरा, हेमन्त कुमार, गौरव पुत्र व कुमारी अम्बिका पुत्री खीमी राम पुत्र दीप चन्द भाग बराबर (36) भाग निवासी बिन्दला, श्रीमती बेगू देवी पत्नी पदम देब			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

[illegible]

						नगराओ पांगणा, श्रीमती जयन्ती पत्नी रमेश कुमार पुत्र चेत राम (12) जेहडू बगशाड़, पंकज पुत्र खेमराज पुत्र शिवदत्त (12) भाग निवासी मकड़छा, पवन पुत्र महिधर पुत्र विद्याधर (12) भाग निवासी शाकरा, मेहर सिंह पुत्र टेक सिंह पुत्र धारी (12) भाग निवासी बखोहल पांगणा, विनोद कुमार पुत्र जगदीश चन्द पुत्र मेहर चन्द (6) भाग निवासी किड़िया, मिथुन पुत्र चन्द्रमणी पुत्र खेम दास (6) भाग निवासी सरौर, चिरन्जी लाल पुत्र प्रेम दास पुत्र झीनु (6) भाग निवासी कोट कपड़यास, मोहन लाल पुत्र प्यारे लाल पुत्र हेम सिंह (18) भाग, पिताम्बर लाल पुत्र व श्रीमती प्यारी देवी पत्नी प्यारे लाल पुत्र हेम सिंह भाग बराबर (12) भाग, श्रीमती रीता देवी पत्नी उमेश कुमार पुत्र प्यारे लाल (6) भाग निवासी थाच करसोग, तारा चन्द पुत्र मीन चन्द पुत्र ठाकर (6) भाग, छई राम पुत्र केहर सिंह पुत्र अमर सिंह (6) भाग निवासी डमोग बगषाड, तेज सिंह पुत्र खेम दास पुत्र तुलसिया (6) भाग निवासी सरौर बगशाड़, श्रीमती गीता पत्नी शेत राम पुत्र ईन्द्र सिंह (6) भाग निवासी पथेरवी करसोग, पदम देब (12) भाग पुत्र चौद कुमार, तोता राम भाग बराबर (12) भाग पुत्र केसर सिंह निवासी कांडा करसोग, भेद सिंह पुत्र बालम सिंह पुत्र देवी सरन (12) भाग निवासी खडेहण, कृष्ण सिंह पुत्र खेम सिंह पुत्र बालम सिंह (6) भाग, श्रीमती कलावती पत्नी बालम सिंह पुत्र देवी सरन (6) भाग, कुमारी शीतल पुत्री व श्रीमती मेनू देवी, श्रीमती मैना देवी पत्नीया प्रेम सिंह पुत्र देवी सरन भाग बराबर (18) भाग, कुमारी रोहिणी पुत्री मोहन सिंह पुत्र प्रेम सिंह (6) भाग, दुनी पुत्र सीता राम पुत्र माईया राम (36) भाग, भुपेन्द्र सिंह पुत्र व श्रीमती चित्रलेखा पुत्र जगदीश चन्द पुत्र सीता श्रीमती कल्पना पुत्री महेन्द्र सिंह पुत्र सीता राम (24) भाग अमर चन्द पुत्र बली राम पुत्र माईया (12) भाग नरेन्द्र कुमार पुत्र अमर चन्द पुत्र बली राम (12) भाग निवासी बम्बीरा दाड़लाघाट, कुमार यशमिता पुत्रीयां व श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी लाल चन्द पुत्र चेत राम भाग बराबर (36) भाग निवासी शील करसोग श्रीमती आशा पत्नी निका राम (120) भाग निवासी करसोग श्रीमती ममता पत्नी मणी चन्द (24) भाग श्रीमती खेम लता पत्नी भाग चन्द पुत्र रामजीत (24) भाग निवासी बगैल भागीरथ पुत्र मणी चन्द पुत्र शुकूरु (24) भाग निवासी जौंग करसोग श्रीमती राधा पत्नी थनेश्वर पुत्र नागू (24) भाग निवासी निहरी श्रीमती पुष्पलता पत्नी दुनी चन्द (24) भाग निवासी बजिहण, श्रीमती कृष्ण पत्नी सेवक राम (24) भाग निवासी सिधोली सुन्दरनगर बालानन्द पुत्र सुंकू राम पुत्र मगनिया (120) भाग निवासी जौंग करसोग, हेम राज पुत्र दुर्गाराम पुत्र मगन दास (12) भाग निवासी थली, ओम प्रकाश पुत्र बालक राम (40) भाग, नीरज, राहुल पुत्र ओम प्रकाश पुत्र बालक राम भाग बराबर (80) भाग निवासी रण्डौल बगशाड़, जोगेन्द्र लाल			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

							पुत्र नानक चन्द पुत्र किरतू राम(6) भाग निवासी नगाओ पांगणा, आर्यन पुत्र चमन लाल पुत्र हेम चन्द (12) भाग निवासी सुन्नी, धर्मन्द्र कुमार पुत्र हेत राम पुत्र भीखम राम (6) भाग, रमेश कुमार पुत्र दुनी चन्द पुत्र राम सिंह (6) भाग, भुपेन्द्र कुमार पुत्र बरडू (6) भाग निवासी तलेहन बगशाड़।			
3.	9 मिन	9 मिन	153 / 43 / 2	वाहिद	बरानी दोयम	01.09.08	हिरा सिंह उपनाम मुशू पुत्र दिलू पुत्र सुरजू स्थानीय वासी।			
4.	11 मिन	11 मिन	113 115	मुशतर्का	बरानी अवल बरानी अवल	00.01.18 00.07.14	कुल (2880) भाग हिरा सिंह उपनाम मुशू पुत्र दिलू पुत्र सुरजू (6) भाग, घन्स्याम, मनसा राम, चन्द्रप्रकाश पुत्र श्रीमती निकी पुत्री दिलू भाग बराबर (576) भाग, श्रीमती जुगनी पुत्री दिलू पुत्र सुरजू (96) भाग, सोमकुष्ण, राजेश कुमार पुत्र व श्रीमती रीना देबी, आशा देबी, निशा कुमारी पुत्रिया श्रीमती फुलमू पुत्री दिलू भाग बराबर (576) भाग, श्रीमती बुधी पुत्री दिलू पुत्र सुरजू (276) भाग, हरिकृष्ण पुत्र नारायण दास पुत्र मिर्जा भाग बराबर (55) भाग निवासी महाल कांडी उपतहसील बगशाड़, कुमारी राधिका पुत्री व श्रीमती गीता देबी पत्नी नोख राम पुत्र तोता राम भाग बराबर (200) भाग निवासी महाल थली, छताप सिंह पुत्र व श्रीमती कृष्णा पुत्री श्रीमती बुधी पुत्री दिलू भाग बराबर (300) भाग, भुतेश्वर (66) भाग पुत्र व सुरेन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमती पारवती देबी, श्रीमती सुषमा देबी, श्रीमती विधा देबी पुत्रिया जुगनी पुत्री दिलू भाग बराबर (384) भाग, देबी सिंह पुत्र जिवानन्द पुत्र जरबू (75) भाग निवासी महाल परलोग कुमारी अनिता, कुमारी रोनिता पुत्रिया देबी सिंह पुत्र जिवानन्द भाग बराबर (30) भाग, कुमारी अक्षिता पुत्री व श्रीमती सुषमा कुमारी पत्नी नन्द कुमार पुत्र जिवानन्द भाग बराबर (30) भाग निवासी परलोग, श्रीमती बन्दी देबी पुत्री चन्दू राम पुत्र बलीराम (15) भाग निवासी बेलूडांक श्रीमती सपना कुमारी पत्नी संजय प्रकाश पुत्र प्रेमदास (15) भाग, श्रीमती सुनिता देबी पत्नी यशवन्त सिंह पुत्र बवशी राम (15) भाग निवासी जूआ तहसील करसोग, श्रीमती लता कुमारी पत्नी जिवानन्द पुत्र गिरजानन्द (15) भाग, श्रीमती गीता देबी पत्नी नेकराम पुत्र गिरजानन्द (15) भाग निवासी करसोग, बिकू पुत्र पारस पुत्र मागू (15) भाग निवासी नांज, श्रीमती बबिता पत्नी नरेश कुमार पुत्र हिरा सिंह (15) भाग निवासी केलोधार, श्रीमती कृष्णा देबी पत्नी धर्मदास (15) भाग निवासी संयाज तहसील करसोग, श्रीमती बिमला देबी पुत्री छांगू राम (15) भाग निवासी बखरोट तहसील करसोग, अमित पुत्र व कुमारी मनीषा, कुमारी दिक्षिका पुत्रिया हरिकृष्ण पुत्र नारायण दास भाग बराबर (45) भाग निवासी महाल कांडी उपतहसील बगशाड़, श्रीमती बबली देबी पत्नी इन्द्र सिंह (15) भाग निवासी उपतहसील जलोग, कुमारी साक्षी पुत्री सतीश कुमार धर्मप्रकाश (15) भाग निवासी परलोग।			
			किता-2			00.09.12				

5.	12	12	128 / 2	मुशतर्का	बारानी दायम	00.07.12	ललित कुमार, डोला राम पुत्र व श्रीमती सुरेशा कुमारी पुत्री श्रीमती खुबकला पुत्री भीखम भाग बराबर स्थानीय वासी।				
6.	13 मिन	15 मिन 14 मिन	116 119 143 / 117 / 2	मुशतर्का	गैरमुम. खलवाड़ा बारानी अवल बारानी अवल	00.00.10 00.06.18 03.17.02	कुल (173088) भाग रेवादास पुत्र पुरन पुत्र भिमी (30888) भाग, ओम प्रकाश, विधा प्रकाश पुत्र व श्रीमती अनिता देवी, श्रीमती अन्जु देवी, श्रीमती रीतू देवी पुत्रियां व श्रीमती लीला देवी पत्नी खोर सिंह पुत्र शुकुरु भाग बराबर (35352) भाग, श्रीमती कोलू पुत्री शुकुरु पुत्र सूरजू (4416) भाग, देब राज पुत्र व श्रीमती अनारकली पत्नी टेक चन्द पुत्र श्रीमती खेम दासी भाग बराबर (4392) भाग, किरण कुमार पुत्र व कुमारी सोनिया, कुमारी रोजी भाग बराबर (2646) भाग, पुत्रियां व कुमारी इन्दू (1314) भाग पुत्री व श्रीमती कान्ता देवी (432) भाग पत्नी केसर सिंह पुत्र शुकुरु, भोला सिंह पुत्र श्रीमती बालादासी पुत्री शुकुरु (3960) भाग, हिरा सिंह उपनाम मुशू पुत्र व श्रीमती निकी, श्रीमती जुगनी, श्रीमती फूलमू उर्फ फूलू, श्रीमती बुधी पुत्रियां दिलू पुत्र सूरजू भाग बराबर (24768) भाग, ललित कुमार, डोला राम पुत्र व श्रीमती सुरेशा कुमारी पुत्री श्रीमती खुबकला पुत्री भीखम भाग बराबर (30888) भाग स्थानीय वासी, श्रीमती सुख देवी पत्नी श्यामलाल पुत्र अमरचन्द (24768) भाग निवासी महाल मकड़छा पटवार वृत्त शकरोड़ी तहसील सुन्नी, तेज राम (592) भाग पुत्र व बालमकुन्द पुत्र व श्रीमती रमीला, श्रीमती शान्ता देवी भाग बराबर (2208) भाग, हेमन्त कुमार (16) भाग पुत्र व श्रीमती हेमलता (520) भाग पुत्री चन्दू उपनाम भाग चन्द पुत्र शुकुरु, पूर्ण चन्द, ठाकुर सैन पुत्र व श्रीमती गीता देवी, श्रीमती सीता देवी, श्रीमती रीता देवी भाग बराबर (3680) भाग पुत्रियां व श्रीमती शोभा देवी (448) भाग पुत्री हीरा नन्द पुत्र शुकुरु, दीपक पुत्र रामलाल पुत्र सूरत राम (144) भाग निवासी सवामाहू, केवल कृष्ण पुत्र व श्रीमती समृति पुत्री भोलादत्त पुत्र कदारु भाग बराबर (288) भाग, हिमान्शु, चेतन पुत्र व श्रीमती रचना, श्रीमती अर्चना, श्रीमती रेनुका पुत्रियां व श्रीमती श्यामकली पत्नी तेज राम पुत्र चन्दु उपनाम भागचन्द भाग बराबर (144) भाग, किशोरी लाल पुत्र केवल राम पुत्र पूरन दत्त (72) भाग, घन्स्याम दास पुत्र ठाकुरदास पुत्र सूरजू (72) भाग निवासी हतिया, कुमारसैन, चुन्नी लाल पुत्र भाग चन्द पुत्र गंगू (72) भाग निवासी शैदरी कुमारसैन, कुमारी रंजना, मंजना कुमारी, सीमा देवी, निशा कुमारी पुत्रियां श्रीमती शोभा देवी पुत्री हीरा नन्द भाग बराबर (288) भाग, रजनीश कुमार पुत्र कृष्ण लाल पुत्र बलिभद्र उपनाम दूलकू (360) भाग निवासी नेहरा तहसील करसोग, राजेश कुमार पुत्र किशोरी लाल पुत्र अमर चन्द (144) भाग निवासी सज्याओ तहसील रीरा मण्डी, तिलक राज पुत्र सेवा राम पुत्र केवल राम (72) भाग निवासी खोलवी कुमारसैन, सोमपाल पुत्र गौरी दत्त पुत्र कांशी राम (72) भाग निवास कोट कुमारसैन, यशपाल पुत्र सोमपाल पुत्र गौरी दत्त (72) भाग निवासी कोट कुमारसैन।				

7.	13 मिन	16	142 / 117		बारानी अवल	00.03.15	ललित कुमार, डोला राम, श्रीमती सुरेशा कुमारी हिस्सेदारान बायान कुल (240) भाग, लगनदास पुत्र व श्रीमती कसुम्बू देवी पुत्री सुखदास पुत्र भगताराम भाग बराबर (40) भाग, भगवान सिंह, सतीश कुमार पुत्र व श्रीमती चन्द्रकला पुत्री व श्रीमती हिमा देवी विधवा अमर सिंह पुत्र जालम राम भाग बराबर (4) भाग, शेर सिंह, प्रताप सिंह पुत्र व श्रीमती नारकलू पुत्री व श्रीमती जानकू देवी विधवा जालम राम पुत्र सुख दास भाग बराबर (16) भाग, निहालचन्द पुत्र व श्रीमती घुमा देवी, श्रीमती लीला देवी पुत्रिया रामदास पुत्र सुखदास भाग बराबर (15) भाग, अंशुल पुत्र व श्रीमती रीता देवी विधवा श्यामलाल पुत्र रामदास भाग बराबर (5) भाग, गुरमीत, सुरजीत पुत्र व श्रीमती निशा देवी पुत्री व श्रीमती शकुन्तला देवी विधवा अनूपराम पुत्र गंगा राम भाग बराबर (80) भाग निवासी महाल खनण तहसील आनी, ओम प्रकाश पुत्र व श्रीमती नायकू देवी, श्रीमती सुमित्रा देवी, श्रीमती गुडू देवी, श्रीमती शाडी देवी पुत्री व श्रीमती विधा देवी विधवा टैहल दास पुत्र भीमी राम भाग बराबर (80) भाग निवासी महाल खनण, आनी काश्त व कब्जा स्वयं मुश्त्रीयान।				
			किता-4			04.08.05					
7.	17	21 मिन	44 / 1	मुशतर्क	बारानी दायम	01.02.02	कुल भाग (4672080) मोहन लाल (17604) भाग, गंगा धर (14904) भाग, देवीराम पुत्र (64584) भाग पुत्रगण व श्रीमती लीलमा देवी (12744) भाग, श्रीमती सन्तोश कुमारी (10584) भाग पुत्रियां विन्हू पुत्र परसू ध्यान सिंह (20430) भाग, ओम प्रकाश (13950) भाग, निक्का राम (22590) भाग, सतीश कुमार (11790) भाग पुत्रगण व श्रीमती हिमकला (35550) भाग, श्रीमती खेमकला (9630) भाग पुत्रियां प्रेमदास पुत्र परसू दीप राम (148500) भाग, हिरू राम (241380) भाग पुत्रगण व श्रीमती राधू (55620) भाग पुत्री व श्रीमती परसू विधवा परसू पुत्र कुन्दन (667440) भाग, श्रीमती अन्जना (318330) भाग, श्रीमती विजयलक्ष्मी (145530) भाग पुत्रीयां श्रीमती पवली पुत्री परसू, श्रीमती टैखरी (166860) भाग, श्रीमती अछरी (130140) भाग पुत्रीया श्रीमती देबकू पुत्री कुन्दन, खुशी राम (28440) भाग, मनोज कुमार (58680) भाग, घनश्याम (4680) भाग पुत्रगण व श्रीमती बिमला (30600) भाग श्रीमती गीता (4680) भाग, श्रीमती सीमा (43560) भाग पुत्रीयां दीप राम पुत्र परसू, वेद राज (10800) भाग, नरेश कुमार (45360) भाग, प्रदीप कुमार (28080) भाग, युवराज (77760) भाग पुत्रगण व श्रीमती चमना देवी (75600) भाग पत्नी हीरू राम पुत्र परसू, राकेश (12960) भाग पुत्र व श्रीमती रमता देवी, श्रीमती निर्मला देवी, श्रीमती निशा भाग बराबर (64800) भाग पुत्रीयां श्रीमती किरना (17280) भाग पुत्री व श्रीमती लता (15120) भाग पत्नी मोहन लाल पुत्र बीनू, कुमारी प्रिया पुत्र खेमकला पुत्री प्रेम दास (90720) भाग, कैलाश कुमार (6480) भाग, रितेश कुमार (4320) भाग पुत्रगण श्रीमती सन्तोश कुमारी पुत्री				

						बिनहू स्थानीय वासी, मुरारी लाल पुत्र घनश्याम पुत्र धारा (10800) भाग निवासी सैजी बगशाड़, दावेन्द्र कुमार, पुष्पेन्द्र पुत्र युवराज पुत्र आशा राम भाग बराबर (43200) भाग, नीरज, सीतेन्द्र कुमार पुत्र नीरम सिंह पुत्र आशा राम भाग बराबर (43200) भाग, नीरम सिंह पुत्र आशा राम पुत्र तुलसी राम (17280) भाग निवासी, राकेश कुमार पुत्र इन्द्र सिंह पुत्र दुनी सिंह (10800) भाग निवासी महाल गड़कान सुन्नी, कांशी राम पुत्र सवारु (14400) भाग व जितेन्द्र कुमार, योगेन्द्र कुमार पुत्र कांशी राम पुत्र सवारु भाग बराबर (28800) भाग निवासी, श्रीमती कामिनी पत्नी भुपेन्द्र कुमार पुत्र चरण दास (4320) भाग निवासी लोअर करसोग, पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र विजय कुमार पुत्र धर्मदास (2160) भाग निवासी खैरा, छयाल सिंह पुत्र श्यामलाल पुत्र धारी (12960) भाग निवासी महाल चुराग, ठाकुर सैन पुत्र दयाल सिंह पुत्र चन्द्रमणी (6480) भाग निवासी चोआ, संजय, शुभम भाग बराबर (8640) भाग पुत्र व श्रीमती धृती (4320) भाग पुत्री भुपेन्द्र कुमार पुत्र चरणदास, निर्मल सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र भगत राम (8640) भाग निवासी कपास पांगणा, शिवम पुत्र मतीधर पुत्र नानक चन्द (4320) भाग निवासी लोअर करसोग, देस राज पुत्र गोविन्द सिंह पुत्र देबिया (4320) भाग निवासी समलौट बगशाड़, कमल किशोर पुत्र व कुमारी अन्जली, कुमारी अंकिता पुत्रीया दलीप कुमार पुत्र मीना राम भाग बराबर (6480) भाग निवासी परलोग, नवजीत पुत्र व श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी अशोक कुमार पुत्र रोशन लाल भाग बराबर (8640) भाग, राकेश कुमार पुत्र रोषन लाल पुत्र मादु राम (4320) भाग, जितेन्द्र कुमार पुत्र टेक चन्द पुत्र पिरु राम (4320) भाग, कुमारी करुणा, कुमारी ललिता पुत्रियां उधम सिंह पुत्र शोभा राम भाग बराबर (8640) भाग, हेम प्रकाश पुत्र श्याम कृष्ण पुत्र घाघलू (4320) भाग, चेत राम पुत्र हेम चन्द पुत्र हिरदा राम (4320) भाग, गोवर्धन दास पुत्र साजू राम पुत्र झलिया (4320) भाग, श्रीमती दीपा कुमारी पत्नी जितेन्द्र कुमार पुत्र तिलक राज (4320) भाग निवासी महाल टिक्कर बगशाड़, दलीप कुमार पुत्र हेत राम पुत्र दिला राम (6480) भाग, अभिषेक पुत्र व कुमारी मुस्कान पुत्री दलीप पुत्र हेत राम भाग बराबर (12960) भाग निवासी महाल द्राबला, मनमोहन पुत्र केशव राम पुत्र हिरदू (6480) भाग निवासी सनाहू खटनोल, अविनाश पुत्र भगत राम पुत्र तिलक राज (6480) भाग निवासी टमरोड़ सुन्नी, नरेन्द्र कुमार पुत्र आत्मा राम पुत्र प्रितम (6480) भाग निवासी डुमैहर जलोग, धर्मपाल पुत्र सीता राम पुत्र दुनी चन्द (6480) भाग, लोकेश कुमार पुत्र इन्द्र सिंह पुत्र दुनी सिंह (6480) भाग निवासी गड़कान सुन्नी, उधम सिंह पुत्र शोभा राम पुत्र नामालूम (6480) भाग, गोपाल, कृष्ण पुत्र उधम सिंह पुत्र शोभा राम भाग बराबर (12960) भाग, रमेश कुमार पुत्र कामेश्वर देवी पुत्र जिंदू राम (6480) भाग, जसबीर पुत्र टेक सिंह पुत्र हिमा			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

[illegible]

						कुमार पुत्र चेत राम (2160) भाग निवासी अलसिंडी बगशाड, गौरव पुत्र लीला दास पुत्र शौक राम (2160) भाग निवासी सुन्नी, दिनेश कुमार पुत्र सुभाष चन्द पुत्र गुलू राम (2160) भाग निवासी पोली झन्डूता, महेन्द्र पाल पुत्र रोशन लाल पुत्र सन्त राम (2160) भाग निवासी कनफारा नैनादेबी, चांद कुमार पुत्री लीला नन्द पुत्र नरसिंधू (2160) भाग निवासी चोआ करसोग, श्रीमती मन्जू देबी पत्नी साहिल पुत्र अमरचन्द (2160) भाग निवासी जमोग सुन्नी, ओम प्रकाश पुत्र व श्रीमती सुमित्रा देबी पत्नी मानदत पुत्र दिवान भाग बराबर (4320) भाग निवासी डीपीएफ कान्डलु करसोग, हंसराज, मुकेश कुमार पुत्र भीमा राम पुत्र श्याम भाग बराबर (4320) भाग निवासी मैहडी, युवराज पुत्र चिंगू राम पुत्र नारद (2160) भाग, राकेश कुमार पुत्र सेवक राम पुत्र लच्छमू (2160) भाग निवासी चलौणी करसोग, मुनीष कुमार पुत्र सुषील कुमार पुत्र कुन्दन लाल (2160) भाग निवासी करसोग, हितेश पुत्र राकेश कुमार शुंकू (2160) भाग निवासी रिवालसर, निषान्त पुत्र जयदेब पुत्र गुप्तदेब (2160) भाग, जयदेब पुत्र गुप्तदेब पुत्र तेजादत (2160) भाग निवासी दतनगर रामपुर, श्रीमती उषा देबी पत्नी योगेश कुमार पुत्र ख्याली राम (2160) भाग निवासी ठाह कुमारसैन, परस राम पुत्र बासी राम पुत्र हरू राम (2160) भाग निवासी कलन्ती ननखड़ी, श्रीमती ज्योति पत्नी जितेन्द्र पुत्र लोभा नन्द (2160) भाग, जितेन्द्र पुत्र लोभा नन्द पुत्र पुष्पा नन्द (2160) भाग निवासी निरमण्ड, रविकान्त पुत्र हर्षानन्द पुत्र नामालूम (2160) भाग निवासी अरसू निरमण्ड, सुषील कुमार पुत्र दयानन्द पुत्र नामालूम (2160) भाग निवासी देलठ ननखड़ी, स्वरूपा नन्द पुत्र त्वार देब पुत्र ज्वाला (2160) भाग, श्रीमती विद्या देबी पत्नी स्वरूपा नन्द पुत्र त्वार देब (2160) भाग निवासी निरथ, मुकेश कुमार पुत्र हरीचन्द पुत्र गिरजानन्द (2160) भाग निवासी चून्जा रामपुर, विरेन्द्र कुमार लोलक राम पुत्र प्यारे लाल (2160) भाग निवासी नैहरा तकलेच, योगेश कुमार पुत्र ख्याली राम पुत्र लच्छमी नन्द (2160) भाग निवास ठाह कुमारसैन, जोधा पुत्र लच्छी राम पुत्र इन्द्र दास (2160) भाग निवासी ढारण ननखड़ी, बहादुर सिंह पुत्र गंगा सुख पुत्र रत्नदास (2160) भाग, अभय पुत्र बहादुर सिंह पुत्र गंगा सुख (2160) भाग निवासी थाना ननखड़ी, सुरेश पुत्र मंगत राम पुत्र आत्मा (2160) भाग, श्रीमती बिटू कुमारी पत्नी सुरेश कुमार पत्नी मंगत राम (2160) भाग निवासी धनाल कुमारसैन, मोहित पुत्र सन्तोष पुत्र ज्योति लाल (2160) भाग निवासी नरोला रामपुर, श्रीमती पूनम देबी पत्नी ईन्द्रजीत पुत्र देवानन्द (2160) भाग, श्रीमती शीतल पत्नी सुरजीत सिंह पुत्र देवानन्द (2160) भाग निवासी निरथ, श्रीमती नगीना देबी पत्नी विरेन्द्र कुमार पुत्र लोलक राम (2160) भाग निवासी नैहरा तकलेच, श्रीमती ममता कुमारी पत्नी मुकेश कुमार पुत्र हरीचन्द (2160) भाग निवासी चून्जा रामपुर, सचिन पुत्र दिनेश कुमार पुत्र हेत राम (2160) भाग			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						निवासी रण्डौल, हरी सिंह पुत्र पृथी सिंह पुत्र पिरू (2160) भाग निवासी बाग सलाणा करसोग, श्रीमती मीरा देबी पत्नी दिनेश कुमार पुत्र हेत राम (2160) भाग निवासी रण्डौल, श्रीमती शीतल पत्नी यशपाल पुत्र अमर चन्द (2160) भाग निवासी चुराग, श्रीमती पुर्णिमा देबी पत्नी नित्यानन्द पुत्र रामेश्वर दत्त (4320) भाग निवासी शाकरा, श्रीमती पूजा पत्नी विकास पुत्र आशा राम (2160) भाग, विकास पुत्र आशा राम पुत्र बलदेब (2160) भाग निवासी करसोग, निर्मल प्रकाश पुत्र श्रीमती कली देबी पुत्री सुबा राम (2160) भाग, श्रीमती निदू पत्नी चेतन पुत्र निर्मल प्रकाश (2160) भाग निवासी खमारला, जिया लाल पुत्र साजू राम पुत्र झलिया (2160) भाग निवासी बाहणू, रोहित पुत्र व श्रीमती सविता पत्नी चेत राम पुत्र अभी राम भाग बराबर (4320) भाग निवासी मनोला बगशाड़, पुन्नी राम पुत्र कालीदास पुत्र त्वारू (2160) भाग निवासी बगैला करसोग, मायाधर पुत्र विद्यासागर पुत्र केशव राम (2160) भाग निवासी धबास बगशाड़, भूविया पुत्र मद्दू पुत्र हरिया (2160) भाग निवासी कलाशण पांगणा, सुन्दरवीर सिंह पुत्र कर्मचन्द श्याम पुत्र किम्पु (4320) भाग, सुरेश कुमार पुत्र गोपाल सिंह पुत्र प्रभुदयाल (4320) भाग, श्रीमती पिन्की पत्नी सुरेश कुमार पुत्र गोपाल सिंह (4320) भाग निवासी निरथ, टोनू पुत्र चन्द्रमोहन पुत्र जोबन दास (4320) भाग निवास नावण ननखड़ी, नागेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र पुत्र श्याम सिंह (4320) भाग निवासी दलाष आनी, होशियार चन्द पुत्र राम दास पुत्र प्रेम सिंह (4320) भाग निवासी चुन्जा रामपुर, रणबीर सिंह पुत्र नारायण सिंह पुत्र भोला सिंह (4320) भाग निवासी बरकेली रामपुर, शमशेर पुत्र मान सिंह पुत्र नामालूम (4320) भाग निवासी कलेड़ा रामपुर, हितेश पुत्र कुलदीप पुत्र नामालूम (4320) भाग निवासी दतनगर, श्रीमती पूनम कुमारी पत्नी दिनेश कुमार पुत्र भीष्म दत्त (4320) भाग निवासी ततापानी, वचन सिंह पुत्र चन्द लाल पुत्र झाटू राम (4320) भाग निवासी पनियाला घुमारवी, जगदीश चन्द पुत्र वचन राम पुत्र रोहली राम (4320) भाग, अवनीश सिंह पुत्र जगदीश चन्द पुत्र वचन राम (4320) भाग निवासी खलसोए झन्डूता, चमन लाल पुत्र दौलत राम पुत्र दुर्गा राम (4320) भाग निवासी कांगरी, पवन कुमार पुत्र सन्त राम पुत्र गोकुल (4320) भाग निवासी सुम्मी, विकास पुत्र जिया लाल पुत्र चरण दास (4320) भाग निवासी सुन्नी, राजीव सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह पुत्र लच्छमी सिंह (4320) भाग निवासी नडूखर, कमल चन्द पुत्र भौम प्रकाश पुत्र घनानन्द (4320) भाग निवासी घरयाणा, रमेश कुमार पुत्र साधू पुत्र ब्रेसतू (4320) भाग निवासी पटूखर, दीपक पुत्र धर्म प्रकाश पुत्र सेवानन्द (4320) भाग निवासी चाबा, पदम देब पुत्र हिमा राम पुत्र कपूरु (4320) भाग निवासी शेलगी बगशाड़, जतिन पुत्र ललित कुमार पुत्र मुन्नी लाल (2160) भाग निवासी काओ करसोग, देवेन्द्र कुमार, सोहन लाल पुत्र परमानन्द			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						पुत्र दुर्गा राम भाग बराबर (8640) भाग, प्यारे लाल, लीला दास पुत्र प्रेम राम पुत्र लौहकू भाग बराबर (8640) भाग, नरेन्द्र कुमार पुत्र प्यारे लाल पुत्र प्रेम राम (4320) भाग निवासी कांगरी सुन्नी, श्रीमती रोशनी पत्नी हेत राम पुत्र नोख राम (4320) भाग निवासी रण्डौल, दिवान सिंह पुत्र दुर्गा पुत्र लेख राम (4320) भाग, पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र दिवान सिंह पुत्र दुर्गा (4320) भाग निवासी बसन्तपुर, अमित, नितिन पुत्र चिन्तामणी पुत्र गौरीदत्त उपनाम झलिया भाग बराबर (8640) भाग, मनीष कुमार पुत्र श्यामलाल पुत्र गौरीदत्त उपनाम झलिया (4320) भाग निवासी काओ करसोग, गोपाल चन्द पुत्र अमर चन्द पुत्र दरसू (4320) भाग निवासी कोट करसोग, अमन पुत्र मेहर सिंह पुत्र परमानन्द (2160) भाग, मोहिन्द्र सिंह, तारा चन्द, घनदेब, हरिश कुमार पुत्र पारस देव पुत्र लोहरू भाग बराबर (8640) भाग निवासी सरतथोला, गंगा सिंह पुत्र मोती राम पुत्र रूलदू (2160) भाग, देसरज पुत्र तुला राम पुत्र रूलदू (2160) भाग निवासी डीपीएफ बाग बखारी करसोग, टेक सिंह, डिकम चन्द पुत्र दतराम पुत्र अर्जुन भाग बराबर (4320) भाग निवासी भमराड़ा करसोग, भवनीश पुत्र तरुण कुमार पुत्र बलदेव (2160) भाग निवासी झुंगी निहरी, आषा राम पुत्र तुला राम पुत्र भीमी (4320) भाग, राधा कृष्ण, युवराज, हुक्म चन्द, होम राज पुत्र आशा राम पुत्र तुला राम भाग बराबर (17280) भाग निवासी थनाली करसोग, पवन कुमार पुत्र लाल दास पुत्र डून्डलिया (2160) भाग निवासी चेबड़ करसोग, इन्द्र सिंह पुत्र दिवान चन्द पुत्र चेत राम (2160) भाग निवासी डीपीएफ कान्ढलू करसोग, चतेन्द्र कुमार पुत्र मनसा राम पुत्र दौलत राम (2160) भाग निवासी सेरी करसोग, यशपाल पुत्र अमर चन्द पुत्र नामालूम (2160) भाग निवासी चुराग, नरेन्द्र पुत्र कुन्जी लाल पुत्र लच्छमू राम (2160) भाग निवासी भनेरा करसोग, खेम राज पुत्र दिवान चन्द पुत्र चेत राम (2160) भाग निवासी डीपीएफ बहल करसोग, रमेश चन्द पुत्र सालिंग राम पुत्र चन्दू राम (2160) भाग निवासी कसौली निरमण्ड, श्रीमती अन्नजा कुमारी पत्नी हिरेन्द्र कुमार पुत्र नामालूम (2160) भाग निवासी भतोल् निहरी, जगदीश चन्द पुत्र वलिराम पुत्र मैया राम (2160) भाग निवासी डीपीएफ नागानाल, ताराचन्द पुत्र दिवान चन्द पुत्र चेत राम (2160) भाग, उत्तम चन्द पुत्र कर्मचन्द पुत्र दिवान चन्द (2160) भाग निवासी डीपीएफ कान्ढलू करसोग, श्रीमती शशी पुत्री निहाल सिंह पुत्र नामालूम (2160) भाग निवासी पधीऊ मण्डी, अंकुर पुत्र लायक राम पुत्र रति राम (2160) भाग, संचित पुत्र संजय पुत्र लायक राम (2160) भाग निवासी कुमारसैन, श्रीमती श्रुति पुत्री लालचन्द पुत्र केशव राम (2160) भाग निवासी धाला कुमारसैन, भारत अमर पुत्र सुरेश कुमार पुत्र मेहताब चन्द (2160) भाग निवासी निरध, श्रीमती दीक्षा पत्नी अजय कुमार पुत्र नरेष कुमार (2160) भाग निवासी खील बगशाड, पीताम्बर लाल			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

[illegible]

						श्रीमती हिंऊ दासी पत्नी श्याम लाल पुत्र पुर्ण सुख (2160) भाग निवासी जगूनी रामपुर, राकेश पुत्र गोपी चन्द पुत्र नामालूम (2160) भाग, श्रीमती श्रेया पत्नी राकेश पुत्र गोपी चन्द (2160) भाग निवासी नित्थर कुल्लू, जय प्रकाश पुत्र वृकम राम पुत्र नरोत्तम (2160) भाग, आदित्य पुत्र व कुमार मुस्कान पुत्री व श्रीमती लता कुमारी पत्नी जयप्रकाश पुत्र वृकम भाग बराबर (6480) भाग, श्रीमती अन्जु पुत्री व श्रीमती सरिता कुमारी पत्नी रोषन लाल पुत्र वृकम राम भाग बराबर (4320) भाग, श्रीमती सुशमा देवी पत्नी दिनेश कुमार पुत्र वृकम राम (2160) भाग, श्रीमती रमा देवी पत्नी गोवर्धन सिंह पुत्र पृतम सिंह (2160) भाग निवासी बलासो बगशाड़, नानक चन्द पुत्र दिलाराम पुत्र झावर (2160) भाग, श्रीमती दया देवी पत्नी नानक चन्द पुत्र दिला राम (2160) भाग निवासी खनोरा करसोग, रोशन लाल, दिनेश कुमार पुत्र व श्रीमती मालतु देवी पत्नी वृकम राम पुत्र नरोत्तम राम भाग बराबर (6480) भाग, रिक्षित पुत्र व कुमारी इशु कुमारी, कुमारी अंकिता पुत्रीया रोशन लाल पुत्र वृकम राम भाग बराबर (6480) भाग, श्रीमती चन्द्रकान्ता पुत्री जयगोवर्धन पुत्र मदन (2160) भाग निवासी शोरषन बगशाड़, ऐव राज पुत्र दिला राम पुत्र झावर (2160) भाग, सुक्षित पुत्र व कुमारी सुहानी पुत्री व श्रीमती निलम देवी पत्नी ऐव राज पुत्र दिला राम भाग बराबर (6480) भाग निवासी भन्थल करसोग, कुलदीप पुत्र व कुमारी मीनक्षी पुत्री व श्रीमती चन्द्रप्रभा पत्नी शिवकुमार पुत्र लीलानन्द भाग बराबर (12960) भाग, श्रीमती तोती देवी पत्नी लीलानन्द पत्नी बलीराम (4320) भाग निवासी सांवीधार बगशाड़, अनिल, राजीव पुत्र परमानन्द पुत्र नोता राम (8640) भाग, पियूष पुत्र अनिल पुत्र परमानन्द (4320) भाग निवासी कृष्णगढ़ सोलन, अषोक कुमार पुत्र तारा दत्त पुत्र पतराम (4320) भाग निवासी कावँटा बारला कृष्णगढ़, श्रीमती शशिकला पत्नी गोपाल पुत्र इन्द्रदत्त (2160) भाग निवासी सुन्नी, कुमारी रिया कुमारी, कुमारी दीक्षा कुमारी पुत्रीया व श्रीमती मन्जूबाला पत्नी राजेश कुमार पुत्र कर्म सिंह भाग बराबर (6480) भाग निवासी सुनाहणी झंडूता, कृष्ण चन्द पुत्र सुरत राम पुत्र कान्हा राम (2160) भाग निवासी कोट कपड़यास बगशाड़, मोहन लाल पुत्र खीमी राम पुत्र चिंदू (2160) भाग निवासी मोहटा बगशाड़, नोख राम पुत्र मनीया पुत्र अकलू (2160) भाग निवासी रण्डोल बगशाड़, श्रीमती लीला देवी पत्नी संत राम पुत्र बडू राम (2160) भाग, बालमुकुन्द पुत्र शिवू पुत्र धर्मू (2160) भाग निवासी ततापानी, टेकचन्द पुत्र गुप्त राम पुत्र अमर दत्त (2160) भाग निवासी शाकरा, श्रीमती अनिता कुमारी पुत्री भुपेन्द्र सिंह पुत्र निक्का राम (4320) भाग निवासी सठवी डटवाल बिझड़ी हमीरपुर, कर्मी देवी पत्नी बचन सिंह पुत्र रोहली राम (2160) भाग निवासी खलसाय झन्डुता, श्रीमती सुनिता कुमारी पत्नी शिवपाल सिंह पुत्र गुरदेब सिंह (2160) भाग निवासी नलवाडी बंगाणा			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						झन्डूता ऊना, विरेन्द्र कुमार पुत्र भुमी चन्द पुत्र मीना राम (4320) भाग निवासी खैरा, खेम राज पुत्र वरजू राम पुत्र सैहजू राम (10800) भाग निवासी तलाह जलोग, श्रीमती ज्योति पत्नी चुड़ामणी पुत्र अमर चन्द (2160) भाग निवासी धारकान्डलू बगषाड़, चुड़ामणी, कमल कुमार पुत्र व श्रीमती श्यामा देबी पत्नी भीम सिंह पुत्र धनी राम भाग बराबर (6480) भाग, श्रीमती नेहा पत्नी चुड़ामणी पुत्र भीम सिंह (2160) भाग, श्रीमती रक्षा पत्नी कमल कुमार पुत्र भीम सिंह (2160) भाग निवासी भौरा, भुपेन्द्र कुमार पुत्र खीमी राम पुत्र भेखलू (2160) भाग, श्रीमती रीना देबी पत्नी भुपेन्द्र कुमार पुत्र खीमी राम (2160) भाग निवासी चेबड़ी, श्रीमती नवला देबी पत्नी उत्तम पुत्र धारी (2160) भाग निवासी कवागला करसोग, डाबर राम पुत्र सीता राम पुत्र ठाकरू (2160) भाग निवासी बाढ़ू कुफरी करसोग, श्रीमती सत्या देबी पत्नी मेहर चन्द जरबू (2160) भाग निवासी दरल करसोग, भीष्म लाल पुत्र प्यारा लाल पुत्र मोती राम (2160) भाग निवासी कान्डी तीन बगशाड़, डिम्मा राम, पवन, पंकज पुत्र व श्रीमती महाजनु पत्नी जीवा नन्द पुत्र मीना राम भाग बराबर (17280) भाग निवासी गजेहा, पलदीप कुमार, नरेश कुमार पुत्र पुर्ण चन्द (8640) भाग निवासी जौंग, भुपेश कुमार पुत्र हेत राम पुत्र भाग चन्द (2160) भाग, सेवा नन्द, भगत राम पुत्र भास्कर पुत्र जीयणू भाग बराबर (4320) भाग निवासी कुन्हु करसोग, श्रीमती दीक्षा पत्नी नवीन कुमार पुत्र मस्त राम (2160) भाग निवासी डीपीएफ कलौहता करसोग, कुमारी शिल्पा पुत्री दिवान चन्द पुत्र बालक राम (2160) भाग निवासी धार बगषाड़, श्रीमती दिव्या पत्नी मनजीत पुत्र किशोरी लाल (2160) भाग निवासी खील बगशाड़, पुर्ण चन्द पुत्र टेक चन्द पुत्र नामालूम (2160) भाग, बेसर दत्त पुत्र दिला राम पुत्र नामालूम (2160) भाग निवासी चलौहणी, बुद्धी सिंह पुत्र दिला राम पुत्र नामालूम (2160) भाग निवासी बाइ कुफरी करसोग, विनोद कुमार पुत्र जोग राज पुत्र नामालूम (2160) भाग निवासी परेसी पांगणा, जिया लाल, वेद प्रकाश पुत्र सेवक राम पुत्र मीना राम भाग बराबर (4320) भाग निवासी शैधल, श्रीमती बबीता देबी पत्नी पुर्ण चन्द पुत्र उमादत्त (2160) भाग निवासी रिछणी, धर्म सिंह पुत्र मीना राम पुत्र दरू (2160) भाग निवासी शैधल, संजय कुमार, पवन कुमार पुत्र मीना राम पुत्र मान सिंह भाग बराबर (4320) भाग निवासी बखरौट, चमन लाल पुत्र मस्त राम पुत्र रुपु (2160) भाग निवासी डीपीएफ कलौहता, सुरेश कुमार पुत्र राम लाल पुत्र त्वारू (2160) भाग, नीरज, हितेश कुमार पुत्र व श्रीमती जमुना देबी पत्नी सुरेश कुमार भाग बराबर (6480) भाग, श्रीमती ईशा पत्नी नीरज पुत्र सुरेश कुमार (2160) भाग, श्रीमती मेघा पत्नी हितेश पुत्र सुरेश कुमार (2160) भाग निवासी करसोग, श्रीमती फुलु पत्नी तेज सिंह पत्नी प्रीतम दास (4320) भाग, श्रीमती रीता देबी पत्नी नरेन्द्र कुमार पुत्र तेज सिंह (4320)			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						भाग, श्रीमती रेखा पत्नी दिनेश कुमार पुत्र हेम चन्द (4320) भाग, कृष्ण चन्द पुत्र हेम चन्द पुत्र मान सिंह (4320) भाग निवासी खैरा सुन्नी, श्रीमती रंजना पत्नी सुनील दत्त पुत्र गीता राम (4320) भाग निवासी झड़ग जुब्बल, भीम सिंह, नरेश कुमार पुत्र जिया लाल पुत्र जगेश्वर भाग बराबर (4320) भाग, बालकृष्ण सिंह पुत्र व श्रीमती अमिता देबी पुत्री व श्रीमती उमावती पत्नी भीम सिंह पुत्र जिया लाल भाग बराबर (6480) भाग निवासी डबरोट करसोग, ललित कुमार पुत्र अमर नाथ पुत्र निका राम (2160) भाग निवासी काओ करसोग, यशपाल पुत्र व श्रीमती किरणा देबी पुत्री पदम देब पुत्र जिया लाल भाग बराबर (4320) भाग निवासी फिनु करसोग, प्रेम सिंह पुत्र दुर्गा दास पुत्र भाग चन्द (2160) भाग, श्रीमती अनिता कुमारी पुत्री प्रेम सिंह पुत्र दुर्गा दास (2160) भाग, नगीन चन्द पुत्र बृज लाल पुत्र दुर्गा दास (2160) भाग चमोग करसोग, धर्म सिंह पुत्र व श्रीमती बंदी देबी पत्नी दिला राम पुत्र झाबर भाग बराबर (4320) भाग, कुमारी अदिति पुत्री नानक चन्द पुत्र दिला राम (2160) भाग, श्रीमती लाजवन्ती पत्नी धर्म सिंह पुत्र दिला राम (2160) भाग निवासी सनारली करसोग, रीशव, राहुल पुत्र व श्रीमती लीला देबी पत्नी देसराज पुत्र पदमनाभ भाग बराबर (6480) भाग निवासी करसोग, नीम चन्द पुत्र पुर्ण चन्द पुत्र नरसिंह दत्त (2160) भाग निवासी जंगल हषकर धामी, देवेन्द्र कुमार पुत्र चेत राम पुत्र भवानी दत्त (2160) भाग निवासी शाकरा बगशाड़, नरेश कुमार पुत्र खीमी राम पुत्र भेखलु (2160) भाग, देवेन्द्र कुमार पुत्र चेत राम पुत्र बली राम (2160) भाग, पुर्ण चन्द पुत्र निका राम पुत्र सन्तु (2160) भाग निवासी चेबड़ी, श्रीमती आषा पत्नी भुमेश्वर सिंह पुत्र जय कृष्ण (2160) भाग निवासी मतोल निहरी, शेर सिंह पुत्र निका राम पुत्र परस राम (2160) भाग निवासी जझेहड़ सुन्नी, पारुल पुत्र दौलत राम पुत्र शक्तिधर (2160) भाग निवासी मकड़छा, हरिकृष्ण पुत्र नोख राम पुत्र ईशरिया (2160) भाग निवासी चौकी सुन्नी, चन्द्रमोहन पुत्र प्रेम लाल पुत्र नरसिंह दत्त (2160) भाग निवासी साल सुन्नी, श्रीमती शिक्षा पत्नी सोहन सिंह पुत्र जानकू (2160) भाग निवासी गड़ासू ननखड़ी, श्रीमती सीमा कुमारी पुत्री भीम सिंह पुत्र कर्म दास (2160) भाग निवासी मशोग पांगणा, सेवक राम पुत्र मीना राम पुत्र दरु (2160) भाग निवासी शेंधल, श्रीमती अनुबाला पत्नी योग राज पुत्र जोड़ू राम (2160) भाग निवासी मोहवा, श्रीमती प्रेमलता पत्नी दिवान चन्द पुत्र अभीराम (2160) भाग निवासी ममेल, हेम राज पुत्र बृज लाल पुत्र नरोत्तम (2160) भाग निवासी धलोग करसोग, अमर चन्द पुत्र हरिसरन पुत्र दौलत राम (2160) भाग निवासी गजेहा, हेम राज पुत्र नरोत्तम राम पुत्र धनिया (2160) भाग निवासी कोट, श्रीमती बिमला देबी पत्नी शान्ती लाल पुत्र ठाकुर दास (2160) भाग निवासी बाग सलाणा करसोग, आयुष पुत्र व कुमारी कृतिका पुत्री व श्रीमती				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						सरोज कुमारी पत्नी कुलदीप सिंह पुत्र गोपाल सिंह भाग बराबर (6480) भाग, निवासी नडूखर, जसपाल पुत्र लक्ष्मी नन्द पुत्र निका राम (2160) भाग निवासी गढेरी जलोग, श्रीमती मंगला देबी पत्नी ठाकुर दास पुत्र बली राम (4320) भाग, श्रीमती राजकुमारी पत्नी दिवान चन्द पुत्र ठाकुर दास (4320) भाग निवासी डीपीएफ सुराण्डा करसोग, नरसिंह दास पुत्र छजू राम पुत्र दुर्गू (2160) भाग निवासी मझास करसोग, रोशन लाल पुत्र ख्याली राम पुत्र देबी सिंह (2160) भाग, नरेन्द्र पुत्र हेत राम पुत्र मीना राम (2160) भाग निवासी चेबडी, प्रियांषी पुत्री व श्रीमती मुना देबी पत्नी दौलत राम पुत्र परसू राम भाग बराबर (4320) भाग निवासी शकरोड़ी, सुमित कुमार पुत्र संधू राम पुत्र मोती राम (2160) भाग निवासी डोडरा अव्वल, दीपू पुत्र भगत पुत्र भुमि सिंह (2160) भाग निवासी अशान्दा डोडरा क्वार, श्रीमती मीनाक्षी पुत्री पदम दास पुत्र परमा (2160) भाग निवासी चरैण शिमला ग्रामिण, टेक चन्द पुत्र बसन्त लाल पुत्र धनी राम (2160) भाग, होशियार चन्द पुत्र सीता राम पुत्र मोलक (2160) भाग, श्रीमती भीष्मा कुमारी पत्नी होशियार चन्द पुत्र सीता राम (2160) भाग निवासी मगांण, मेघ सिंह पुत्र दलबीर सिंह पुत्र शुकूरू (2160) भाग निवासी रड़ा थुनाग, ललीत कुमार पुत्र लाहलु राम पुत्र जालम (2160) भाग निवासी खनोरा, दमेष कुमार पुत्र लच्छमण दास पुत्र मनी राम (2160) भाग निवासी गलेड़, श्रीमती भीमलता पत्नी देस राज पुत्र नामालूम (2160) भाग निवासी अरनोग करसोग, टिकम सिंह पुत्र नन्द लाल पुत्र नरोतम (2160) भाग, श्रीमती रीना पत्नी टिककम सिंह पुत्र नन्द लाल (2160) भाग निवासी पोखरी धार थुनाग, कुलदीप कुमार पुत्र धना राम पुत्र गयारी (2160) भाग निवासी ठाणा ठियोग, हरिष कुमार पुत्र लीला नन्द पुत्र परमानन्द (2160) भाग निवासी सनाहू सुन्नी, शेर सिंह पुत्र मनी राम पुत्र सुख दास (2160) भाग निवासी जूणी ननखडी, अंकित कुमार पुत्र बालक राम पुत्र निका राम (2160) भाग निवासी सुन्नी तृतीय, अजय पुत्र प्रितम सिंह पुत्र बिशन चन्द (2160) भाग निवासी मेलन कोटगढ़, चन्द्रकान्त, चन्द्रपाल पुत्र जवाहर लाल पुत्र गोविन्द राम भाग बराबर (4320) भाग निवासी काण्डी तृतीय बगशाड़, श्रीमती ज्ञानी देबी व श्रीमती नीमि देबी पत्नीया घन्ध्याम पुत्र धारी भाग बराबर (4320) भाग निवासी सैन्जी बगशाड़, श्रीमती सपना देबी पत्नी घन्ध्याम पुत्र भाग चन्द (2160) भाग निवासी कोट, श्रीमती ममता देबी पत्नी भीम सिंह पुत्र महिधर (2160) भाग, दिवान चन्द पुत्र महिधर पुत्र जयसिंह (2160) भाग निवासी खनदेवल बगशाड़, महिधर पुत्र जयसिंह पुत्र जय राम (2160) भाग निवासी डीपीएफ धावला बगशाड़, श्रीमती सुनिता देबी पत्नी भूपेन्द्र सिंह पुत्र खेम सिंह (2160) भाग निवासी कनेरी पांगणा, भूप राम पुत्र मेघ राम पुत्र देबी दास (4320) भाग, पीयूष पुत्र भूप राम पुत्र मेघ राम (4320) भाग			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						निवासी शिल शिमला ग्रामिण, खेम चन्द पुत्र कलिराम पुत्र लच्छमी नन्द (4320) भाग निवासी चैरी ठियोग, सोहन लाल पुत्र पदमा पुत्र कंसु (4320) भाग, इन्द्र सिंह पुत्र गणेशा पुत्र परचियु (4320) भाग, संजय पुत्र महेन्द्र सिंह पुत्र धंटा (4320) भाग, श्रीमती सुरेखा पत्नी कली राम पुत्र भीमी राम (4320) भाग, श्रीमती विद्या पत्नी महेन्द्र सिंह पुत्र आत्मा (4320) भाग निवासी धरेच ठियोग, नरेश कुमार पुत्र देबी दयाल पुत्र चेत राम (4320) भाग निवासी बड़ागांव शिमला ग्रामिण, श्रीमती निर्मला देबी पत्नी नरेन्द्र कुमार पुत्र धर्मा नन्द (2160) भाग निवासी डीपीएफ शिहल करसोग, लक्ष्य कुमार पुत्र किरपा राम पुत्र सिन्दू (2160) भाग निवासी बोई निहरी, हरिराम पुत्र निहाला राम पुत्र जोली (2160) भाग, श्रीमती स्मृति देबी पत्नी बलदेब राज पुत्र हरीराम (2160) भाग, श्रीमती कली उर्फ उर्मिला देबी पत्नी हरीराम पुत्र निहाला राम (2160) भाग निवासी आषा मजारी बिलासपुर सदर, भवानी दत्त पुत्र रत्न सिंह पुत्र नामालूम (6480) भाग निवासी जौंग, हिरा सिंह पुत्र गोवर्धन दास पुत्र परम (2160) भाग, कुलदीप पुत्र हिरा सिंह पुत्र गोवर्धन दास (2160) भाग, चमन लाल पुत्र व श्रीमती शान्ता देबी पत्नी बालक राम पुत्र अमर चन्द भाग बराबर (4320) भाग निवासी डबरोट करसोग, सिशिल कुमार पुत्र लायक राम मुषू राम (2160) भाग, जय पुत्र व कुमारी पलवी पुत्री व श्रीमती विद्या देबी पत्नी हेत राम पुत्र मुशू राम भाग बराबर (6480) भाग निवासी चेबडी, श्रीमती सावित्री पुत्री मानसिंह पुत्र सिसराम (2160) भाग निवासी जुन्गा, चन्दन सिंह पुत्र परस राम पुत्र नारद (2160) भाग राजकुमार पुत्र देबी सरन पुत्र परस राम (2160) भाग निवासी डबरोट करसोग, श्रीमती उपासना कुमारी पत्नी लोकेष पुत्र अमर नाथ (2160) भाग निवासी काओ करसोग, रमेश चन्द पुत्र रामलाल पुत्र हरिचन्द (2160) भाग निवासी चलान कुमारसैन, कमलदेब पुत्र धनी राम पुत्र कनौरा (2160) भाग, हेमांशुल देब पुत्र कमल देब पुत्र धनी राम (2160) भाग निवासी लोअर करसोग, घन्याम पुत्र रूप चन्द पुत्र टेका राम (2160) भाग, रीतू राज पुत्र व कुमारी कृतिका पुत्री घन्याम पुत्र रूप चन्द भाग बराबर (4320) भाग निवासी मरोला, दीमा राम पुत्र दीनू राम पुत्र हरिया (2160) भाग, विद्याधर पुत्र परसू पुत्र नामालूम (2160) भाग निवासी कुबशन, कुमारी टीमला पुत्री बोध राज पुत्र तुला राम (2160) भाग निवासी डीपीएफ लोटला दोयम, कमल कान्त पुत्र व कुमारी अनुकृति पुत्री खेम राज पुत्र बरजू भाग बराबर (4320) भाग निवासी तलाह, श्रीमती नीना देबी पत्नी भास्करा नन्द पुत्र बुद्धि राम (2160) भाग निवासी मालगी, चन्द्रकान्त पुत्र अमर चन्द पुत्र गौरी दत्त (2160) भाग निवासी शाकरा बगशाड़, राकेश कुमार पुत्र रामलाल पुत्र अनोखी राम (2160) भाग निवासी सराहण करसोग, यशपाल पुत्र जस्सीराम पुत्र जमनू (2160) भाग, श्रीमती रमा देबी पत्नी धर्म सिंह पुत्र				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

[illegible]

						बगैला, नरेन्द्र कुमार पुत्र गिरधारी लाल पुत्र गौरी दत्त (2160) भाग निवासी बाझू, श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी सुन्दर लाल पुत्र रघुबीर (2160) भाग निवासी कोट करसोग, भुपेन्द्र कुमार पुत्र नरेश कुमार पुत्र सालीगराम (2160) भाग निवासी ठहली, जन्त पुत्र टेक चन्द पुत्र गुप्त राम (2160) भाग निवासी शाकरा, नवलकिशोर पुत्र गणपत राम पुत्र खुब चन्द (2160) भाग, पदम देवी पुत्र नीम चन्द पुत्र ठाकर दास (2160) भाग निवासी रण्डौल, श्रीमती कपिला पत्नी कृष्ण चन्द पुत्र धनी राम (2160) भाग निवासी विक्रमपुत्र अर्की, दीपक कुमार पुत्र अजीत सिंह पुत्र मुंशी राम (2160) भाग निवासी जौल पलाखी घुमारवी, विषाल पुत्र पन्ना लाल पुत्र कपूरु राम (2160) भाग निवासी चिण्डी करसोग, गंगाराम पुत्र हेत राम पुत्र नरंण (2160) भाग, श्रीमती गीता देवी पत्नी डोला राम पुत्र हेत राम (2160) भाग निवासी डुम्हो करसोग, श्रीमती पनमा डोलमा पत्नी जलछन दोर्जे पुत्र इन्द्र सिंह (2160) भाग निवासी चांगो हंगरंग, कृष्ण लाल पुत्र मानदास पुत्र चिन्मू राम (2160) भाग निवासी बगैन कोटखाई कलबोग, प्रविन्द्र कुमार, प्रमोद कुमार पुत्र जिया लाल पुत्र हरीसरन भाग बराबर (8640) भाग निवासी शील सुन्नी, नितीश पुत्र सन्त राम पुत्र नीम चन्द (2160) भाग निवासी रण्डौल बगशाड़, कमल किशोर, हेमन्त कुमार पुत्र श्रीमती मनोरमा देवी पुत्री गिरधारी लाल भाग बराबर (4320) भाग निवासी जुबड़ सुन्नी, तिलक राज, बोध राज पुत्र श्याम लाल पुत्र धारी भाग बराबर (8640) भाग, गोपी चन्द पुत्र भाग चन्द पुत्र हरिसरन (2160) भाग निवासी बेलुधार, दिनेश कुमार पुत्र कृपा राम पुत्र दमोदर (2160) भाग, सोम प्रकाश पुत्र कृपा राम पुत्र दमोदर (2160) भाग निवासी नहौरा करसोग, नरेश कुमार पुत्र नन्द लाल पुत्र तुलसी राम (2160) भाग निवासी चेबड़ी, श्रीमती अम्बिका कुमारी पत्नी नील कुमार पुत्र जवाहर लाल (2160) भाग निवासी मांझादेश आनी, श्रीमती रीता देवी पत्नी नरेश कुमार पुत्र भगत राम (2160) भाग निवासी गडयाणा सुन्नी, महेश, चेत राम पुत्र बिहारी लाल पुत्र प्रितम भाग बराबर (4320) भाग, नरेन्द्र कुमार पुत्र हेमकुन्द पुत्र प्रितम (2160) भाग निवासी थलटू बगशाड़, रूप दास पुत्र बेसर दत्त पुत्र मस्त राम (2160) भाग निवासी ठियोग, महेन्द्र सिंह पुत्र ज्ञान चन्द पुत्र पुने राम (2160) भाग निवासी मानयाशी सैज कुल्लू, विशाल कुमार पुत्र रोशन लाल पुत्र बुधी सिंह (2160) भाग, लग्न चन्द पुत्र बुधी सिंह पुत्र गंगा राम (2160) भाग निवासी पेखरी बंजार, नरेन्द्र कुमार, नरेश कुमार पुत्र तिलक राम पुत्र सीता राम भाग बराबर (4320) भाग, टेक चन्द पुत्र खेम राज पुत्र दिवान चन्द (2160) भाग निवासी डीपीएफ कान्डलू करसोग, मोहेन्द्र पुत्र नारायण सिंह पुत्र खयाली राम (2160) भाग निवासी जनखुणी बगशाड़, हेम राज पुत्र निहंचू राम पुत्र मोती राम (2160) भाग निवासी काण्डी बगशाड़, श्रीमती शबनम, श्रीमती खुशबू,			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

							श्रीमती शगुन पुत्रीया उमाचन्द पुत्र हेम दत्त भाग बराबर (6480) भाग निवासी चेबडी सुन्नी, शिवराम पुत्र केशव राम पुत्र तवारु राम (2160) भाग निवासी मियाणा पांगणा, दिनेश कुमार पुत्र चरण दास पुत्र नामालूम (2160) भाग, श्रीमती मन्जू पत्नी कलपित पुत्र तिलक राम (2160) भाग निवासी लोअर करसोग, प्रेम लाल पुत्र गौरीदत्त पुत्र कपूरू (4320) भाग, नेक राम, हरिश कुमार पुत्र प्रेम लाल पुत्र गौरी दत्त भाग बराबर (8640) भाग निवासी गलशान्डी करसोग, श्रीमती भावना पत्नी मुकेश कुमार पुत्र नामालूम (4320) भाग निवासी केलोधार करसोग, सौरभ पुत्र प्रेम चन्द पुत्र चन्द्रमणी (2160) भाग निवासी दतोवाल नालागढ़, शिवेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश चन्द पुत्र हरिचन्द (2160) भाग निवासी दातला रामशहर सोलन, धर्मेन्द्र पुत्र दिवाकर दत्त पुत्र गौरी दत्त (2160) भाग, श्रीमती डिम्पल देबी पत्नी बाल कृष्ण पुत्र चेत राम (2160) भाग, बालकृष्ण पुत्र चेत राम पुत्र लीला नन्द (2160) भाग निवासी भराणा ठियोग, श्रीमती गलाबो पत्नी रामलाल पुत्र तुलसीराम (2160) भाग निवासी महाल केलवीखास ठियोग, मनमोहन पुत्र हेम राज पुत्र साधू राम (32400) भाग, दलीप पुत्र हेम राज पुत्र साधू राम (32400) भाग निवासी चौंग जरी कुल्लू, संदीप कुमार पुत्र रामलाल पुत्र भगत राम (32400) भाग निवासी बड़ागांव कुमारसैन, विक्रम कुमार पुत्र यशपाल पुत्र दयालसिंह (32400) भाग निवासी महाल वियूथल रामपुर, दिनेश कुमार पुत्र बुधि सिंह पुत्र दोलत राम (43200) भाग निवासी महाल सेरी, हेम राज पुत्र समरु पुत्र परम (36720) भाग निवासी महाल डबरोट करसोग।			
8.	18	22 मिन	48 / 1	मुशतर्का	बारानी अवल बारानी अव्वल गै.मु.बीड	02.08.06 02.06.00 00.02.06	कुल भाग (54522720) मोहन लाल (405384) भाग, गंगा धर (118104) भाग, देवी राम (1312584) भाग पुत्र व श्रीमती लीलमा देवी (102984) भाग, श्रीमती सन्तोष कुमारी (798504) भाग पुत्रियां विन्हू पुत्र परसू, ध्यान सिंह (571580) भाग, ओम प्रकाश (117980) भाग, निक्का राम (284300) भाग, सतीश कुमार (117980) भाग पुत्र व श्रीमती हिमकला (87740) भाग श्रीमती खेमकला (556460) भाग पुत्रियां व श्रीमती गोदावरी (109440) भाग विधवा प्रेमदास पुत्र परसू, हितेश कुमार (90720) भाग, मुनीश कुमार (166320) भाग पुत्र व कुमारी मनीषा (181440) भाग पुत्री हिमकला पुत्री प्रेमदास, दीपराम (1376760) भाग, हिरू राम (1452360) भाग पुत्र व श्रीमती राधू (2525880) भाग पुत्री व श्रीमती परसू (12116160) भाग विधवा परसू पुत्र कुन्दन, श्रीमती अंजना (1769460) भाग, श्रीमती विजय लक्ष्मी (3281460) भाग पुत्रियां श्रीमती पवली पुत्री परसू, श्रीमती टैकरी (1514520) भाग व श्रीमती अच्छरी (909720) भाग पुत्रियां श्रीमती देबकू पुत्र कुन्दन, वेद राज (181440) भाग, नरेश कुमार (680400) भाग, युवराज (816480) भाग पुत्र व श्रीमती चमना देवी (907200) भाग पत्नी हीरू राम पुत्र परसू, हितेश कुमार,			

						आदर्श कुमार पुत्र वेद राज पुत्र हीरू राम भाग बराबर (302400) भाग, राकेश पुत्र व श्रीमती रमता देवी, श्रीमती किरना देवी, श्रीमती निशा देवी पुत्रियां व श्रीमती लता देवी पत्नी मोहन लाल पुत्र बीन्हू भाग बराबर (756000) भाग, श्रीमती निर्मला देवी पुत्री मोहन लाल पुत्र बीन्हू (105840) भाग, श्रीमती सरोज कुमारी पुत्री व मणी देवी भाग बराबर (181440) भाग पत्नी गंगाधर पुत्र बीन्हू, रोहित कुमार (287280) भाग पुत्र व श्रीमती शबनम (196560) भाग, श्रीमती अनिता देवी (15120) भाग पुत्रियां श्रीमती लीलमा देवी पुत्री बीन्हू, खुशी राम (531720) भाग, मनोज कुमार (864360) भाग, घनश्याम (153720) भाग पुत्र व श्रीमती सीमा देवी (864360) भाग पुत्री दीप राम पुत्र परसू, सोमकृष्ण (84420) भाग, योगेन्द्र (432180) भाग पुत्र बिमला देवी पुत्री दीप राम, दिनेश कुमार (136920) भाग, सुरेश कुमार (212520) भाग, सुनील कुमार (46200) भाग पुत्र श्रीमती गीता देवी पुत्री दीप राम, कालीदास (2018520) भाग, लाल पुत्र दुनी चन्द पुत्र देवी राम (15120) भाग निवासी सुमा जलोग, बन्सी लाल पुत्र तुला राम पुत्र ख्यालिया (15120) भाग निवासी माणद जलोग, राजेश पुत्र व श्रीमती कमला देवी पत्नी प्रेम राज पुत्र जानकी भाग बराबर (30240) भाग निवासी गढेरी, श्रीमती ज्योतसना देवी पत्नी बाबू राम पुत्र कीमत राम (15120) भाग निवासी माणद जलोग, राकेश कुमार पुत्र जोगिन्द्र सिंह पुत्र नथू राम (15120) भाग निवासी चिलट, दुन्नी चन्द पुत्र सुरजीत पुत्र प्रेम चन्द (15120) भाग निवासी कनफरा नयनादेवी, बुद्धी सिंह पुत्र सुरजू पुत्र लच्छमू (15120) भाग निवासी मसोग करसोग, श्रीमती रोशनी देवी पत्नी पदम देब पुत्र धनी राम (15120) भाग निवासी चरखड़ी निहरी, श्रीमती आरती पुत्री पृथ्वी सिंह पुत्र रामचन्द (15120) भाग निवासी दायण बीहड़ू कला उना, श्रीमती किरण कुमारी पत्नी कुलविजय पुत्र बालकृष्ण (15120) भाग निवासी चलनैहर कोटखाई, सितेन्द्र कुमार पुत्र ठाकुर दास पुत्र भोजू राम (15120) भाग निवासी पोशणा निरमण्ड, कृष्ण कुमार पुत्र प्रेम लाल पुत्र हेत राम (15120) भाग निवासी गढेरी जलोग, सुख देब, गंगा राम पुत्र जगत राम पुत्र मींगणू भाग बराबर (30240) भाग निवासी कुमसू रामपुर, लेख राज पुत्र मस्त राम पुत्र फुलमू राम (15120) भाग निवासी पंजेली अर्की, भास्करा नन्द पुत्र देवी राम पुत्र उत्तम (15120) भाग निवासी नावी जलोग, कर्मचन्द पुत्र बालचन्द पुत्र रावन सिंह (15120) भाग निवासी कीरतवाणी डोडराकवार, रोशन लाल पुत्र मोहन लाल पुत्र नरायणू (15120) भाग निवासी जौलीधार तहसील सुन्नी रमन कुमार पुत्र बलवीर सिंह पुत्र चेत राम (15120) भाग निवासी तहसील टिकर हीरा सिंह पुत्र मस्त राम पुत्र जौली राम (15120) भाग निवासी शाहल पांगणा शिव सिंह पुत्र धनी राम पुत्र दरसू (15120) भाग निवासी ब्यासी रामपुर पिकू राम पुत्र रति राम पुत्र हिरदू (15120) भाग निवासी			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						महावली कुमारसैन योगेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह पुत्र देबी राम (15120) भाग गोतम पुत्र योगेन्द्र पुत्र राजेन्द्र सिंह (15120) भाग निवासी बेई सुन्नी शिवराम पुत्र सेवा राम पुत्र केसरू (15120) भाग योग राज पुत्र अनोखी राम पुत्र धर्मू राम (15120) भाग निवासी धार रामपुर दलीप कुमार पुत्र सूरत राम पुत्र हलकू (15120) भाग निवासी कोटी रामपुर पवन कुमार पुत्र जोबन दास पुत्र शाडू राम (15120) भाग निवासी गानवी रामपुर संजीत कुमार पुत्र जखी राम पुत्र दरसू (15120) भाग निवासी कलमू कुमारसैन मनोहर लाल प्रेम सिंह पुत्र नरसिंह दास पुत्र जरबू भाग बराबर (30240) भाग तेजेन्द्र कुमार पुत्र भाग चन्द पुत्र तुला राम (15120) भाग नरसिंह दास पुत्र जरबू राम पुत्र अर्जुन (15120) भाग निवासी डीपीएफ बागबखारी करसोग प्रताप सिंह पुत्र दाखु राम (15120) भाग निवासी डीपीएफ कलौहता करसोग श्रीमती द्रोपती देबी पत्नी दत राम पुत्र अर्जुन (15120) भाग श्रीमती कुशवा देवी पत्नी डिकम चन्द पुत्र दतराम (15120) भाग निवासी भमराला करसोग श्रीमती बबली देवी पत्नी टेक सिंह पुत्र अर्जुन (15120) भाग निवासी डवारीपाश करसोग रोशन लाल पुत्र भूप राम पुत्र लच्छमू राम (15120) भाग निवासी स्वामाहू करसोग तेज कुमार पुत्र टिका राम पुत्र दरसू (15120) भाग निवासी कोट बगशाड़, हरिसिंह पुत्र दाखू राम पुत्र दामोदर (15120) भाग, राकेश कुमार पुत्र जीत सिंह पुत्र हरि सिंह (15120) भाग निवासी डीपीएफ कलौहता करसोग, शीश राम पुत्र खूब सिंह पुत्र सवरूप (15120) भाग निवासी जिखरी करसोग, कमलदेब पुत्र परमानन्द पुत्र आदम राम (15120) भाग निवासी डीपीएफ ओडाकरसोग, विनोद कुमार पुत्र खूब चन्द पुत्र सरन (15120) भाग निवासी स्वामाहू करसोग, प्यारा लाल पुत्र व श्रीमती दासी देवी पत्नी मोती राम पुत्र रुलदू भाग बराबर (30240) भाग निवासी डीपीएफ बागबखारी करसोग, पुर्ण चन्द पुत्र भास्कर राम पुत्र तुला राम (15120) भाग निवासी भमराला करसोग, श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी रामकृष्ण पुत्र तारा चन्द (15120) भाग, श्रीमती नैना देवी पुत्री कंदू पुत्र मोलक (15120) भाग निवासी मेहरन बगशाड़, हीरा सिंह, नार चन्द पुत्र जगेसर पुत्र देबी रूप भाग बराबर (30240) भाग, नरेश कुमार पुत्र व श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी हीरा सिंह पुत्र जगेसर भाग बराबर (30240) भाग, पवन कुमार पुत्र व श्रीमती गीता देवी पत्नी नरेश कुमार भाग बराबर (30240) भाग निवासी चमोग, खेम राज, पदम सिंह पुत्र व श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी नार चन्द पुत्र जगेसर भाग बराबर (45360) भाग, श्रीमती नेहा पत्नी पदम सिंह पुत्र नारचन्द (15120) भाग, श्रीमती शान्ता देवी पत्नी खेम राज पुत्र नार चन्द (15120) भाग निवासी करोल करसोग, धन्नजय पुत्र खेम चन्द पुत्र गोविन्द (15120) भाग निवासी दयारगी तहसील बल्ह, जसविन्द्र सिंह पुत्र श्रीमती चन्द्रकमल कौर पुत्री मनोहर सिंह			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						(15120) भाग निवासी गडयाण, सत्यप्रकाश पुत्र घन्याम दास पुत्र नरपत (15120) भाग निवासी कांगरी सुन्नी, हेम राज पुत्र नन्द लाल पुत्र निका राम उपनाम रुणका (15120) भाग, श्रीमती मनीषा देबी पुत्री हेम राज पुत्र नन्द लाल (15120) भाग, श्रीमती रेषमा देबी पत्नी जगदीश कुमार पुत्र निका राम (15120) भाग निवासी कन्देहड़, भगत राम पुत्र आशा राम पुत्र जानकू (15120) भाग, दिनेश कुमार पुत्र भगत राम पुत्र आशा राम (15120) भाग, दिवान चन्द पुत्र मंगलू राम पुत्र सुरजू (15120) भाग निवासी डबरोट, श्रीमती कान्ता देबी पत्नी सुख देब पुत्र प्रेम सिंह (15120) भाग निवासी नमगयाखास पुह किन्नौर, जिया लाल पुत्र अच्छरू राम पुत्र मोहन लाल (15120) भाग निवासी सेरा दाड़लाघाट, हीरा सिंह पुत्र हेत राम पुत्र रामदास (15120) भाग निवासी जुब्बड़, ध्रुव पुत्र रोषन लाल पुत्र मोहन (15120) भाग निवासी जेलीधार, कृष्ण सिंह पुत्र हेत राम पुत्र लच्छमी दास (15120) भाग निवासी ऐवग जलोग, कुमारी तेजस्विन पुत्री मदन मोहन पुत्र दिवाकर दत्त (15120) भाग निवासी मतोगड़ी सुन्नी, दुर्गा दास पुत्र गुहिया राम पुत्र ज्याड़ी राम (30240)भाग, बीर सिंह (45360) भाग, हेत राम (30240) भाग पुत्रगण व श्रीमती शेतू देबी (30240)भाग पत्नी दुर्गा दास पुत्र गुहिया राम, श्रीमती सरोज कुमारी पत्नी बीर सिंह पुत्र दुर्गा दास (30240)भाग निवासी सनारली करसोग, हेमन्त कुमार, रविन्द्र कुमार पुत्र दौलत राम पुत्र परसू भाग बराबर (60480) भाग, देवेन्द्र कुमार पुत्र खुबी राम पुत्र परसू (30240) भाग, चुन्नी लाल, हितेश कुमार पुत्र रूप दास पुत्र हेत राम भाग बराबर (60480) भाग, चेत राम पुत्र व कुमारी पुजा देबी पुत्री अमर चन्द पुत्र रतनू भाग बराबर (60480) भाग निवासी ठारू, दीपक कुमार पुत्र निका राम पुत्र जानकू (30240) भाग निवासी मालगी, इन्द्रजीत पुत्र कर्मदास पुत्र धर्मू (30240) भाग निवासी परलोग, बुद्धी सिंह पुत्र केशवा नन्द पुत्र नाहरू राम (30240) भाग निवासी नगराओ पांगणा, श्रीमती मीना कुमारी पत्नी मेहर सिंह पुत्र परमानन्द (15120) भाग, जगदेब चन्द पुत्र गंगा दास पुत्र खेम चन्द (15120) भाग, गुलजारी लाल, दिवान चन्द पुत्र ठाकुर दास पुत्र लोहारू राम भाग बराबर (30240) भाग, तिलक राज पुत्र परमानन्द पुत्र लोहारू (15120) भाग, कुमारी अंजली पुत्री तिलक राज पुत्र परमानन्द (15120) भाग निवासी सरतयोला तहसील करसोग, दुष्यन्त कुमार पुत्र टेक सिंह पुत्र दत्त राम (15120) भाग निवासी भमराला करसोग, अक्षय पुत्र सेवानन्द पुत्र परमानन्द (15120) भाग, सेवानन्द पुत्र परमानन्द पुत्र प्रितम (15120) भाग निवासी सेरी करसोग, देस राज पुत्र दिवाचन्द पुत्र जीवणू राम (15120)भाग निवासी मांजू			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

[illegible]

						भाग निवासी पलेही निथर कुल्लू, मनदीप पुत्र विधा सिंह पुत्र मुरली लाल (15120) भाग निवासी जगोटी रोहडू, नीरज पुत्र भगवान सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह (15120) भाग निवासी नोई रोहडू, विनोद कुमार पुत्र रोशन लाल पुत्र श्यामा नन्द (15120) भाग, श्रीमती ममता देबी पत्नी विनोद कुमार पुत्र रोषन लाल (15120) भाग डोई रामपुर, संदीप पुत्र अशोक कुमार पुत्र सुरत राम (15120) भाग निवासी निरथ रामपुर, जसबीर सिंह, तसबीर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र राम सिंह भाग बराबर (60480) भाग निवासी मढोली ननखड़ी, निखिल पुत्र व श्रीमती नारकली देबी पत्नी राजेन्द्र सिंह पुत्र कृष्ण चन्द भाग बराबर (60480) भाग, कुमारी आंचल पुत्री निहाल चन्द पुत्र प्रताप सिंह (30240) भाग, निहाल चन्द पुत्र प्रताप सिंह पुत्र पलस राम (30240) भाग निवासी निरथ रामपुर, श्रीमती कलादेवी पत्नी गोबिन्द सिंह पुत्र प्यारे लाल (30240) भाग, गोबिन्द सिंह पुत्र प्यारे लाल पुत्र तुला राम (30240) भाग निवासी डोई रामपुर, इन्द्र पाल पुत्र सीस राम (30240) भाग निवासी धनाल तहसील कुमारसैन, विजय कुमार पुत्र रामदास पुत्र उमा दत्त (15120) भाग, दिनेश पुत्र रघुनाथ चन्द पुत्र गणिया राम (15120) भाग निवासी सुन्नी द्वितीय, विरेन्द्र कुमार पुत्र रामदत्त पुत्र किमत्तू (15120) भाग निवासी ततापानी, पिताम्बर लाल पुत्र रघुबीर सिंह पुत्र आत्मा राम (15120) भाग निवासी शाहोट करसोग, राहुल पुत्र प्यारे लाल पुत्र पुर्ण चन्द (15120) भाग निवासी मझास करसोग, पारस पुत्र श्रीमती बबली पुत्री रूप दास (15120) भाग निवासी जैशी, अभिनव सिंह पुत्र रामचन्द्र पुत्र ज्ञान सिंह (15120) भाग, सिद्धार्थ सिंह पुत्र विजय सिंह पुत्र ज्ञान सिंह (15120) भाग निवासी प्राहनुई उपतहसील पुखरी चम्बा, रमेश चन्द पुत्र मुलू राम (30240) भाग, रोहनजय पुत्र व श्रीमती रक्षा देवी पत्नी रमेश चन्द पुत्र मुलू राम भाग बराबर (60480) भाग, श्रीमती पल्लवी पत्नी रोहनजय पुत्र रमेश चन्द (30240) भाग निवासी कलन्ती ननखड़ी, जोग राज पुत्र मोती राम पुत्र मगनिया (15120) भाग, नानक चन्द पुत्र रामसहाई पुत्र जातर (15120) भाग निवासी कोट, मनोहर सिंह पुत्र खजान सिंह पुत्र जीवा नन्द (15120) भाग निवासी सानणा करसोग, श्रीमती सुनिता कुमारी पत्नी जितेन्द्र पुत्र परस राम (30240) भाग निवासी गधिमण तहसील चचयोद, मनोज कुमार पुत्र मस्त राम पुत्र टैहकू (15120) भाग निवासी सयाज करसोग, श्रीमती कल्पना पत्नी मोहित कुमार पुत्र रामेश्वर (15120) भाग निवासी लुणसू सुन्नी, दिवान सिंह पुत्र नरम लाल (30240) भाग निवासी मशनू रामपुर, चन्द्रजीत सिंह पुत्र मनोहर सिंह पुत्र गंगा सिंह (30240) भाग निवासी सुन्नी तृतीय, अरुण पुत्र चेत राम पुत्र ख्यालिया (30240) भाग निवासी मकड़छा सुन्नी, जितेन्द्र पुत्र परस राम पुत्र बासी राम (30240) भाग निवासी कलन्ती ननखड़ी, विकास पुत्र व श्रीमती ललिता पत्नी			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						सुभाश पुत्र सन्त राम भाग बराबर (30240) भाग, श्रीमती विद्या देवी पत्नी विकास पुत्र सुभाश (15120) भाग निवासी डीपीएफ लोटला अवल करसोग, रुपेन्द्र कुमार पुत्र व कुमारी ममता पुत्री बहादुर सिंह पुत्र ठाकरू राम भाग बराबर (30240) भाग, जय लाल पुत्र कर्म दास पुत्र शोजू (15120) भाग, महेश कुमार (30240) भाग, विवेक कुमार (30240) भाग, तोशान्त कुमार (15120) भाग पुत्र जय लाल पुत्र कर्म दास, झाबिन्द कुमार पुत्र उत्तम चन्द पुत्र पदमू (15120) भाग निवासी खनोरा करसोग, श्रीमती सुषमा देवी पत्नी तिलक राज पुत्र डागू राम (15120) भाग, श्रीमती सुनिता देवी पत्नी कमल दत्त पुत्र डागू राम (15120) भाग निवासी सराहन करसोग, दुर्गादत्त पुत्र कर्म सिंह पुत्र मानदास (15120) भाग निवासी गोड़ना पांगणा, मानसिंह पुत्र धनीधर पुत्र मंगलू (15120) भाग, मतीधर पुत्र तिलक राज पुत्र चेतू राम (15120) भाग निवासी शाकरा निहरी, मोहन सिंह पुत्र डागू पुत्र सुखनन्द (30240) भाग, प्रमोद कुमार, योग राज, नील राज पुत्र व श्रीमती तारा देवी पत्नी मोहन सिंह पुत्र डागू राम भाग बराबर (120960) भाग, कुमारी संजना पुत्री व श्रीमती सीमा देवी पत्नी गोबिन्द पुत्र मोहन सिंह भाग बराबर (60480) भाग, श्रीमती प्रमिला पत्नी प्रमोद कुमार पुत्र मोहन सिंह (30240) भाग, श्रीमती रेखा देवी पत्नी योग राज पुत्र मोहन सिंह (30240) भाग, श्रीमती सुशिला पत्नी नील राज पुत्र मोहन सिंह (30240) भाग निवासी ब्यूथल रामपुर, गिरधारी लाल पुत्र लाल चन्द (15120) भाग, श्रीमती रीका पत्नी गिरधारी लाल पुत्र लाल चन्द (15120) भाग निवासी निथर कुल्लू, प्रीतम दास पुत्र पलस राम पुत्र प्रेम सुख (15120) भाग, सुरेश कुमार पुत्र प्रीतम दास पुत्र पलस राम (15120) भाग निवासी चुन्जा रामपुर, सन्तोष पुत्र ज्योतिलाल पुत्र परमी (15120) भाग निवासी नरोला रामपुर, श्रीमती निवेदिता पुत्री सतपाल पुत्र श्यामदेब (15120) भाग निवासी निरथ रामपुर, भुपेश चन्द पुत्र विनोद चन्द पुत्र सागर चन्द (15120) भाग, श्रीमती सपना देवी पत्नी भुपेश चन्द पुत्र विनोद चन्द (15120) भाग, वेद प्रकाश पुत्र परशोत्तम (15120) भाग निवासी निरमण्ड, निशान्त पुत्र नाहर सिंह (15120) भाग निवासी ब्यूथल रामपुर, पार्श्व पुत्र जिया लाल (15120) भाग निवासी कोटी रामपुर, मोहन सवरूप पुत्र जयचन्द पुत्र अमर चन्द (15120) भाग निवासी कषौली निरमण्ड, प्रवीण कुमार पुत्र शाली राम पुत्र पुर्ण देब (15120) भाग निवासी षिंगला रामपुर, भुपेन्द्र पुत्र व श्रीमती भवना पत्नी भूमि राज भाग बराबर (30240) भाग, श्रीमती सावित्री देवी पत्नी नानक चन्द पुत्र मानदास (15120) भाग निवासी बगैण/362 करसोग, श्रीमती ज्योति, श्रीमती किरण, श्रीमती कीर्ति, श्रीमती रूपाली पुत्रियां व श्रीमती कृष्णा पत्नी हरि सिंह पुत्र श्रीमती राधू भाग बराबर (1512000) भाग, कुमारी कशिश पुत्री अन्जना पुत्री श्रीमती पवल्ली (1512000) भाग, श्रीमती सरिता कुमारी			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						पत्नी डोगर सिंह पुत्र शोभा राम (15120) भाग निवासी मेहरन बगशाड़, श्रीमती सरिता देबी पत्नी लीलाधर पुत्र इन्द्र (15120) भाग निवासी बनोल बगशाड़, श्रीमती गुमती देबी पत्नी घेलू राम पुत्र धर्मू राम (15120) भाग, श्रीमती कान्ता देबी पत्नी देबी राम पुत्र घेलू राम (15120) भाग निवासी मरोठी पांगणा, श्रीमती उर्मिला पत्नी कपिल देब (15120) भाग निवासी जमोग सुन्नी, श्रीमती मिनाक्षी पुत्री श्याम लाल (15120) भाग निवासी ठहली बगशाड़, पविन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमती रामप्यारी पुत्री व श्रीमती कौशल्या देबी पत्नी दुनी चन्द पुत्र आदम भाग बराबर (45360) भाग निवासी शैधल करसोग, कुलदीप कुमार पुत्र टीकम राम पुत्र नरपत राम (15120) भाग निवासी कलहणी करसोग, श्रीमती दया कुमारी पुत्री बालम राम पुत्र हीरू (15120) भाग निवासी चुराग बगशाड़, घनश्याम लाल पुत्र लालमन पुत्र धनिया (15120) भाग निवासी नैहरा करसोग, श्याम कुमार पुत्र नरायण सिंह पुत्र भोला सिंह (30240) भाग निवासी भदराश रामपुर, भोला राम पुत्र पुर्ण सुख पुत्र सुखू (30240) भाग, यषपाल पुत्र भोला राम पुत्र पुर्ण सुख (30240) भाग निवासी जगुणी रामपुर, कर्म चन्द पुत्र हुमी राम पुत्र देबू (30240) भाग, विनित पुत्र सुन्दर सिंह पुत्र हुमी राम (30240) भाग निवासी डांसा रामपुर, सुनील कुमार पुत्र आनन्द सागर पुत्र सुरत राम (30240) भाग निवासी निरथ रामपुर, विरेन्द्र कुमार पुत्र रती राम पुत्र दौलत राम (30240) भाग निवासी बचलोन ठियोग, रवि कुमार पुत्र रोषन लाल पुत्र सवारू (30240) भाग, रोषन लाल पुत्र सवारू पुत्र फिडका (30240) भाग निवासी गौन्थला कुमारसैन, प्यारा लाल पुत्र राम लाल पुत्र तुलसी राम (30240) भाग, श्रीमती प्रभा देबी पत्नी प्यारे लाल पुत्र तुलसी राम (30240) भाग निवासी केलवीखास ठियोग, अक्षय पुत्र विद्यादत्त पुत्र ईषरू (30240) भाग निवासी कुमारसैन, श्रीमती उषा देबी पुत्री तिलक राम पुत्र फाली राम (30240) भाग निवासी चम्भीधार कलबोग, चुड़ामणी, कमल कुमार पुत्र व श्रीमती श्यामा देबी पत्नी भीम सिंह पुत्र धनी राम भाग बराबर (45360) भाग, श्रीमती नेहा पत्नी चुड़ामणी पुत्र भीम सिंह (15120) भाग, श्रीमती रक्षा पत्नी कमल कुमार पुत्र भीम सिंह (15120) भाग निवासी भौरा बगशाड़, भुपेन्द्र कुमार पुत्र खीमी राम पुत्र भेकलू (15120) भाग, श्रीमती रीना देबी पत्नी भुपेन्द्र कुमार पुत्र खीमी राम (15120) भाग निवासी चेबड़ी, श्रीमती नवला देबी पत्नी उत्तम पुत्र धारी (15120) भाग निवासी कवागला करसोग, डाबर राम पुत्र सीता राम पुत्र ठाकरू (15120) भाग निवासी बाडूकुफरी करसोग, श्रीमती सत्या देबी पत्नी मेहर चन्द पुत्र जरबू (15120) भाग निवासी दरल करसोग, भीष्म लाल पुत्र प्यारा लाल पुत्र मोती राम (15120) भाग निवासी कांडी तीन बगशाड़, ठाकुर सिंह पुत्र घेलू राम पुत्र धर्मू (15120) भाग, पियुष पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र घेलू राम (15120) भाग निवासी कनेरी पांगणा,				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

						बली राम (15120) भाग निवासी परस बेलुडांक, भुतेश्वर पुत्र धर्म दास पुत्र परसू (15120) भाग निवासी थनाली करसोग, चकित कुमार पुत्र दयानन्द पुत्र राम (15120) भाग निवासी सयांज करसोग, राहुल पुत्र यशपाल पुत्र चुन्नी लाल (15120) भाग, श्रीमती प्रियंका पत्नी आकाष पुत्र कृष्ण चन्द्र (15120) भाग निवासी फावला, पियुष पुत्र उपेन्द्र पुत्र जलमी राम (15120) भाग निवासी खनेवली रामपुर, सुमित कुमार, नितिष कुमार पुत्र ज्वाली राम पुत्र काली दास भाग बराबर (30240) भाग निवासी कन्दरेड़ी ननखड़ी, मनोहर लाल पुत्र कृपा राम पुत्र तवारु उपनाम रामेश्वर (15120) भाग, श्रीमती कल्पना देवी पत्नी तिलक राज पुत्र कृपा राम (15120) भाग निवासी चलारु करसोग, सुरेन्द्र कुमार पुत्र योग राज पुत्र तुला राम (15120) भाग निवासी तलाह, राजू पुत्र मुशु राम पुत्र सिपाही (15120) भाग निवासी जुणी कला, मनमोहन पुत्र पदमदास पुत्र रतन दास (15120) भाग निवासी पिथवी सराहन, हितेश पुत्र दिवान चन्द पुत्र सुरजू उपनाम सवारु (15120) भाग निवासी डुमहो, मोती राम पुत्र पृथी सिंह पुत्र जगत राम (15120) भाग निवासी खडकान करसोग, गिरिश कुमार पुत्र खेम राज पुत्र भवानी दत्त (15120) भाग, फागणू राम पुत्र चेत राम पुत्र दत्त (15120) भाग निवासी सैजी बगषाड़, विकास पुत्र शिव लाल पुत्र श्याम लाल (15120) भाग, श्रीमती ईषा पत्नी ललित सिंह पुत्र श्याम सुख (15120) भाग, पवन कुमार पुत्र तारा चन्द पुत्र पदम दास (15120) भाग निवासी पनेहल ननखड़ी, सतीष कुमार पुत्र शिव लाल पुत्र चेंदी राम (15120) भाग, नवीन पुत्र सतिश कुमार पुत्र शिव लाल (15120) भाग निवासी कमलोग ननखड़ी, हिरा सिंह पुत्र सोलू राम पुत्र चिमना (15120) भाग निवासी कोट ठियोग, मधु सिंह पुत्र बुधिया राम पुत्र झीणू (15120) भाग निवासी पटिनहल ठियोग, महेशी लाल पुत्र कुन्दन लाल पुत्र केशिमा (15120) भाग निवासी जुणी कला, रोशन लाल पुत्र नरायण दास पुत्र उछबू (15120) भाग निवासी सेरी सुन्नी, मिथनु राम पुत्र आलमु राम पुत्र दूड़ू (15120) भाग, सुनिल दत्त पुत्र मोटू राम पुत्र आलमू राम (15120) भाग निवासी मढोल सुन्नी, श्रीमती कान्ता देवी पत्नी खेम राज पुत्र शिव राम (15120) भाग निवासी मकड़छा, राजेन्द्र सिंह पुत्र बेली राम पुत्र गजन सिंह (15120) भाग निवासी कांगरू बल्ह, दिनेश कुमार पुत्र भगत राम पुत्र गुप्त राम (15120) भाग निवासी ततापानी, श्रीमती अंजना पत्नी तेज राम पुत्र पुर्ण चन्द (15120) भाग निवासी माहोटा, श्रीमती लच्छी देवी पत्नी नरादू पुत्र बरिया राम (15120) भाग निवासी ततापानी, हेम राज पुत्र बुद्ध राम पुत्र उलदू (15120) भाग निवासी दतयार सुन्नी, गोपाल पुत्र सरदारु पुत्र उलदू (15120) भाग निवासी रिजर्व जंगल सुन्नी, हेत राम पुत्र जिवा नन्द पुत्र धनिया (15120) भाग निवासी मतेहल करसोग, रोशन लाल पुत्र नरादू पुत्र पुत्र			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

						प्रकाश पुत्र भोपाल सिंह पुत्र मोहन लाल (15120) भाग, विवेक पुत्र रणजीत सिंह पुत्र मोहन लाल (15120) भाग निवासी जैलीधार सुन्नी, रमेश कुमार पुत्र अनन्त राम पुत्र बीरबल (15120) भाग निवासी धरोगड़ा, कुमारी भारती पुत्री व श्रीमती कमलेश पत्नी देबी सिंह पुत्र रामलोक भाग बराबर (30240) भाग निवासी रण्डौल, गुलाब सिंह पुत्र गिरधारी लाल पुत्र मोती राम (15120) भाग निवासी संगरोही बगशाड़, श्रीमती प्रेमिला पुत्री रघुनाथ चन्द पुत्र गणिया (15120) भाग निवासी सुन्नी द्वितिय, पियुष पुत्र सुधीर पुत्र नरोत्तम दास (15120) भाग निवासी सुन्नी तृतीय, जतिन पुत्र श्रीमती कल्याण पुत्री मनोहर सिंह (15120) भाग निवासी घरयाणा, धर्म सिंह, दयानन्द पुत्र परस राम पुत्र धनी राम भाग बराबर (30240) भाग निवासी संयाज करसोग, प्रदीप कुमार, तिलक राम, जगदीश कुमार, रमेश कुमार पुत्र पदम सिंह पुत्र रूलदू भाग बराबर (60480) भाग निवासी दतयार सुन्नी, कुमारी अवंतिका पुत्र ओम प्रकाश पुत्र पुर्ण दास (15120) भाग निवासी ओगली, कुबेर चन्द, प्रेम लाल पुत्र इन्द्र सिंह पुत्र दरसू भाग बराबर (30240) भाग निवासी मेहरन बगशाड़, मस्त राम पुत्र बसाखू पुत्र सुनकू (15120) भाग निवासी ठाकर ठाना, चमन लाल पुत्र दिला राम पुत्र पौशू राम (15120) भाग निवासी भंथल करसोग, रेवा दास पुत्र दिला राम पुत्र मगनिया (15120) भाग निवासी फफान, इन्द्र सिंह पुत्र दरसू राम पुत्र नरायणू (15120) भाग निवासी मेहरन, अभिषेक, अभिनव पुत्र ओम प्रकाश पुत्र दुर्गा दास भाग बराबर (30240) भाग निवासी कांठी द्वितिय, श्रीमती सीता देबी पत्नी विजय कुमार पुत्र रूप लाल (15120) भाग निवासी बेहली, श्रीमती बीना पत्नी महेन्द्र लाल पुत्र बरफिया (15120) भाग निवासी ओगली, नरेश कुमार, दिनेश कुमार पुत्र तिलक राम पुत्र सीता राम भाग बराबर (30240) भाग, श्रीमती मधू देबी पत्नी दिनेश कुमार पुत्र तिलक राम (15120) भाग निवासी शकरोड़ी, रमेश कुमार पुत्र देबी राम पुत्र माधु राम (15120) भाग निवासी कलैहड़ी करसोग, राकेश पुत्र शिव राम पुत्र चेत राम (15120) भाग निवासी तनहेड़, श्रीमती हंसा देबी पत्नी सुशील कुमार पुत्र किशोर चन्द (15120) भाग निवासी थाती धर्मपुर, श्रीमती सोमा कुमारी पत्नी विजय कुमार पुत्र खेम सिंह (15120) भाग निवासी नैहरा छतरी, रमेश कुमार पुत्र राजरतु पुत्र चरण दास (15120) भाग निवासी चेबड़ी, दिनेश कुमार पुत्र रति राम पुत्र कांशी राम (15120) भाग निवासी बनयाणा ठियोग, चेत राम पुत्र अगारू राम पुत्र परमात्मा राम (15120) भाग निवासी लुणसू, गौतम पुत्र निलकंठ पुत्र हुकमिया (15120) भाग निवासी चौकी, ललित मोहन पुत्र गीता राम पुत्र मस्त राम (15120) भाग निवासी गैडा सुन्नी, श्रीमती चन्द्रा वती पत्नी नन्द लाल पुत्र तुलसी राम (15120) भाग, वरुण पुत्र व श्रीमती उर्मिला पत्नी श्याम लाल पुत्र नन्द लाल भाग बराबर (30240) भाग, श्रीमती उषा पत्नी प्रेम पुत्र				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						लाल पुत्र खीमी राम (15120) भाग, श्रीमती निकिता पुत्री नरेश कुमार पुत्र खीमी राम (15120) भाग निवासी चेबड़ी सुन्नी, तेज राम पुत्र रेवा दास पुत्र हरि राम (15120) भाग, अंकुर पुत्र बीरसिंह पुत्र केवल राम (45360) भाग निवासी टहटोली सतनाड़ी कोटखाई, जगदीश चन्द पुत्र हरि सिंह पुत्र करमिया (15120) भाग निवासी छावाछ पांगणा, उत्तम चन्द, जानकी दास पुत्र मगनी राम पुत्र हीरू भाग बराबर (30240) भाग निवासी गुमा शिमला ग्रामीण, तारा चन्द सुबा राम पुत्र डाबर राम (15120) भाग, सुन्दर सिंह पुत्र दुर्गा दास पुत्र डाहलू (15120) भाग निवासी कांठी बगशाड़, अखिलेश पुत्र अशोक कुमार पुत्र ज्ञान चन्द (15120) भाग निवासी तहसील बलदवाड़ा, अकित पुत्र प्रेम लाल पुत्र निका राम (30240) भाग निवासी माड़वा बिलासपुर, सुरेश कुमार पुत्र पुर्ण चन्द पुत्र दुर्गा दास (30240) भाग निवासी बलोह बिलासपुर, दीप कुमार पुत्र श्याम लाल पुत्र रामधन (30240) भाग निवासी जबली बिलासपुर सदर, कुमारी कषिष, कुमारी महक पुत्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र लच्छमण भाग बराबर (60480) भाग निवासी लखनपुर बिलासपुर सदर, खेम चन्द पुत्र लालमन पुत्र लुरिया राम (30240) भाग निवासी माड़वा बिलासपुर सदर, रमेश कुमार पुत्र हुक्म चन्द पुत्र टिबलू राम (30240) भाग निवासी मतोल निहरी, कुमारी हर्षा देवी पुत्री तेज राम पुत्र नोरिया राम (30240) भाग निवासी हर्षू अर्की, राधा कृष्ण, चमन लाल पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र बुगा राम भाग बराबर (60480) भाग निवासी गुनाहखुर्द रामशहर, दविन्द्र सिंह पुत्र मस्त राम पुत्र चुड़ू राम (30240) भाग निवासी रतयोल पंजेरा सोलन, श्रीमती पूनम देवी पत्नी संजीव कुमार पुत्र अनन्त राम (30240) भाग निवासी हरिपुर कुनिहार, मुंशी राम पुत्र गुसाउ पुत्र कानहा (30240) भाग निवासी परनू दाड़लाघाट, तेज राम पुत्र नोहरिया राम पुत्र छागिया राम (30240) भाग निवासी हर्षू अर्की, राजेन्द्र कुमार पुत्र लायक राम पुत्र बालक राम (15120) भाग, बोध राज पुत्र धर्मदत्त पुत्र चुन्नी लाल (15120) भाग निवासी मुंगर शिमला ग्रामिण, दिनेश पुत्र मदन लाल पुत्र अभिराम (15120) भाग, गौतम पुत्र व कुमारी भारती पुत्री मायाकान्त पुत्र मदन लाल भाग बराबर (30240) भाग निवासी सरी शिमला ग्रामिण, जोगेन्द्र पुत्र रामसरन पुत्र निरम दास (15120) भाग निवासी केलवी खास ठियोग, महेन्द्र सिंह पुत्र दिवान सिंह पुत्र सिरिया राम (15120) भाग निवासी मखडोल ठियोग, कुमारी प्रिति पुत्री मानसिंह पुत्र खुबी राम (15120) भाग निवासी झौल जलोग, खोजेश्वर सिंह पुत्र कुशाल सिंह पुत्र मस्त राम (15120) भाग निवासी देवठी सुन्नी, पवन कुमार पुत्र सुन्दर लाल पुत्र हरभजन राम (15120) भाग निवासी दुर्गापुर सुन्नी, श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी महेन्द्र पाल पुत्र चंद्रमणी (15120) भाग निवासी ठोगी बगशाड़, श्रीमती निलम कुमारी पत्नी महेन्द्र कुमार पुत्र रूप चन्द (15120) भाग निवासी ठहली बगशाड़,			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					उपेन्द्र कुमार पुत्र रामपाल पुत्र शेर सिंह (15120) भाग निवासी दठी चचयोट, मनोज कुमार पुत्र बंगाली पुत्र गणू (15120) भाग, प्रमोद कुमार पुत्र किषन चन्द पुत्र सिपनू (15120) भाग निवासी महाल दांण चचयोट, दुर्गा राम पुत्र मधु राम पुत्र तोतू (15120) भाग निवासी ततापानी, चेतन पुत्र व श्रीमती हेम ज्योति पत्नी हेम राज पुत्र तुला राम भाग बराबर (30240) भाग निवासी माणद जलोग, श्रीमती सपना पत्नी तनेश सिंह पुत्र तुला राम (15120) भाग, हिमांशु पुत्र व श्रीमती जुगमा देबी पत्नी ठाकुर सैन पुत्र शीश राम भाग बराबर (30240) भाग, श्रीमती हितेश्वरी पत्नी तिलक राम पुत्र दर्शन कुमार (15120) भाग, श्रीमती किरणा देवी पत्नी ओम प्रकाश पुत्र तुला राम (15120) भाग निवासी मगाण, लूप चन्द पुत्र लाभ सिंह पुत्र धन सिंह (15120) भाग, श्रीमती अनिता कुमारी पत्नी लूप चन्द पुत्र लाभ सिंह (15120) भाग निवासी नराहन करसोग, दिवान चन्द पुत्र भगत राम पुत्र किरतू (15120) भाग निवासी मनोल बगशाड़, विरेन्द्र कुमार पुत्र ठाकुर दास पुत्र बिहारी लाल (15120) भाग निवासी गङ्गकान, अभिषेक पुत्र ऋतु राज पुत्र गोपाल सिंह (15120) भाग निवासी कांगरी, यशपाल पुत्र हेत राम पुत्र लच्छमी दास (15120) भाग निवासी ऐवग सुन्नी, भोपाल सिंह, गिरधारी लाल, रणजीत सिंह पुत्र मोहन लाल पुत्र नरायणू भाग बराबर (45360) भाग, शुभम पुत्र गिरधारी लाल पुत्र मोहन लाल (15120) भाग, श्रीमती सुनिता पत्नी पदम सिंह पुत्र नरायण सिंह (15120) भाग, विरेन्द्र पुत्र भोपाल सिंह पुत्र मोहन लाल (15120) भाग निवासी जैलीधार सुन्नी, श्रीमती श्रुती पुत्री देवेन्द्र पुत्र कृष्ण लाल (15120) भाग, श्रीमती उषा देवी पत्नी हेम सिंह पुत्र चरण दास (15120) भाग निवासी ऐवग, महाबीर सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र हरि राम (15120) भाग, बलबीर सिंह पुत्र धर्म सिंह (15120) भाग निवासी नडूखर, श्रीमती मिनाक्षी पत्नी भारत भूषण पुत्र लेख राम (15120) भाग निवासी सनाहू, श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी खेम राज पुत्र जिजा लाल (15120) भाग निवासी जान्डर सुन्नी, पुनीत पुत्र जोगेन्द्र सिंह (15120) भाग निवासी चलली, संजीव कुमार पुत्र जिजा लाल (15120) भाग निवासी दनोग कोटखाई, कुमारी एशवर्या पुत्री गोपाल पुत्र इन्द्र कुमार (15120) भाग निवासी सुन्नी संजय कुमार पुत्र धर्म प्रकाश पुत्र चेत राम (15120) भाग, गिरिश पुत्र पुर्ण चन्द पुत्र दुनी चन्द (15120) भाग निवासी शाकरा, जाहन पुत्र व कुमारी यामिनी पुत्री तेज राम पुत्र मोती राम भाग बराबर (30240) भाग, तेज राम पुत्र मोती राम (15120) भाग निवासी ततापानी, मनोज पुत्र तेज राम पुत्र साधू राम (15120) भाग निवासी कोट कपड़यास, उधम सिंह, भुपेन्द्र सिंह पुत्र जय सिंह पुत्र परस राम भाग बराबर (30240) भाग, संदीप पुत्र व कुमारी प्रियंका पुत्री उधम सिंह पुत्र जय सिंह भाग बराबर (30240) भाग, श्रीमती रामप्पारी पत्नी देश राज पुत्र जय सिंह					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

						(15120) भाग निवासी मेहरन बगशाड़, चेत राम पुत्र तुला राम पुत्र कर्म सिंह (30240) भाग निवासी नरटी थुनाग, दुनी चन्द पुत्र नन्द लाल पुत्र नरोत्तम (30240) भाग, दिनेश कुमार पुत्र दलीप सिंह पुत्र हेत राम (30240) भाग, घनश्याम पुत्र झाबे राम पुत्र रामसू (30240) भाग निवासी झाकड़ी नाल थुनाग, निका राम पुत्र कर्म सिंह पुत्र रूपू (30240) भाग निवासी काणीमन्दलाह, नरपत राम पुत्र हुकम पुत्र जंगलू (30240) भाग निवासी रिक्की करसोग, सुरत राम पुत्र भूरिया पुत्र बिशनू (30240) भाग निवासी कोटला बगशाड़, जय कुमार पुत्र योग राज पुत्र भास्कर (30240) भाग निवासी रुहणी बगशाड़, मनमोहन पुत्र हुक्म चन्द पुत्र जगेशु (15120) भाग निवासी कान्डा, दलीप सिंह पुत्र आसर राम पुत्र परशोतम (15120) भाग निवासी धौण, सोमकृष्ण पुत्र परशोतम (15120) भाग निवासी बलिन्डी, खुब चन्द पुत्र बालक राम पुत्र दत्त (15120) भाग निवासी सैजी बगशाड़, जगत राम पुत्र हरि राम पुत्र भगत राम (15120) भाग निवासी शकरोड़ी, निवासी ततापानी, कुमारी मनीषा पुत्री दिवान चन्द पुत्र बालक राम (15120) भाग निवासी धार बगशाड़, श्रीमती साहबू देबी पत्नी हेत राम पुत्र मीनू राम (15120) भाग निवासी कान्डी 3 बगशाड़, विशाल पुत्र जमना दास पुत्र गोपाल सिंह (15120) भाग निवासी कांगरी, विक्रान्त पुत्र देबी राम पुत्र मोती राम (15120) भाग निवासी रौला सुन्नी, सन्तोष कुमार पुत्र खुब दास पुत्र बरिया राम (15120) भाग, आर्यन पुत्र सन्तोष कुमार पुत्र खुब दास (15120) भाग निवासी पटुखर सुन्नी, अमृत लाल पुत्र चेत राम पुत्र भाग चन्द (15120) भाग निवासी बारो निचार किन्नौर, कुमारी सुहानी पुत्री श्रीमती सुनैना पुत्री सीस राम (15120) भाग, सन्दीप कुमार पुत्र व श्रीमती सुनैना पुत्री व श्रीमती निर्मला देबी पत्नी सीस राम भाग बराबर (45360) भाग निवासी बरबारी सोलन, शुभम, साहिल पुत्र अशोक कुमार पुत्र तारा दत्त (30240) भाग निवासी कावटा बारला कृष्णगढ़, चेत राम पुत्र कर्म चन्द पुत्र अतरू राम (15120) भाग निवासी क्यारी बाग धामी, नन्दलाल पुत्र देबी राम पुत्र उत्तम राम (15120) भाग निवासी नावी जलोग, श्रीमती पुष्पा देबी पत्नी भीष्म दत्त पुत्र मंगत राम (15120) भाग निवासी ततापानी, रामलाल, पदम देब पुत्र व श्रीमती तवारसी देबी पत्नी मेहर सिंह पुत्र सोडू भाग बराबर (45360) भाग, बृज लाल पुत्र दुर्गादास पुत्र भाग चन्द (15120) भाग निवासी चमोग करसोग, ईश्वर दत्त पुत्र खेम राम पुत्र नरादू (15120) भाग निवासी कांगरी, पंकज कुमार पुत्र अशोक कुमार पुत्र मनसा राम (15120) भाग निवासी जियोरखास ज्वाली कांगड़ा, श्रीमती रामप्यारी पत्नी जोगिन्द्रपाल पुत्र मंगत राम (15120) भाग निवासी डुमहा करसोग, चित्र सिंह पुत्र केशव राम पुत्र कुन्दी राम (15120) भाग निवासी डबरोट करसोग, चमन प्रकाश पुत्र हीरा सिंह पुत्र नरोत्तम (15120) भाग				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	(15120) भाग निवासी डुम्हो करसोग, नरेन्द्र कुमार पुत्र उमा शंकर पुत्र मदन (15120) भाग निवासी रंडौल बगशाड़, सुनीता देबी पत्नी मीरजा राम पुत्र पुर्ण (15120) भाग, विनोद कुमार पुत्र सुरतिया (15120) भाग, देवेन्द्र कुमार पुत्र भवानी सिंह पुत्र उमा दत्त (15120) भाग निवासी शकरोड़ी, श्रीमती गुलाबो देबी पुत्री नरायणू पुत्र जीवणू (15120) भाग निवासी कारली, सीता राम पुत्र हुक्म चन्द पुत्र बलीराम (15120) भाग निवासी ऐवग, हितेश कुमार पुत्र दीप राम पुत्र भजन दास (15120) भाग निवासी भराड़ा सुन्नी, नवजोत सिंह पुत्र श्रीमती नैना देबी पुत्री कन्दू (15120) भाग निवासी बेलर बगशाड़, तरुण कुमार पुत्र भरमेश चन्द पुत्र कन्हैया लाल (15120) भाग निवासी सुजानपुर टिहरा, विवेक कुमार पुत्र व श्रीमती वेजयन्ती पत्नी दलीप सिंह पुत्र रूप लाल भाग बराबर (30240) भाग, श्रीमती स्वीटी कंचन पत्नी विवेक कुमार पुत्र दलीप सिंह (15120) भाग, श्रीमती नीतू देबी पत्नी पंकज कुमार पुत्र दलीप सिंह (15120) भाग निवासी घरमाउग करसोग, सन्त राम पुत्र नीम चन्द पुत्र ठाकुर दत्त (15120) भाग, पंकज पुत्र व श्रीमती पुजा पुत्री पदम देब पुत्र नीम चन्द भाग बराबर (30240) भाग निवासी रन्डौल बगशाड़, बाबू राम, हेत राम पुत्र हरि नन्द पुत्र धनी राम भाग बराबर (30240) भाग निवासी मन्डाली जायण धामी, तिलक राज पुत्र मदन लाल पुत्र नरायण सिंह (15120) भाग, महेन्द्र कुमार पुत्र नेक चन्द पुत्र पुर्ण चन्द (15120) भाग निवासी ततापानी, हिमानन्द पुत्र रूप चन्द पुत्र रघुबीर (15120) भाग निवासी सावीधर बगशाड़, कमल सिंह पुत्र व कु0 भाविका पुत्री व श्रीमती गुलाबो देबी पत्नी केसर सिंह पुत्र गोविन्द सिंह भाग बराबर (45360) भाग निवासी माल साहज बगशाड़, देवेन्द्र सिंह पुत्र केसर सिंह पुत्र गोविन्द सिंह (15120) भाग, शक्ति सिंह पुत्र व श्रीमती गीता देबी पत्नी रविन्द्र सिंह पुत्र केसर सिंह भाग बराबर (30240) भाग निवासी महाल ततापानी, श्रीमती सीमा पत्नी मतीधर पुत्र चिरन्जी लाल (15120) भाग निवासी महाल चमयाणा बगशाड़, जगदीश पुत्र सरन पुत्र गोविन्द (15120) भाग निवासी महाल माहोटा बगशाड़, पुर्ण चन्द पुत्र खयालू पुत्र चाननू (15120) भाग निवासी महाल कोट कपड़यास बगशाड़, रूप लाल पुत्र तिखु राम पुत्र मोलक (15120) भाग निवासी महाल खड़कान बगशाड़, हेम राज पुत्र समरू पुत्र परमा (604800) भाग निवासी डबरोट, विनित पुत्र व कुमारी कृतिका पुत्री प्रेमलाल पुत्र दीप राम भाग बराबर (30240) भाग, कुमारी डिम्पल, कुमारी अनू पुत्रियां सोम दत्त पुत्र दीप राम भाग बराबर (30240) भाग, रणधीर पुत्र व श्रीमती वन्दना पुत्री हीरा लाल पुत्र दीप राम भाग बराबर (30240) भाग निवासी केलवीखास, श्रीमती नरातरू देबी पत्नी रति राम पुत्र दौलत राम (15120) भाग निवासी बचलौन ठियोग, श्रीमती कमला देबी पत्नी दलीप चन्द पुत्र सुरत राम (15120) भाग, उमा देबी पत्नी गीता नन्द
--	---

						पुत्र देवेन्द्र कुमार (15120) भाग, गीता नन्द पुत्र देवेन्द्र कुमार पुत्र डिगम्बर देब (15120) भाग, तुशार पुत्र राकेश कुमार पुत्र खेम चन्द (15120) भाग, राकेश कुमार पुत्र खेम चन्द पुत्र सुरत राम (15120) भाग, प्रेम देब पुत्र पदम देब पुत्र मानदेब (15120) भाग निवासी निस्थ रामपुर, नरसिंगू राम पुत्र तेज राम पुत्र बुद्ध राम (15120) भाग निवासी भुरठ, वीरभद्र सिंह पुत्र बोध सिंह पुत्र धर्म दास (15120) भाग निवासी सेरी, गोपाल सिंह पुत्र रत्न सिंह पुत्र मान सिंह (15120) भाग निवासी जुआ, रूप लाल पुत्र कृष्ण लाल पुत्र डोडू राम (15120) भाग निवासी कान्डा करसोग।				
			किता-12			14.07.16 (1.1646 हैक्टेयर)				

अनुलग्नक-ब

महाल खरयाली, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि.प्र. (अतिरिक्त भूमि)

क्र. सं.	खेवट / खतौनी न.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (बीघा में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1.	1	1	253 / 1	मुशतर्का	बंजर काबले काश्त	00.05.16	कुल (348) भाग ज्ञान सिंह (174) भाग, लाल चन्द (54) भाग पुत्रगण पौशू पुत्र गंगाराम स्थानीय वासी, राजीव सैन पुत्र ठाकुर सैन पुत्र प्रेमदास (20) भाग निवासी महाल अनोग, श्रीमती पूनम पुत्री डेहर चन्द पुत्र अनन्त राम (20) भाग, दलपत राम पुत्र बोध राज पुत्र परम (20) भाग निवासी महाल कदेहड़, रजतप्रताप (18) भाग पुत्र व कुमारी वैशाली पुत्री व श्रीमती भीमा देबी भाग बराबर (42) भाग पत्नी राजकृष्ण निवासी।	बैर	सतलुज	चोआ	बैरुवांक
2.	2 मिन	2 मिन	248 249 252 254 257 245 / 1		बंजर काबले काश्त बंजर काबले काश्त बंजर काबले काश्त बंजर काबले काश्त बंजर काबले काश्त बंजर काबले काश्त	00.01.00 00.09.15 00.17.11 01.01.14 01.11.16 02.16.18	कुल भाग (600360) ज्ञान सिंह (114120) भाग पुत्र व लाल चन्द (138120) भाग पुत्र पौशू पुत्र गंगा राम, आशा राम (70200) भाग पुत्र व श्रीमती नारकली (18120) भाग पुत्री व श्रीमती निक्की (50040) भाग विधवा त्वारु उपनाम किशन दास पुत्र बराम, विजेराम पुत्र व कुमारी प्रेमा देबी पुत्री व निक्की देबी विधवा दाखू पुत्र जेटू भाग बराबर (90072) भाग, श्रीमती सुमित्रा देवी (20424) भाग पुत्री व श्रीमती शान्ती देवी (22824) भाग पुत्री दाखू पुत्र जेटू, भूपेन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमती रमा देबी, श्रीमती रीना देबी, श्रीमती ममता देबी, श्रीमती वन्दना कुमारी पुत्रियां लालचन्द पुत्र पौशू भाग बराबर (12000) भाग, केशव राम, तिलक राज पुत्र व श्रीमती सीमा देबी पत्नी ज्ञान सिंह पुत्र पौशू भाग बराबर (36000) भाग, डिम्पल कुमार पुत्र व श्रीमती निर्मला देबी, श्रीमती नरिला, श्रीमती लीला, श्रीमती नविता देबी पुत्रियां आषा राम पुत्र तवारु उपनाम किशन दास भाग बराबर (4800) भाग, ऐमराज पुत्र व श्रीमती गुडू देबी भाग बराबर (4800) भाग पुत्री व श्रीमती बिटटू देबी (1680) भाग पुत्री श्रीमती नारकली पुत्री तवारु, धर्मदास, मेहर चन्द पुत्र व श्रीमती भावना, श्रीमती शुभलता पुत्रियां श्रीमती सुमित्रा पुत्री दाखू भाग बराबर (9600) भाग, थुमाराम, सोमकृष्ण पुत्र व श्रीमती रीना देबी पुत्री श्रीमती शान्ती पुत्री दाखू भाग बराबर (7200) भाग निवासी कदेहड़, कुशाल सिंह पुत्र व श्रीमती मनीषा देबी, कुमारी आशिका पुत्रियां श्रीमती बिटटू पुत्री नारकली भाग बराबर (360) भाग निवासी महाल कनैन, तहसील करसोग				
			किता-6			06.18.14					

3.	3 मिन	3 मिन	261 262	मुशतर्का	गैरमुम. दोगरा बंजर काबले काश्त	00.04.12 00.07.12	कुल (700560) भाग कौलराम पुत्र व श्रीमती अन्जु देवी पुत्री व श्रीमती सुभद्रा देवी विधवा डोला राम पुत्र प्रेम दास भाग बराबर (204480) भाग रोशन लाल पुत्र प्रेम दास पुत्र परम (177120) भाग नरेन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमती अन् देवी, श्रीमती रेनुका देवी पुत्रिया रोशन लाल पुत्र प्रेम दास भाग बराबर (12960) भाग लालचन्द, केसरदास, निकाराम भाग बराबर (26460) भाग पुत्र व लोप चन्द (5940) भाग पुत्र नारायणदास पुत्र परम, श्रीमती मनीषा, श्रीमती मीना कुमारी, श्रीमती शालू देवी, श्रीमती अन्जली पुत्रियां लाल चन्द पुत्र नारायण दास भाग बराबर (5760) भाग, पिताम्बर लाल पुत्र व श्रीमती सोनू देवी पुत्री व श्रीमती आशा देवी पत्नी लोपचन्द पुत्र नारायण दास भाग बराबर (8640) भाग, ललित कुमार पुत्र श्रीमती आंचल पुत्री केसर दास पुत्र नारायण दास भाग बराबर (5760) भाग, ललित कुमार पुत्र व श्रीमती हिना कुमारी पुत्री व श्रीमती बन्ती देवी पत्नी निकाराम पुत्र नारायण दास भाग बराबर (5760) भाग, गवर्धन (43920) भाग पुत्र व बोध राज (14400) भाग पुत्र परम गोकल निवासी महाल कदेहड़, अजय कुमार, विजय कुमार पुत्र व श्रीमती भुवनेश्वरी देवी पुत्री रमेश सिंह पुत्र गवर्धन भाग बराबर (8640) भाग निवासी महाल तलाह उपतहसील जलोग, नरेन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमती कमला देवी पुत्री गवर्धन पुत्र परम भाग बराबर (5760) भाग निवासी महाल कदेहड़, भिमेष कुमार (11520) भाग पुत्र व सुमित कुमार (19440) भाग पुत्र व श्रीमती सविता (6480) भाग पत्नी महेन्द्र कुमार पुत्र श्रीमती लीलावती स्थानीय वासी, डेहरचन्द (5904) भाग, पुत्र व तिलक राज, सुरेश कुमार पुत्र व कुमारी सीमा देवी पुत्री व श्रीमती गायत्री देवी भाग बराबर (46656) विधवा अनन्त राम पुत्र परम, मोहन पुत्र डेहर चन्द पुत्र अनन्त राम (5760) भाग निवासी महाल कन्देहड़, दलपत राम (11040) भाग पुत्र व सौरभ (3600) भाग पुत्र व श्रीमती सीमा देवी, श्रीमती सरोजनी देवी भाग बराबर (29280) भाग पुत्रिया बोधराज पुत्र परम स्थानीय वासी, पेपचन्द पुत्र रोशनलाल पुत्र सरनू (720) भाग, पंकज कुमार, निषान्त पुत्र पेपचन्द पुत्र रोशनलाल भाग बराबर (1440) भाग श्रीमती शालिनी पत्नी पंकज कुमार पुत्र पेपचन्द (720) भाग निवासी महाल डीपीएफ पथरेवी, श्यामचन्द पुत्र भगताराम पुत्र मगरू (720) भाग, प्रेम कुमार पुत्र व श्रीमती शान्ता देवी पत्नी श्याम चन्द पुत्र भगत राम भाग बराबर (1440) भाग निवासी महाल ठाकरठाना, श्रीमती सुमी देवी पत्नी लाभ सिंह पुत्र बरीचन्द (2880) भाग निवासी महाल तुन्दल, हितेश पुत्र व श्रीमती अन्जली पुत्री व श्रीमती सुषमा देवी पत्नी कुलदीप सिंह पुत्र दिवान चन्द भाग बराबर (2160) भाग निवासी महाल कदेहड़, गंगेश कुमार पुत्र व श्रीमती कृष्णा कुमारी पत्नी पदम सिंह पुत्र कातकू भाग बराबर (1440) भाग, श्रीमती ज्योति पत्नी गंगेश कुमार पुत्र पदम सिंह (720) भाग निवासी महाल डबरोट, श्रीमती चम्पा देवी पत्नी लाल चन्द पुत्र नाथ (2880) भाग निवासी महाल डटेहा, निकाराम पुत्र बराम पुत्र परम (720) भाग, होम प्रकाश पुत्र व श्रीमती श्यामी देवी पत्नी निकाराम पुत्र बराम भाग बराबर (1440) भाग, कुमारी सानिया पुत्री व श्रीमती ममता पत्नी होम प्रकाश पुत्र निका राम भाग बराबर (1440) भाग निवासी महाल कदेहड़, तेजेन्द्र कुमार पुत्र मानसिंह पुत्र देवी सरन (720) भाग, श्रीमती ममता पत्नी तेजेन्द्र कुमार पुत्र मानसिंह (720) भाग निवासी महाल सेयांजली, राजेश कुमार पुत्र काहन चन्द पुत्र बराम (720) भाग, नवीन कुमार पुत्र व कुमारी प्रीति, कुमारी वन्दना देवी पुत्रिया व श्रीमती बबली देवी पत्नी राजेश कुमार पुत्र काहनचन्द भाग बराबर (2880) भाग, श्रीमती कविता देवी पत्नी ओम प्रकाश पुत्र डाबर (2880) भाग निवासी महाल कदेहड़, श्रीमती नीटू देवी पत्नी ललित कुमार पुत्र भूप राम				
----	----------	----------	------------	----------	--------------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--

							(2880) भाग निवासी महाल मजरोग तहसील कुमारसैन, श्रीमती निर्मला देवी पत्नी पवन कुमार पुत्रराकेश कुमार (2880) भाग निवासी महाल मोगड़ा तहसील कुमारसैन, देसरज पुत्र बक्शी राम पुत्र बृजलाल (720) भाग, श्रीमती शशीकिरण पत्नी देस राज पुत्र बक्शी राम (720) भाग, धर्मवीर सिंह, रोबिन पुत्र यशवन्त पुत्र बक्शी राम भाग बराबर (1440) भाग निवासी महाल जुआ।				
	3 मिन	4	264		बंजर काबले काश्त	00.13.13	कुल (2) भाग कौलराम, श्रीमती अंजू देवी, श्रीमती सुभद्रा देवी भाग बराबर (1) भाग, रोशन लाल (1) भाग हिस्सादारान वायान कुल (546) भाग टेक चन्द (51) भाग, मोहर सिंह (21) भाग, चुनी (91) भाग, तेज राम (43) भाग, होम कृष्ण (39) भाग पुत्र हेत राम पुत्र मोतू, श्रीमती दरशनू विधवा मनी राम पुत्र मोतू (91) भाग, तारा चन्द (8) भाग, मूल राज (20) भाग पुत्र मोहर सिंह पुत्र हेत राम, संजीव कुमार पुत्र व श्रीमती शीतल पुत्री व श्रीमती सुनीता देवी पत्नी होम कृष्ण पुत्र हेत राम भाग बराबर (52) भाग, श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी छोटू पुत्र नाथ (6) भाग निवासी दटेहा, श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी गोपाल पुत्र काहन चन्द (6) भाग, श्रीमती रोशनी देवी पत्नी भीम सिंह पुत्र बुद्ध (6) भाग निवासी कदेहड़, ओम प्रकाश पुत्र व कुमारी प्रियन्का देवी, कुमारी त्रिशिला कुमारी, ऋषिता पुत्रीयां व श्रीमती फिलमा पत्नी तेज राम पुत्र हेत राम भाग बराबर (30) भाग, कमल किशोर पुत्र टेक चन्द पुत्र हेत राम (40) भाग, श्रीमती फूलमा देवी, श्रीमती मिस्सी देवी पुत्रीयां व श्रीमती सेना देवी पत्नी मोहर सिंह पुत्र हेत राम (30) भाग, संजय कुमार पुत्र किरत राम पुत्र जसवंत सिंह (2) भाग निवासी भमाला, करसोग, तिलक राज पुत्र पारस राम पुत्र जेटू (2) भाग, पीर सिंह पुत्र गोवर्धन पुत्र ठाकरू (2) भाग, लोप चन्द पुत्र सोमकृष्ण पुत्र नोखु (2) भाग निवासी बेलूढांक, राकेश कुमार पुत्र हीरा राम पुत्र मनी राम (2) भाग, भास्करा नन्द पुत्र होम कृष्ण पुत्र चन्द्रमणी (2) भाग निवासी कुरना करसोग मुश्तरीयान कब्जा स्वयं मुश्तरी।				
			किता-3			01.05.17					
4.	4 मिन	6 मिन	247 253 255 256	मुशतर्का	गैर मुम. दोगरा बंजर काबले काश्त बंजर काबले काश्त बंजर काबले काश्त	00.02.06 00.10.16 00.02.16 00.11.02	कुल (8568) भाग दलीप सिंह (840) भाग पुत्र व पीर सिंह (1190) भाग पुत्र व भूप सिंह (602) भाग पुत्र व श्रीमती घुमी देवी (196) भाग पुत्री व श्रीमती केसरी देवी (126) भाग पुत्री व श्रीमती जवाब दासी (476) भाग विधवा श्याम दास पुत्र दुर्गा निवासी महाल कदेहड़, खेम राज (98) भाग पुत्र व ईन्द्र सिंह पुत्र व श्रीमती मीरा देवी भाग बराबर (616) भाग पत्नी व श्रीमती नीलमा देवी (280) भाग पुत्री व श्रीमती मन्जू देवी (154) भाग पुत्री दलीप सिंह पुत्र श्यामदास निवासी कदेहड़, विनत कुमार पुत्र व श्रीमती नीतू देवी पत्नी खेम राज पुत्र दलीप सिंह भाग बराबर (84) भाग, अशिका पुत्री श्रीमती निलमा देवी पुत्री दलीप सिंह (28) भाग, पीयूष, नितिश कुमार पुत्र श्रीमती मन्जू देवी पुत्री दलीप सिंह भाग बराबर (56) भाग स्थानीय वासी, सितेन्द्र कुमार पुत्र श्रीमती घुमी देवी पुत्री श्याम दास (280) भाग, श्रीमती बबली देवी पत्नी पीर सिंह पुत्र श्यामदास (840) भाग, मुकेश, भेसर सिंह पुत्र व श्रीमती बन्ती देवी पत्नी भूप सिंह पुत्र श्यामदास भाग बराबर (1778) भाग राजीव, महेश पुत्र व श्रीमती संगीता पुत्री श्रीमती केसरी देवी पुत्री श्यामदास भाग बराबर (350) भाग निवासी महाल कन्देहड़, कुमारी सवीता पुत्री दलपत उपनाम देब राज पुत्र श्यामदास (70) भाग श्रीमती मनीशा कुमारी पत्नी धर्मेन्द्र पुत्र दलपत उपनाम देबरज (70) भाग निवासी महाल शाहोट, श्रीमती सुनीता देवी पत्नी निहाल चन्द पुत्र आत्मा राम (70) भाग निवासी महाल शुशन, नलीन (70) भाग पुत्र व तनीश शिमला, तपेन्द्र पाल पुत्र दुनी चन्द पुत्र हिरदा (14) भाग, हिमांशु पुत्र तपेन्द्र पाल पुत्री दुनी चन्द (14) भाग श्रीमती हेमावती पत्नी किटू कुमार पुत्र भाग				

							चन्द (14) भाग निवासी महाल झुझन तहसील कुमारसैन, श्रीमती ममता पत्नी चन्द्रशेखर पुत्र खमेश चन्द (14) भाग निवासी महाल बरोड़ी तहसील कुमारसैन, कृष्णपाल पुत्र केशव राम पुत्र कांशी राम (14) भाग निवासी महाल शिवान तहसील कुमारसैन, श्रीमती बिमला देबी पत्नी रामकृष्ण पुत्र सोहन लाल (14) भाग निवासी महाल डिंगीधार तहसील आनी, खोर सिंह पुत्र अमीचन्द पुत्र शोभा राम (14) भाग निवासी बगैल तहसील करसोग, चन्दन लाल पुत्र भाग चन्द पुत्र सीपू (14) भाग निवासी बेलूधार तहसील करसोग, भारत भूषण पुत्र निरंजन सिंह पुत्र कृपा राम (14) भाग निवासी कोटी तहसील करसोग, भगत राम पुत्र बिलूराम पुत्र डलू राम (14) भाग विकास, सुनील पुत्र भगत राम पुत्र बिलूराम भाग बराबर (28) भाग निवासी कराना तहसील आनी, चन्द्रसेन पुत्र हीरानन्द (14) भाग अविनाश, अश्वनी पुत्र चन्द्रसेन पुत्र हीरानन्द भाग बराबर (28) भाग निवासी सपैला तहसील कुमारसैन ।				
			किता-4			1.07.00					
5.	5 मिन	7 मिन	218	मुशतर्का	खडैतर	01.02.15	कुल (107910) भाग लच्छी राम (22486) भाग पुत्र व विशान दास (34771) भाग पुत्र व मोती राम (16786) भाग पुत्र व श्रीमती कला वन्ती, श्रीमती फुलमू भाग बराबर (1797) भाग पुत्रियां महन्त पुत्र धनसी, मोहर चन्द पुत्र लच्छी राम पुत्र महन्त (9585) भाग देवेन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमती अंजना पुत्री व श्रीमती दवारका देबी पत्नी मोहर चन्द पुत्र लच्छी राम भाग बराबर (2700) भाग, सितेन्द्र कुमार, विनोद कुमार पुत्र व श्रीमती सुनीता देबी पुत्री व श्रीमती शारदा देबी पत्नी मोती राम पुत्र महन्त भाग बराबर (17985) भाग, गुलाब सिंह, किरन किशोर पुत्र श्रीमती कलावन्ती पुत्री महन्त भाग बराबर (900) भाग पवन कुमार, ऐम राज पुत्र व श्रीमती निलमा देबी, श्रीमती सीमा देबी पुत्रियां श्रीमती फूलमू पुत्री महन्त भाग बराबर (900) भाग निवासी महाल कन्देहड़।				
			किता-15			11.00.02 (0.8906 हैक्टेयर)					

जिला मण्डी में अर्जित की जा रही भूमि में स्थित वृक्ष व संरचनाओं का ब्यौरा

वृक्ष			संरचनाएं	
किस्म	संख्या		प्रकार	प्लिथ क्षेत्र
वन वृक्ष	18		कार्यशील व गैर-कार्यशील घराट	00.00.49 (हैक्टेयर)
फलदार वृक्ष	10			

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION, HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल, शिमला-171 002 Armsdale, Shimla-171 002. Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152

Email: secysec-hp@nic.in

NOTIFICATION

Dated, the 28th April, 2026

No. SEC(F)1/49/2025-3300-3403.—The State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Article 243ZA of the Constitution of India read with Section 9 of the H.P. Municipal Corporation Act, 1994 prescribes a form of oath as per specimen enclosed herewith to be submitted by the contesting candidate under his own signature at the time of filing of nomination before the Returning Officer.

The Returning Officer will ensure that said oath of affirmation and allegiance to the Constitution of India is attached with the Nomination Papers of the concerned candidates.

By order,
Sd/-
(ANIL KUMAR KHACHI),
State Election Commissioner,
Himachal Pradesh.

FORM OF OATH OR AFFIRMATION TO BE MADE BY A CANDIDATE FOR ELECTION TO THE MUNICIPAL CORPORATION

“I, having been nominated as a candidate to fill
aseat in the Municipal Corporation.....Ward No.....of
District, do swear in the name of God and solemnly affirm that I will bear
truefaith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will uphold the
sovereignty and integrity of India”.

Signature of the Candidate.

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION, HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल, शिमला-171 002 Armsdale, Shimla-171 002. Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152

Email: secysec-hp@nic.in

NOTIFICATION

Dated, the 28th April, 2026

No. SEC(F)1-45/2024.—Whereas the State Election Commission has announced the seventh general elections to Panchayati Raj Institutions in the State which shall be held in three phases on 26th, 28th and 30th May, 2026;

And whereas the State Election Commission is of the considered view that in the interest of free, fair, smooth and independent conduct of elections, it is essential to impose the Model Code of Conduct in the entire State;

Therefore, the State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Article 243K of the Constitution of India read with Section 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, hereby directs that the Model Code of Conduct as notified by this Commission *vide* Notification No. SEC-16-29/2000-I-3768, dated 3rd November, 2020 shall come into force with immediate effect in the entire State till the election process is complete.

By order,
Sd/-
(ANIL KUMAR KHACHI),
State Election Commissioner,
Himachal Pradesh.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 24th April, 2026*

No. HHC/GAZ/14-416/2021.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 11 days' earned leave *w.e.f.* 27-04-2026 to 07-05-2026 with permission to prefix Sunday falling on 26-04-2026 in favour of Ms. Mridula Sharma, Civil Judge-*cum*-JMFC, Baijnath, H.P.

Certified that Ms. Mridula Sharma is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Mridula Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC, Baijnath, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 24th April, 2026*

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM, Palampur as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge-*cum*-JMFC, Baijnath and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of Class II to IV establishments attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" during the earned leave period of Ms. Mridula Sharma, Civil Judge-*cum*-JMFC, Baijnath *w.e.f.* 27-04-2026 to 07-05-2026 with permission to prefix Sunday falling on 26-04-2026 or till she returns from leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 25th April, 2026*

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Senior Civil Judge-*cum*-ACJM-II, Shimla as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Senior Civil Judge-*cum*-ACJM-I, Shimla and also the Controlling Officer for the

purpose of salary, T.A. etc. in respect of Class II to IV establishments attached to the aforesaid Court under Major Head “2014-Administration of Justice” till Smt. Pratibha Negi Senior Civil Judge-cum-ACJM-I, Shimla returns from leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th April, 2026

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge-cum-JMFC-I, Solan as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Mobile Traffic Magistrate, Solan and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of the Class II to IV establishments attached to the aforesaid Court under Major head “2014 Administration of Justice” with immediate effect till the posting/joining of new Presiding Officer in the said court.

By order,

Sd/-
Registrar General.

EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 24th April, 2026

No. EDN-A-Ja(1)-7/2025.—In compliance with the directions issued by the Hon'ble Supreme Court of India in its judgment dated 25 July, 2025 in Criminal Appeal No. 3177 of 2025 (arising out of SLP (Crl.) No. 6378 of 2024), Sukdeb Saha Vs. State of Andhra Pradesh and Others, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the Rules for the registration and regulation of Coaching Centres in the State of Himachal Pradesh as per **Annexure-A**. These Rules will come into force from the date of its publication in Rajpatra.

By order,

Secretary (Education).

**The Himachal Pradesh Private Coaching Centres (Registration and Regulation)
Rules, 2026**

1. Objective of the Rules.—(1) To provide a framework for the registration and regulation of private coaching centres.

(2) To safeguard the interests of students enrolled in private coaching centres

(3) To provide career guidance and psychological counselling for the mental well-being of the students by the private coaching centres.

(4) To ensure minimum standard requirements for running a private coaching centre

(5) To provide guidelines for the regulation of private coaching centres for better guidance and assistance to students in any study programme, competitive examinations, or academic support.

2. **Definitions.**—In these Rules, unless the context otherwise requires:—

- (a) “Advertisement” means and includes any notice, circular, label, wrapper, billboard, poster, etc., in any form including print, digital, or broadcast, designed to promote a service or brand, attract the attention of potential customers, and persuade them to take a specific action.
- (b) “Authority” means the authority constituted under Rule 5 of these Rules.
- (c) “Coaching” means tuition, instruction, or guidance in any branch of learning imparted to more than 50 students, but does not include counselling, sports, dance, theatre, and other creative activities.
- (d) “Private Coaching Centre” includes a centre established, run, or administered by any person to provide coaching for any study programme or competitive examination or academic support to students at the school, college, and university level for more than 50 students.
- (e) “District Committee” means the committee constituted under Rule 3 of these Rules.
- (f) “Government” means the Government of Himachal Pradesh in the Higher Education Department.
- (g) “Hostel” means residential accommodation provided by a private coaching centre or by a person, society, trust, or company to ten or more students on a payment basis.
- (h) “Institution” means a school or any other educational institution recognized or controlled by, or affiliated to a Board, or recognized or controlled by the State/UT Government, including an affiliated college, associated college, a constituent college, a university, or an educational institution established under an Act of the Central Government or State/UT Government.

- (i) “Parent” means the biological father or mother of a student and includes a person who has legal responsibility for the student, regardless of biological connection.
- (j) “Person” means an individual and includes a group of persons, a body corporate, a trust, firm, society, or an institution.
- (k) “Proprietor” means the owner of a coaching center seeking registration or already registered and includes a joint owner.
- (l) “Student” means a student enrolled in a private coaching centre
- (m) “Tuition fee” means tuition fee and includes all types of fees charged from a student by a private coaching centre.
- (n) “Tutor” means a person who guides or trains students in any coaching centre and includes a tutor giving specialized tuition.
- (o) “University” means a university established by any Central or State law.

3. Constitution of District Committee.—(1) The State Government shall constitute a District Committee in each district for proper monitoring of the private coaching centres situated in the district.

(2) The District Committee shall consist of the following members, namely:—

- | | |
|---|-------------------------|
| (a) Deputy Commissioner | <i>Chairperson</i> |
| (b) Superintendent of Police | <i>Member</i> |
| (c) Commissioner/Chief Executive Officer of the concerned local body. | <i>Member</i> |
| (d) Chief Medical Officer | <i>Member</i> |
| (e) A psychiatrist from a Government Hospital to be nominated by the CMO. | <i>Member</i> |
| (f) Principal of one Government College in the District, to be nominated by the Chairperson. | <i>Member</i> |
| (g) Principal of Government Engineering College/Polytechnic/ITI in the District, to be nominated by the Chairperson. | <i>Member</i> |
| (h) Senior most Deputy Director School Education | <i>Member Secretary</i> |
| (i) Two representatives of private coaching centres in the district, to be chosen by a draw of lots amongst the private coaching centres. | <i>Member</i> |

4. Functions of the District Committee.—The District Committee shall carry out the following functions, namely:—

- (a) to ensure implementation of the Himachal Pradesh Private Coaching Centres (Registration and Regulation) Rules, 2026;
- (b) to register the private coaching centre, and to renew the registration certificate or refuse the renewal, as per the provisions of these Rules;
- (c) to take all such steps as necessary for ensuring the promotion and protection of students alongwith ensuring imparting of quality education in all private coaching centres;
- (d) to constitute a Grievance Redressal Cell at the district level for prompt and effective resolution of the grievances of students and their parents, as may be prescribed;
- (e) to enquire about the complaints made by the students or parents as per the provisions of these Rules;
- (f) to inspect, *suo motu* or upon any complaint, any records of a private coaching centre by itself or any person or persons authorised by the Chairperson of the District Committee. The owner or person-in-charge of the private coaching centre shall produce before the District Committee such records as may be required during the inspection;
- (g) to ensure that the owner or person-in-charge of a private coaching centre shall maintain such records, registers, or other documents, as may be prescribed;
- (h) to ensure that a complaint and suggestion box is installed in each private coaching centre and shall arrange to collect periodically the complaints and suggestions posted in such boxes;
- (i) to meet as often as may be necessary at such time and place as may be decided by the Chairperson of the District Committee but not less than once in every three months;
- (j) any other functions as may be prescribed.

5. Constitution of the Himachal Pradesh Private Coaching Centres (Registration and Regulation) Authority.—(1) The State Government shall constitute, for the purpose of these Rules, an Authority to be called the Himachal Pradesh Private Coaching Centres (Registration and Regulation) Authority.

(2) The Authority shall consist of the following, namely:—

- (a) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, *Chairperson*
Higher Education Department.
- (b) Director, Higher Education Department *Member*
- (c) District Attorney, Higher Education Department *Member*
- (d) Additional Director/Joint Director, Higher Education Department *Member Secretary*

6. Functions of the Authority.—(1) The Authority shall entertain appeals preferred against the order of the District Committee. Any person aggrieved by an order passed by the District Committee may file an appeal within a period of thirty days of the passing of such order before the Authority:

Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) The Appellate Authority shall dispose of the appeal within thirty days of filing of the appeal after giving an opportunity of hearing to the parties. The decision of the Appellate Authority shall be final.

(3) The Authority shall meet as often as may be necessary at such time and such place as may be prescribed.

(4) The Authority shall monitor the performance of the District Committee and give directions to the district authorities, as are necessary for ensuring compliance with the provisions of these rules and orders made thereunder.

(5) The Authority shall ensure that the District Committee redresses grievances within the prescribed time limit.

(6) The Authority or any officer authorized by general or special order in this behalf by the Chairperson, if he has reason to believe that there is or has been any contravention of the provisions of these rules, may inspect any premises of a coaching centre and ask for any such records, accounts, registers, or other documents for the purpose of ascertaining whether there is or has been any such contravention and, if the Authority is of the view that further action is required, the Authority may refer the matter to the District Committee for necessary action.

(7) Any other function in the interest of students, holistic development of students, career guidance, psychological counselling, and mental well-being, etc., of students.

7. Registration of the Private Coaching Centre.—(1) After the commencement of these Rules, no person shall impart coaching or establish, run, manage, or maintain a private coaching centre without prior registration of such private coaching centre as per the provisions of these Rules.

(2) Private coaching centres existing on the date of implementation of these Rules shall apply for registration within a period of three months from the date of implementation.

(3) Application for registration of a private coaching centre shall be made to the District Committee within whose local jurisdiction such coaching centre is situated in Form A appended to these Rules, alongwith a registration fee of Rs. 50,000/- and documents mentioned in Rule 8 of these Rules.

(4) In case of private coaching centres having multiple branches, each branch shall be treated as a separate coaching centre and it shall be necessary to submit a separate application for registration for each branch.

(5) The District Committee, after holding an enquiry and after satisfying itself that the applicant has complied with all requirements of these Rules, shall, within 3 months from the date of

receipt of the application for registration of a private coaching centre, either grant the registration certificate in Form B, or shall communicate to the applicant its order of refusal to grant such registration after recording reasons in writing:

Provided that the Authority may grant reasonable time to the applicant to fulfil the conditions.

Further provided that no order refusing the registration shall be passed except after giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard.

(6) The period of validity of the registration certificate shall be three years unless cancelled earlier for any reason.

(7) Every registered private coaching centre shall apply for renewal of the registration certificate to the District Committee two months prior to the date of expiry of such registration, in Form C, with a renewal fee of Rs. 25,000/-. The application for renewal of registration shall also be accompanied by a copy of the statement of accounts audited by a Chartered Accountant.

(8) The District Committee shall decide on the application for renewal of the registration certificate before the expiry of the registration period and may renew the certificate or may communicate the refusal thereof to the applicant before the expiry of the registration period, after recording the reasons for such refusal in writing:

Provided that the Authority may grant reasonable time to the applicant to fulfil the conditions.

Further provided that no order refusing renewal of the registration shall be passed except after giving the person concerned a reasonable opportunity of hearing.

8. Documents to be accompanied with the application for Registration of the Private Coaching Centre:—(1) The following information/documents shall be supplied by the applicant while applying for registration of a private coaching centre, namely:—

- (a) Copy of the prospectus mentioning the different curriculum or part thereof, duration of completion of the curriculum, with details of all types of fees including tuition fee, fee refund policy, easy exit policy, and the number of lectures, tutorials, group discussions, test schedules, etc.
- (b) Maximum number of students for each batch
- (c) Academic qualifications and bio-data of the teachers
- (d) Bio-data and experience of the counselor
- (e) Details of the coaching area in relation to the number of students
- (f) Details of facilities, namely:—
 - (i) furniture, benches/desks, etc.;
 - (ii) lighting arrangements;
 - (iii) potable drinking water;
 - (iv) separate toilets for male and female students;
 - (v) fire safety measures;
 - (vi) first aid facilities;

- (vii) parking space;
- (viii) reading room or library.

(g) Fire and Building Safety Certificate from the appropriate authorities

(h) An undertaking by the proprietor in the shape of an affidavit stating therein that:

- (i) all mandatory terms and conditions, compliances, and the infrastructure requirements contained in these Rules for running a private coaching centre have either been fulfilled or will be fulfilled;
- (ii) he shall use only the words “Registered Coaching Center” and shall not use the words “recognized” or “approved” on any signboard, prospectus, correspondence, or communication of whatever nature;
- (iii) coaching classes for students who are also studying in institutions/schools shall not be conducted during their institutions’/schools’ hours;
- (iv) neither he nor any tutor or person employed in any manner in the coaching centre has been convicted of any offence involving moral turpitude;
- (v) any change in employment of tutors shall be immediately intimated to the Competent Authority;
- (vi) the specified number of students to be admitted in the coaching class shall be adhered to;
- (vii) he shall abide by the other terms and conditions of these Rules

(i) Any other information as may be prescribed by the State Government.

9. Terms and Conditions for Registration and Renewal of Registration.—No private coaching centre shall—

- (a) engage tutors having qualification less than graduation
- (b) publish or cause to be published any misleading advertisement or give false information related to coaching.
- (c) make misleading promises or guarantee of rank or good marks to parents/students for enrolling them in the coaching centre.
- (d) enroll students before they have passed the secondary school examination
- (e) be registered, if it has less than the minimum space requirement per student
- (f) hire the services of any tutor or person who has been convicted for any offence involving moral turpitude.
- (g) be registered unless it has a counselling system as per the requirement of these Rules.

10. Tuition Fees.—(a) The tuition fees for different courses/curriculum being charged shall be fair and reasonable and receipts for the fee charged must be made available.

(b) The private coaching centre must issue a prospectus mentioning the different courses/curriculum, their duration of completion, number of classes, lectures, tutorials, hostel facilities (if any), and the fees being charged, easy exit policy, fee refund, etc. These details shall also be displayed at a prominent and accessible place in the premises of the building.

(c) The prospectus, notes, and other material shall be supplied by the coaching centre to their enrolled students without any separate fees thereof.

(d) If the student has paid for the course in full and is leaving the course in the middle of the prescribed period, the student will be refunded from out of the fees deposited earlier for the remaining period, on a pro-rata basis within 10 days. If the student is staying in the hostel of the private coaching centre, then the hostel fees and mess fee, etc. will also be refunded.

(e) Under no circumstances shall the fee on the basis of which enrolment has been made for a particular course and duration be increased during the currency of the course.

11. Infrastructure Requirements.—(1) Within the basic structure of the private coaching centre, a minimum one square meter area shall be allocated for each student during a class/batch. There shall be sufficient infrastructure in proportion to the number of students enrolled.

(2) The private coaching centre building shall adhere to fire safety codes, building safety codes, and other standards and shall obtain a Fire and Building Safety Certificate from the appropriate authorities as decided by the State Government.

(3) For the assistance of the students, private coaching centres shall have a first aid kit and medical assistance/treatment facility. A list of referral services like hospitals, doctors for emergency services, police helpline details, fire service helpline, women helpline, etc. shall be displayed and the students shall be informed about them.

(4) The private coaching centre building shall be fully electrified, well ventilated, and sufficient lighting arrangements shall be made in each classroom of the building.

(5) Safe and potable drinking water shall be available for all students and staff of the centre.

(6) The private coaching centre shall be suitably fitted with CCTV cameras wherever required and security shall be well maintained.

(7) A complaint box or register shall be placed at the private coaching centre for the students to raise a complaint. The private coaching centre shall have a committee for redressal of complaints/grievances of students.

(8) Provision of separate toilets for males and females shall be made within the private coaching centre building premises.

12. Curriculum and Classes.—(1) Private coaching centres shall make efforts to complete the classes in the stipulated time as mentioned in the prospectus.

(2) Coaching classes for those students who are also studying in institutions/schools shall not be conducted during their institutions/schools' hours, so that their regular attendance in such institutions/schools remains unaffected and also to avoid dummy schools.

(3) Remedial or support classes may be provided to students who require additional support in their academics.

(4) The curriculum/class timetable may be suitably spaced out to allow the students to relax and recuperate and thus not build additional pressure on them.

-
- (5) Private coaching centres shall ensure a weekly off for students as well as tutors
- (6) There shall be no assessment test/exam on the day after the weekly off
- (7) During the important and popular festivals in the respective region, private coaching centres shall customize leave in such a manner that the students are able to connect with their family and get emotional boosting.
- (8) Private coaching centres shall conduct coaching classes in a way that it is not excessive for a student and it should not be more than 5 hours in a day and the coaching hours should neither be too early in the morning nor too late in the evening.
- (9) Private coaching centres shall organize classes for co-curricular activities for holistic development and enhancing cognitive abilities of students.
13. Student Protection Norms and Grievance Redressal.—(1) The number of students to be enrolled in each class/batch shall be clearly defined in the prospectus and published on the website. In no case shall such enrolment be increased in the class/batch during the currency of the course.
- (2) The number of students admitted shall be in line with the requirements of maintaining a healthy teacher-student ratio in each class and for creating more opportunities for building relationships with tutors and counsellors. It shall be ensured that students are able to connect with the tutor and that the student has easy access and visibility to the screen/blackboards.
- (3) The private coaching centres shall not enroll students before they have passed the secondary school examination.
- (4) The students shall be well apprised about the difficulty of exams, syllabus, level of intensity of preparation, and efforts required from the student before enrolling into the curriculum.
- (5) The students shall be made aware about the educational environment, cultural living, realities, and difference between preparation of school-level examinations and competitive examinations.
- (6) Apart from options for admission in engineering and medical institutes, information about other career options may be provided to the students, so that they do not get stressed about their future and can choose a new option of alternative careers.
- (7) An admission or mock test to assess the capability of the student may be conducted. Based on the capability and interest of the student, the private coaching centre may convey the realistic expectation of the student's capability to parents and suggest the way forward.
- (8) The students and parents shall be made aware that admission in the private coaching centre is in no way a guarantee of success for admission in institutions like medical, engineering, management, law, etc., or in competitive examinations.
- (9) Private coaching centres should create awareness amongst students and parents regarding the pedagogy, the timeline of the course, and the facilities available in the coaching centre. They may be counselled about the negative impacts of unnecessary mental pressure and burden of expectation on their children.

(10) Private coaching centres shall not make public the result of assessment tests conducted by them. Keeping the assessment test confidential, it should be used for regular analysis of performance of students and the student whose educational performance is deteriorating should be provided counselling as per the provisions of these guidelines.

(11) Private coaching centres shall adopt and implement a mental health policy, drawing cues from the UMMEED Draft Guidelines, the MANODARPAN initiative, and the National Suicide Prevention Strategy. This policy shall be reviewed and updated annually and made publicly accessible on the centre's website and notice boards of the coaching centre.

(12) Private coaching centres with 100 or more enrolled students shall appoint/engage at least one qualified counsellor, psychologist, or social worker with demonstrable training in child and adolescent mental health. Institutions with fewer students shall establish formal referral linkages with professionals.

(13) Private coaching centres shall ensure optimal student-to-counsellor ratios. Dedicated mentors or counsellors shall be assigned to smaller batches of students, especially during examination periods and academic transitions, to provide consistent, informal, and confidential support.

(14) Private coaching centres shall, as far as possible, refrain from engaging in batch segregation based on academic performance, public shaming, or assignment of academic targets disproportionate to students' capacities.

(15) Private coaching centres shall establish written protocols for immediate referral to mental health services, local hospitals, and suicide prevention helplines. Suicide helpline numbers, including Tele-MANAS and other national services, shall be prominently displayed in hostels, classrooms, common areas, and on websites in large and legible print.

(16) All teaching and non-teaching staff shall undergo mandatory training at least twice a year, conducted by certified mental health professionals, on psychological first-aid, identification of warning signs, response to self-harm, and referral mechanisms.

(17) Private coaching centres shall ensure that all teaching, non-teaching, and administrative staff are adequately trained to engage with students from vulnerable and marginalised backgrounds in a sensitive, inclusive, and non-discriminatory manner. This shall include, but not be limited to, students belonging to Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Other Backward Classes (OBC), Economically Weaker Sections (EWS), LGBTQ+ communities, students with disabilities, those in out-of-home care, and students affected by bereavement, trauma, prior suicide attempts, or marginalisation, including intersecting forms of marginalisation.

(18) Private coaching centres shall establish robust, confidential, and accessible mechanisms for the reporting, redressal, and prevention of incidents involving sexual assault, harassment, ragging, and bullying on the basis of caste, class, gender, sexual orientation, disability, religion, or ethnicity. Every such institution shall constitute an internal committee or designated authority empowered to take immediate action on complaints and provide psycho-social support to victims. Private coaching centres shall also maintain zero tolerance for retaliatory actions against complainants or whistle-blowers. In all such cases, immediate referral to trained mental health professionals must be ensured, and the student's safety, physical and psychological, shall be prioritised. Failure to take timely or adequate action in such cases, especially where such neglect contributes to a student's self-harm or suicide, shall be treated as institutional culpability, making the administration liable to regulatory and legal consequences.

(19) Private coaching centres shall regularly organise sensitisation programmes (physical and/or online) for parents and guardians on student mental health. It shall be the duty of the coaching centres to sensitise the parents and guardians to avoid placing undue academic pressure, to recognise signs of psychological distress, and to respond empathetically and supportively. Further, mental health literacy, emotional regulation, life skills education, and awareness of institutional support services shall be integrated into student orientation programmes and co-curricular activities.

(20) Private coaching centres shall maintain anonymised records and prepare an annual report indicating the number of wellness interventions, student referrals, training sessions, and mental health-related activities. This report shall be submitted to the District Committee.

(21) Private coaching centres shall prioritise extracurricular activities, including sports, arts, and personality development initiatives. Examination patterns shall be periodically reviewed to reduce academic burden and to cultivate a broader sense of identity among students beyond test scores and ranks.

(22) Private coaching centres shall provide regular, structured career counselling services for students and their parents or guardians. These sessions shall be conducted by qualified counsellors and shall aim to reduce unrealistic academic pressure, promote awareness of diverse academic and professional pathways, and assist students in making informed and interest-based career decisions. Institutions shall ensure that such counselling is inclusive, sensitive to socio-economic and psychological contexts, and does not reinforce narrow definitions of merit or success.

(23) Residential-based private coaching centres, including hostel owners, wardens, and caretakers, shall take proactive steps to ensure that campuses remain free from harassment, bullying, drugs, and other harmful substances, thereby ensuring a safe and healthy living and learning environment for all students.

(24) Residential-based private coaching centres shall install tamper-proof ceiling fans or equivalent safety devices, and shall restrict access to rooftops, balconies, and other high-risk areas, in order to deter impulsive acts of self-harm.

14. Maintenance of Records.—(1) The private coaching centre should maintain and produce such records, accounts, registers, or other documents, as may be prescribed by the State Government.

(2) The private coaching centre shall submit the annual report to the District Committee for the record.

15. Restriction on Shifting.—A private coaching centre shall conduct coaching only at the place indicated in the registration certificate and shall not shift to any other place without prior written approval of the District Committee.

16. Enquiry and Monitoring.—The District Committee, or any other officer authorized by the Authority, shall conduct continuous monitoring of the activities of private coaching centres and may enquire into the functioning of any such centre to verify compliance with the prescribed eligibility conditions for registration and to ensure that its activities are being carried out in a satisfactory manner.

17. Disposal of Complaints.—A complaint may be filed before the District Committee against a private coaching centre by a student, parent, or tutor/employee of the coaching centre.

Upon receipt of such complaint, or upon a reference made by the Authority, the District Committee may either itself, or through any of its members authorized for the said purpose by the Chairperson of the District Committee, enquire into the matter. After conducting such enquiry, the District Committee may pass an appropriate order within thirty days from the date of receipt of the complaint.

18. Penalties and Cancellation of Registration.—(1) In case of violation of any of the provisions of these rules or guidelines issued under these Rules, a private coaching centre shall be liable for penalties for each such violation as follows:—

- (a) up to rupees 50,000/- for the first violation;
- (b) up to rupees 2,00,000/- for the second violation; and
- (c) cancellation of registration in case the violation still continues or for subsequent violation:

Provided that, no such order shall be passed by the District Committee without giving the holder of such certificate a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

19. Procedure for Appeal.—(1) Any person aggrieved by an order of refusal of registration, renewal, or cancellation, or imposition of penalty, or any other order made by the District Committee may file an appeal within thirty days before the Appellate Authority.

(2) The Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the said period.

(3) The Authority shall dispose of the appeal within thirty days of filing of the appeal after giving an opportunity of being heard.

20. Power to Issue Guidelines.—The State Government may, from time to time, issue necessary guidelines for carrying out the purposes of these Rules.

FORM-A
[See Rule 7(3)]

Application for Registration of a Private Coaching Centre

To
The Chairperson,
District Committee
District _____
Himachal Pradesh

1. Name of the Private Coaching Centre:
2. Address of the Coaching Centre (with complete postal address):

District: _____ PIN Code: _____

3. Contact Details of the Coaching Centre:

- (a) Telephone/Mobile No.: _____
- (b) Email ID: _____
- (c) Website (if any): _____
4. Name and Details of the Proprietor/Owner:
- (a) Name: _____
- (b) Father's/Mother's Name: _____
- (c) Residential Address: _____
- (d) Mobile No.: _____
- (e) Email ID: _____
5. Legal Status of the Coaching Centre:
(Tick the appropriate option)
- ☐ Proprietorship
- ☐ Partnership Firm
- ☐ Society
- ☐ Trust
- ☐ Company
- ☐ Other (specify) _____
6. Year of Establishment of the Coaching Centre: _____
7. Details of Courses/Coaching Programmes Offered:
- | Sr. No. | Name of Course/
Programme | Target
Examination/Study
Programme | Duration of
Course | Proposed
Number of
Batches |
|---------|------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | |
8. Maximum Number of Students Proposed in Each Batch: _____
9. Total Maximum Intake Capacity of the Coaching Centre: _____
10. Details of Tutors/Faculty Members:
- | Sl. No. | Name | Educational Qualification | Subject/Area of
Teaching | Experience
(Years) |
|---------|------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | |
- (Attach additional sheets, if required)
11. Details of Counsellor (if applicable):
- | Name | Qualification | Experience | Contact Details |
|------|---------------|------------|-----------------|
| | | | |
12. Details of Infrastructure and Facilities:—
- (a) Total area of coaching premises (in square meters): _____
- (b) Area available per student (in square meters): _____
- (c) Facilities available (tick where applicable):
- ☐ Furniture (benches/desks)
- ☐ Adequate lighting arrangements

- ☐ Safe drinking water
- ☐ Separate toilets for male and female students
- ☐ Fire safety measures
- ☐ First aid facilities
- ☐ Parking space
- ☐ Reading room / library
- ☐ CCTV surveillance
- ☐ Ventilation and electrification

13. Details of Fire and Building Safety Certificate:

- (a) Issuing Authority: _____
- (b) Certificate Number: _____
- (c) Date of Issue: _____
- (d) Valid up to: _____

(Attach copy)

14. Details of Hostel Facility (if provided):

- (a) Whether hostel facility is provided: Yes / No
- (b) Address of hostel (if different from coaching centre): _____
- (c) Total capacity of hostel: _____

15. Prospectus Details:

Whether the coaching centre has prepared a prospectus containing:

- ☐ Courses and curriculum
- ☐ Duration of courses
- ☐ Fee structure (including tuition fee)
- ☐ Refund policy
- ☐ Easy exit policy
- ☐ Lecture/tutorial/test schedule

(Attach copy of prospectus)

16. Registration Fee Details:

Amount Paid: Rs. 50,000/-

Mode of Payment: _____

Transaction/Receipt No.: _____

Date: _____

17. List of Documents Attached

- 18. Copy of prospectus of the coaching centre
- 19. Academic qualifications and bio-data of tutors
- 20. Bio-data and experience details of counsellor
- 21. Details of coaching area and infrastructure
- 22. Details of facilities available in the coaching centre
- 23. Fire and Building Safety Certificate from competent authority
- 24. Affidavit/Undertaking by the proprietor as required under Rule 8(1)(h)
- 25. Any other document (specify): _____

Declaration/Undertaking

I, _____, Proprietor/Authorized Representative of the above-mentioned Private Coaching Centre, do hereby declare that:

1. The information furnished in this application is true and correct to the best of my knowledge and belief.
2. The coaching centre complies with, or shall comply with, all provisions of the *Himachal Pradesh Private Coaching Centres (Registration and Regulation) Rules, 2026*.
3. I undertake to abide by all terms and conditions prescribed under the said Rules and any directions issued by the Authority or District Committee from time to time.
4. I understand that furnishing false information or suppression of material facts shall render this application liable to rejection and may result in cancellation of registration and imposition of penalties under the Rules.

Place: _____

Date: _____

Signature of Applicant

Name: _____

Designation: Proprietor/Authorized Signatory

For Office Use Only

Application No.: _____

Date of Receipt: _____

Registration Fee Received: Yes / No

Remarks: _____

Signature

Authorized Officer

District Committee

District _____

FORM-B

[See Rule 7(5)]

Certificate of Registration of Private Coaching Centre

Certificate No.: _____

Date: _____

This is to certify that the Private Coaching Centre described below has been registered under the provisions of the *Himachal Pradesh Private Coaching Centres (Registration and Regulation) Rules, 2026*.

1. Name of the Private Coaching Centre:
2. Address of the Coaching Centre:

District: _____ PIN Code: _____

3. Name of the Proprietor/Owner:
4. Courses/Coaching Programmes Offered:
5. Maximum Approved Student Capacity:
6. Registration Number:
7. Date of Issue of Registration Certificate:
8. Validity of Registration:

This registration certificate shall remain valid for a period of three years from the date of issue unless cancelled earlier in accordance with the provisions of the Rules.

Conditions of Registration:

1. The coaching centre shall comply with all provisions of the *Himachal Pradesh Private Coaching Centres (Registration and Regulation) Rules, 2026*.
2. The coaching centre shall operate only at the address mentioned in this certificate and shall not shift its premises without prior approval of the District Committee.
3. The coaching centre shall prominently display this certificate at a visible place in its premises.
4. The coaching centre shall use only the words “Registered Coaching Centre” and shall not use the words “Recognised” or “Approved” in any advertisement, prospectus, signboard, or communication.
5. The coaching centre shall be subject to inspection and monitoring by the District Committee or any officer authorized by the Authority.

Signature: _____

Chairperson
District Committee

District _____
Himachal Pradesh

Official Seal

FORM-C
[See Rule 7(7)]

Application for Renewal of Registration of Private Coaching Centre

To
The Chairperson
District Committee
District _____
Himachal Pradesh

1. Name of the Private Coaching Centre:
2. Registration Certificate Number:
3. Date of Issue of Registration Certificate:
4. Date of Expiry of Registration Certificate:
5. Address of the Coaching Centre:
6. Name and Details of Proprietor/Owner:
7. Details of Courses Currently Offered:
8. Total Number of Students Enrolled:
9. Maximum Student Capacity Approved:
10. Details of Tutors Currently Employed:

Sl. No.	Name	Qualification	Experience
---------	------	---------------	------------

11. Details of Counsellor (if applicable)

Name: _____

Qualification: _____

Experience: _____

12. Whether there has been any change in infrastructure, premises, or management since the grant of registration:

☐ Yes

☐ No

If yes, give details:

13. Renewal Fee Details

Amount Paid: Rs. 25,000/-

Mode of Payment: _____

Receipt/Transaction No.: _____

Date: _____

14. Documents Attached
15. Copy of existing Registration Certificate
16. Audited Statement of Accounts certified by a Chartered Accountant
17. Updated list of tutors and counsellors
18. Any other document (specify): _____

Declaration

I hereby declare that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge and belief and that the coaching centre continues to comply with all provisions of the *Himachal Pradesh Private Coaching Centres (Registration and Regulation) Rules, 2026*.

Place: _____

Date: _____

Signature of Applicant

Name: _____

Designation: Proprietor/Authorized Signatory

समक्ष नायब तहसीलदार, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्रीमती सुमन शर्मा विधवा नीरज शर्मा महाल नधूं मौजा जलाडी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्रीमती सुमन शर्मा विधवा नीरज शर्मा महाल नधूं मौजा जलाडी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने दिनांक 11-02-2026 को इस कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थिया ने अनुरोध किया है कि प्रार्थिया के पति का नाम कागजात माल महाल नधूं मौजा जलाडी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में सुमन शर्मा विधवा नीरज कुमार दर्ज है, परन्तु अन्य जगह जैसा कि आधार कार्ड, परिवार नकल आदि में प्रार्थिया के पति का नाम सुमन शर्मा विधवा नीरज शर्मा दर्ज है। प्रार्थिया का कहना है कि यह दोनों नाम उसके पति के ही हैं। प्रार्थिया अपना नाम अब दुरुस्त करवाकर कागजात माल महाल नधूं मौजा जलाडी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में सुमन शर्मा विधवा नीरज शर्मा दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस सरकारी गजट द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया के नाम को दुरुस्त करवाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख 16-05-2026 को सुबह 10.00 बजे मुकाम तहसील कार्यालय नादौन में हाजिर अदालत होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया के प्रार्थना-पत्र के अनुसार नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 06-04-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार,

तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

समक्ष नायब तहसीलदार, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्री नरेन्दर सिंह पुत्र सीता राम महाल रियोडी झिकली, मौजा भुम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्री नरेन्दर सिंह पुत्र सीता राम महाल रियोडी झिकली, मौजा भुम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने दिनांक 07-04-2026 को इस कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि प्रार्थी का नाम कागजात माल महाल रियोडी झिकली, मौजा भुम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में नरेन्दर कुमार पुत्र सीता राम दर्ज है, परन्तु अन्य जगह जैसा कि आधार कार्ड, परिवार नकल आदि में प्रार्थी का नाम नरेन्दर सिंह पुत्र सीता राम दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि यह दोनों नाम उसके हैं। प्रार्थी अपना नाम अब दुरुस्त करवाकर कागजात माल महाल रियोडी झिकली, मौजा भुम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में नरेन्दर सिंह पुत्र सीता राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सरकारी गजट द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करवाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन

तारीख 16-05-2026 को सुबह 10.00 बजे मुकाम तहसील कार्यालय नादौन में हाजिर अदालत होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया के प्रार्थना-पत्र के अनुसार नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07-04-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार,
तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

**In the Court of Swati Dogra, HPAS Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Barsar,
District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Kuldeep Chand s/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village Kotlu, P.O. Bahina, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.)

2. Ms. Veena Kumari Ex. w/o Ranjeet Singh presently d/o Sh. Nanak Chand, r/o Village Salan Balh, P.O. Karer, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) .. Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Kuldeep Chand and Mrs. Veena Kumari have filed an application u/s 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 21-02-2026. Therefore, the general public is hereby informed through this marriage may file notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 02-05-2026. In case no objection is received by 02-05-2026, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 31-03-2026.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Barsar (H.P.).

**In the Court of Swati Dogra, HPAS Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Barsar,
District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Neeraj Kumar s/o Sh. Pritam Kumar, r/o Village Dhamrol, P.O. Dhamrol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)

2. Ms. Priyanka d/o Sh. Suresh Kumar, r/o Village & P.O. Kulhera, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.) at present wd/o Parveen Kumar Sharma s/o Sh. Karam Chand, r/o Village Baditter, P.O. Batarli, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) .. Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Neeraj Kumar and Mrs. Priyanka have filed an application u/s 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 02-04-2026. Therefore, the general public is hereby informed through this marriage may file notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 05-05-2026. In case no objection is received by 05-05-2026, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 02-04-2026.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Barsar (H.P.).

**In the Court of Sh. Vikash Shukla, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Ajay Sadyal aged 26 years s/o Sh. Lekh Raj, r/o V.P.O. Chamiana, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) at present c/o Sh. Piar Chand s/o Ajit Singh, r/o Village Paddar, P.O. Majhog Sultani, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Vishali Sharma aged 19 years d/o Sh. Mahinder Pal Gautam, r/o Nauri, P.O. Pirsaluhi, Tehsil Rakkar, District Kangra (H.P.) .. Applicant

Versus

The General Public

.. Respondent.

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Ajay Sadyal aged 26 years s/o Sh. Lekh Raj, r/o V.P.O. Chamiana, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) at present c/o Sh. Piar Chand s/o Ajit Singh, r/o Village Paddar, P.O. Majhog Sultani, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) and Vishali Sharma aged 19 years d/o Sh. Mahinder Pal Gautam, r/o Nauri, P.O. Pirsaluhi, Tehsil Rakkar, District Kangra (H.P.) have filed an application

alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 12-03-2026 at Tauni Devi Mandir, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur, H.P. as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 15-05-2026. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 13-04-2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Sh. Vikas Shukla, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Akshit Chauhan aged 32 years s/o Sh. Uttam Chand, r/o Village Samona, P.O. Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Shikha Dogra aged 28 years d/o Sh. Ashok Dogra, r/o House No. 399, LIG Housing Board Colony, Sector 7, Extension, Gurgaon Haryana . . Applicants.

Versus

The General Public

. . Respondent.

Subject.— Notice of the Intended Marriage.

Akshit Chauhan aged 32 years s/o Sh. Uttam Chand, r/o Village Samona, P.O. Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Shikha Dogra aged 28 years d/o Sh. Ashok Dogra, r/o House No. 399, LIG Housing Board Colony, Sector 7, Extension, Gurgaon Haryana have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 04-052026. The objections received after 04-052026 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 16-04-202 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

(VIKAS SHUKLA, H.A.S.),
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).*

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

इशतहार

उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती किरण कुमारी पुत्र चन्द, निवासी देहरा अरला, मौजा तरसूह, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि मेरा नाम नकल जमाबन्दी पर्चा में किरण देवी दर्ज है जोकि गलत है। जबकि प्रार्थिया का आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र में किरण कुमारी दर्ज है। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, शपथ-पत्र व रिकार्ड कागजात को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थिया का सही नाम किरण कुमारी की बजाये किरण कुमार उपनाम किरण देवी दर्ज किया जाना वाजिब है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि नकल जमाबन्दी में नाम दुरुस्त करवाने बारे किसी को कोई एतराज है तो वह अपना एतराज दिनांक 07-05-2026 को सम्बन्धित तहसील कार्यालय में असालतन/वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 04-04-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

इशतहार

उपरोक्त प्रार्थी तिलक राज पुत्र तिडू राम, निवासी तहसील जनयानकड़, तहसील व जिला कांगड़ा ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि मेरे पिता का नाम नकल जमाबन्दी पर्चा में तिडू दर्ज है जोकि गलत है। जबकि आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर में तिडू राम दर्ज है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, शपथ-पत्र व रिकार्ड कागजात को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थी के पिता का सही नाम तिडू राम की बजाये तिडू राम उपनाम तिडू दर्ज किया जाना वाजिब है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि नकल जमाबन्दी में नाम दुरुस्त करवाने बारे किसी को कोई एतराज है तो वह उपनाम एतराज दिनांक 14-05-2026 को सम्बन्धित तहसील कार्यालय में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-04-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

दीना नाथ पुत्र श्री दयालु राम, निवासी गांव कन्याल, डाकघर छियाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

दीना नाथ पुत्र श्री दयालु राम, निवासी गांव कन्याल, डाकघर छियाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उनका जन्म 03-04-1964 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत नसोगी के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि दीना नाथ पुत्र श्री दयालु राम की जन्म तिथि 03-04-1964 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को दीना नाथ पुत्र श्री दयालु राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-05-2026 को अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत नसोगी के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

मिसल नं0 : 818631 / 26

आगामी पेशी : 07-05-2026

श्री शेर सिंह पुत्र मंगलू, निवासी गांव बश्तयाहरा, डा0 बजाहरा, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—Section 37 of H.P. Land Revenue Act, 1954 (राजस्व इंद्राज दुरुस्ती)

श्री शेर सिंह पुत्र मंगलू, निवासी गांव बश्तयाहरा, डा0 बजाहरा, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में ऑनलाईन आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख मोहाल शैंशर, पटवार वृत्त शैंशर में शेरु दर्ज है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम शेर सिंह दर्ज है, जोकि सही है। प्रार्थी ने ब्यान हल्फिया दिया है कि शेरु व शेर सिंह दोनों नाम उसके ही हैं। प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शैंशर के मोहाल शैंशर में अपना नाम शेरु के बजाये शेरु उर्फ शेर सिंह दर्ज

करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है उसका नाम दर्ज करने के सम्बन्धित क्षेत्रीय कानूनगो/पटवारी को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शैंशर के मोहाल शैंशर में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 07-05-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शैंशर के मोहाल शैंशर, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थी का नाम शेरू उर्फ शेर सिंह दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 10-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

मिसल नं० : 818622/26

आगामी पेशी : 05-05-2026

श्री प्रताप सिंह पुत्र राम सरन, निवासी गांव खाईण, डा0 बजाहरा, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—Section 37 of H.P. Land Revenue Act, 1954 (राजस्व इन्द्राज दुरुस्ती)

श्री प्रताप सिंह पुत्र राम सरन, निवासी गांव खाईण, डा0 बजाहरा, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख मोहाल शैंशर, पटवार वृत्त शैंशर में प्रताप चन्द दर्ज है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम प्रताप सिंह दर्ज है, जोकि सही है। प्रार्थी ने ब्यान हल्फिया दिया है कि प्रताप चन्द व प्रताप सिंह दोनों नाम उसके ही हैं। प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शैंशर के मोहाल शैंशर में अपना नाम प्रताप चन्द के बजाये प्रताप चन्द उर्फ प्रताप सिंह दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है उसका नाम दर्ज करने के सम्बन्धित क्षेत्रीय कानूनगो/पटवारी को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शैंशर के मोहाल शैंशर में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 05-05-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शैंशर के मोहाल शैंशर, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थी का नाम प्रताप चन्द उर्फ प्रताप सिंह दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 08-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैज,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

मिसल नं0 : 818623/26

आगामी पेशी : 05-05-2026

श्री ब्रिकम राम पुत्र कर्मू, निवासी गांव लपाह, डा0 मदाना, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—Section 37 of H.P. Land Revenue Act, 1954 (राजस्व इंद्राज दुरुस्ती)।

श्री ब्रिकम राम पुत्र कर्मू, निवासी गांव लपाह, डा0 मदाना, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख मोहाल लपाह, पटवार वृत्त शांघड़ में वृकम चन्द दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम ब्रिकम राम दर्ज है, जोकि सही है। प्रार्थी ने ब्यान हल्फिया दिया है, कि वृकम चन्द व ब्रिकम राम दोनों नाम उसके ही हैं। प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शांघड़ के मोहाल लपाह में अपना नाम वृकम चन्द के बजाये वृकम चन्द उर्फ ब्रिकम राम दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है उसका नाम दर्ज करने के सम्बन्धित क्षेत्रीय कानूनगो/पटवारी को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शांघड़ के मोहाल लपाह में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 05-05-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शांघड़ के मोहाल लपाह, तहसील सैंज में उक्त प्रार्थी का नाम वृकम चन्द उर्फ ब्रिकम राम दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 08-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

मिसल नं0 : 818625/26

आगामी पेशी : 06-05-2026

श्री सोभ राम पुत्र नोखु, निवासी गांव बाईटीसारी, डा0 रोपा, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—Section 37 of H.P. Land Revenue Act, 1954 (राजस्व इंद्राज दुरुस्ती)।

श्री सोभ राम पुत्र नोखु, निवासी गांव बाईटीसारी, डा0 रोपा, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख मोहाल सुचैहण,

पटवार वृत्त बनोगी में सोभा राम दर्ज है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम सोभ राम दर्ज है, जोकि सही है। प्रार्थी ने ब्यान हल्फिया दिया है कि सोभा राम व सोभ राम दोनों नाम उसके ही हैं। प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त बनोगी के मोहाल सुचैहण में अपना नाम सोभा राम के बजाये सोभा राम उर्फ सोभ राम दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है उसका नाम दर्ज करने के सम्बन्धित क्षेत्रीय कानूनगो/पटवारी को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त बनोगी के मोहाल सुचैहण में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 06-05-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त बनोगी के मोहाल सुचैहण, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थी का नाम सोभा राम उर्फ सोभ राम दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 06-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैन्ज,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

मिसल नं0 : 818624/26

आगामी पेशी : 05-05-2026

श्री भाग चन्द पुत्र मंगलू, निवासी गांव बशत्याहरा, डा0 बजाहरा, तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—Section 37 of H.P. Land Revenue Act, 1954 (राजस्व इन्द्राज दुरुस्ती)

श्री भाग चन्द पुत्र मंगलू, निवासी गांव बशत्याहरा, डा0 बजाहरा, तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख मोहाल शैशर, पटवार वृत्त शैशर में भागी दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम भाग चन्द दर्ज है, जोकि सही है। प्रार्थी ने ब्यान हल्फिया दिया है कि भागी व भाग चन्द दोनों नाम उसके ही हैं। प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शैशर के मोहाल शैशर में अपना नाम भागी के बजाये भागी उर्फ भाग चन्द दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है उसका नाम दर्ज करने के सम्बन्धित क्षेत्रीय कानूनगो/पटवारी को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शैशर के मोहाल शैशर में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 05-05-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शैशर के मोहाल शैशर, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थी का नाम भागी उर्फ भाग चन्द दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 08-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**In the court of Sh. Aditya Guleria, Executive Magistrate,
Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)**

Case No.: 28/NT/26

Date of hearing : 04-05-2026

In the matter of:

Smt. Saraj Bibi d/o Sh. Abdul Haq, r/o Vill. Dugrain, P.O. Kanaid, Tehsil Sundernagar,
Distt. Mandi (H.P.) . . Applicant.

Vs.

General Public

. . Respondent.

Subject.—Registration of delayed birth of the applicant.

Whereas an application u/s 13(3) of the Registration of Birth and Death Act, 1969 has been received from Smt. Saraj Bibi d/o Sh. Abdul Haq, r/o Vill. Dugrain, P.O. Kanaid, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) seeking registration of her delayed birth event, stated to have been born on 08-01-1973 at Village Dugrain, P.O. Kanaid, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, which could not be entered/registered within the prescribed period under the Registration of Birth and Death Act, 1969 in the record of Gram Panchayat Kanaid.

And, whereas the said applicant has prayed for registration of the said birth at this belated stage.

Now, therefore, notice is hereby given to the general public that if any person has any objection or information regarding the facts stated in the said application, he/she may submit the same in writing alongwith supporting evidence, if any, to the undersigned on or before 04-05-2026.

In case no objection is received within the stipulated period, it shall be presumed that no one has any objection, and the matter shall be proceeded with further as per law.

Issued under my hand and seal on this day of 25th of March, 2026.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं० : 05 / 2025

तारीख मरजुआ : 06-01-2026

तारीख पेशी : 06-02-2026

श्रीमती कला देवी पुत्री श्री तोता राम हाल पत्नी श्री मनोहर लाल, निवासी नालसन, डा० साईगलू,
तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कला देवी पुत्री श्री तोता राम हाल पत्नी श्री मनोहर लाल, निवासी नालसन, डा0 साईगलू, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया का नाम कला देवी, जन्म दिनांक 01-01-1946 है, लेकिन प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि पंचायत साई के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः ग्राम पंचायत साई में उनका नाम व जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश देकर कृतार्थ करें।

प्रार्थना-पत्र में प्रार्थिया का नाम कला देवी व जन्म तिथि 01-01-1946 का पंजीकरण दर्ज करने बारा आम जनता को प्रतिवादी बनाया है, चूंकि आम जनता को समन तामील साधारणतय संभव नहीं है अतः इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत साई में पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 06-05-2026 को पुर्वाहण या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। अन्याथा अनुपस्थिति की अवस्था में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी व यथोचित आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 06-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Nikhil Thakur s/o Sh. Pradeep Thakur, r/o H. No. 234, Lower Bhiuli Home Guard Street near B.D.O. Office Bhiuli, Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.).

2. Smt. Surbhi d/o Sh. Shiv Lal, r/o H. No. 302/2, Purani Mandi, P.O. Purani Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.)
.. Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Nikhil Thakur s/o Sh. Pradeep Thakur, r/o H. No. 234, Lower Bhiuli Home Guard Street near B.D.O. Office Bhiuli, Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) and Smt. Surbhi d/o Sh. Shiv Lal, r/o H. No. 302/2, Purani Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) (at present wife of Sh. Nikhil Thakur s/o Sh. Pradeep Thakur, r/o H. No. 234, Lower Bhiuli Home Guard Street near B.D.O. Office Bhiuli, Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi H.P.) have

filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 07-03-2026 according to Hindu rites and customs at Baniuri Dev Temple Baniurgarh, Tehsil Chachiot, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person, who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 06-05-2026, after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 7th day of April, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसीलदार, तहसील धर्मपुर,
जिला मण्डी (हि0प्र0)**

मिसल नं० : 01 / 2026

तारीख मजरूआ : 02-04-2026

तारीख पेशी : 05-05-2026

श्रीमती प्रेम लता पत्नी श्री प्रवीण कुमार, निवासी रियुर, डाकघर धर्मपुर, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.— इश्तहार मुश्री/मुनादी व राजपत्र मकफूद उलखबरी।

प्रार्थिया श्रीमती प्रेम लता पत्नी श्री प्रवीण कुमार, निवासी रियुर, डाकघर धर्मपुर, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र इस आशय से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि मेरी भाभी श्रीमती कुन्ता देवी पत्नी स्व० शशी पाल, निवासी बिगां, डा० बिगां, तहसील धर्मपुर 12 वर्षों से लापता है। प्रार्थना-पत्र की छानबीन श्रेत्रीय राजस्व अभिकरण द्वारा करवाई गई, जिसके अनुसार प्रार्थिया की भाभी श्रीमती कुन्ता देवी पत्नी स्व० शशी पाल, निवासी बिगां अपने घर से यह कह कर चली गई थी कि वह अपने मायके खेलग जा रही थी परन्तु दो दिन बाद पता चला कि वह खेलग नहीं गई तथा वह वर्ष 2014 लापता है। प्रार्थिया ने ब्यान दिया है कि उसने अपनी भाभी की काफी तलाश की परन्तु वह कही नहीं मिली। प्रार्थिया की भाभी पिछले 12 वर्षों से लापता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है तथा उसके वापिस आने का कोई असार नहीं है। श्रीमती कुन्ता देवी के पति व सास की मृत्यु हो चुकी है तथा उसकी कोई औलाद नहीं है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती कुन्ता देवी का मकफूद उलखबरी का इन्तकाल महाल बिगां में दर्ज व तस्दीक करने बारे कोई एतराज हो तो वह असागतन या वकालतन हाजिर न्यायालय आकर मिति 05-05-2026 को पैरवी मुकद्दमा कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 02-04-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसीलदार,
तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

Office of the Sub-Registrar Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)

Case No. : 01/NT/2026

Date of hearing : 05-05-2026

In the matter of:

Roshan Lal, aged 63 years s/o Sh. Bhag Chand s/o Atma Ram, r/o Village Kamrahu, P.O. Chambi, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi H.P. . . *Applicant.*

Vs.

1. Smt. Medhawati alias Maya Devi d/o Sh. Atma Ram, Presently w/o Sh. Brij Lal, r/o Village Bahot, P.O. Chatrokhari, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.).

2. Smt. Himavati alias Himachali d/o Sh. Atma Ram, Presently w/o Sh. Shyam Lal, r/o Village Mamel, P.O. and Tehsil Karsog, Distt. Mandi (H.P.)

3. General Public . . *Respondents.*

4. Khem Raj s/o Sh. Bhag Chand s/o Atma Ram, r/o Village Kamrahu, P.O. Chambi, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) . . *Performa Respondents.*

Subject.—Application U/s 40 & 41 of the Registration Act, 1908 for Registration of will deed Executed by Deceased Duni Chand s/o Sh. Atma Ram.

Public Notice.—

Whereas, an application has been received in this court for the registration of a WILL under the provisions of Sections 40 & 41 of the Indian Registration Act, 1908 regarding the estate of deceased Sh. Duni Chand s/o Sh. Atma Ram, resident of Village Kamrahu, P.O. Chambi, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.);

And whereas, it has been stated in the application that the deceased Sh. Duni Chand who is stated to have expired on 29-10-2013 and was owner in possession of landed property situated in Mohal Kangra/22 and Mohal Draman/106, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.), as detailed in the application, and that he had executed as WILL in favour of the applicant and performa respondent;

And, whereas, the applicant has prayed for registration of the said WILL, stated to have been executed by the deceased during his lifetime.

Now, therefore, notice is hereby given to the general public and all concerned persons, including legal heirs or any other person having any rights, title or interest in the estate of the deceased, to file their objections, if any, to the proposed registration of the WILL.

Any person having objection may appear in person or through council before this court on or before 05-05-2026 and file their objection alongwith supporting documents. In case no objection is received within stipulated period, the application shall be proceeded with and decided in accordance with law on merits.

Given under my hand and seal of this office on this 31st of March 2026.

Seal.

Sd/-

*Sub-Registrar Sundernagar,
Distt. Mandi (H.P.).*

**In the court of Sh. Aditya Guleria, Executive Magistrate,
Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)**

Case No.: 27/NT/2026

Date of hearing: 07-05-2026

In the matter of:

Sh. Rafiq Mohammed s/o Gulzar, r/o Vill. Dinak, P.O. Kanaid, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) . . Applicant.

Vs.

General Public . . Respondent.

Subject.—Registration of delayed birth of the applicant.

Whereas an application u/s 13(3) of the Registration of Birth and Death Act, 1969 has been received from Sh. Rafiq Mohammed s/o Gulzar, r/o Vill. Dinak, P.O. Kanaid, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.), seeking registration of his delayed birth event, stated to have been born on 04-02-1975 at Village Dinak, P.O. Kanaid, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, which could not be entered/registered within the prescribed period under the Registration of Birth and Death Act, 1969 in the record of Gram Panchayat Kanaid.

And, whereas the said applicant has prayed for registration of the said birth at this belated stage.

Now, therefore, notice is hereby given to the general public that if any person has any objection or information regarding the facts stated in the said application, he/she may submit the same in writing alongwith supporting evidence, if any, to the undersigned on or before 07-05-2026.

In case no objection is received within the stipulated period, it shall be presumed that no one has any objection, and the matter shall be proceeded with further as per law.

Issued under my hand and seal on this day of 6th of April, 2026.

Seal

Sd/-
Executive Magistrate,
Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate, Theog, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.)

Sh. Prem Singh s/o Lt. Sh. Sukh Chain, r/o Village Khadrab, P.O. Cheog, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) .

Versus

General Public . . Respondents.

Whereas, a case regarding entry of birth of Sh. Prem Singh s/o Lt. Sh. Sukh Chain, r/o Village Khadrab, P.O. Cheog, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) has been received in this office

from Additional Distt. Registrar (Birth & Death) with *vide* letter no. 2578, Dated 07-04-2026 for further necessary under Section 13 (3) of Birth & Death registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Prem Singh has also submitted an application on dated 21-04-2026 in this office to enter the date of birth in the record of Registrar, Birth & Death in Gram Panchayat Cheog, Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the person whose date of birth is to be entered	Relation	Date of Birth
1.	Prem Singh	Self	27-11-1965

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named present in the record of Registrar, birth & Death in Gram Panchayat Cheog, Tehsil Theog, may file their claims/objections in the court within one month of publication of this notice in Govt. eGazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 21-04-2026 under my signature and seal of the court.

Seal.

sd/-

*Executive Magistrate,
Theog, District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Shri Manjeet Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H.P.)**

Smt. Nirmala d/o Lt. Sh. Ganga Ram, r/o Village Kyar, P.O. Chally, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas, Smt. Nirmala d/o Lt. Sh. Ganga Ram, r/o Village Kyar, P.O. Chally, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has submitted an application alongwith Non-Availability Certificate issued by the Registrar Birth & Death Gram Panchayat Girab Khurad Shimla, District Shimla (H.P.) before this court under section 13(3) of the Birth & Death Registration of Birth and Death Act, 1969, seeking permission to enter date of birth as 17-01-1966 in the record of the Registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Girab Khurad, Shimla (H.P.).

Particulars of the Applicant:

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Smt. Nirmala	Self	17-01-1966

Hence, this proclamation is issued to the general public with directions if any person has any objection/claim with regard to the entry of the date of birth of the above named person in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Girab Khurad, Shimla, District Shimla

(H.P.) he/she may file such objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which, the matter shall be proceeded with and necessary orders shall be passed in accordance with law.

Issued today on 23-04-2026 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Sh. Ravi Kumar s/o Sh. Man Singh, r/o Village Bahli, P.O. Kungal Balti, Tehsil Nankhari,
District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General Public . . Respondent.

PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of his son's name from "Kavy" to "Shorya" in the records of the Aadhar Card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of his son's name as Shorya s/o Sh. Ravi Kumar in place of Kavy s/o Ravi Kumar, they should appear before the undersigned on or before 16-05-2026 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard, and name will be recorded accordingly.

Issued today on 17th day of the April, 2026 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-
(HARSH AMRENDER SINGH, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Smt. Bimla Devi w/o Sh. Dev Raj, r/o Village Kotla, P.O. Surad, Tehsil Nankhari, District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of her daughter's name from "Diveiya Thakur" to "Divya" in the records of the Aadhar Card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of her daughter's name as Divya d/o Dev Raj in place of Diveiya Thakur d/o Dev Raj, they should appear before the undersigned on or before 15-05-2026 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard, and name will be recorded accordingly.

Issued today on 16th day of the April, 2026 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-
(HARSH AMRENDER SINGH, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Sh. Ashok Kumar s/o Sh. Tikam Singh, r/o Village Pashgaon, P.O. Ganvi, Tehsil Rampur,
District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of his daughter's name from "Aoneka Mehta" to "Anika Mehta" in the records of the Aadhar Card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of his daughter's name as Anika Mehta d/o Ashok Kumar in place of Aoneka Mehta d/o Ashok Kumar, they should appear before the undersigned on or before 15-05-2026 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard, and name will be recorded accordingly.

Issued today on 16th day of the April, 2026 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-
(HARSH AMRENDER SINGH, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Sh. Sunder Singh s/o Sh. Sukh Ram, r/o Village and P.O. Mashnool, Tehsil Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh
.. Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of his daughter's name from "Annavargic" to "Ainnavargis" in the records of the Aadhar Card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of his daughter's name as Ainnavargis d/o Sunder Singh in place of Annavargic d/o Sunder Singh, they should appear before the undersigned on or before 15-05-2026 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard, and name will be recorded accordingly.

Issued today on 16th day of the April, 2026 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-
(HARSH AMRENDER SINGH, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Smt. Shishma Devi w/o Sh. Bala Ram, r/o Village Manjbelu, P.O. Surad, Tehsil Nankhari, District Shimla, Himachal Pradesh
.. Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of her name from "Sushma Devi" to "Shishma Devi" in the records of the Aadhar Card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of her name as Shishma Devi w/o Bala Ram in place of Sushma Devi w/o Bala Ram, they should appear before the undersigned on or before 15-05-2026 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard, and name will be recorded accordingly.

Issued today on 16th day of the April, 2026 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-
(HARSH AMRENDER SINGH, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Smt. Sunu Devi w/o Sh. Moti Lal, r/o Village Barkeli, P.O. Barach, Tehsil Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of her name from "Sanu Devi" to "Sunu Devi" in the records of the Aadhar Card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change her name as Sunu Devi w/o Moti Lal in place of Sanu Devi w/o Moti Lal, they should appear before the undersigned on or before 15-05-2026 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard and name will be recorded accordingly.

Issued today on 16th day of the April, 2026 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-
(HARSH AMRENDER SINGH, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Harsh Amrender Singh, HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Rampur,
District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Sonu s/o Sh. Bheem aged about 39 years, r/o Village and P.O. Damtal, Tehsil Indora, Distt. Kangra Himachal Pradesh A/P C/o Sh. O.P. Mehta (Mehta Stone Crusher), Khaneri, Tehsil Rampur, Distt. Shimla (H.P.)

2. Smt. Devi Shahi d/o Sh. Padam Bhadur Shahi aged about 23 years, r/o Ward N0. 8, V.D.C. Barah, District Dailekh, Nepal . . *Applicants.*

Versus

General Public

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by the undersigned from Sh. Sonu s/o Sh. Bheem aged about 39 years, r/o Village and P.O. Damtal, Tehsil Indora, Distt. Kangra Himachal Pradesh A/P C/o Sh. O.P. Mehta (Mehta Stone Crusher), Khaneri, Tehsil Rampur, Distt. Shimla (H.P.) (Husband) and Smt. Devi Shahi d/o Sh. Padam Bhadur Shahi aged about 23 years, r/o Ward N0. 8, V.D.C. Barah, District Dailekh, Nepal (Wife) alongwith affidavit in the court of the undersigned stating therein that have solemnized their marriage on 03-11-2022 at Shiv Mandir Jhakri, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.).

Keeping in view the above, general public is hereby informed through this notice that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections in this court on or before 15-05-2026, after that no objections shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 16th April, 2026.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).*

**Before Sh. Ravinder Singh Sisodiya, Executive Magistrate Paonta Sahib, District Sirmaur,
Himachal Pradesh**

In the matter of :

Smt. Raksha Devi d/o Sh. Rati Ram, r/o Village Kangra Gurasa, P.O. Rajpur, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.).

Versus

General Public

Subject.— Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003.

Whereas, an application of Smt. Raksha Devi d/o Sh. Rati Ram, under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents has been received in this office from the office of District Registrar-(Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer, District Sirmaur at Nahan, H.P. vide their office letter No. HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-15345 dated 09-03-2026 for entering her name date of birth *i.e.* 01-07-1975 in the birth and death register of G.P. Nagheta, Distt. Sirmaur (H.P.) which could not earlier registered in the relevant registrar of G.P. Nagheta, Distt. Sirmaur (H.P.).

Now, therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Raksha Devi d/o Sh. Rati Ram, r/o Village Kangra Gurasa, P.O. Rajpur, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 04-05-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 04th day of April, 2026.

Seal.

Sd/-
(RAVINDER KUMAR SISODIYA),
Executive Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

Before Sh. Ravinder Kumar Sisodiya, Executive Magistrate Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Smt. Meena d/o Sh. Sher Mohammad, r/o Village & G.P. Amarkot, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.).

Versus

General Public

Subject.— Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003.

Whereas, an application of Smt. Meena d/o Sh. Sher Mohammad, r/o Village & G.P. Amarkot, under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents has been received in this office from the office of District Registrar-(Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer, District Sirmaur at Nahan, H.P. vide their office letter No. HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-12468 dated 03-01-2026 for entering her name and date of birth *i.e.* 10-03-1974 in the birth and death register of G.P. Amarkot, Distt. Sirmaur (H.P.) which could not earlier registered in the relevant registrar of G.P. Amarkot, Distt. Sirmaur (H.P.).

Now, therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Meena d/o Sh. Sher Mohammad, r/o Village & G.P. Amarkot, may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 04-05-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this day of 2026.

Seal.

Sd/-
(RAVINDER SINGH SISODIYA),
Executive Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmour (H.P.).

ब अदालत श्री रविन्द्र कुमार सिसोदिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं० : 803030 / 2026

दायर तिथि : 22-01-2026

श्रीमती गुलनाज पुत्री श्री अलीशेर व पत्नी श्री तासीन अली, निवासी नवादा, डा0 शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थिया गुलनाज पुत्री श्री अलीशेर व पत्नी श्री तासीन अली, निवासी नवादा, डा0 शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फीया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नकल जमाबन्दी वर्ष 2017-18 मौजा मोहकपुर नवादा व परिवार रजिस्टर की नकल सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त शिवपुर, मौजा मोहकपुर नवादा, तहसील पांवटा साहिब के राजस्व अभिलेख में उनका नाम गुरनाज पुत्री अलीशेर दर्ज हो गया है, जिसे प्रार्थिया अपने अन्य दस्तावेजों के मुताबिक राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शिवपुर, मौजा मोहकपुर नवादा में गुरनाज पुत्री अलीशेर की जगह सही नाम गुलनाज पुत्री अलीशेर दुरुस्त करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-05-2026 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H.P.)

Case No.
15/2026

Date of Institution
07-04-2026

Date of Decision
06-05-2026

Sh. Kuldeep s/o Sh. Thakur Dass, r/o Village Gawah, P.O. Darlaghat, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.)

.. Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Regarding delayed registration of death event under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation:

Sh. Kuldeep s/o Sh. Thakur Dass, r/o Village Gawah, P.O. Darlaghat, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his Mother Late Smt. Bohatu Devi w/o Sh. Thakur Dass was expired on 13-01-2002 at Village Gawah, P.O. Darlaghat, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) but her death has not been entered in the records of Gram Panchayat Darla, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non-availability Certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Darla, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for registration of delayed death in respect of Late Smt. Bohatu Devi, may submit their objections in writing to this office on or before 06-05-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained afterwards.

Given under my hand and seal of this office on this 07th day of April, 2026.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Arki, District Solan (H.P.).*

Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H.P.)

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
16/2026	08-04-2026	07-05-2026

Smt. Rukmani Devi d/o Sh. Sudama Ram, r/o Village Gahda, P.O. Danoghat, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.)

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Regarding delayed registration of birth & death event under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation:

Smt. Rukmani Devi d/o Sh. Sudama Ram, r/o Village Gahda, P.O. Danoghat, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that She was born on 01-07-1970 at r/o Village Gahda, P.O. Danoghat, but her birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Danoghat, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non-availability Certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Danoghat, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for registration of delayed birth in respect of Smt. Rukmani Devi, may submit their objections in writing to this office on or before 07-05-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained afterwards.

Given under my hand and seal of this office on this 08th day of April, 2026.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Arki, District Solan (H.P.).*

**In the Court of Assistant Collector Grade-II, Sub-Tehsil Parwanoo,
District Solan (H.P.)**

Case No. : 04/ 2026

Date of Instt. : 10-04-2026

Date of Decision : 19-05-2026

Sh. Hardyal Singh s/o Sulekh Chand, r/o 474/A, Sector-70, Mataur, SAS (Mohali) Punjab-160 071.

Versus

General Public through : M.C Parwanoo, Sub-Tehsil Parwanoo

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Hardyal Singh s/o Sulekh Chand, r/o 474/A, Sector-70, Mataur, SAS (Mohali) Punjab-160 071 has filed an application under section 13 (3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 and section 9(3) of Birth & Death Registraton Rule, 2003 stating therein that the birth of his son namely Bhupinder Singh s/o Sh. Hardyal Singh could not registered in the Death & birth records of M.C Parwanoo, within stipulated period. His Date of Birth is 06-09-1999 and place of Birth is ESI Hospital Parwanoo, Sub-Tehsil Parwanoo. He prayed for passing necessary orders to the Secretary-cum-Registrar Birth & Death, M.C Parwanoo, Sub-Tehsil Parwanoo, for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having objection regarding entering the birth of Bhupinder Singh s/o Sh. Hardyal Singh r/o 474/A, Sector-70 Mataur, SAS (Mohali) Punjab-160 071 may file their objections in this court on or before 19-05-2026, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 10th day of April, 2026.

Seal.

Sd/-

*Assistant Collector 2nd Grade-cum-Naib Tehsildar,
Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Om Prakash s/o Sh. Charno, r/o Vill. Pakla, P.O. Bakani, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Baby one of Seema to Avani. She shall be known as Avani for all purposes in future . All concerned please note.

OM PRAKASH

*s/o Sh. Charno,
r/o Vill. Pakla, P.O. Bakani,
Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Sandesh Kumari aged about 54 years w/o Sh. Anil Kumar, Bhawana (138), Purag, Shimla, Kotkhai (t), Himachal Pradesh-171 202 declare that I have changed my name from Deshu Devi (Old Name) to Sandesh Kumari (New Name). All concerned please may note.

SANDESH KUMARI
w/o Anil Kumar, Bhawana (138),
Purag, Shimla, Kotkhai (t),
Himachal Pradesh-171 202

CHANGE OF NAME

I, Anita Chand w/o Sandeep Singh, r/o Vill. Ambari, P.O. Malan, Teh. Nagrota Bagwan, Distt. Kangra (H.P.) hereby declare that I have changed the name of my daughter from Raavi to Ukshita Parihar. In future, my daughter will be known by her new name is Ukshita Parihar. In the birth record Aadhar Card, School record etc. name of my daughter may please be corrected as Ukshita Parihar.

ANITA CHAND
w/o Sh. Sandeep Singh,
r/o Vill. Ambari, P.O. Malan,
Teh. Nagrota Bagwan, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Jaswant Singh s/o Sh. Prem Chand, r/o Village Jabal Tapriya (390), Post Office Sai, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) declare that my daughter's correct name is Kusum but as per Aadhar Card the name of my daughter is wrongly mentioned as Kasum Devi. Now I want to have my daughter's name corrected to Kusum Devi in her Aadhar Card. Please take note.

JASWANT SINGH
s/o Sh. Prem Chand,
r/o Village Jabal Tapriya (390), Post Office Sai,
Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kamlesh Himta s/o Sh. Kirpa Ram Himta, Village Bholala (Sandli), D.P.F. Deiya (108), Shimla (H.P.)-171 210 declare that I have changed my minor daughter's name from Baby two of Sunita Kuman (Old Name) to Rashi (New Name). All may concerned please note.

KAMLESH HIMTA
s/o Sh. Kirpa Ram Himta,
Village Bholala (Sandli), D.P.F. Deiya (108),
Shimla (H.P.)-171 210.

CORRECTION OF NAME

I, Manu d/o Manglu, Vill. Bulang, P.O. Sudhar, Teh. Padhar, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 5526 8692 9686, my name has been wrongly entered as Mamta Devi. My correct name is Manu also my father's name has been wrongly entered as Mangal Singh, his correct name is Manglu.

MANU
d/o Manglu,
Vill. Bulang, P.O. Sudhar,
Teh. Padhar, Distt. Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Roop Lal s/o Sh. Dumanu Ram, Vill. Kheel, P.O. Nihri, Tehsil Nihri, Sajaora (1), Distt. Mandi (H.P.) declare that in my minor daughter's Aadhar No. 8787 0268 3166, as Punam is wrongly entered. Correct name is Poonam.

ROOP LAL
s/o Sh. Dumanu Ram,
Vill. Kheel, P.O. Nihri,
Tehsil Nihri, Sajaora (1),
Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Bhim Shahi s/o Sh. Chander Bahadur, r/o Vill. Badal, P.O. Jeori, Distt. Shimla (H.P.)-172 101 do hereby declare that I am the father and legal guardian of my minor daughter. That her previous name was Deepika. That I have changed her name to Deepika Shahi, which shall be used for all future purposes.

BHIM SHAHI
s/o Sh. Chander Bahadur,
r/o Vill. Badal, P.O. Jeori,
Distt. Shimla (H.P.)-172 101.

CHANGE OF NAME

I, Gulshan Sharma (New Name) s/o Sh. Madan Lal Sharma, Village Hiun, P.O. Madhana (27), Shimla (H.P.)-171 210 declare that I have changed my name from Deepak Kumar (Old Name) to Gulshan Sharma (New Name) for all future purposes. All concerned may please take note.

GULSHAN SHARMA
s/o Sh. Madan Lal Sharma,
Village Hiun, P.O. Madhana (27),
Shimla (H.P.)-171 210.

CHANGE OF NAME

I, Tulko Devi w/o Sh. Babu Ram, r/o Ward No. 5, Village Khudru, P.O. Naloh, Tehsil Sihunta, Distt. Chamba (H.P.) declare that I have changed my name from Dulko Devi to Tulko Devi. I shall be known as Tulko Devi for all purposes in future. All concerned please note.

TULKO DEVI
w/o Sh. Babu Ram,
r/o Ward No. 5, Village Khudru, P.O. Naloh,
Tehsil Sihunta, Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Indira Devi (New Name) age about 58 years w/o Sh. Shiv Prakash, Tehsil Theog, Jhakri (120), Shimla (H.P.)-171 201 declare that I have changed my name from Indra Devi (Old Name) to Indira Devi (New Name). All concerned please may note.

INDIRA DEVI
w/o Sh. Shiv Prakash,
Tehsil Theog, Jhakri (120),
Shimla (H.P.)-171 201.

CHANGE OF NAME

I, Manoj Kumar s/o Sh. Dalip Singh, 8/5, Village Jonawag, Tehsil Theog, Bagna (7), P.O. Basadhar, Distt. Shimla (H.P.)-171 226 do hereby declare that I have changed my son's name from Pratiyush (Old Name) to Pratyush Rapta (New Name). All concerned may please note.

MANOJ KUMAR
s/o Sh. Dalip Singh,
8/5, Village Jonawag, Tehsil Theog, Bagna (7),
P.O. Basadhar, Distt. Shimla (H.P.)-171 226.

CORRECTION OF NAME

I, Monu Singh s/o Sh. Amrit Singh, r/o House No. 158/13, Mohalla Govindgarh, Nahan (T), P.O. Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that the correct and actual name of my daughter is Luxmi Kaur, as per her all documents/certificates. However, the name of my daughter is incorrectly shown as Lacchmi in her Aadhar Card No. 6004 1804 9696, this is wrong and should be corrected as Luxmi Kaur, in her Aadhar Card. All concerned please may note.

MONU SINGH
s/o Sh. Amrit Singh,
r/o House No. 158/13, Mohalla Govindgarh,
Nahan (T), P.O. Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, बिरमला देवी पत्नी श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव भज्जी, टिकर (4), बासाधार, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)—171 226 यह घोषणा करती हूं कि मैंने अपना नाम रीना देवी (पुराना नाम) से बदलकर बिरमला देवी (नया नाम) कर लिया है। भविष्य में मैं सभी कार्यों और दस्जावेजों में बिरमला देवी के नाम से जानी जाऊंगी। अतः सभी संबंधित अधिकारी कृपया इस परिवर्तन को दर्ज करें।

बिरमला देवी
पत्नी श्री प्रेम सिंह,
निवासी गांव भज्जी, टिकर (4), बासाधार,
तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)—171 226।

CHANGE OF NAME

I, Rajat Kumar s/o Sh. Ghanshyam Dogra, r/o Rukmani Niwas, Friends Colony, Near Bull Center, Holta, P.O. AUC Palampur, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Rajat Kumar to Rajat Kumar Dogra for all purposes in future. All concerned please note.

RAJAT KUMAR
s/o Sh. Ghanshyam Dogra,
r/o Rukmani Niwas, Friends Colony,
Near Bull Center, Holta, P.O. AUC Palampur,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kumari Anu d/o Dhani Ram, Village Fawla, Tehsil Chopal, Irra (146), Shimla, Eera, Himachal Pradesh-171 210 declare that I have changed my name from Anu Kumari (old name) to Kumari Anu (new name). All concerned please may note.

KUMARI ANU
d/o Dhani Ram,
Village Fawla, Tehsil Chopal, Irra (146),
Shimla, Eera, Himachal Pradesh-171 210.

CHANGE OF NAME

I, Santoshi Devi (New Name) w/o Prem Singh Verma, Village Jadeog, Tehsil Theog, Bagon Sandhu (152), P.O. Sandhu, Distt. Shimla, Himachal Pradesh-171 222 declare that I have changed my name from Santosh Verma (Old Name) to Santoshi Devi (New Name) for all future purposes. All concerned may please note.

SANTOSHI DEVI
w/o Prem Singh Verma,
Village Jadeog, Tehsil Theog, Bagon Sandhu (152),
P.O. Sandhu, Distt. Shimla, Himachal Pradesh-171 222.

CHANGE OF NAME

I, Monika Mankotia w/o No. 6390886L Late NK Naresh Kumar Mankotia, V.P.O Chowar, Teh. Amb, Distt. Una (H.P.) declare *vide* affidavit No. 736/T, dtd. 18-4-2026 before Executive Magistrate Amb that in my Aadhar Card & PAN my name has been entered as Monika, I have changed my name from Monika to Monika Mankotia. Please note.

MONIKA MANKOTIA
w/o Late Naresh Kumar Mankotia,
V.P.O Chowar, teh. Amb, Distt. Una (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Amarchan Oli (New Name) s/o Dhan Bahadur, Village Badruni, Alawang (51), Deori Khaneti, Shimla, Himachal Pradesh-171 204 declare that I have changed my name from Amar Chand (old name) to Amarchan Oli (new name) for all future purposes. All concerned may please note.

AMARCHAN OLI
s/o Dhan Bahadur,
Village Badruni, Alawang (51),
Deori Khaneti, Shimla,
Himachal Pradesh-171 204.

[Authoritative English Text of this Department Notification No. LEP-A003/13/2025 Dated 29-04-2026 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

LABOUR, EMPLOYMENT AND OVERSEAS PLACEMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-2, 29th April, 2026

No. LEP-A003/13/2025.—In exercise of the powers conferred by section 67 of the Code on Wages, 2019 (No. 29 of 2019) read with section 2(d), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules to implement the provisions of the Code on Wages, 2019 and in supersession of the Rules and other notifications, orders or schemes, guidelines, circulars, instructions, or any other actions taken or issued under the following Acts : —

- (i) The Payment of Wages Act, 1936;
- (ii) The Minimum Wages Act, 1948; and
- (iii) The Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020 to the extent these rules are made in exercise of the powers conferred by section 29 and section 30 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948)

and section 26 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936) and applicable accordingly, as replaced by the section 69 of the said code *ibid* and are hereby notified, as required by sub-section (1) of the said section 67 of the Code for information of all person(s) likely to be affected by the rules;

However, anything done or any action taken under the above Acts shall be deemed to have been validly done or taken under the corresponding provisions of this code.

Any interested persons who have any Objection(s) or Suggestion(s) with regard to these Rules, may send the same to the Directorate of Labour & Employment, New Himrus Building, Near Himland Hotel, Shimla-171001 through (lep-hp@nic.in), within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra (e-Gazette) of Himachal Pradesh;

The Objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period specified above shall be taken into the consideration by the State Government before finalizing the said draft rules.

DRAFT RULES

CHAPTER-I PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.—1. These rules may be called the Code on Wages (Himachal Pradesh) Rules, 2026.

2. They extend to the whole State of Himachal Pradesh

3. They shall come into force after the date of their final publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the subject or context otherwise requires, —

- (a) “Authority” means the authority appointed by the State Government under sub-section (1) of section 45;
- (b) “Appellate authority” means the appellate authority appointed by the State Government under sub-section (1) of section 49;
- (c) “Appeal” means an appeal preferred under sub-section (1) of section 49;
- (d) “Board” means the State Advisory Board constituted by the State Government under sub-section (1) of section 42;
- (e) “Chairperson” means the chairperson of the Board;
- (f) “Code” means the Code on Wages, 2019 (29 of 2019);

-
- (g) “Committee” means a committee appointed by the State Government under clause (a) of sub-section (1) of section 8;
- (h) “Day” means a period of 24 hours beginning at mid-night;
- (i) “Form” means a form appended to these rules;
- (j) “Highly Skilled Occupation” means an occupation which calls in its performance a specific level of perfection and required competence acquired through intensive technical or professional training or practical occupational experience for a considerable period and also requires of an employee to assume full responsibility for his judgement or decision involved in the execution of such occupation;
- (k) “Inspector-cum-Facilitator” means a person appointed by the State Government, by notification under sub-section (1) of section 51;
- (l) “Member” means a member of the Board and includes its Chairperson;
- (m) “Municipal Corporation/Municipal Council/ Nagar Panchayat” means the areas notified by the Urban Development Department of Himachal Pradesh.
- (n) “Population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;
- (o) “Registered Trade Union” means a trade union registered under The Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020);
- (p) “Rural Area” means the area which does not fall under the Municipal Corporation/Municipal Council/ Nagar Panchayat areas;
- (q) “Schedule” means the schedule annexed to these rules;
- (r) “Section” means a section of the Code;
- (s) “Semi-Skilled Occupation” means an occupation which in its performance requires the application of skill gained by the experience on job which is capable of being applied under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervision over the unskilled occupation;
- (t) “Skilled Occupation” means an occupation which involves skill and competence in its performance through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiating and judgement;
- (u) “State Government” means Government of Himachal Pradesh;
- (v) “Unskilled occupation” means an occupation which in its performance requires the application of simply the operating experience and involves no further skills;
- (2) All other words and expressions used herein in these rules and not defined shall have the meanings respectively assigned to them under the Code.

CHAPTER-II MINIMUM WAGES

3. Manner of calculating the minimum rate of wages.—(1) for the purposes of sub-section (5) of section 6, the minimum rate of wages shall be fixed on the day basis keeping in view the following criteria, namely:—

- (i) The standard working class family which includes a spouse and two children apart from the earning worker; an equivalent of three adult consumption units;
- (ii) A net intake of 2700 calories per day per consumption unit;
- (iii) 66 meters cloth per year per standard working class family;
- (iv) Housing rent expenditure to constitute 10 percent of food and clothing expenditure;
- (v) Fuel, electricity and other miscellaneous items of expenditure to constitute 20 percent of minimum wage; and
- (vi) Expenditure for children education, medical requirement, recreation and expenditure on contingencies to constitute 25 percent of minimum wage;

(2) When the rate of wages for a day is fixed, then, such amount shall be divided by eight for fixing the rate of wages for an hour and multiplied by twenty six for fixing the rate of wages for a month and in such division and multiplication the factors of one-half and more than one-half shall be rounded as next figure and the factors less than one-half shall be ignored.

4. Norms for fixation of minimum rate of wages.—(1) While fixing the minimum rate of wages under section 6, the State Government shall divide the concerned geographical area into four categories, that is to say the Municipal Corporation; Municipal Council; Nagar Panchayat areas notified by the Urban Development Department Himachal Pradesh and the Rural Areas.

(2) The State Government shall constitute a technical committee for the purpose of advising the State Government in respect of skill categorization, which shall consist of the following members, namely :—

- (i) Labour Commissioner (Himachal Pradesh) - Chairperson;
- (ii) Joint Labour Commissioner, Himachal Pradesh dealing with the wages - Member;
- (iii) A representative from the Technical Education Department, Himachal Pradesh - Member;
- (iv) Two technical experts in wage determination as nominated by the State Government-Members; and
- (v) Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh or any other Officer not below the rank of Deputy Labour Commissioner - Member Secretary.

(3) The State Government shall, on the advice of the technical committee referred to in sub-rule (2), categorize the occupations of the employees into four categories that is to say unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled by modifying, deleting or adding any entry in the categorization of such occupations specified in **Schedule A**.

(4) The technical committee referred in sub-rule (2) shall while advising the State Government under sub-rule (3) take into account, to the possible extent, the national classification of occupation or national skills qualification frame work or other similar frame work for the time being formulated to identify occupations.

5. Number of hours of work which shall constitute a normal working day.—(1) The normal working day under clause (a) of sub-section (1) of section 13 shall be comprised of eight hours of work and one or more intervals of rest which in total shall not exceed one hour.

(2) The working day of an employee shall be so arranged that inclusive of the intervals of rest, if any, it shall not spread over more than twelve hours on any day.

(3) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall, in the case of an employee employed in agricultural employment, be subject to such modifications as may, from time to time, be determined by the State Government.

6. Weekly day of rest.— (1) Subject to the provisions of this rule, an employee shall be allowed a day of rest every week (hereinafter referred to as “the rest day”) which shall ordinarily be Sunday, but the employer may fix any other day of the week as the rest day for any employee or class of employees:

Provided that an employee shall be entitled for the rest day under this sub-rule if he has worked under the same employer for a continuous period of not less than six days:

Provided further that the employee shall be informed of the day fixed as the rest day and of any subsequent change in the rest day before the change is effected, by display of a notice to that effect in the place of employment at the place specified by the Inspector-cum-Facilitator in this behalf.

Explanation.—For the purpose of computation of the continuous period of not less than six days specified in the first proviso to this sub-rule, any day on which an employee is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work, a day on which an employee is laid off on payment of compensation under the Industrial Relations Code, 2020, and any leave or holiday, with or without pay, granted by the employer to an employee in the period of six days immediately preceding the rest day, shall be deemed to be days on which the employee has worked.

(2) Any such employee shall not be required or allowed to work on the rest day unless he has or will have a substituted rest day for a whole day on one of the five days immediately before or after the rest day:

Provided that no substitution shall be made which will result in the employee working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

(3) Where in accordance with the foregoing provisions of this rule, any employee works on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the five days before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs.

(4) An employee shall be granted, for rest day wages calculated at the rate applicable to the next preceding day; and where he works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day:

Provided that where—

- (i) The minimum rate of wages of the employee as notified under the Code has been worked out by dividing the minimum monthly rate of wages by twenty- six; or
- (ii) The actual daily rate of wages of the employee has been worked out by dividing the monthly rate of wages by twenty-six and such actual daily rate of wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee, then, no wages for the rest day shall be payable; and
- (iii) The employee works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid, only for the rest day on which he worked, an amount equal to the wages payable to him at the overtime rate;

and, if any dispute arises whether the daily rate of wages has been worked out in accordance with the provisions of this proviso, the Labour Commissioner, Himachal Pradesh or the Deputy Labour Commissioner or any other Officer not below the rank of Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh may, on application made to him in this behalf, decide the same, after giving an opportunity to the parties concerned to make written representations.

Provided further that in case of an employee governed by a piece-rate system, the wages for the rest day, or the substituted rest day, as the case may be, shall be such as the State Government may, from time to time determine having regard to the minimum rate of wages fixed under the Code, in respect of the employment.

Explanation.—In this sub-rule ‘next preceding day’ means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the next preceding day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day.

(5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favourable terms, if any, to which an employee may be, entitled under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service, and in such a case, the employee shall be entitled only to more favourable terms aforesaid.

Explanation.—For the purposes of this rule, ‘week’ shall mean a period of seven days beginning at midnight on Saturday night.

7. Night shifts.—Where an employee in an employment works on a shift which extends beyond midnight, then, —

- (a) A rest day for the whole day for the purposes of rule 7 shall, in this case means a period of twenty- four consecutive hours beginning from the time when his shift ends; and
- (b) The following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends, and the hours after midnight during which such employee was engaged in work shall be counted towards the previous day.

8. The extent and conditions for the purposes of sub-section (2) of section 13.—In case of employees;

- (a) Engaged in any emergency which could not have been foreseen or prevented;
- (b) Engaged in work of the nature of preparatory or complementary work which must necessarily be carried on outside the limits laid down for the general working in the employment concerned;
- (c) Whose employment is essentially intermittent;
- (d) Engaged in any work which for technical reasons has to be completed before the duty is over; and
- (e) Engaged in a work which could not be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces;

Provided that the number of hours of work which shall constitute a normal working day inclusive of one or more specified intervals and the spread over of the hours of work of the employee may exceed the number of hours as specified by general or special order, issued from time to time, under rule 5.

9. Longer wage period.—The longer wage period for the purposes of minimum rate of wages under section 14 shall be by the month.

CHAPTER-III PAYMENT OF WAGES

10. Circumstances under clause (ii) of the proviso to Section 10.—An employee shall not be entitled to receive wages for a full normal working day under section 10, if he not entitled to receive such wage under any other labour law for the time being in force.

11. Recovery under sub-section (4) of section 18.—Where the total deductions authorized under sub-section (2) of section 18 exceed fifty per cent. of the wages of an employee, the excess shall be carried forward and recovered from the wages of succeeding wage period or wage periods, as the case may be, in such installments so that the recovery in any month shall not exceed the fifty percent. of the wages of the employee in that month.

12. The authority under sub-section (1) of section 19.—The Labour Commissioner, Himachal Pradesh shall be the authority for the purposes of sub-section (1) of section 19.

13. The manner of exhibiting the notice under sub-section (2) of section 19.—A notice in Hindi and English referred to in sub-section (2) of section 19 shall be displayed at the conspicuous places in the premises of the work place in which the employment is carried on, so that every concerned employee would be able easily to read the contents of the notice and a copy of the notice shall be sent to the inspector-cum-facilitator having jurisdiction.

14. The procedure under sub-section (3) of section 19.—The employer shall give an intimation in writing specifying therein the detailed particulars for obtaining the approval of the imposition of fine to the Labour Commissioner, Himachal Pradesh referred to in rule 12 who shall, before granting or refusing the approval, give opportunity of being heard to the employee and the employer concerned.

15. Intimation of deduction.—(1) Where an employer makes any deduction in pursuance of the proviso to sub-section (2) of section 20, he shall make intimation of such deduction to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction within 10 days from the date of such deduction explaining therein the reason of such deduction.

(2) The Inspector-cum-Facilitator shall, after receiving intimation under sub-rule (1), examine such intimation and if he finds that the explanation given therein is in contravention of any provision of the Code or the rules made there under, he shall initiate appropriate action under the Code against the employer.

16. Procedure for deduction under sub-section (2) of section 21.—Any employer desiring to make deduction for damages or loss under sub-section (1) of section 21 from the wages of an employee shall,—

- (i) Explain to the employee personally and also in writing the value of damage or loss of goods expressly entrusted to the employee for custody or for loss of money for which he is required to account and how such damages or loss is directly attributable to the neglect or default of the employee; and
- (ii) Thereafter, give the employee an opportunity to offer any explanation and deduction for any damages or loss, if made, shall be intimated to the employee within fifteen days from the date of such deduction.

17. Conditions regarding recovery of advance under Section 23.—The recovery, as the case may be of,—

- (i) Advances of money given to an employee after the employment begins under clause (b) of Section 23; or
- (ii) Advances of wages to an employee not already earned under clause (c) of section 23, shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in installments determined by the employer, so as any or all installments in a wage period shall not exceed fifty percent. of the wages of the employee in that wage period and the particulars of such recovery shall be recorded in the register maintained in **Form-I**.

18. Deduction under section 24.—Deductions for recovery of loans granted for house building or other purposes approved by the Central/State Government, and the interest due in respect thereof shall be, subject to any direction made or circular issued by the State Government from time to time regulating the extent to which such loans may be granted and the rate of interest shall be payable thereon.

CHAPTER-IV

STATE ADVISORY BOARD

A. Procedure of State Advisory Board under sub-section (10) of section 42

19. Constitution of the Board.—(1) The Board shall consist of the persons to be nominated by the State Government representing employers and employees as specified in clauses (a) and (b) of sub-section (6) of Section 42 and the Independent persons as specified in clause (c) of sub-section (6) of Section 42.

(2) The persons representing employers as referred to in clause (a) of sub-section (6) of section 42 shall be six and the persons representing employees referred to in clause (b) of that sub-section shall also be six.

(3) The independent persons specified in clause (c) of sub-section (6) of section 42 to be nominated by the State Government shall consist of the following, namely :—

- (i) The Chairperson;
- (ii) One Member of State Legislative Assembly;
- (iii) Two members each of whom, shall be a professional in the field of wages and labour related issues;
- (iv) One member who is or has been a presiding officer of an Industrial Tribunal constituted by the State Government under Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020)

(4) The State Government shall, while nominating the members of the Board, take into account that the independent members under sub-rule (2) shall not exceed one-third of the total members of the Board and one-third of the members of the Board shall be women.

20. Additional functions of the Board.—In addition to the functions specified in sub-section (4) of section 42, the Board on reference by the State Government advise that Government on the issue relating to the fixation of minimum wages in respect of—

- (i) Working journalists as defined in clause (zzm) of Section 2 of the Occupational safety, health and working conditions Code, 2020 (37 of 2020); and
- (ii) Sales promotion employees as defined in clause (zze) of section 2 of the Occupational safety, health and working conditions Code, 2020 (37 of 2020).

21. Meeting of the Board.—The Chairperson may, subject to the provisions of rule 23, call a meeting of the Board, at any time he thinks fit :

Provided that on requisition in writing from not less than one half of the members, the Chairperson shall call a meeting within thirty days from the date of the receipt of such requisition.

22. Notice of meetings.—The Chairperson shall fix the date, time and place of every meeting and a notice in writing containing the aforesaid particulars along with a list of business to be conducted at the meeting shall be sent to each member by registered post and electronically at least fifteen days before the date fixed for such meeting :

Provided that in the case of an emergent meeting, notice of seven days only may be given to every member.

23. Functions of Chairperson.—The Chairperson shall—

- (i) Preside at the meetings of the Board;

Provided that in the absence of the Chairperson at any meeting, the members shall elect from amongst themselves by a majority of votes, a member who shall preside at such meeting;

(ii) Decide agenda of each meeting of the Board;

(iii) Where in the meeting of the Board, if any issue has to be decided by voting, conduct the voting and count or cause to be counted the secret voting in the meeting.

24. Quorum.—No business shall be transacted at any meeting unless at least one-third of the members and at least one representative member each of both the employers and an employee are present :

Provided that, if at any meeting less than one-third of the members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of the original meeting and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members present :

Provided further that the date, time and place of such adjourned meeting shall be intimated to all the members electronically or by a Registered post.

25. Disposal of business of the Board.—All business of the Board shall be considered at a meeting of the Board, and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote :

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall be decided by the circulation of necessary papers and by securing written opinion of the members :

Provided further that no decision on any matter under the preceding proviso shall be taken, unless supported by not less than two-thirds majority of the members.

26. Method of voting.—Voting in the Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot, or if the Chairperson so decides, the voting shall be by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairperson may decide.

27. Proceedings of the meetings.—(1) The proceedings of each meeting of the Board showing inter alia the names of the members present thereat shall be forwarded to each member and to the State Government as soon after the meeting as possible, and in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The proceedings of each meeting of the Board shall be confirmed with such modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.

28. Summoning of witnesses and production of documents.—(1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness if required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any document.

(2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses by him in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil court.

29. Appointment of the committees.—The State Government may constitute as many committee under clause (a) of sub-section (1) of section 8 as it considers necessary for the purposes specified in that clause.

B. Terms of office of members of the Board under sub-section (11) of section 42

30. Term of office of members of the Board.—(1) The term of office of the Chairperson or a member, as the case may be, shall be normally two years commencing from the date of his appointment or nomination, as the case may be, under sub-section (6) and (7) of section 42 :

Provided that such Chairperson or a member shall, notwithstanding the expiry of the said period of two years, continue to hold office until his successor is appointed or nominated, as the case may be.

(2) An independent member of the Board nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by respective such other official members.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), and (3), the members of the Board shall hold office during the pleasure of the State Government.

31. Travelling allowance.—The Chairman and every member of the Board, shall be entitled to draw travelling and halting allowance for any journey performed by him in connection with his duties at the rates and subject to the conditions applicable to Group-A officer of the State Government.

32. Officers and Staff.—The State Government may provide a Secretary not below the rank of Secretary to the Government of Himachal Pradesh, other officers and other State Officers and staff to the Board, as it may think necessary for the functioning of the Board.

33. Eligibility for re-nomination of the members of the Board.—An outgoing member shall be eligible for re-nomination for the membership of the Board for not more than total two terms.

34. Resignation of the Chairperson and other members of the Board.—(1) A member of the Board, other than the Chairperson, may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign his membership and the Chairperson may resign by a letter addressed to the State Government.

(2) A resignation shall take effect from the date of communication of its acceptance or on the expiry of thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.

(3) When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Chairperson shall submit a report to the State Government immediately and the State Government shall, then, take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.

35. Cessation of membership.—If a member of the Board, fails to attend three consecutive meetings, without prior intimation to the Chairperson, he shall, cease to be a member thereof.

36. Disqualification.—(1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the Board:—

- (i) If he is declared to be of unsound mind by a competent court; or
- (ii) If he is an un-discharged insolvent; or

- (iii) If before or after the commencement of the Code, he has been convicted of an offence involving moral turpitude.

(2) If any question arises whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the decision of the State Government thereon shall be final.

CHAPTER-V

PAYMENT OF DUES, CLAIMS, etc.

37. Payment under clause (a) of sub-section (1) of section 44.—(1) (a) Every employee shall make a declaration in **Form-VII**, nominating a person conferring the right to receive the amount that may stand in his credit at the event of his death before that amount standing to his credit has become payable or where the amount has become payable, before payment has been made.

(b) If the employee has a family at the time of making nomination, the nomination shall be in favour of the spouse or the spouse in preference followed by one or more members of his family:

Provided that nomination made by an employee having a family in favour of a person other than member of his family shall be invalid :

Provided further that a fresh nomination towards his spouse shall be made by the employee on his marriage and any nomination made before such marriage shall be deemed to be invalid.

(c) Where the nomination is wholly or partly in favour of a minor, the employee may appoint a major person of his family, to be the guardian of the minor nominee or where there is no major person in the family, he may at his discretion, appoint any other person to be a guardian of the minor nominee.

(d) If the employee nominates more than one member, he shall specify in the nomination, the amount or share payable to each of his nominees at his own discretion so as to cover the whole of the amount that may stand to his credit.

(2) Where any amount payable to an employee under the Code is due after his death or on account of his whereabouts not being known, and the amount could not be paid to the nominee of the employee until the expiry of three months from the date the amount had become payable, then, such amount shall be deposited by the employer with the Deputy Labour Commissioner having jurisdiction, who shall disburse the amount to the person nominated by the employee after ascertaining his identity within two months of the date on which the amount was so deposited with him.

38. Deposit of the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44.—(1) Where any amount payable to an employee under this Code remains undisbursed because either no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amounts could not be paid to the nominee of employee until the expiry of six months from the date the amount had become payable, all such amounts shall be deposited by the employer with the Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh or any other Officer not below the rank of Deputy Labour Commissioner, before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of six months.

(2) The amount referred to in sub-rule (1) shall be deposited by the employer with the Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh or any other Officer not below the rank of

Deputy Labour Commissioner through bank transfer or through a crossed demand draft obtained from any scheduled bank in India drawn in favour of such Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh or any other Officer not below the rank of Deputy Labour Commissioner.

39. Manner of dealing with the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44.—(1) The amount referred to in sub rule (1) of rule 38 (hereinafter in this rule referred to as the amount) deposited with the Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh or any other Officer not below the rank of Deputy Labour Commissioner shall remain with him and be invested in the Central or State Government Securities or deposited as a fixed deposit in a scheduled bank.

(2) The Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh or any other Officer not below the rank of Deputy Labour Commissioner will exhibit, as soon as maybe possible, a notice containing such particulars regarding the amount as the Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh or any other Officer not below the rank of Deputy Labour Commissioner considers sufficient for information at least for fifteen days on the notice board and also publish such notice in any two local newspapers of vernacular language being circulating in the language commonly understood in the area in which undisbursed wages were earned.

(3) Subject to the provision of sub-rule (4), the Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh or any other Officer not below the rank of Deputy Labour Commissioner shall release the amount to the nominee or to that person who has claimed such amount, as the case may be, in whose favour such Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh or any other Officer not below the rank of Deputy Labour Commissioner has decided, after giving the opportunity of being heard, the amount to be paid.

(4) If the undisbursed amount remains unclaimed for a period of seven years, the same shall be dealt with in the manner as directed by the State Government from time to time in this behalf.

CHAPTER-VI

FORMS, REGISTERS AND WAGE SLIP

40. The form of a single application.—(1) A single application, may be filed under sub-section (5) of section 45 in **Form-II** manually or electronically along with documents specified in the said Form.

(2) Where an application under sub-section (5) of section 45 is entertained, the authority shall serve upon the employer electronically or by registered post a notice in **Form VIII** to appear before him on the date specified in the notice with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the applicant of the date so specified.

(3) If the employer or his representative fails to appear on the specified date, the authority may hear and determine the application ex-parte.

(4) If the applicant or his representative fails to appear on the specified date without any reasonable cause shown in advance, the authority may dismiss the application.

41. Appeal.—(1) Any person aggrieved by an order passed by the authority under sub-section (2) of section 45 may prefer an appeal under sub-section (1) of section 49 in **Form-III** electronically or by registered post, along with documents mentioned by the appellant in the said Form, to the appellate authority having jurisdiction:

Provided that no appeal by an employer shall be admitted unless at the time of preferring the appeal, the appellant has deposited the claim amount with the appellate authority.

(2) Where an appeal under sub-section (1) of section 49 is entertained, the appellate authority, shall serve upon the respondent electronically or by registered post a notice in Form-VIII to appear before him on the date specified in the notice and shall inform the appellant of the date so specified.

(3) The appellate authority shall after hearing the appellant and the respondent shall, by order, decide the appeal.

42. Form of register, etc.—(1) Every employer of all establishments to which the Code applies shall maintain under sub-section(1) of section 50, electronically or in physical form in the formats appended to these Rules, the following registers:

- (i) Employee Register in **Form-I**,
- (ii) Register of Wages, Overtime, Advances, Fines and Deductions for Damage and Loss in **Form-IV**, and
- (iii) Attendance Register-cum-Muster Roll in **Form-IX**.

(2) All fines and all realisations thereof referred to in sub section (8) of section 19 shall be recorded in a register to be kept by the employer electronically or in physical form in Form-IV appended to these rules, and the authority referred to in said sub-section(8) shall be the Deputy Labour Commissioner Himachal Pradesh having jurisdiction.

(3) All deductions and all realisations referred to in sub section (3) of section 21 shall be recorded in a register to be kept by the employer electronically or in physical form in Form IV appended to these rules.

(4) Registers required to be maintained under these rules shall be preserved for a period of five years after the date of last entry made therein.

43. Wage Slip.—Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise to the employees in **Form V** under sub-section (3) of section 50 on or before payment of wages.

44. Manner of holding enquiry under sub-section (1) of section 53.—(1) When a complaint is filed before the officer appointed under sub-section (1) of section 53 (hereinafter in this rule referred to as the officer) in respect of the offences referred to in said sub-section either by an officer authorized for such purpose by the State Government or by an employee aggrieved or a registered trade union registered under the Industrial Relations Code 2020 (35 of 2020) or an Inspector-cum-Facilitator, the officer, after considering such evidences as produced before him by the complainant, is of the opinion that an offence has been committed, shall issue summons to the offender on the address specified in the complaint fixing a date for his appearance.

(2) If the offender to whom the summons has been issued under sub rule (1) appears or is produced before the officer, he shall explain the offender the offence complained against him and if the offender pleads guilty, the officer shall impose penalty on him in accordance with the provisions of the Code and when the offender does not plead guilty, the officer shall take evidence of the witnesses produced by the complainant on oath and provide opportunity of cross examination of the witnesses so produced. The officer shall record the statement of the witnesses on oath and in cross examination in writing and take the documentary evidence on record.

(3) The officer shall, after the complainant's evidence is complete, provide opportunity of defence to the accused person and the witnesses produced by the accused shall be cross examined after their statements on oath by the complainant and documentary evidence in defence shall be taken on record by the officer.

(4) The officer shall after hearing the parties and considering the evidences both oral and documentary decide the complaint in accordance with the provisions of the Code.

45. Manner of composition of offences under sub-section (1) of section 56.- (1) An accused person desirous of making composition of offence under sub-section (1) of section 56 may make an application in **Form VI** electronically or otherwise to the Gazetted Officer notified under said sub-section (1).

(2) The Gazetted Officer referred to in sub-rule (1), shall, on receipt of such application, satisfy himself as to whether the offence is compoundable or not under the Code and if the offence is compoundable and the accused person agrees for the composition, compromise the offence for a sum of fifty per cent of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within the time specified in the order of composition issued by such officer.

(3) Where the offence has been compromised under sub-rule (2) after the institution of the prosecution, then, the officer shall send a copy of such order made by him for intimation to the officer referred to in sub-section (1) of section 53 for needful action under sub-section (6) of section 56.

CHAPTER-VII MISCELLANEOUS

46. Payment of Wages.—Where the employees are employed in an establishment through contractor, then, the company or firm or association or any other person who is the proprietor of the establishment shall pay to the contractor the amount payable to him or it, as the case may be, before the date of payment of wages so that payment of wages to the employees shall be made positively in accordance with the provisions of section 17.

Explanation.— For the purpose of this rule, the expression “firm” shall have the meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932).

47. Responsibility for payment of minimum bonus.—Where in an establishment, the employees are employed through contractor and the contractor fails to pay minimum bonus to them under section 26, then, the company or firm or association or other person as referred to in the proviso to section 43 shall, on the written information of such failure, given by the employees or any registered trade union or unions of which the employees are members and on confirming such failure, pay such minimum bonus to the employees.

48. Inspection Scheme.—For the purposes of the Code and these rules, there shall be formulated an inspection scheme by the Labour Commissioner, Himachal Pradesh with the approval of the State Government.

49. Annual Return.—The return under these rules shall be filed electronically by every employer of an establishment to which the Code applies in the relevant columns of the Form specified for such purpose in the rules made under the Occupational, Safety Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020). A copy of such return shall also be forwarded electronically to the Labour Himachal Pradesh, Inspector-cum-facilitator of the concerned area and on designated online portal of the State Labour Department.

50. Repeal and Saving.—The Himachal Pradesh Payment of Wages Rules, 1979 the Himachal Pradesh Payment of Wages (Procedure) Rules, 1979 and the Himachal Pradesh Minimum Wages Rules, 1978 are hereby repealed.

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (LE&OP).

FORM-IV

[See rule-17 and rule-42 (2) and (3)]

Register of Wages, Overtime, Fine, Deduction for Damage and Loss

Name of the Establishment :

Name of the Employer :

Name of the Owner :

PAN/TAN of the Employer :

Labour Identification Number (LIN) :

Sl. No. in Employee Register	Name of the employee	Designatio/ Department	Duration of Payment of Wages (Monthly/Fortnightly /Weekly/Daily/Piece rated)	Wage Period From- To	Total no. of days worked during the period	Total overtime (hours worked or production in case of piece workers)	Rates of wages		
							Basic	DA	Allowances
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Overtime earning	Nature of acts and omissions for which fine imposed with date	Amount of fine imposed	Damage or loss caused to the employer by neglect or default of the employee	Amount of deduction from wages	Total amount of wages paid	Date of Payment	Attendance	
							Date	Signature
11	12	13	14	15	16	17	18	19

FORM-II

(See rule 40)

[SINGLE APPLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45]

BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB SECTION (1) OF SECTION 45 OF THE CODE ON WAGES, 2019 (29 OF 2019)

FOR..... AREA.....

Application No..... of 20.....

Between ABC and (State the number).....other.....Applicant

(Through employees concerned or registered trade union or Inspector-cum-Facilitator Address.....

And

XYZ.....

Address.....

The application states as follows :

(1) The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed from.....to..... as.....(category) in.....(establishment) Shri/M/s.....engaged in.....(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.

(2) The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of section 2(l) of the Code on Wages, 2019.

(3) (a) The applicant(s) has/ have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their category (categories) of employment(s) under the Code by Rs.... Per day for the period(s) from.....to.....

(b) The applicant(s) has/ have not been paid wages at Rs..... Per day for the weekly days of rest from to.....

(c) The applicant(s) has/ have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from.....to.....

(d) The applicant(s) has/have not been paid wages for period from..... to.....

(e) Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicant(s) as per details specified in the annexure appended with this application.

(f) The applicant(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year

(4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought by him/them on each amount as under:

(a) Rs.....

(b) Rs.....

(c) Rs.....

Total Rs.....

(5) The applicant(s), therefore, pray(s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code on Wages, 2019 for;

- (a) payment of the difference between the wages payable under the Code and the wages actually paid,
- (b) payment of remuneration for the days of rest,
- (c) payment of wages at the overtime rates,
- (d) Compensation amounting to Rs.....
- (6) The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Dated.....

Signature or thumb-impression of the employed person(s), or official of a registered trade union duly authorized or Inspector-cum- Facilitator.

Note: The applicant(s), if required, may append annexures containing details, with this application.

FORM III

(See rule 41)

Appeal under Section 49(1) of the Code on Wages, 2019 Before The Appellate Authority under the Code on Wages, 2019

A.B.C

Address.....APPELLANT

Vs.

D.E.F.

Address.....RESPONDENT

DETAILS OF APPEAL:

1. Particulars of the order against which the appeal is made :
Number and date :

The authority who has passed the impugned order:
Amount awarded:
Compensation awarded, if any :
2. Facts of the case :
(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact).

3. Grounds for appeal :

4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any Appellate Authority:

The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this appeal has been made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.

5. Reliefs sought :In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s):— [Specify below the relief(s) sought]

6. List of enclosures:

1.

2.

3.

4.....

Date:

Place :

Signature of the appellant.

For office use

Date of filing or

Date of receipt by post

Registration No.

Authorized Signatory

FORM-I

(See Rule 42)

Employee Register

Name of Establishment

Name of the Employer

Name of the Owner

PAN/TAN of the Employer

Registration Number of the establishment
(Labour Identification Number (LIN) shall be
the Registration Number of the Establishment)

1.	Employee Code	
2.	Name	
3.	Surname	
4.	Gender	
5.	Father's/Mother's/Spouse Name	
6.	Date of Birth	
7.	Place of Birth	
8.	Nationality	
9.	Education Level	
10.	Date of Joining	
11.	Designation	
12.	Category (HS/S/SS/US)*	
13.	Type of Employment (P/T/FT/T/B)**	
14.	Details of Posting	
15.	Pay	
16.	Promotion	
17.	Mobile Number	
18.	Universal Account Number(UAN)	
19.	PAN	
20.	Nominee (To be filled on the basis of Nomination form)	
21.	Details of Family	
22.	EPS/NPS	
23.	ESIC IP No.	
24.	AADHAR	
25.	Bank A/c Number	
26.	Bank	
27.	Branch(IFSC)	
28.	Present Address	
29.	Permanent Address	
30.	Service Book No.	
31.	Date of Exit	
32.	Reason for Exit	
33.	Mark of Identification	
34.	Photo	
35.	Specimen Signature/Thumb Impression	
36.	Remarks	

* (Highly Skilled/Skilled/Semi skilled/Unskilled)

** (Permanent/Temporary/Fixed Term/Trainee/Badli).

FORM V
[See rule 43]

WAGE SLIP

Date of issue:

Name of the Establishment..... Address.....
Period.....

1. Name of employee :
2. Father's /Spouse name :
3. Designation :
4. UAN:
5. Bank Account No.:
6. Wage period:
7. Rate of wages payable: (a) Basic (b) D.A. (c) other allowances
8. Total attendance/unit of work done:
9. Overtime wages:
10. Gross wages payable :
11. Total deductions : (a)PF (b) ESI (c) Others
12. Net wages paid:

Employer / Pay-in-charge signature.

FORM-VI
(See rule 45)

APPLICATION UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 56 FOR COMPOSITION OF OFFENCE

1. Name of applicant :
2. Father's / Spouse name :
3. Address of the applicant :
4. Particulars of the offence:
.....
.....
5. Section of the Code under which the offence is committed: :.....
6. Maximum fine provided for the offence under the Code :.....
7. Whether prosecution against the applicant is pending or not
8. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior

to the offence. If yes, then, full details of the prior offence.

.....

.....

.....

9. Any other information which the applicant desires to provide

.....

.....

.....

Dated:

Applicant
(Name and signature).

Form –VII
(See rule 37)

1. Name of person making nomination:
(in block letters)
2. Father's/Spouse's Name:
3. Date of Birth:
4. Sex:
5. Marital Status:
6. Address:

Permanent:

Temporary:

I hereby nominate the person (s)/cancel the nomination made by me previously and nominate the person(s) mentioned below to receive any amount due to me from the employer in the event of my death:-

Name of nominee/ nominees	Address	Nominee's relationship with the employee	Date of Birth	Total amount of share of accumulation in credit to be paid to each nominee	If the nominee is minor, name, relationship and address of the guardian who may receive the amount during the minority of nominee.
1	2	2	2	2	2

1. Certified that I have no family and if I acquire a family hereinafter, the above nomination shall be deemed as cancelled.

2. Certified that my father/mother is/are dependent upon me.
3. Strike out whichever is not applicable.

Signature or the thumb impression of the employee.

CERTIFICATE BY EMPLOYER

Certified that the above declaration and nomination has been signed/thumb impressed before me by Shri/Smt./Ku.....employed in my establishment after he/she has read the entry/entries or have been read over to him /her by me and got confirmed by him/her in either of the cases.

Signature of the employer or other authorized officer of the establishment and Designation.

Place:

Date:

Name and Address of the Factory/Establishment and rubber stamp thereof.

FORM VIII

(See rule 40)

(A). FORM OF NOTICE TO THE RESPONDENT TO BE ISSUED BY THE AUTHORITY UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45.

(Title of the application)

To

Name

Address

Whereas(name of the Applicant)..... has made the above said application to me under the Code on Wages, 2019, you are hereby summoned to appear before me in person or by a duly authorized representative, and required to answer all material questions relating to the application, or shall be, accompanied by some person duly authorized by you and able to answer such question on theDay of20.....atAM/PM, to answer the claim in application and as the day fixed for the appearance is appointed for the final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence and the documents upon which you intend to rely in support of your defense.

Take notice that in default of your appearance on the day mentioned here above, the application will be heard and disposed of in your absence.

Date:

Signature of the authority with seal

(B). FORM OF NOTICE TO THE RESPONDENT TO BE ISSUED BY THE APPELLATE AUTHORITY UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 49

(Title of the appeal)

To

Name

Address

Take notice that an appeal (copy of which is enclosed) under section 49 of the Code on Wages, 2019 has been presented by (name of appellant) before this appellate authority, and that theday of20.....has been fixed by this appellate authority for the hearing of the appeal.

If no appearance is made by you in person or by a duly authorized representative to act for you in this appeal, it will be heard and decided in your absence.

Date.

Signature of the Appellate authority with seal

Form IX					
(See rule 42)					
ATTENDANCE REGISTER-CUM- MUSTER ROLL					
Name of the Establishment					
Name of the Employer					
Name of the Owner					
Registration Number of the establishment					
Labour Identification Number(LIN) shall be the Registration Number of the Establishment					
For the Month of					
Sl. No.	Employee Code	Name	Designation	Shift	Place of work/Section/ Department
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Date and Time of attendance

Date	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
Time	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out
Signature																				

Date	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
Time	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out
Signature																				
Date	21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	

Time	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out
Signature																				

Date	31	
Time	In	Out
Signature		

SCHEDULE-A

[See Rule 4(3)]

Sl. No.	UNSKILLED
1.	Beldar
2.	Calf boy
3.	Cattleman
4.	Cleaner (Motor shed, Tractor, Cattle, Yard, M.T)
5.	Collecting loose fodder
6.	Dairy coolie
7.	Mazdoor (Arportculturst Compost, Dairy's Haystaking, Irrigation, Manure, Stacking, Milk-room, Ration room Store, Anti-Malaria, M.R.)
8.	Driver (Mule, Bullock, Camel, Donkey)
9.	Dresser
10.	Driver (Bullocks Mule)
11.	Grazler
12.	Dairyman
13.	(Store-Mazdoor)
14.	Carrier (Stone)
15.	Breaker (using manual appliances)
16.	Helper
17.	Messenger (Office)
18.	Mali
19.	Sycc
20.	Tying and Carrying loose hay
21.	Sweeper,
22.	Weighing and Carrying bales
23.	Weighman (Bales, pally)
24.	Waterman
25.	Stable man
26.	Trolly man
27.	Valveman
28.	Watchman,
29.	White Washer
30.	Wooder man
31.	Wooder Woman
32.	Borryman
33.	Coalman
34.	Condenser

35.	Attendant
36.	Grass Cutter
37.	Muchhars Jamadars
38.	Condenser Attendant
39.	Shunters
40.	Turner
41.	Bajri Spreader
42.	Beater Women
43.	Bell-Woman
44.	Chain Man
45.	Boat Man
46.	Bucket Man
47.	Labourer (Boiler, Cattle Yard, Cultivation, General Loading and Unloading, Bunding, Carting-Fertilizers, Harvesting, Miscellaneous Seeding, Sowing, Thatching, Transplanting, Weeding)
48.	Cleaner (Crane, Truck, Cinder for ash Pit)
49.	Cartman
50.	Caretaker (Bridge)
51.	Carrier (Water)
52.	Chowkidar
53.	Concrete (Hand Mixer)
54.	Daffadar
55.	Driver (Bullock, Camel, Donkey, Mule)
56.	Flag Man
57.	Flagman (Blast Train)
58.	Khalasi not attending to machines
59.	Gangmen
60.	Gatingman (Permanent Way)
61.	Handle Man, Jumper Man
62.	Kamin (Female Work)
63.	Khalas
64.	Bridge
65.	Electrical
66.	Marine
67.	Mopla
68.	Store
69.	Steam Road
70.	Share
71.	Roller Survey
72.	labourer (Garden)
73.	Mazdoor
74.	Hole Cutter
75.	Lorry Trainees
76.	Petrolman
77.	Searcher
78.	Signal man
79.	Strikers
80.	Vaks Controller
81.	Cleaner

82.	Dresser / Dressing Mazdoor
83.	Loader
84.	Mazdoor (Male/Female)
85.	Messenger (Male / Female)
86.	Trammer
87.	Caretaker (except in Copper, Chromite and Graphite mines where it is semiskilled)
88.	Office Peon /Peon (except in Bauxite Mines)
89.	Sweeper (Male / Female)
90.	Carrier
91.	Number Taker
92.	Trolley Driver
93.	Water Carrier
94.	Earth Cutter
95.	Survey Khalasi
96.	Gate Man,
97.	Concrete (Hand Mixer)
98.	Dismantling stocks
99.	Lampman
100.	Beldar/Beldar (Canteen)
101.	Coolie
102.	Peon
103.	Cook-helper
104.	Office Boy
105.	Quarry Worker
106.	Jelly Maker
107.	Over burden Remover
108.	Waste removing mazdoor
109.	Unloader
110.	Excavating Labour
111.	Digger
112.	Butcher
113.	Attender
114.	Lorry Helper
115.	Surface loader
116.	Wood Cutter
117.	Surface Mukar
118.	Under Ground Mukar
119.	Striker (Moplah gang)
120.	Tall Boy
121.	Tile
122.	Person employed in loading and unloading
123.	Person employed in sweeping and cleaning and other categories by whatever name called which are of unskilled nature.

Sl. No.	SEMI SKILLED
1.	Assistant (Chowdhary)
2.	Attendant (Bull-calving lines, Chowkidar, Chaff cutter, Hostel, Dry Stock, Grain crusher, Pump, Siekline.

3.	Stable, Yard Stock)
4.	Assistant-Plumber
5.	Attendant
6.	Bhisti
7.	Brander
8.	Bullman
9.	Butterman
10.	Coachman
11.	Cobbler
12.	Cultivator
13.	Daftry
14.	Deliveryman
15.	Dhobi
16.	Dresser
17.	Fireman
18.	Gowala
19.	Hammerman
20.	Helper (Blacksmith)
21.	Helper
22.	Jamadar (stand)
23.	Jamadar
24.	Khalasi
25.	Mali Senior
26.	Mate/Mistry
27.	Mazdoor (literate)
28.	Nalband
29.	Oilman
30.	Ploughman
31.	Vtackers
32.	Supervisor
33.	Thatcher
34.	Valveman
35.	Valveman (Senior)
36.	Wireman fixing tin cables
37.	Cook
38.	Dandee
39.	Frash
40.	Hacksaw man
41.	Helper (locco-Crane/Truck)
42.	Manjhee (Boatman)
43.	Belchawala
44.	Muccadam (without competency certificate under Metalliferous Bulldozer Driver Mines Regulations, 1961)
45.	Bhisti (with Mushk)
46.	Boatman (head)
47.	Breaker
48.	Breaker (Stone, Rock, Rock Stone, Stone Metal
49.	Canweaver

50.	Chainman(Head)
51.	Charpoy-Stringer
52.	Checker
53.	Cracker
54.	Dollyman
55.	Assistant
56.	Driller
57.	Driver (Skin)
58.	Excavator
59.	Ferroman
60.	Fireman (Brick Kiln, Steam Road Roller)
61.	Gate Keeper
62.	Gharami
63.	Classman
64.	Grater
65.	Greaser-cum-Fireman
66.	Grinder
67.	Hammerman
68.	Helper (Artisan)
69.	Helper (Sawyer)
70.	Keyman
71.	Khalasi (Head Survey, Rivertters-Moplah Gang, Supervisory)
72.	Labourer (Rock-Cutting)
73.	Lascar
74.	Mali (Head)
75.	Stockers and Boilerman
76.	Thoombaman (Spade worker)
77.	Tindals
78.	Trollyman (Head Motor)
79.	Fitter (Assistant Semi-Skilled)
80.	Jamadar (Semi-skilled)
81.	Mate (Stone)
82.	Kasab
83.	Khalasi (Structural)
84.	Masalchi P.M. Mates
85.	Miner
86.	Untrained Mate/ Mining Mate/ Mate without Competency certificate Under Metalliferous Mines Regulations, 1961
87.	Butler/Cook
88.	Breaker (using mechanical appliances)
89.	Crech Ayah/Ayah/Untrained Crech Attendant
90.	Assistant Driller
91.	Oilman/Oiler
92.	Chowkidar/ Watchman
93.	Helper (Mason, Carpenter, Blacksmith)
94.	Tindals
95.	Topas
96.	Topkar (Big Stone Breaker)

97.	Trolly Jamadar
98.	Winchman
99.	Attendance-keeper
100.	Assistant Wireman
101.	Mate
102.	Mate (Blacksmith, Road, Carpenter)
103.	Engine Driver and/or Feeder
104.	Fitter
105.	Gang
106.	Mazdoor Mason
107.	Permanent Way
108.	Pump-Driver, Turner)
109.	Mazdoor (Heavy-weight)
110.	Charge-man
111.	Mistri (Head)
112.	Muccadam
113.	Night-guard
114.	Runner (Post dak)
115.	Oilman
116.	Quarry man
117.	Quarry Operator
118.	Stoneman
119.	Stocker
120.	Thatcher
121.	Pump Attendant
122.	Bearer
123.	Breakman
124.	Crowder Man
125.	Laboratory Boy
126.	Pointsman Sencummy
127.	Stone mines and other cateogires by whatever name called which are of semi-skilled nature.
Sl.No.	SKILLED
1.	Artificer (Class-II, III, IV)
2.	Blacksmith
3.	Blacksmith (Class II)
4.	Boilerman
5.	Carpenter
6.	Carpenter (Class II) Carpenter-cum- Blacksmith
7.	Chowdhary
8.	Driver
9.	Driver (Engine Tractor, M.T. Motor)
10.	Electrician
11.	Fitter
12.	Mason
13.	Mason Class II
14.	Machine hand (Class II, III, IV)
15.	Machineman
16.	Mate Gr. I (Senior)

17.	Mechanic
18.	Milk Writer
19.	Mistry (Head)
20.	Moulder
21.	Muster Writer
22.	Operator (Tube-well)
23.	Painter
24.	Plumber
25.	Welder
26.	Upholsterer
27.	Wireman,
28.	Chipper
29.	Chipper-cum-Grinder
30.	Cook (Head)
31.	Driller
32.	Driller (Well Boring)
33.	Driver(Loco/Truck)
34.	Electrician (Assistant)
35.	Mechanic (Tube-Well)
36.	Mistry(Stell, Tube-Well, Telephone)
37.	Meter Reader
38.	Meterological Observer Navghani
39.	Operator (Batching Plant, Cinema Project, Clamp Shelf, Compressor, Grane, Dorrick, Diesel Engine, Doser, Dragling Drill Dumber, Excavator, Fork Lift Generator, Grader, Jack Hammer and Payment breaker Loader, Pump, Pile Driving, Scraper, Screening Plant, Shovel, Tractor, Vibrator, Weight Batchers, Railway Guards, Repairer (Battery).
40.	Sharper/Slotter
41.	Sprayer (Ashalt) Station Master
42.	Surveyor (Silt)
43.	Trades-Man
44.	Train Examiner
45.	Turner/Miller
46.	Tyre Vulcaniser
47.	Sawyer
48.	Sawyer (Selection Grade Class II) Serang
49.	Serangpile
50.	Driving Pantooms with Boiler
51.	Shapesman
52.	Shift-incharge
53.	Sprayman
54.	Sprayman (Roads)
55.	Stone Cutter
56.	Stone Cutter (Selection Grade, Grade II, Class II)
57.	Stone Chisler
58.	Stone Chisler (Class II)
59.	Stone Blasterer
60.	Sub-Overseer (Unqualified)
61.	Surveyors

62.	Pump Driver
63.	Pump Driver (Selection Grade), Grade II and III, Class II)
64.	Pump Driver (Selection Grade, P.E., Driver,
65.	Pumpman
66.	Pumpman (Assistant)
67.	Plumber
68.	Polisher (with spray) Grade II
69.	Ratan Man
70.	Rivet Cutter (Assistant)
71.	Rivetter
72.	Rivetter (Cutter)
73.	Road Inspector Grade II, Railway Plate Layer
74.	Rod Bender
75.	Haulage Operator
76.	Dispensary Attendant
77.	Work Sakar
78.	Mica Cutter Grade -I
79.	Dresser Grade -I Mica
80.	Supervisory Fireman
81.	Fireman only in Mines
82.	Compressor Driver
83.	Pump Man Driver 96. Grinder in Mica Mines
84.	Surveyors (Assistant)
85.	Tailor
86.	Tailor(Upholstry)
87.	Transprayer
88.	Tar man
89.	Line Man
90.	Tiler Class II
91.	Wall(Floor, Roof)
92.	Tiler (Selection Grade)
93.	Tin-Smith
94.	Tin Smith(Selection Grade, Grade II and III, Class II) Tinker
95.	Well Sinker
96.	Assistant Mistry
97.	Armature Winder Grade-II and III
98.	Bhandari
99.	Blacksmith
100.	Blacksmith (Selection Grade, Grade II, III, Class II and III)
101.	Boilerman
102.	Boilerman Grade II and III
103.	Boiler Foreman Grade II
104.	Work (Assistant)
105.	Brick Layer
106.	Bricklayer (Selection Grade, Class II)
107.	Blaster
108.	Chowkidar (Head)
109.	Security Guard (without arms)

110.	Carpenter
111.	Carpenter (Selection Grade, Grade II and III, Class I and III Assistant
112.	B.I.M. Road
113.	Cabinet Maker
114.	Caneman
115.	Celotex
116.	Cutter Maker Chargeman, Class II and Class III, Carpenter Ordinary)
117.	Checkder (Junior)
118.	Chick Maker
119.	Chickman (Junior) Concrete Mixure Mixer
120.	Concrete Mixure Operator
121.	Cobbler
122.	Coremaker
123.	Driver
124.	Driver Motor Vehicle
125.	Motor Vehicle Selection Grade
126.	Motor Lorry
127.	Motor-Lorry Grade II
128.	Lorry Grade II
129.	Diesel Engine
130.	Diesel Engine Grade II
131.	Mechanical Road Roller I.C. and Cement Mixer etc.
132.	Road Roller
133.	Road Roller Driver Grade II
134.	Driver (Engine Static Stone Crusher, Tractor/Bull Dozer, Steam Road Roller, Water Pump, Mechanical Assistant, Road Roller, Mechanical, Steam Crane, Tractor with Bull Dozer Mechanical, Transport, Engine Static and Road Roller Boiler Attendant.
135.	Engine Operator (Stone Cursher Mechanical)
136.	Distemprer, Electrician, Electrician (Grade II, Class II and Class III)
137.	Fitter
138.	Fitter (Selection Grade, Grade II and III) class II and III Assistant, Pipe class II, Pipe Line ending Bars for.
139.	reinforcement <i>cum</i> -mechanic, Mechanic and Plumber)
140.	Gharami (Head)
141.	Glazier
142.	Hole Drillar for Blasting
143.	Joiner
144.	Joiner (Cable,Cable Grade II)
145.	Lineman (Grade II,III, High Tension/Low Tension)
146.	Mason
147.	Mason (Selection Grade, Grade II, III and Class B Mistry)
148.	Stone (Stone Class II, Brick Work, Stone work)
149.	Brick-layer
150.	Tile Flooring
151.	B.I.M. Muccadam (Head)
152.	Stone cutting
153.	Ordinary Machanis
154.	Mechanic

155.	Mechanic (Class II, Air conditioning, Air conditioning Grade II
156.	Diesel Grade II
157.	Road Roller Grade II
158.	Assistant, Radio)
159.	Manson (Gharami)
160.	Mistry
161.	Mistry Grade II, Air conditioning Grade II, P. Way, Survey, Santras Works)
162.	Mason Class A
163.	Moulder
164.	Moulder (Brick, Tile)
165.	Painter
166.	Painter (Selection Grade, Grade II and III, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Polisher, Rough)
167.	Plasterer
168.	Plasterer (Mason Grade II)
169.	Plumber
170.	Plumber (Selection Grade, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Rough),
171.	Plasterer
172.	Plasterer (Mason Grade II)
173.	Plumber (Selection Grade, Class-II, Assistant Senior, Junior, Mistry Grade II)
174.	Plumbing Mistry
175.	Plumber-cum-Fitter
176.	Polisher
177.	Polisher (Floor)
178.	Sirdhar Lathe Man
179.	Geologist
180.	Trailors
181.	Turner
182.	Upholsterer
183.	Upholsterer (Grade II and III)
184.	Painter Spray (Class II)
185.	Wood Cutter
186.	Wood Cutter Section Grade
187.	Wood Cutter Class II
188.	Work Sircar
189.	Welder
190.	Airwineh Haulage Operator
191.	Auto-electrician
192.	Painter
193.	Blacksmith
194.	Tailor
195.	Compressor Operator
196.	Blaster/Shot-firer
197.	Driver
198.	Head cook
199.	Chargeman
200.	Carpenter
201.	Concrete Mixer Operator

202.	Compressor Attendant
203.	Air Compressor Attendant
204.	Tractor Driver
205.	Vehicle Driver
206.	Chemist and Assistant/ Chemist
207.	Sub- overseer (unqualified)
208.	Driller
209.	Handhole Driller
210.	Drill Mechanic
211.	Driver Auto
212.	Electrician
213.	Wireless Operator Asstt. Foreman
214.	Foreman
215.	Fitter
216.	Ferry Driver
217.	Issuer Loco
218.	Super Foreman
219.	Hoist Operator
220.	IMCE Driver
221.	Driver
222.	Loco Driver
223.	Loader Operator
224.	Linesman
225.	Mechanic/ Machinist
226.	Mason
227.	Mid Wife
228.	Tinsmith
229.	Supervisory Mechanic
230.	Pump Attendant only in Gypsum, Barytes and Rock Phosphates
231.	Pump Operator/Driver
232.	Mining Mate with competency certificate under Metalliferous Mines\ Regulations, 1961.
233.	Mistry
234.	Skilled Mazdoor
235.	Turner
236.	Senior Mechanic
237.	Pipe Fitter
238.	Supervisor
239.	Drafts Man
240.	Wireman
241.	Timber Man/Timber Mistry Elect.
242.	Stone Crusher Operator
243.	Crusher Operator
244.	Moulder
245.	Welder
246.	Operator
247.	Work Mistry
248.	Engine Driver
249.	Mining Engine Driver Grade -II

250.	Engineman
251.	Valveman
252.	Cutter
253.	Winding Engine Driver Grade - II
254.	Security Guard (Unarmed) /Head Chowkidar
255.	Shovel Operator
256.	Limco Loader Operator
257.	Surface Supervisor
258.	Dozer Operator
259.	Compressor Driller
260.	Dumper Tractor Operator
261.	Boiler Man (with Certificate)
262.	Machinery Attendant
263.	Air-conditions Mechanic
264.	Crech Attendant only in Magnesite, Manganese and Mica Mines
265.	Power Shovel Operator
266.	Power and Pump House Operator
267.	Miner Grade - I
268.	Tractor Operator 80. Tub Repairer 81. Lathe Mistry
269.	Stationery Engine Attendant 83. Generator Operator 84. Loading Foreman
270.	Diesel Mechanic
271.	Ferro Printer <i>cum</i> -chairman
272.	White Washing and Colour Washing Man
273.	Operator Pneumatic Tools, Operator (Fitter)
274.	Boreman
275.	Borer
276.	Wireman (Grade II and III, Mechanic, Electrical)
277.	White Washer
278.	White Washer (Selection Grade, Class II)
279.	Wireman
280.	Welder (Class II, Bridge work)
281.	Welder gas
282.	Muccatam (with Competency Certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961).
283.	Security Guard (without arms)and other categories by whatever name called which are of skilled nature
284.	Assistant (Farm)
285.	Assistant (Cashier)
286.	Librarian
287.	Telex or Telephone Operator
288.	Hindi Translator
289.	Telex or Telephone Operator
290.	Hindi Translator
291.	Accounts Clerk
292.	Clerks
293.	Computer/Data Entry Operator

294.	Telephone Operator, Typist
295.	Store Attendant
296.	M. C. Clerk
297.	Munshi (Matriculate, Non-matriculate)
298.	Store Clerk (Matriculate Non-matriculate)
299.	Store Keeper
300.	Store Keeper Grade I, Grade II, (Matriculate)
301.	Time Keeper
302.	Time Keeper (Matriculate Non-Matriculate)
303.	Book Keeper
304.	Work Munshi
305.	Work Munshi (Subordinate)
306.	Magazine Clerk
307.	Teller Clerk
308.	Store clerk
309.	Tally Clerk
310.	Store Issuer
311.	Tool Keeper
312.	Computer/Date Entry Operator
313.	Record Keeper
314.	Tracer
315.	File Clerk
316.	Register Keeper
317.	Time Keeper
318.	Clerk
319.	Munshi
320.	Typist and other categories by whatever name called which are of clerical nature

Sl. No.	HIGHLY SKILLED
1.	Artificer Class I
2.	Blacksmith Class I
3.	Carpenter Class I
4.	Machine
5.	Hand Class I
6.	Mason Class I
7.	Mechanic (Senior)
8.	Painter (Grade I, Class I, Spray) Plasterer (Mason) Class I
9.	Plumber (Head, class I)
10.	Mistry Grade I

11.	Polisher (with spray Grade I)
12.	Road Inspector Grade I
13.	Sawyer Class I
14.	Stone Cutter Class I
15.	Stone Cutter Grade I
16.	Stone Chisler Class I
17.	Stone Mason Class I
18.	Sub-Overseer (Qualified)
19.	Tiler Class I
20.	Tinsmith Grade I and Class I
21.	Upholsterer Grade I
22.	Varnisher Class I
23.	Welder-cum-Fitter and Air Conditioning Mechanic
27.	Welder (Gas) Class I
25.	White Washer Class I
26.	Wireman Grade I, Class I
27.	Wood Cutter Class I
28.	Grinder (Tool) Grade I
29.	Operator (Batching Plant Grade I)
30.	Leader Grade I
31.	Pile Driving Grade I
32.	Pump Grade
33.	Scrapper Grade I
34.	Screening Plant Grade I
35.	Pump Grade I
36.	Scrapper Grade I
37.	Security Guards (with arms)
38.	Armature Winder Grade I
39.	Blacksmith Grade I and Class I
40.	Boilerman Grade I
41.	Boilerman Foreman Grade I
42.	Brick Layer class I
43.	Cable Joiner Grade I
44.	Carpenter grade I and Class I
45.	Celo Cutter and Decorator
46.	Chargeman Class I

47.	Checker (Sr) Driver Lorry Grade I
48.	Motor Lorry Grade I
49.	Motor Vehicle Class I and Diesel Engine Grade I
50.	Road Roller Grade I
51.	Pump Class Electrician Grade I and Class I/ Grade I
52.	Fitter (Grade I, Class I)
53.	Pipe Class I (Head)
54.	Foreman(Assistant) Line Man Grade I Mason (Skilled Grade I, Class I)
55.	Mast Rig
56.	Mechanic Class I and Class II
57.	Mechanic (Diesel Grade I and Road Roller Grade I
58.	Airconditioning Grade I/Class I, Mistry Grade I
59.	Mistry (Airconditioning Grade I)
60.	Overseer
61.	Overseer (Senior and Junior)
62.	Dragline Grade I
63.	Drill Grade I
64.	Dumper Grade I
65.	Excavator Grade I
66.	Fork Lift Grade I
67.	Generator Grade I
68.	Rigger Grade I
69.	Rigger Grade II
70.	Charper/Sletter Grade I
71.	Shovel and Dragline Tractor Grade I
72.	Tradesman Class I
73.	Turner/Miller Grade I
74.	Work (Assistant) Grade I
75.	Compounder
76.	Surveyor
77.	Winding Engine Driver
78.	Operator (Heavy Earth Moving Shovel and Bulldozer)
79.	Head Mistry
80.	Staff Nurse with Diploma

81.	Drill Operator other than Jack Hammer
82.	Electrical Supervisor with Competency Certificate
83.	Underground Shift Boss
84.	Head Mechanic
85.	Qualified and Experienced Welder
86.	Machine Tool Mechanic
87.	Mechanical/Plant Foreman
88.	Mining Supervisor
89.	Vocational Training Instructor/Teacher
90.	Head Electrician
91.	Accountant
92.	Steno with 7 years of service
93.	Store Incharge
94.	Shift Incharge
95.	Supervisor
96.	Incharge of Watch and Ward
97.	Security Guard (Armed)
99.	Crane Grade I
100.	Diesel Engine Grade I
101.	Dozer Grade I
102.	Clamp Shell Grade I
103.	Compressor Grade I
104.	Grader Grade I
105.	Tractor Grade I
106.	Vibrator Grade I
107.	Screening Plant Grade I
108.	Shovel Grade I
109.	Shovel and Dragline
110.	Tyre vulcanser Grade I
111.	Security Guard (with Arms)and other categories by whatever name called which are of Highly- skilled nature.

[Authoritative English text of this Department Notification No. LEP-A003/6/2026, Dated 29 -04- 2026 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR, EMPLOYMENT & OVERSEAS PLACEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th April, 2026

No. : LEP-A003/6/2026.—The following draft rules which the Government of Himachal Pradesh, proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 99 of

the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) and all other powers enabling it in that behalf and is hereby published for information of all person(s) likely to be affected by these rules;

DRAFT RULES

CHAPTER – I

PRELIMINARY

1. Short title, application and commencement.—(1) These rules may be called The Himachal Pradesh Industrial Relation Rules, 2026.

(2) They extend to whole of Himachal Pradesh

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Code” means the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020);
- (b) “Electronically” means any information submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purposes of the Code;
- (c) “Form” means a form appended to the Schedule to these rules;
- (d) “Section” means a section of the Code; and
- (e) “State” means Government of Himachal Pradesh;

(2) Words and expressions used in these rules which are not defined, but are defined in the Code, shall have their respective meaning assigned to them in the Code.

3. Memorandum of settlement.—(1) The settlement arrived at in the course of conciliation proceedings or a written agreement between the employer and worker arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding shall be in **Form I**.
himachal pradesh

(2) The settlement shall be signed, — (a) by the employer or by his authorized agent, or where the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other principal officer of such company or such other body corporate; and

(b) on behalf of workers, by any of the following office bearers of Trade Union, namely: –

- (i) President; or
- (ii) Vice-President; or
- (iii) Secretary (including the General Secretary); or
- (iv) Joint Secretary; or
- (v) Any other office bearer of the Trade Union authorized in this behalf by the President and Secretary of the Union; or
- (vi) Five representatives of workers duly authorized in this behalf at the meeting of the workers held for the purpose.

(3) In case of an industrial dispute between individual worker and employer, the settlement shall be signed by the employer and the worker concerned.

(4) Where the settlement is arrived at in the course of conciliation proceedings, the conciliation officer shall send a report thereof to the State Government together with a copy of the memorandum of settlement signed by the parties to the dispute.

(5) Where a settlement is arrived at between an employer and his worker otherwise than in the course of conciliation proceedings, the parties to the settlement shall jointly send a copy thereof electronically or by speed post or by registered post, to the Labour Commissioner, Himachal Pradesh and to the concerned conciliation officer.

(6) The conciliation officer shall file all settlements effected under the Code in respect of industrial disputes in the area within his jurisdiction in the register maintained electronically or otherwise.

(7) The register referred to in sub-rule (6) shall contain the details including serial number, name of the industry, parties to the settlement, date of settlement, remarks and whether settlement was arrived at after the intervention of conciliation officer or by mutual negotiation.

Provided that signature of conciliation officer on the agreement shall not be necessary where the agreement for settlement is arrived at outside conciliation.

Provided further that nothing in this rule shall prohibit a settlement between a worker or workers or Trade Union and an employer on mutually agreed terms and such settlement may be in a format other than **Form I**.

CHAPTER-II

BI-PARTITE FORUMS

4. Works Committee, its constitution and matters related thereto.—(1) Constitution of Works Committee: Every employer to whom an order made by the Central Government under sub-section (1) of Section 3 relates, shall forthwith proceed to constitute a Works Committee (hereinafter in this rule referred to as the Committee) to promote measures for securing and preserving amity and good relations between the employer and workers and, to that end, to comment upon matters of common interest or concern, in the manner specified in this rule.

(2) Number of Members: (i) The number of members constituting the Committee shall be fixed so as to afford representation to the various categories, groups and class of workers engaged in, and to the sections, shops or departments of the industrial establishment.

(ii) The total number of members of the Committee shall not exceed twenty

(iii) The number of representatives of the workers in the Committee shall not be less than the number of representatives of the employer therein.

Provided that the industrial establishment in which women workers are employed shall have adequate representation of women workers in Works Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment.

(3) Representation of Employer: Subject to the provisions of this rule, the representatives of the employer in the Committee shall be nominated by the employer and shall, as

far as may be possible, be officials in direct touch with, or associated with, the working of the industrial establishment.

(4) Consultation with Trade Union: Where the workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union or Trade Unions, the employer shall ask such registered Trade Union or Trade Unions to inform him in writing as to—

- (a) Number of the workers who are members of such registered Trade Union or Trade Unions; and
- (b) if the employer has reason to believe that the information furnished to him by the registered Trade Union or Trade Unions is false, he may, after informing such registered Trade Union or Trade Unions, refer the matter to the Labour Commissioner Himachal Pradesh, who shall, after hearing the parties, decide the matter and his decision shall be final.

(5) Group of Worker's representative's: On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the choosing of worker's representative of the Committee in the following manner, namely:—

- (a) in the case of a negotiating union under sub-section (2) or sub-section (3) of section 14, such negotiating union shall nominate the worker's representatives of the Committee;
- (b) in the case of the negotiating council under sub-section (4) of section 14, the nomination shall be in such manner that every registered Trade Union representing in the negotiating council shall be represented in the Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union;
- (c) where there is no recognized negotiating union or negotiating council referred to in clauses (a) and (b), the workers of the industrial establishment shall elect amongst themselves the worker's representatives of the Committee:

Provided that the employer may, deploy an electronic platform for conducting the election process over an information technology application, online platform or such other platform to enable as to how the representatives of workers shall be elected for the Committee under this clause:

Provided further that where a registered Trade Union fails to furnish the information called for under sub-rule (4) within one month of the date on which it is so called for, then, such Trade Union shall for the purpose of this rule be treated as if it did not exist:

Provided also that where any reference has been made by the employer under sub-rule (4), the process of choosing the worker's representative relating thereto shall be held on receipt of the decision of the Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

(6) Electoral Constituencies: The employer may, if he thinks fit, direct that the workers shall vote in either by groups, sections, shops or departments.

(7) Qualification of Candidates for election: Any worker, of not less than twenty one years of age and with a service of not less than one year in the industrial establishment may, if nominated as provided in this rule, be a candidate for election as a worker's representative of the Committee:

Provided that such service qualification shall not apply to the first election in an industrial establishment which has been in existence for less than a year.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, a worker who has put in continuous service for not less than one year in two or more industrial establishments belonging to the same employer shall be deemed to have satisfied the service qualification specified therein.

(8) Qualification for voters: All workers who are not less than eighteen years of age and who have put in not less than six months' continuous service in the industrial establishment shall be entitled to vote in the election of worker's representative of the Committee.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, a worker who has put in continuous service of not less than six months in two or more industrial establishments belonging to the same employer shall be deemed to have satisfied the service qualification specified therein.

(9) Fixation of schedule for Election: (i) The employer shall give a minimum time period of at least three working days for filing of nomination along with other requisite details while fixing a date as the closing date for receiving nominations from candidates for election as worker's representatives of the Committee.

(ii) The date fixed by the employer for holding the election referred to in clause (i) shall not be earlier than three days and later than fifteen days after the closing date for receiving nominations.

(iii) The date of election fixed under sub-rule (i) shall be notified at least seven days in advance to the workers concerned and such notice, which shall specify the number of seats to be elected, shall be affixed on the notice board or electronic notice board of the industrial establishment and given adequate publicity amongst the workers.

(10) Nomination of Candidates for election: (i) Every nomination for election as worker's representative of the Committee shall be made on a nomination paper to be provided by employer and the copies thereof shall be supplied by the employer to the workers requiring them.

(ii) Each nomination paper referred to in sub-rule (10) shall be signed by the candidate to whom it relates and attested by at least two other voters belonging to the group, section, shop or department, which the candidate seeking election shall represent, and shall be delivered to the employer.

(11) Scrutiny of Nomination papers: (i) On the day following the last day fixed for filing nomination papers, the nomination papers shall be scrutinized by the employer in the presence of the candidates and the attesting persons and those nominations which are not valid shall be rejected.

(ii) A nomination paper shall be held to be not valid under sub-rule (11), if—

(a) the candidate nominated is ineligible for being a candidate under sub-rule (7); or

(b) the requirements of sub-rule (10) have not been complied with:

Provided that where a candidate or an attesting person is unable to be present at the time of scrutiny, he may send a duly authorized nominee for the purpose.

(12) Withdrawal of Candidates: Any candidate whose nomination for election has been accepted may withdraw his candidature within forty-eight hours of the completion of scrutiny of the nomination papers.

(13) Voting in Election: (i) If the number of candidates who have been validly nominated for election as worker's representative of the Committee is equal to the number of seats, the candidates as such shall be forthwith declared as duly elected.

(ii) Where, in any industrial establishment, the number of candidates validly nominated for election as worker's representative of the Committee is more than the number of seats allotted to it, voting shall take place on the day fixed for election.

(14) Officers of the Committee: (i) The Committee shall have among its office-bearers a Chair person, a Vice-Chairperson, a Secretary and a Joint-Secretary.

(ii) The Chairperson of the Committee shall be nominated by the employer from amongst the employer's representatives of the Committee and he shall, as far as possible, be the head of the industrial establishment.

(iii) The Vice-Chairperson shall be elected by the members of the Committee representing the workers, from amongst themselves Provided that in the event of equality of votes in the election of the Vice-Chairperson, the matter shall be decided by a draw of lot.

(iv) The Secretary and the Joint-Secretary of the Committee shall be elected every year.

(v) The Committee shall elect the Secretary and the Joint Secretary provided that where the Secretary is elected from amongst the representatives of the employers, the Joint Secretary shall be elected from amongst the representatives of the workers and *vice versa*:

Provided that the post of the Secretary or the Joint Secretary, as the case may be, shall not be held by a representative of the either the employer or the workers for three consecutive years: Provided further that the employer's representatives shall not take part in the election of the Secretary or Joint Secretary, as the case may be, and only the representatives of the workers shall be entitled to vote in elections for the post of Secretary or Joint Secretary: Provided also that in the event of equality of votes in an election under this sub-rule, the matter shall be decided by a draw of lot.

(15) Term of Office: (i) The term of office of the members of the Committee other than a member chosen to fill a casual vacancy shall be three years.

(ii) Every member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of his predecessor.

(iii) The membership of any member, who fails to attend three consecutive meetings of the Committee without obtaining leave from the Committee, shall stand forfeited.

(16) Vacancies: In the event of worker's representative ceasing to be a member under clause (iii) of sub-rule (15) or ceasing to be employed in the industrial establishment or in the event

of his resignation, death or otherwise, his successor shall be chosen in accordance with the provisions of this rule for the remaining period of the Committee from the same group to which the member vacating the seat belonged.

(17) Power to Co-Opt: The Committee shall have the right to co-opt persons employed in the industrial establishment having particular or special knowledge of a matter under discussion in a consultative capacity and such co-opted member shall not be entitled to vote and shall be present at meetings only for the period during which the particular question is before the Committee.

(18) Meetings: (i) The Committee may meet as often as necessary but not less often than once in three months.

(ii) The Committee shall at its first meeting regulate its own procedure

(19) Facilities for meetings, etc.: (i) The employer shall provide accommodation for holding meetings of the Committee and shall also provide all necessary facilities to the Committee and to its members for carrying out the work of the Committee.

(ii) The Committee shall ordinarily meet during working hours of the industrial establishment concerned on any working day and the representatives of the workers shall be deemed to be on duty while attending the meeting.

(iii) The Secretary of the Committee may with the prior concurrence of the Chairperson, put up notice regarding the functions of the Committee on the notice board of the industrial establishment.

(20) Annual Return: The employer shall submit the details of the constitution and the functioning of the Committee as a part of unified annual return provided in the rules made in this behalf under the Occupational Safety, Health and Working Condition Code, 2020 (37 of 2020).

(21) Dissolution of Works Committee: The Central Government, or the officer authorized in its behalf, may after making such inquiry as it or he may deem fit, dissolve any Committee at any time, by an order for reasons to be recorded in writing, on being satisfied that the Committee has not been constituted in accordance with the provisions of this rule or that not less than two-thirds of the number of representatives of the workers have without any reasonable justification failed to attend three consecutive meetings of the Committee or that the Committee has, for any other reason, ceased to function: Provided that where the Committee is dissolved under this sub-rule, the employer, may, and if so required by the Central Government or, as the case may be, by such officer, shall take steps to re-constitute the Committee in accordance with this rule.

5. Choosing of members from employers and workers for Grievance Redressal Committee.—(1) The Grievance Redressal Committee (hereinafter in this rule referred to as the Grievance Committee) in an industrial establishment employing twenty or more workers, shall consist of equal number of members representing the employer and workers, which shall not exceed ten.

(2) The representatives of the employer in the Grievance Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with or associated with the working of the industrial establishment, preferably the heads of major departments of the industrial establishment.

(3) The worker's representative of the Grievance Committee shall be chosen in the following manner, namely: —

- (a) where there is a negotiating union under sub-section (2) or sub-section (3) of section 14, such negotiating union or negotiating council, as the case may be, shall nominate the worker's representatives of the Grievance Committee;
- (b) in the case of a negotiating council under sub-section (4) of section 14, the nomination shall be in such manner that every registered Trade Union representing in the negotiating council shall be represented in the Grievance Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union;
- (c) where there is no recognized negotiating union or negotiating council referred to the clauses (a) and (b), the workers of the industrial establishment shall choose amongst themselves the worker's representatives of the Grievance Committee:

Provided that the employer may, deploy an electronic platform for choosing worker's representatives under this clause, over an information technology application, online platform or such other like platform:

Provided further that there shall be adequate representation of women workers in the Grievance Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment.

(4) The tenure of the members of the Grievance Committee shall be three years

(5) Where there is no recognized negotiating union or negotiating council and if any dispute arises regarding choosing of the worker's representative to the Grievance Committee, the matter may be referred to the concerned Regional Labour Commissioner (Central), who shall, after hearing the parties, decide the matter, whose decision shall be final.

6. Application in respect of any dispute to be filed before the Grievance Redressal Committee by an aggrieved worker.— (1) Any aggrieved worker may file an application stating his grievance therein and dispute before the Grievance Redressal Committee giving name, designation, worker code or token number, department where he is posted, length of his service in years, category of worker, address for correspondence, contact number, details of grievances and the relief sought therefor.

(2) The application referred to in sub-rule (1) may be sent electronically or otherwise

(3) The application referred to in sub-rule (1) shall be filed within one year from the date on which the cause of action of such dispute arose.

7. Manner of filing application for the conciliation of grievance as against the decision of the Grievance Redressal Committee to conciliation officer.—Any worker who is aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee or whose grievance is not resolved by the said Committee within thirty days of receipt of the application, may file an application online on designated portal of the Department of Labour Employment and Overseas Placement, or by registered post or speed post, or in person, within a period of sixty days from the date of the decision of the Grievance Redressal Committee or from the date on which the period specified in sub-section (6) of section 4 expires, as the case may be, to the conciliation officer through the Trade Union, of which he is a member: Provided that in case of manual receipt of such application through registered post or speed post or in person, the conciliation officer shall get the same digitized and enter the particulars of the application in the online mechanism under intimation to the Trade Union and worker.

CHAPTER –III

TRADE UNIONS

8. Subscription by members to Trade Union under clause (f) of Section 7.—A registered Trade Union may collect a minimum subscription from its members, as provided under the rules of the Trade Union, approved by the Registrar on monthly, quarterly, half yearly or yearly basis, which shall not be less than ten rupees per month and not more than 200 rupees per month.

9. Manner of annual audit under clause (j) of section 7.—(i) The annual audit of the account of any registered Trade Union shall be conducted by an auditor authorized to audit the accounts of companies under sub-section (1) of section 139 of the Indian Companies Act, 2013 (18 of 2013) or by an auditor selected from the panel of certified auditor.

- (ii) The Registrar may constitute such panel of certified auditors to conduct the annual audit of accounts of any registered Trade Union, by notification in the Official Gazette.
- (iii) The Registrar may add or remove the auditors from the panel
- (iv) The auditor shall conduct the audit of accounts of the Trade Union and shall submit the audit report to the Trade Union and forward one copy of the same to the Registrar.
- (v) **Accessibility to books of accounts.**—The auditor or auditors appointed in accordance with these rules to conduct the audit of accounts of the Trade Union shall be given access to all the books of the concerned registered Trade Union and shall verify the general statement with the accounts and vouchers relating thereto and shall thereafter sign the auditor's declaration in **Form II**, indicating separately on that form under his signature or their signatures a statement showing in what respect he or they find the return to be incorrect, not supported by vouchers or not in accordance with the Act. The particulars given in the statement shall indicate,—
 - (a) every payment which appears to be unauthorized by the rules of the registered Trade Union concerned or contrary to the provisions of the Act;
 - (b) the amount of any deficit or loss which appears to have been incurred by the negligence or misconduct of any person;
 - (c) the amount of any sum which ought to have been, but is not brought to account by any person.
- (vi) **Rectification of defects in accounts.**—The Trade union shall explain within three months from the date of audit report, the defects or irregularities pointed out by the auditor and action taken thereon, to the Registrar. The Registrar may also make an order directing the union or its office bearers to take such action, as may be specified in the order to remedy the defects within the time specified therein.

10. Registration of Trade Union and cancellation thereof.— (1) Form of application for registration under section 8 and section 9.—(1) Every application for registration of trade union shall be made to the Registrar electronically as well as through registered letter or otherwise in **Form III**.

- (2) Every such application shall be accompanied by an affidavit of applicant in **Form IV**.
- (3) If a Trade Union has been in existence for more than one year before making an application for registration than, a general statement of the assets and liabilities of the Trade Union in **Form XIV** shall also be attached with the application.
- (4) The fees payable for registration of Trade Union shall be rupees 2000/- for a Trade Union having membership of 1000 or more workers and rupees 1000/- for a Trade Union having membership of less than 1000 workers.
- (5) The Registrar shall issue the certificate of registration of Trade Union under sub-section (2) of section 9 in **Form V**.
- (6) The fee payable for issue of duplicate certificate of registration shall be rupees 500/-.
- (7) The Registrar shall maintain the register of the Trade Union referred to in sub-section (3) of section 9 in **Form VI**.
- (8) The Application for withdrawal or cancellation of certification of registration of the Trade Union under sub-section (5) of section 9 shall be made to the Registrar in **Form-VII**.
- (9) The Registrar, on receiving an application for withdrawal or cancellation of registration of the Trade Union, shall, before granting such application, verify that the application is approved in the general meeting of the Trade Union, or if it is not so approved, it has approved the majority of members of the Trade Union. The registrar may call for such further particulars as he deems necessary and may examine any office of the Trade Union for this purpose.

11. Appeal against non-registration or cancellation of registration under sub-section (1) of section 10.—An appeal under sub-section (1) of section 10 of the Code against the order of the Registrar, refusing to grant registration of a Trade Union under section 9 of the Code or cancellation of registration under sub-section (5) of the said sections, shall be filed within sixty days from the date of receipt of order against which the appeal is preferred.

12. Communication and notices to Trade Union by Registrar and by Trade Union to Registrar under sub-section (1) and (3) of Section 11.—(1) All communication and notices shall be sent electronically as well as through registered post or otherwise to the registered Trade Union by the Registrar through the postal address or email address, as mentioned in the register.

(2) All communication and notices by a registered Trade Union with respect to any change in any particulars of the Trade Unions or its rules or membership thereof shall be sent electronically or otherwise to the Registrar to his official postal address or email address within thirty days from the date of such change or event.

(3) On receipt of any communication under sub-rule (2), the Registrar shall, unless he has reason to believe that such communication has not been made in the manner provided by the rules of the Trade Union and is not in accordance with the provisions of the Code, register such alteration in the register to be maintained for this purpose and shall inform the fact to the Secretary of the Trade Union in the manner specified under sub-rule (1).

(4) The fee payable for such communication or alteration of rules shall be one hundred rupees or as may be fixed by the State Government, from time to time, by notification and be paid electronically or otherwise for each set of alterations made at one time.

(5) The notice of any change in the name of the Trade Union shall be sent electronically or otherwise to the Registrar in **Form VIII**.

(6) When the Registrar registers a change in name or any other particulars, he shall certify under his signature at the foot of the certificate issued under rule 10 of this Rules, that, the new name and the change in particulars has been registered and communicate the same electronically or otherwise.

13. Manner of Recognition of Negotiating Union or Negotiating Council.—(1). Matters for negotiation between negotiating union or negotiating council and employer for the workers employed in the industrial establishment under sub-section (1) of section 14: The matters pertaining to workers which the negotiating union or the negotiating council, as the case may be, shall negotiate with the employer of the industrial establishment under sub-section (1) of section 14 are specified, as below:—

- (i) classification of grades and categories of workers;
- (ii) order passed by an employer under the standing orders applicable in the industrial establishment;
- (iii) wages of the workers including their wage period, dearness allowance, bonus, increment, customary concession or privileges, compensatory and other allowances;
- (iv) hours of work of the workers, rest days, number of working days in a week, rest intervals, working of shifts;
- (v) leave with wages and holidays;
- (vi) promotion and transfer policy and disciplinary procedures;
- (vii) quarter allotment policy for workers;
- (viii) safety, health and working conditions and related standards;
- (ix) such matters pertaining to conditions of service and terms of employment of the workers which are not covered in the foregoing clauses; and
- (x) any other matter which is agreed between employer of the industrial establishment and negotiating union or negotiating council, as the case may be.

14. Criteria for recognizing a single registered Trade Union of workers as sole negotiating union of workers under sub-section (2) of section 14.—(1) Where there is only one registered Trade Union operating in an industrial establishment which is having its membership not less than 51 percent or more of the total workers employed in the industrial establishment, shall make an application in **Form IX** to the Conciliation Officer for recognition of a sole negotiating union, under sub section (2) of section 14. The application shall be made alongwith the statement of object and resolution passed and signed by the majority of members of the union employed in that establishment.

(2) If there is only one Trade Union of the worker is registered and functioning in the industrial establishment, which is having fifty-one per cent. or more workers on the muster roll of

the establishment as members of the said Union, shall make an application in **Form IX** to the area conciliation officer for recognition of a sole negotiating union, under sub-section (2) of section 14. The application shall be made alongwith the statement of object and resolution passed and signed by the majority of members of the union employed in that establishment.

(3) After receiving the application, the conciliation officer shall call upon the representatives of the Union, employer and any other person, as he deems fit and after making such inquiry as he deems fit, pass an order in relation thereto, within a period of three months from the date of receipt of such application.

(4) On the basis of order of the conciliation officer the employer shall recognize the Trade Union as a sole negotiating union and shall issue certificate of sole negotiating union in **Form X** within fifteen days from the date of order of the conciliation officer and the copy of the same shall be submit to the concern conciliation officer.

15. Manner of verification of membership of Trade Unions in an industrial establishment under sub-sections (3) and (4) of section 14.—(1) If more than one Trade Union workers are registered and functioning in the industrial establishment, the Trade Union having more than fifty one percent or more workers on the muster roll in the industrial establishment shall make an application in **Form IX** to the area conciliation officer for sole negotiating union under sub-section (3) of section 14. The application shall be made along with statement of object and resolution passed and signed by the majority of members of the union employed in that establishment.

(2) After receiving the application, the conciliation officer shall call upon the representatives of the Trade Union, employer and any other person, he deems fit and after making such inquiry as he deems fit, pass an order in relation thereto, within a period of three months from the date of receipt of such application.

(3) On the basis of order of the conciliation officer the employer shall recognize the Trade Union as a sole negotiating union and shall issue certificate of sole negotiating union in **Form X** within fifteen days from the date of order of the conciliation officer and the copy of the same shall be submit to the concerned conciliation officer.

(4) Representative of any trade union having more than twenty percent membership in the industrial establishment shall make an application to the area conciliation officer for a representative of union for negotiating council in **Form XI** along with statement of object and resolution passed and signed by the majority of members of the union employed in that establishment.

(5) After receiving the application, the conciliation officer call upon the representatives of employer and workmen and after making such inquiry as he deems fit pass such order in relation thereto, within a period of three months from the date of receipt of such notice. On the basis of order of the conciliation officer, the employer shall issue certificate as a representative of union for negotiating council to the member of union in **Form XII** within fifteen days from the date of order of conciliation officer and the copy of the same shall submit to the concern conciliation officer.

16. Facilities to be provided by industrial establishment to a negotiating union or negotiating councils under sub-section (7) of section 14.—In an industrial establishment, where there is a negotiating union or negotiating council, as the case may be, the employer of such industrial establishment shall provide the following facilities to the negotiating union or negotiating council, as the case may be, namely:—

- (i) notice board for the purpose of displaying information relating to activities;
- (ii) of negotiating union or negotiating council, as the case may be; venue and necessary facilities for holding discussions by the negotiating union or negotiating council, as the case may be, as per schedule and agenda to be settled between employer of the industrial establishment and the negotiating union or negotiating council, as the case may be;
- (iii) venue and necessary facilities for holding discussions amongst the members of the negotiating union or constituents of negotiating council, as the case may be;
- (iv) facility for entrance of the office bearers of the negotiating union or negotiating council, as the case may be, in the industrial establishment for the purposes of ascertaining the matters which are relating to working conditions of the workers;
- (v) employer of the industrial establishment shall deduct subscription of the members of the Trade Union on the basis of the written consent of the worker;
- (vi) when the office bearers of the negotiating union or negotiating council shall be holding meetings with the employer as per agreed schedule between employer and such employed office bearers shall be treated as on duty; and
- (vii) employer of an industrial establishment, having three hundred or more workers, shall provide suitable office accommodation with necessary facilities to the negotiating union or negotiating council, as the case may be.

16. Objects of funds under sub-sections (1) and (2) and subscription under sub-section (4) of section 15.—(1) The general funds of a registered Trade Union shall not be spent on any other objects other than that of the following, namely:—

- (a) the payment of salaries, allowances, and expenses to office bearers of the Trade Union;
- (b) the payment to expenses for the administration of the Trade Union, including audit of the accounts of the general funds of the Trade Union;
- (c) the prosecution or defense of any legal proceeding to which the Trade Union or any member thereof is a party, when such prosecution or defense is undertaken for the purpose of securing or protecting any rights of the Trade Union as such or any rights arising out of the relations of any member with his employer or with a person whom the member employs;
- (d) the conduct of trade dispute on behalf of the Trade Union or any member thereof;
- (e) the compensation of members for loss arising out of trade disputes;
- (f) allowances to members of their dependency on account of death, old age, sickness, accidents or unemployment of such members;
- (g) the issue of, or the undertaking of liability under policies of assurance on the lives of members, or under policies insuring members against sickness, accident or unemployment;

- (h) the provision of educational, social or religious benefits for members (including the payment of the expenses of funeral or religious ceremonies for deceased members) or for the dependents of members;
- (i) the upkeep of a periodical publicized mainly for the purpose of discussing questions affecting employers or workman as such;
- (j) the payment, in furtherance of any of the objects on which the general funds of the Trade Union may be spent, of contributions to any cause intended to benefit workman in general: Provided that, the expenditure in respect of such contributions in any financial year shall not at any time during that year be in excess of one fourth of the combined total of the gross income which has up to that time accrued to the general funds of the Trade Union during that year and of the balance at the credit of those funds at the commencement of that year; and
- (k) subject to any conditions contained in the notification, any other object notified by the State Government in the Official Gazette.

(2) A registered Trade Union may constitute a separate fund in furtherance of any of the objects as follows, namely:—

- (a) the payment of any expenses incurred, either directly or indirectly, by a candidate or prospective candidate for election as a member of any legislative body constituted under the Constitution of India or of any local authority, before, during, or after the election in connection with his candidature or election; or
- (b) the holding of any meeting or the distribution of any literature or documents in support of any such candidate or prospective candidate; or
- (c) the maintenance of any person who is a member of any legislative body constituted under the Constitution or of any local authority; or
- (d) the registration of electors or the selection of a candidate for any legislative body constituted under the Constitution or for any local authority; or
- (e) the holding of political meetings of any kind, or the distribution of political literature or political documents of any kind.

(3) No member shall be compelled to contribute to the fund constituted under sub-rule (2); and a member who does not contribute to the said fund shall not be excluded from any benefits of the Trade Union, or placed in any respect either directly or indirectly under any disability or at any disadvantage as compared with other members of the Trade Union (except in relation to the control or management of the said fund) by reason of his not contributing to the said fund; and contribution to the said fund shall not be made a condition for admission to the Trade Union.

17. Manner of making application for adjudication before Tribunal under section 22.—(1) The application before the State Industrial Tribunal shall be filed within thirty days of occurrence of any dispute as provided under section 22 or any such order of the Registrar passed in relation to such dispute alongwith the relevant copies of the documents related to such dispute or order and mentioning the cause of such dispute.

(2) The Tribunal shall give an opportunity of hearing to all concerned parties and shall pass the order within forty-five days.

(3) This order shall be final and binding upon all the parties and the Registrar

(4) The Registrar shall make relevant entries in the relevant records maintained by his Office in accordance with the order of the State Industrial Tribunal.

18. Manner of amalgamation under sub-section (2) and manner of sending signed amalgamation to Registrar of a different State under sub-section (3) of section 24.—(1) Any two or more registered Trade Unions may become amalgamated together as one Trade Union with or without dissolution or division of the funds of such trade Unions or either any of them, provided that, votes of at least two third of the members of each or every such Trade Union entitled to votes are recorded, and that at least two third of the votes recorded are in favor of the proposal.

(2) Notice of every amalgamation shall be sent to the Registrar in **Form XIII**.

19. Distribution of funds of Trade Union on dissolution by Registrar under sub-section (2) of section 25.—Where it is necessary for the Registrar under sub-section (2) of section 25 to distribute the funds of a registered Trade Union which has been dissolved, he shall divide the fund amongst the members proportionate to the amounts contributed by them by way of subscription during their membership.

20. Date, form and manner of forwarding general statement of Trade Union and its audit under sub-section (1) of section 26.—(1) Every registered Trade Union shall submit general statement in **Form XIV** to the Registrar on or the 30th April in every year

(2) The audit of general statement shall be conducted in the manner specified in rule 9

(3) After an inquiry if the Registrar finds any irregularities in general statement, he may take all the necessary action, as he deems fit.

21. Manner and purpose of recognition of a Trade Union or a federation of Trade Unions under sub-section (2) of section 27.—(1) The Trade Union or federation of the Trade Unions having substantial membership in major sectors of employment across the State shall make an application to the State Government or the Officer authorized by the State Government by notification issued, in this regard, for recognition of a Trade Union or a federation of Trade Unions as a State Trade Union at State level.

(2) The State Government or the officer appointed by the State Government in this behalf, shall, after due enquiry, as it deems fit, decide such application within ninety days of its receipt and send the copy of the decision to the applicant with a copy to the Labour Commissioner and the Registrar.

(3) If any dispute arises in relation to such recognition, the Government or the officer appointed by the State Government in this behalf, shall refer the dispute to the State Industrial Tribunal. The State Industrial Tribunal shall, after giving opportunity of hearing to the applicant and going through the relevant records of the case, decide the reference preferably within forty-five days and the order of the Tribunal shall be binding upon the parties.

CHAPTER IV

STANDING ORDERS

22. Manner of forwarding information to certifying officer under sub-section (3) of section 30.—(1) If the employer adopts the model standing orders of the Central Government

referred to in Section 29 with respect to matters relevant to his industrial establishment or undertaking, then, he shall intimate the concerned certifying officer electronically, or in person, or by speed post or by registered post, the specific date from which the provisions of the model standing orders which are relevant to his establishment or undertaking have been adopted.

(2) The model standing order adopted under sub-rule (1) shall apply to the industrial establishment, and to all its units in the country.

(3) On receipt of information under sub-rule (1), the certifying officer shall enter the details of the industrial establishment which has adopted the model standing order in the register maintained under rule 17.

(4) Where, the certifying officer observes that the industrial establishment, which has intimated adoption of model standing orders, is also engaged in activities other than for which model standing orders have been adopted, then, he may, within a period of thirty days from such receipt of intimation of model standing orders so adopted, direct such employer to include or adopt certain provisions which are relevant to his industrial establishment and indicate those relevant provisions and direct such employer to comply the same within a period of thirty days from the date of the receipt of such direction and send a compliance report only in respect of those provisions which the certifying officer has so directed to get included.

(5) If no observation is made by the certifying officer within a period of thirty days of the receipt of the information as specified in sub-rule (1), then, the model standing order shall be deemed to have been certified by the certifying officer.

(6) The provisions of the model standing orders adopted in accordance with the provisions of these rules shall remain in force with effect from the date specified in sub-rule (1).

(7) Without prejudice to the provisions of this rule, the certifying officer shall not raise any observation if the industrial establishment is engaged in activities which are wholly covered by the activities of the industrial establishment to which the standing orders apply.

23. Manner of choosing representatives of workers of the industrial establishment or undertaking for issuing notice by certifying officer where there is no Trade Union operating, under clause (ii) of sub-section (5) of section 30.—Where there is no such Trade Union as is referred to in clause (i) of said sub-section (5), then, the certifying officer shall call a meeting of the workers to choose three representatives, to whom he shall, upon their being chosen, forward a copy of the standing order requiring objections, if any, which the workers may desire to make to the draft standing order to be submitted within fifteen days from the receipt of the notice. If no objection or request for modification is received by the certifying officer from the representatives of workers within fifteen days, the Certifying Officer may certify such draft standing order.

24. Manner of authentication of certified standing orders under sub-section (8) of section 30.—Standing orders or modification in the standing orders, certified in pursuance of sub-section (8) of section 30 or the copies of the order of the appellate authority under sub-section (1) of section 33 shall be authenticated by the certifying officer or the appellate authority, as the case may be, and shall be sent electronically as well as through registered post or otherwise within a week to all concerned, but there shall not be any requirement of certification in cases of deemed certification under sub-section (3) of section 30 and in cases where the employer has certified adoption of model standing orders.

25. Statement to be accompanied with draft standing orders under sub-section (9) of section 30.—A statement to be accompanied with:—

- (i) draft standing order shall contain, the particulars such as name of the industrial establishment or undertaking concerned, address, e-mail address, contact number and strength and details of workers employed therein including particulars of Trade union to which such workers belong; and
- (ii) draft modification in the existing standing orders, shall contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provision of standing order in force and proposed modification therein and reasons thereof and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking.

26. Conditions for submission of draft standing order in similar establishment under subsection (10) of section 30.— In cases of group of employer engaged in similar industrial establishment (manufacturing similar kind of products) may submit a joint draft standing order under section 30 and for the purpose of proceedings specified in subsections (1), (5), (6), (8) and (9) thereof after consultation with the concerned Trade union:

Provided that the joint draft standing orders, in cases of group of employers engaged in similar industrial establishments (manufacturing similar kind of products), will be drafted and submitted to the Labour Commissioner/Joint Labour Commissioner, H.P. who shall, in consultation with the concerned certifying officers, certify or refuse to certify the said joint draft standing order, after recording reasons therefor.

27. Manner of disposal of appeal by appellate authority under section 32:—

- (1) An employer or Trade Union desirous of preferring an appeal against the order of the certifying officer given under sub-section (5) of section 30 shall within sixty days of the receipt of such order shall draw up a memorandum of appeal in tabular form stating therein the provisions of the standing orders which are required to be altered or modified or deleted or added and reasons thereof and shall be filed electronically to the appellate authority.
- (2) The appellate authority shall fix a date for the hearing of the appeal and direct notice thereof to be given :—
 - (a) where the appeal is filed by the employer or a worker, to Trade Union of the workers of the industrial establishment or to the representative body of the workers concerned or to the employer, as the case may be;
 - (b) where the appeal is filed by a Trade Union, to the employer and all other Trade Unions of the workers of the industrial establishment; and
 - (b) where the appeal is filed by the representative of the workers, to the employer and any other worker whom the appellate authority joins as a party to the appeal.
- (3) The appellant shall furnish each of the respondents with a copy of the memorandum of appeal.

(4) The appellate authority may at any stage of the proceeding call for any evidence, if it considers necessary for the disposal of the appeal.

(5) On the date fixed under sub-rule (2) for the hearing of the appeal, the appellate authority shall take such evidence as it may have called or consider to be relevant if produced and after hearing the parties dispose of the appeal.

28. The language and the manner of maintaining standing order under sub-section (1) and (2) of section 33.—(1) The standing order finally certified by certifying officer shall be sent electronically as well as through registered post or otherwise except in the case of deemed certification under section 30.

(2) The text of the standing order as finally certified or deemed to have been certified or adopted model standing order under this Chapter shall be maintained by the employer in Hindi or in English.

29. Register for final certified copy of Standing Order under section 34.—(1) The certifying officer shall maintain electronically, a register of all standing orders certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders of all the concerned industrial establishments, *inter-alia*, containing the details of :—

- (a) the unique number assigned to each standing order;
- (b) name of industrial establishment;
- (c) nature of industrial establishment;
- (d) date of certification or deemed certification or date of adoption of model standing order by each establishment or undertaking;
- (e) the areas of the operation of the industrial establishment; and
- (f) such other details as may be relevant and helpful in retrieving the standing orders and create a data base of such of all standing orders.

(2) The certifying officer shall furnish a copy of the certified standing orders or deemed certifying orders to any person applying there for on payment of **twenty rupees per page** of the certified standing orders or deemed certified standing orders, as the case may be. The payment for such purpose can also be made through electronic mode.

30. Application for modification of Standing Order under sub-section (2) of section 35.—The application for modification of an existing standing order under sub-section (2) of section 35 shall be submitted electronically as well as through registered post or otherwise and contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provisions of standing order in force, and proposed modifications therein, reasons thereof and the details of registered Trade union(s) operating therein, and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking.

CHAPTER V

NOTICE OF CHANGE

31. The manner of giving of notice for change proposed to be effected under clause (i) of section 40 - (1) Any employer intending to effect any change in the conditions of service applicable to any worker in respect of any matter specified in the Third Schedule to the Code, shall

give notice in **Form – XV** to such worker affected by such change and copy of the same shall be submitted to the concerned Labour Inspector-cum-Facilitator for information.

(2) The notice referred in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board at the main entrance of the industrial establishment and the office of the concerned Manager of the industrial establishment:

Provided that where there is a registered Trade Union or registered Trade Unions relating to the industrial establishment a copy of such notice shall also be served on the Secretary of such Trade Union or each of the Secretaries of such Unions, as the case may be.

CHAPTER VI

VOLUNTARY REFERENCE OF DISPUTES TO ARBITRATION

32. Form of arbitration agreement and the manner thereof under sub-section (3) of section 42.—(1) Where the employer and workers agree to refer the dispute to arbitration, the Arbitration Agreement shall be in **Form-XVI** and shall be signed by the parties to the agreement. The agreement shall be accompanied by the consent either in writing or electronically of arbitrator or arbitrators.

(2) The Arbitration Agreement referred to in sub-rule (1) shall be signed:—

- (i) In case of an employer, by the employer himself, or when the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other officer of the corporation authorized for such purposes;
- (ii) In the case of the workers by the officer of the registered Trade Union authorized in this behalf or by three representatives of the workers duly authorized in this behalf at a meeting of the concerned workers held for such purpose;
- (iii) In the case of an individual worker, an individual worker by the worker himself or by an officer of registered Trade Union of which the worker is a member:

Explanation.—(1) In this rule, the expression ‘officer’ means any officer of a registered Trade Union or an association of the employer authorized for such purpose;

(2) In this rule ‘officer’ means any of the following officers, namely:—

- a) the President;
- b) the Vice-President;
- c) the Secretary (including the General Secretary);
- d) a Joint Secretary; and
- e) any other officer of the Trade Union authorized in this behalf by the President and Secretary of the union.

33. Manner of issue of notification under sub-section (5) of section 42.—Where an industrial dispute has been referred to arbitration and the State Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party, it shall publish a notification in this behalf in the Official Gazette and electronically for the information of the employers and workers who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute and they may present their case before the arbitrator or arbitrators appointed for such purpose by the State Government.

34. Manner of choosing representatives of workers where there is no Trade Union under subsection (5) of section 42.—Where there is no Trade Union, the representative of workers to present their case before the arbitrator or arbitrators in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (5) of section 42, shall be chosen by a resolution passed by the majority of concerned workers in **Form-XVII** authorizing therein to represent the case. Such workers shall be bound by the acts of representatives who have been authorized to represent before the arbitrator or arbitrators, as the case may be.

CHAPTER VII

MECHANISM FOR RESOLUTION OF INDUSTRIAL DISPUTES

35. Matters in respect of which a conciliation officer and Tribunal shall have powers of a Civil Court under clause (d) of sub-section (3) of Section 49.—The Conciliation officer and the Tribunal shall have the powers of a Civil Court as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), when trying a suit in respect of the following matters, namely:—

- (a) inspection of premises of establishment and documents;
- (b) receiving evidence on affidavit;
- (c) discovery of the documents;
- (d) investigation and enquiry;
- (e) any other document/matters that may be required by the conciliation officer or Tribunal.

36. Manner of conciliation proceedings sub-section (1), full report under sub-section 4 and (4) sub-section under report full (1), application and manner of dealing such application under sub-section (6) of Section 53.

(1) Where any industrial dispute exists or is apprehended or a notice under section 62 has been given, the conciliation officer shall on receipt of such application, examine the application and if he finds that the dispute is pertaining to the jurisdiction of the State Government, he shall register the dispute and adopt the procedure in such manner as he may deem fit for holding conciliation proceedings.

(2) If no such settlement is arrived at in the conciliation proceeding referred to in sub-rule (1), the conciliation officer shall submit a report to the State Government within fourteen days from the date on which the conciliation proceedings are concluded.

(3) The report referred to in sub-rule (2) shall be accessible to the parties concerned

(4) The report referred to in sub-rule (2) shall contain *inter-alia* the submissions of the employer, worker or Trade union, as the case may be, and it shall also contain the efforts made by the conciliation officer to bring the parties to the amicable settlement, reasons for refusal of the parties to resolve the dispute and the conclusion of the conciliation officer.

(5) Any dispute which is not settled during the conciliation proceedings, then, either of the concerned party may make an application in **Form XVIII**, before the Tribunal within ninety days from the date of the report under sub-rule (2).

(6) In case of an industrial dispute which has not been settled during the conciliation proceedings, an application may be made before the Tribunal by either of the parties concerned for adjudication. The Tribunal shall direct the party raising the dispute to file a statement of claim with

complete details along with relevant documents, list of supporting documents and witnesses within thirty days from the date on which application is filed. A copy of such statement may be sent to each of the opposite parties in the dispute.

(7) The Tribunal after ascertaining that the copies of statement of claim and other related documents are furnished to the other side by the party raising the dispute, the Tribunal shall fix the first hearing as soon as possible and within a period of one month from the date of receipt of the application. The opposite party or parties shall file their written statement together with supporting documents and the list thereof and list of witnesses, if any, within a period of thirty days from the date of first hearing and simultaneously forward a copy thereof to the opposite party or parties for service.

(8) Where the Tribunal finds that the party raising the dispute, despite its directions, did not forward the copy of the statement of claim and other documents to the opposite party or parties, it shall give directions to the concerned party to furnish the copy of the statement to the opposite party or parties, granting extension of fifteen days for filing the statement, if the Tribunal finds sufficient cause for not filing the statement of claim and other documents within time.

(9) Evidence shall be recorded either in Tribunal or may be filed on affidavit but in the case of affidavit the opposite party shall have the right to cross-examine each of the deponents filing the affidavit. Where the oral examination of each witness proceeds, the Tribunal shall make a memorandum of the substance of what is being deposed. While recording the oral evidence the Industrial Tribunal shall follow the procedure laid down in **Rule 4 of Order XVIII** through the **Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 2002**.

(10) On completion of evidence, arguments may be heard immediately or a date may be fixed for arguments, which shall not be beyond a period of fifteen days from the closure of evidence.

(11) The Tribunal shall not ordinarily grant an adjournment for a period exceeding a week at a time, but not in any case more than three adjournments in all, at the instance of the parties to the dispute, shall be granted:

Provided that, the Tribunal for reasons to be recorded in writing, grant an adjournment exceeding a week at a time but not in any case more than three adjournments, at the instance of any one of the parties to the dispute, shall be granted.

(12) In case any party defaults or fails to appear at any stage, the Tribunal may proceed with the case *ex-parte*, and decide the application in the absence of the defaulting party: Provided that, the Tribunal on the application of either party filed before the submission of the award, revoke the order that the case shall proceed *ex-parte*, if it is satisfied that the absence of the party was on justifiable grounds, and proceed further to decide the matter as contested.

(13) The Tribunal shall communicate its award to the parties concerned and the State Government within one month from the date of the pronouncement of the award.

(14) The Tribunal may summon and examine any person whose evidence appears to it to be material for deciding the case and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345, 346 and 348 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita, 2023.

(15) Where assessors are appointed to advise a Tribunal under sub-section (5) of section 49 in relation to proceeding before it, the Tribunal shall obtain the advice of such assessors, but such advice shall not be binding on such Tribunals.

(16) A party in an award, who wants to obtain a copy of the award or other document, may obtain a copy of the award or other document after depositing the fee electronically in the Tribunal in the following manner, namely: (a) fee for obtaining a copy of an award or the document filed in any proceedings of Tribunal be charged at the rate of ten rupees per page, (b) for certifying a copy of any such award or order or document, a fee of ten rupees per page shall be payable, (c) copying and certifying fees shall be payable electronically or manually, (d) where a party applies for immediate delivery of a copy of any such award or document, an additional fee equal to one-half of the fee leviable under this rule shall be payable.

(17) The representatives of the parties appearing before a Tribunal shall have the right of examination, cross-examination and of addressing the Tribunal when evidence has been called.

(18) The proceedings before Tribunal shall be held in open court:

Provided that, the Tribunal may direct any proceeding before it to be held by video conferencing:

Provided further that, Tribunal may at any stage direct that any witness shall be examined, or its proceedings be held in-camera.

37. Manner of appointment, term of office, salaries and allowances, resignation and other terms of conditions of service of Judicial and Administrative Members of the Industrial Tribunal under sub-section (5) of section 44:—(1) The Judicial and Administrative members of the Industrial Tribunal shall be appointed by the State Government on the recommendation of the selection committee.

(2) For the purpose of appointment of Judicial and Administrative members of the Industrial Tribunal, the State Government shall prepare a list of suitable persons after due consideration of applications received in which the qualifications of all persons, their past performance and experience of disposal of industrial disputes or judicial/quasi-judicial work shall be clearly stated.

(3) For the purpose of appointment of Judicial member of the Industrial Tribunal, the Selection Committee shall comprise of the following members namely.—

- (a) a Chief Justice of High Court or Justice of the High Court of Himachal Pradesh nominated by him-Chairperson;
- (b) one out-going member of the Tribunal-Member;
- (c) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary to Government of Himachal Pradesh in the Labour Department- Member,

(4) For the purpose of appointment of Administrative member of the Industrial Tribunal, the Selection Committee shall comprise of the following members, namely.—

- (a) Minister of Labour Department, Himachal Pradesh
- (b) one out-going member from the Government-Member;
- (c) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary to Government of Himachal Pradesh in the Labour Department- Member.

(5) The Selection Committee shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account the qualification, suitability, record of past performance, integrity as well as adjudicatory experience in view of the requirement of the Industrial Tribunal, shall recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to each post:

Provided that an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of Himachal Pradesh shall not be eligible to be appointed as an Administrative Member of the Tribunal.

(6) A Judicial or Administrative Member shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.

(7) The salary allowances of the Judicial and Administrative members of the Tribunal shall be,—

- (a) in case of appointment of a serving Judicial Government Officer, the existing salary and allowances admissible to him in previous service;
- (b) in case of appointment of a retired person, the salary and allowances last drawn reduced by the pension;
- (c) in case of appointment of a serving Judicial/ Government Officer, the allowances and other service conditions of a Judicial/Administrative member of the Tribunal shall be same as in their previous service.

(8) A retired person appointed as Judicial/Administrative Member shall be entitled for rent free accommodation or house rent allowance at the, rate as admissible to an officer of the Government of Himachal Pradesh holding Group-A post carrying the same pay.

(9) In case of appointment of a retired person, the other terms and conditions of service shall be such as specified by the State Government by general or special order.

(10) If a retired person appointed as Judicial or Administrative member does not join within a period of one month from the date of appointment, then the State Government may cancel his appointment and thereafter the vacant post shall be filled from the person in waiting list.

(11) If for any reason any vacancy occurs in the Industrial Tribunal, it shall be filled in the manner prescribed in sub-rule (4) of this rule.

(12) The State Government, if it deems necessary, may transfer a Judicial/Administrative member appointed in an Industrial Tribunal to another Industrial Tribunal and may give additional charge of Judicial/Administrative member of any Industrial Tribunal to the Judicial/Administrative member of another Industrial Tribunal.

(13) (a) If a written and verifiable complaint is received by the State Government, alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions as Judicial/Administrative Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

- (b) If on a preliminary scrutiny, the State Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehavior or incapacity of a Judicial/Administrative Member, it shall set up an inquiry which shall be headed by a person nominated by the Chairperson of the Selection Committee:

Provided that in case of an inquiry against a Judicial Member, the Chief Justice of High Court shall be consulted.

- (c) The Inquiry Officer shall complete the inquiry within a time of six months or such further time as may be specified by the Chairperson of the Selection Committee.

- (d) After the conclusion of the inquiry, the Inquiry Officer shall submit its report to the State Government stating its findings and the reasons therefor on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.

(14) The State Government after affording the principal of natural justice, may remove any Judicial/Administrative member from the Industrial Tribunal.

(15) A retired person appointed as Judicial/Administrative Member may resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the State Government.

(16) The State Government shall, on recommendation of the Selection Committee, remove from office any Judicial/Administrative Member, who,—

- (a) has been adjudged as an insolvent; or
- (b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude; or
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as such a Judicial Member:
or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Judicial Member; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that where a Judicial/Administrative Member proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), is he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.

Provided further that in case of removal of Judicial member, the Chief Justice of High Court shall be consulted.

(17) Matter relating to the terms and conditions of services with respect to which no express provisions has been made in these rules, shall be decided by the State Government after consultation Chairperson of the selection committee.

(18) In case of retired Judicial/Government Officer, transfer travelling allowance for joining the Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(19) The State Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of appointment, salary and allowances, resignation and other terms and conditions of service of Judicial/Administrative member of Industrial Tribunal.

CHAPTER VIII

STRIKES AND LOCK-OUTS

38. Manner of giving notice of strike under sub-section (4) of Section 62.—(1) The notice of strike referred to in sub-section (1) of section 62 shall be given to the employer of an industrial establishment in **Form XIX** which shall be duly signed by the Secretary and five elected representatives of the registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing the copy thereof electronically or otherwise to the concerned conciliation officer, Labour Commissioner, Himachal Pradesh and the State Government.

(2) If the employer of an industrial establishment receives from any person employed by him any notice of strike as referred to in sub-section (1) of section 62 then he shall within five days from the date of receiving of such notice, intimate the same electronically or otherwise to the concerned conciliation officer and Labour Commissioner, H.P.

39. Manner of giving notice of lock-out under sub-section (5) and authority under sub-section (6) of section 62.— (1) The notice of lock-out referred to in sub-section (2) of section 62 shall be given by the employer of an industrial establishment in **Form-XX** to the Secretary of every registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing a copy thereof to the concerned conciliation officer, Labour Commissioner and the State Government electronically or otherwise. The notice shall be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

(2) If the employer gives to any person employed by him a notice of lock-out, then he shall within five days from the date of such notice, intimate electronically or otherwise the same to the concerned conciliation officer.

CHAPTER IX

LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE

40. Manner of serving notice before retrenchment of worker under clause (c) of Section 70.—If any employer desires to retrench any worker employed in his industrial establishment who has been in continuous service for not less than one year under him then, such employer shall give notice of such retrenchment, in **Form-XXI** to the State Government, Deputy Labour Commissioner and the concerned area conciliation officer through e-mail and by registered or speed post.

41. Manner of giving an opportunity for re-employment to retrenched workers under section 72.—Where any vacancy occurs in an industrial establishment and there are workers of such industrial establishment retrenched within one year prior to the proposal for filling up such vacancy, then, the employer of such industrial establishment shall offer an opportunity at least ten days before by registered post or speed post and through e-mail to such retrenched workers who are citizens of India. If such workers give their willingness for employment then, the employer shall give them preference over other persons in filling up of such vacancy.

42. Manner of serving notice by employer for intended closure under sub-section (1) of section 74.—If an employer intends to close down fully or partially an industrial establishment he shall give notice of such closure in **Form-XXI** to the State Government and a copy thereof to the concerned Conciliation Officer by e-mail and registered post or speed post.

CHAPTER X

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE IN CERTAIN ESTABLISHMENTS

43. Manner of making application and serving copy of such application to workers under sub-section (2) of 78.—An application for permission of lay-off under sub-section (1) of section 78 shall be made by the employer in **Form-XXII** stating clearly therein the reasons for the intended lay off, electronically and registered post or otherwise and a copy of such application shall be served simultaneously to the worker concerned electronically and by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance of the industrial establishment.

44. Manner for application under sub-section (3) of section 78.—The employer shall in case of an industrial establishment being a mine specified in sub-section (3) of section 78 where the workers (other than Badli workers or casual workers) have been laid-off under sub-section (1) of section 78 for reasons of fire, flood or excess of inflammable gas or explosion, within a period of thirty days from the date of commencement of such lay-off, apply to the State Government electronically and by registered or speed post with a copy to the Deputy Labour Commissioner for permission to continue the lay-off specifying the number of days; intimating the number of workers to be laid-off, the total number of workers employed in the industrial establishment, the date of lay-off and the reasons for continuation of such lay-off.

45. Time limit for review under sub-section (7) of section 78.—The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (4) of the section 78 within a period of thirty days from the date on which such order is made.

46. Manner of making application for intended retrenchment and manner of serving copy of such application under sub-section (2) of section 79.—An application for permission referred to in sub-section (1) of section 79 shall be made by the employer in **Form- XXII** stating clearly therein the reasons for the intended retrenchment electronically or otherwise and a copy of such application shall also be sent to workers electronically and by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

47. Time limit for review under sub-section (6) of section 79.—The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (3) of section 79 within a period of thirty days from the date on which such orders is made.

48. Manner of making application for intended closing down and of serving copy of such application under sub-section (1) of section 80.—An employer who intends to close down fully or partially an industrial establishment to which Chapter X of the Code applies shall apply electronically and registered post or otherwise in **Form- XXII** for prior permission at least ninety days before the date on which intended closure is to become effective to the State Government, stating clearly therein the reasons for the intended closure of the industrial establishment and simultaneously a copy of such application shall also be sent to the representatives of the workers electronically and by registered post or speed post.

49. Time-limit for review under sub-section (5) of section 80.—The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission for closing down an industrial establishment under sub section (2) of section 80, within a period of thirty days from the date on which such order is made.

CHAPTER XI

WORKER RE-SKILLING FUND

50. Contribution from such other sources to be made to worker re-skilling fund under clause (b) of sub-section (2) of section 83.—In addition to contribution of employer under clause (a) of sub-section (2) of section 83, the workers re-skilling fund shall consist of,—

- (1) Corporate Social Responsibility fund of the Companies;

- (2) donations from Industrial or Employer or Builders association;
- (3) donations from Employees associations;
- (4) donations from citizens of India;
- (5) grants from Central and State Governments;
- (6) contributions from the Funds of Member of Parliament and State Legislatures;
- (7) grants or donations from local authority or such other institutions.

51. Manner of utilization of fund under sub-section (3) of section 83.—(1). Every employer who has retrenched a worker or workers under this Code, shall, within ten days, at the time of retrenching a worker or workers shall electronically transfer an amount equivalent to fifteen days of last drawn wages of such retrenched worker or workers in the account (name of the account) shall be displayed on the website of the Labour, Employment & Overseas Placement Department, Himachal Pradesh to be maintained by the State Government.

(2) The fund so received shall be transferred by the State Government to each worker or worker's account electronically within forty five days of receipt of funds from the employer and the worker shall utilize such amount for his re-skilling.

(3) The employer shall also submit the list containing the name of each worker retrenched, the amount equivalent to fifteen days of wages last drawn in respect of each worker along with their bank account details to enable the State Government to transfer the amount in their respective account.

CHAPTER XII

OFFENCES AND PENALTIES

52. Compounding of offences under section 89.—(1) The officer notified by the State Government for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 89 (hereinafter referred to as the compounding officer), shall in the offences in which prosecution is not instituted, is of the opinion that any offence under the Code for which the compounding is permissible under section 89, he shall send a notice to the accused in **Form XXIII** consisting of three Parts.

(2) In Part I of such Form, the compounding officer shall *inter-alia* specify;

- (a) the name of the offender and his other particulars,
- (b) the details of the offence and in which section the offence has been committed,
- (c) the compounding amount required to be paid towards the composition of the offence.

(3) The Part II of the Form shall specify the consequences if the offence is not compounded and Part III of the Form shall contain the application to be filed by the accused if he desires to compound the offence.

(4) Each notice shall have a continuous unique number containing alphabets or numeric and other details such as officer sending notice, year, place, type of inspection for the purpose of easy identification.

(5) The accused to whom the notice referred to in sub-rule (1) is served, may send Part III of the Form duly filled by him to the compounding officer electronically or otherwise and deposit

the compounding amount electronically or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice, in the account specified by the compounding officer in the notice.

(6) Where the prosecution has already been instituted against the accused in the competent Court, he may make an application to the Court to compound the offence against him and the Court, after considering the application, may allow Compounding of the offence by the compounding officer in accordance with provisions of section 89.

(7) If the accused complies with the requirement of sub-rule (2), the compounding officer shall compound the offence for the amount of money deposited by the accused and.

- (a) if the offence is compounded before the prosecution, then no complaint for prosecution shall be instituted against the accused; and
- (b) if the offence is compounded after institution of prosecution under sub-rule (3) with the permission of the Court, then, the compounding officer shall treat the case as closed as if no prosecution had been launched and will proceed in accordance with compounding as under clause (a) and intimate the compounding of offence to the competent Court in which the prosecution is pending and after receiving such intimation, the Court shall discharge the accused and close the prosecution.

(8) The compounding officer shall exercise the powers to compound the offence under this rule, subject to the direction, control and supervision of the State Government.

CHAPTER XIII

MISCELLANEOUS

53. Protected workers under sub-section (3) and (4) of section 90.—(1) Every registered Trade Union connected with an industrial establishment, to which the provisions of the Code apply, shall communicate to the employer before the 30th April of every year, the names and addresses of such of the officers of such Trade Union who are employed in that establishment and who, in the opinion of such Trade Union should be recognized as protected workers.

(2) Any change in the incumbency of any officer of the Trade Union referred to in sub-rule (1) shall be communicated to the employer by such Trade Union within fifteen days of such change.

(3) The employer shall, within fifteen days of the receipt of the names and addresses from the Trade Union under sub rule (1) and subject to the provisions of sub-section (3) and sub-section (4) of section 90, recognize such workers to be protected workers for the purposes of the said section and communicate to such Trade Union, in writing, the list of workers recognized as protected workers for a period of twelve months from the date of such communication.

(4) Where the total number of names received by the employer under sub-rule (1) exceeds the maximum number of protected workers, admissible for the industrial establishment under sub-section (4) of section 90, the employer shall recognize only such maximum number of workers as protected workers:

Provided that where there is more than one registered Trade Union in the industrial establishment, the maximum number shall be so distributed by the employer among the Trade Unions that the

numbers of recognized protected workers in individual Trade Unions bear practicably the same proportion to one another as the membership figures of the Trade Unions; and the employer shall in that case intimate in writing to the President or the Secretary of each of the concerned Trade Union, the number of protected workers allotted to it:

Provided further that where the number of protected workers allotted to such a Trade Union under this sub rule falls short of the number of officers of such Trade Union seeking protection, then that Trade Union shall be entitled to select the officers to be recognized as protected workers; and such selection shall be made by that Trade Union and communicated to the employer within five days of the receipt of written intimation of the employer in this regard.

(5) Where a dispute arises between an employer and any registered Trade Union in any matter connected with the recognition of protected workers under this rule, such dispute shall be referred to the Labour Officer concerned, whose decision thereon shall be final.

54. Manner of making complaint by an aggrieved worker under section 91.—(1) Every complaint under section 91 of the Code shall be made electronically and by registered post or speed post in **Form XXIV** and shall be accompanied by as many copies as there are opposite parties mentioned in the complaint.

(2) Every complaint under sub-rule (1) shall be verified by the worker making the complaint or by authorized representative of the worker proved to the satisfaction of the conciliation officer, arbitrator or Tribunal, as the case may be, to be acquainted with the facts of the case.

55. Manner of authorization of worker for representing in any proceeding under sub-section (1) 94.—Where the worker is not a member of any Trade Union, then, any member of the section of (1) executive or other office-bearer of any Trade Union connected with or by any other worker employed in the industry in which the worker is employed, may be authorized by such worker to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the worker is a party in **Form- XVII**.

56. Manner of authorization of employer under sub-section (2) of section 94.—Where employer, is not a member of any association of employers, he may authorize in **Form-XVII** to an officer of any association of employers connected with, or by any other employer engaged in the industry in which the employer is engaged to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the employer is a party.

57. Manner of holding an enquiry under sub-section (1) of section 85.—

Complaint .— (1) On receipt of a complaint of the offence committed under sub-sections (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) and (20) of section 86 and sub-section (7) of section 89, the same shall be enquired by any officer not below the rank of Deputy Labour Commissioner to the Government of Himachal Pradesh under sub-section (1) of section 85 (hereinafter referred to as the enquiry officer).

(2) Issue of Notice.— If the complaint filed is admitted by the Enquiry officer, he shall call upon the person or persons through a notice to be sent electronically or through speed/ registered post and a copy of the same to be posted on State Portal of the Govt. of Himachal Pradesh to appear before him on a specified date together with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the complainant of the date so specified.

(3) If the person or his representative fails to appear on the specified date, the Enquiry Officer may proceed to hear and determine the complaint *ex-parte*.

(4) If the complainant fails to appear on the specified date without any intimation to the Enquiry officer on two consecutive dates, the complaint may be dismissed.

Provided that not more than three adjournments may be given on the joint application made by complainant and the opposite party.

Provided further that the enquiry officers shall at his discretion permit hearing the parties or any of the party, as the case may be, through video conferencing.

(5) Authorisation.—The authorisation to appear on behalf of any person, under section sub-section (2) of section 85 shall be given by a certificate or electronic certificate, as the case may be, which shall be presented to the Enquiry Officer during the hearing of the complaint and shall form part of the record.

(6) Permission to appear.—Any person who intends to appear in the proceeding on behalf of complainant shall present before the Enquiry Officer and submit a brief written statement explaining the reason for his appearance. The Enquiry officer shall record an order on the statement and in the case of refusal shall include reasons for the same, and incorporate it in the record.

(7) Presentation of documents.— Complaint or other documents relevant to the complaint may be presented in person to the Enquiry Officer at any time during hours fixed by the Enquiry Officer, or may be sent to him electronically or by registered post or speed post.

(8) The Enquiry Officer shall endorse, or cause to be endorsed, on each document the date of the presentation or receipt, as the case may be. If the documents have been submitted electronically, no such endorsement shall be necessary.

(9) Refusal to entertain complaint,—

(i) The Enquiry Officer may refuse to entertain a complaint presented under sub-section (1) of section 85 if after giving the complainant an opportunity of being heard, the Enquiry Officer is satisfied, for reasons to be recorded in writing that—

(a) the complainant is not entitled to present the complaint; or

(b) the complainant is barred by limitation under the provisions of this Code

(c) the complainant fails to comply the directions given by the Enquiry Officer under sub-section (2) of section 85.

(ii) The Enquiry Officer may refuse to entertain complaint which is otherwise incomplete. He may ask complainant to rectify the defects and if the Enquiry Officer thinks that the complaint cannot be rectified he may return the complaint indicating the defects and, if he, so refuses shall return it at once indicating the defects. If the complaint is presented again, after the defects have been rectified, the date of representation shall be deemed to be the date of presentation for the purpose of sub-section (1) of section 85.

(10) Record of proceedings.—The Enquiry Officer shall in all cases mention the particulars at the time of passing of order containing the details, i.e., date of complaint, name and address of the complainant, name and address of the opposite party or parties, section-wise details of the offence committed, plea of the opposite party, findings and brief statement of the reason and penalty imposed with signature, date and place.

(11) Exercise of powers.—In exercise of the powers of a Civil Court, conferred under the Code of Civil Procedure, 1908, the Enquiry Officer shall be guided in respect of procedure by relevant orders of the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908, with such alterations as the Enquiry Officer may find necessary, not affecting their substance, for adapting them to the matter before him, and save where they conflict with the express provisions of this Code or these rules.

(12) Order or direction when to be made.—The Enquiry Officer, after the case has been heard, shall make the order or direction on a future date to be fixed for this purpose.

(13) Inspection of documents.—Any person, who is either a complainant or an opposite party or his representative, or any person permitted under sub-rule (3) shall be entitled to inspect any complaint, or any other document filed with the Enquiry Officer be, in a case to which he is a party.

58. Manner of engaging any employee or worker on fixed term employment.—Any employee or worker engaged on the term fixed basis of written contract of employment for fixed period within the meaning of section 2(o) shall not be engaged for the same work in an establishment for a total period exceeding three years:

Provided that, the total number of fixed term employee or worker shall not be engaged exceeding twenty per cent. of total employee or worker of the category.

59. Collection of Labour Statistics.—The employer shall submit the details of strike, lockout, lay-off, retrenchment, closure and any other statistics required under these rules electronically or otherwise and in the manner specified by the office of Director General, Labour Bureau, Government of India and State Government, from time to time.

60. Repeal and saving.— The Himachal Pradesh Industrial Disputes Rules, 1974, The Industrial Employment (Standing Orders) Himachal Pradesh Rules, 1973 and Amendment Rules, 1991; and The Himachal Pradesh Trade Unions Regulations, 1978 are hereby repealed. However, anything done or any action taken under these rules and regulations shall be deemed to have been validly done or taken under the corresponding provisions of the code.

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (LE&OP).

FORM-I

(See Rule 3)

Memorandum of settlement arrived at during conciliation/ or settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceedings

Names of Parties: Representing employer(s);
..... Representing workers;

Short recital of the case.....

Terms of settlement

Signature of the parties Witnesses:

(1)

(2)

Signature of conciliation officer.

In case the settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding the copy of the memorandum shall be marked to the concerned Joint / Deputy Labour Commissioner.

FORM –II

[See Rule 9(v)]

Auditors' Declaration

The undersigned having had access to the books and accounts of the..... union and having examined the foregoing statements and verified the same with the account vouchers relating thereto, now sign the same as found to be correct, duly vouched and in accordance with the law, subject to the remarks, if any, appended hereto and also certify that the..... union had properly maintained its membership register and its accounts and the members had paid their membership subscription to the..... union as shown in the foregoing statement of the general fund account of the trade union, subject to the remarks, if any, appended hereto.

(1) Auditor

(2) Auditor

FORM –III

[See Rule 10(1)]

Application for Registration of Trade Unions

Name of Trade Union:

Address:

Dated the day of 20.....

1. This application is made by the persons whose names are subscribed at the foot hereof
2. The name under which it is proposed that the Trade Union on behalf of which this application is made shall be registered is as set forth in Rule No
3. The address of the Head Office of the Union to which all communications and notices may be addressed is
4. The Union came into existence on the day of 20.
5. The union is a union of employers/workers engaged in the industry/or profession/or (establishment), and has members.
6. The particulars required by code in Schedule I, II, III is attached to this application
7. One copy of the Rules of the Union, is attached to this application

8. We have been duly authorized by the Trade Union to make this application on its behalf, such authorization consisting of

Sl. No.	Name	Occupation	Address	Signed
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

To

The Registrar of Trade Union,(Concern Area)

SCHEDULE I

Industrial Relations Code, 2020.

List of Officers

Name of Trade Union

Office Held in Union	Name	Age	Address	Occupation

SCHEDULE II

Reference to Rules

The number of the rules making provision for the several matters details in column (1) are given in column (2) below:

Matter (1)	Number of rules (2)
Name of Union	
The Whole of the objects for which the Union has been established	
The Whole of the purpose for which the general funds of the union shall be applicable.	
The maintenance of a list of members	
The facilities provided for the inspection of the list of members, by officer and members.	
The admission of ordinary members	
The admission of honorary or temporary members	
The condition under which members are entitled to benefits assured by rules.	
The conditions under which fines or forfeitures can be imposed or varied	
The manner in which the rules shall be amended, varied or rescinded	
The manner in which the members of the executive and the other officers of the union shall be appointed and removed.	
The safe custody of funds	

The annual audit of the accounts	
The facilities for the inspection of the account books by officers and members.	
The manner in which the union may be dissolved.	

SCHEDULE III

(This need not be filled in if the Union came into existence less than one year before the date of application for Registration)

Statement of Liabilities and Assets on the day of 20

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Amount of General Fund Amount of Political Fund		Cash In hands of Treasurer In hands of Secretary In hands of	
Loans from		In the Banks In the Bank	
Debts due to		Securities as per list below Unpaid subscription due Loans to.	
Other liabilities (to be Specified)		Immovable property : Goods and furniture Other assets (to be specified)	
Total Liabilities		Total assets	

List of Securities

Particulars	Face value	Cost Price	Market value	In hands of
(Signed) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.				

FORM-IV

[See Rule 10(2)]

I Shri/Smt -----

Address -----

Occupation -----

Age -----Years ----- truly declare in writing that on this date in this region for the purpose of this business meeting of the Union under the chairmanship of..... in which (Name of the Union) has been registered under The Industrial Relations Code 2020.

The name and the registration details is as follows:

Sl. No.				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

The above mentioned registrants and their deputation still stand valid and are still valid members of the Union.

On this date the executive committee was elected in the general election dated

The above mentioned persons have filed the application regarding cancellation of registration or registration in my case. According to my information, the application has been included in the list of members, attached membership list is true.

I swear and believe that the above said is true to my information and knowledge.

Date

Place

Signature.

FORM-V

(See Rule10(5))

Certificate of Registration of Trade Unions

Name of Trade Union-

Registration Number Office of the Registrar of Trade Union, (Concerned area) It is hereby certified that the Union having address has been registered under the Industrial Relations Code, 2020, this.....day of.....20.....

SEAL

Registrar of Trade Unions.

FORM-VI

(See Rule 10(7))

Register of Trade Union

Name of Trade Union -----

Date of Registration----- Remarks

Registration Number ----- Number of application form -----
 Addresses of Head Office -----

Subsequent changes of the address of the head office	Name of Members making application
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.
7.	7.
8.	8.

Offices (Transfer from one post to another count as relinquishment of appointment held)

Year of entering in office	Name	Office held in Union	Age on entry	Address	Occupation	Year of relinquishing Office	Other Offices held in addition to membership of executives with dates

FORM-VII

[See Rule 10(8)]

Request to withdraw or cancel Certificate of Registration

Name of Trade Union-

Registration Number

Dated the.....day of.....20.....

To,

Registrar of Trade Union

.....

The above mentioned Trade Union desires that its certificate of registration under the Industrial Relations Code, 2020, may be withdrawn (or cancelled) and at general meeting* duly held on the..... day of..... 20 it was resolved as follows

(Here give exact copy of Resolution)

(Signed)

If not at a general meeting, state in what manner the request has been determined upon

FORM-VIII

[See Rule 12(5)]

Application for any change in Particulars given by union in its application form for Registration and in its constitution or rules to Registrar

Name of Trade Union: Address: dated the day of 20.....
R/s sir,

we want to make following changes in application Form / in constitution / rules / office bearers etc. submitted along with the application Form dated —

1.
2.
3.

SEAL

Signature.

To,

The Registrar of Trade Union, (Concern Area)

FORM-IX

[See Rule 14(1),(2) and 15(1)]

Application for verification of Sole Negotiating Union

To,

The Conciliation Officer,
..... (for the area)

Sub : Application for verification of Sole Negotiating Union

Sir/madam,

We (name of trade union) registered under the Industrial Relations Code, 2020 having Registration No. is the only one union having fifty-one per cent membership in the (name of establishment) apply for negotiating union under sub-section (2) or (3) of section 14 of the Industrial Relations Code, 2020 in the same establishment for the first time or in place of union.

We hereby request you that please enquire in the matter and pass the necessary order.

Signature of President /General Secretary / Secretary

Encl: Statement of object

Copy to:

The Owner/Director / Manager of the establishment.

FORM-X

[See Rule 14(4) and 15(3)]

Certificate of Sole Negotiating Union

Name of Trade Union

Address of the Trade Union

Registration Number of Union.....

It is hereby certified that, as per the Order No., dated of Conciliation Officer of (area), (Name of the union) union has been recognized as a sole negotiating union for our establishment under sub-section (2) or (3) of section 14 of the Industrial Relations Code, 2020.

SEAL

Signature of the Employer.

Date :

Place :

Copy to – Concern Conciliation Officer.

FORM-XI

[See Rule 15(4)]

Application for verification of representative for negotiating council

To,

The Conciliation Officer,
..... (for the area)

Sub : Application for verification of representative for negotiating council

Sir/madam,

We hereby nominate Shri (name of representative) representative of the (name of trade union) having more than percent membership in -----(name of establishment) apply for negotiating council in the same establishment (4) of section 14 of the Industrial Relations Code, 2020 for the first time/ or in place under sub-section of Shri representative of (name of trade union).

We hereby request you that, please enquire in the matter and pass the necessary order.

Signature of President /General Secretary / Secretary.

Encl : (1) Statement of object

(2) Resolution passed in general body meeting of the union

Copy to: The Owner / Director / Manager of the establishment.

FORM-XII

[See Rule 15(5)]

Certificate of Representative of union for negotiating council

Name of representative

Name of Trade Union

Address of the Trade Union

Registration Number of Union

It is hereby certified that, as per the Order No. dated of conciliation officer, Shri representative of (name of trade union) has been recognized as a representative for negotiating council union under sub-section (4) of section 14 of the Industrial Relations Code, 2020 for our establishment.

Date :

Place :

SEAL

Signature of the Employer.

Copy to – Concern Conciliation Officer

FORM-XIII

[See Rule 18(2)]

Notice of Amalgamation of Trade Unions

A. Name of registered trade union

B. Number of registration

Serial No.	Name of the Trade Union	Registration Number	Address
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			

C. Dated the.....day of.....20.....

To,

The Registrar of Trade Unions,
(Concerned area)

Notice is hereby given that in accordance with the requirements of section 24 of the Industrial Relations Code 2020, the members of each of the above-mentioned trade unions have resolved to become amalgamated together as one trade union. Copies of the resolution approving the amalgamation are enclosed.

And that the following are the terms of the said amalgamation.

(State the terms)

And that it is intended that the trade union shall henceforth be called the

Accompanying with the notice, a copy of the Rules intended to be henceforth adopted by the amalgamated trade union, which are the rules (if so) of the union.

(To be signed by seven members and the Secretary of each trade union)

Name and address to (Signed)	1	Secretary
Which registered copy is to be sent	2	
	3	
	4	
	5	Members
	6	
	7	
	8	

FORM-XIV

[See Rule 10(3) and 20(1)]

General Statement prescribed under section 26 of the Industrial Relations Code, 2020

From 1st January,..... to 31st December.....

Part A

1. Name of Trade Union
2. Address.....
3. Registered Head Office.....
4. No. and date of certificate of Registration No..... date.....
5. To which category of industry the union belongs ? viz., the public sector or private sector.
6. Under whose jurisdiction the above-mentioned Industry falls? viz., whether Central Government or State Government.
7. Is the union affiliated to any All India Body? If so, state its name and affiliation number.No.....
8. Affiliation fee..... Rs.
9. Number and date of payment of affiliation fee to the All India Body.
Receipt No..... date.....
10. Number of the members of the Working Committee.
11. Number of outsider members, if any, in the Working Committee.
12. Name of the industry to which the union belongs.
13. Details about the jurisdiction of the union.
14. Monthly subscription for the members.
15. (This information need not be given by federations of trade unions) :

(a) Number of members on books at the beginning of the year

- (b) Number of members admitted during the year (Total of (a) and (b))
- (c) Number of members leaving the union during the year
Balance by deduction from the Total of (a) and (b)
- (d) Total number of members on books at the end of the year (i.e., on 31st December): Males..... Females.....
Total..... (e) Number of members contributing to political fund.
- (f) Number of members paying their subscription for the whole year.

16. Return to be made by federations of trade unions :

- (a) Number of unions affiliated at the beginning of the year.
- (b) Number of unions joining during the current year.
- (c) Number of unions disaffiliated during the year.
- (d) Number of unions affiliated at the end of the year.
- (e) Membership fee realised from the affiliated unions. Rs.....
- (f) Number of affiliated unions from whom membership fee was received during the year.
- (g) Number of affiliated unions contributing to political fund.
- (h) Number of members of affiliated unions. Males.....
Females.....
Total.....

Note :— Information in regard to—

1. (a) Columns 1 to 13 of Part A of this statement to be filled in by both the categories, i.e., unions and federations.

(b) Columns 14 and 15 to be filled in only by the trade unions, not by federations

(c) Column No. 16 to be filled in only by the federations.

2. A copy of the rules of the trade union corrected up to the date of dispatch thereof to be enclosed with the statements of annual return.

Part B

General Fund Account

Income Details	Rs.	Details	Expenditure Rs.
1. Balance at the beginning of the year.		1. Salaries, allowances and expenses of offices.	
2. Subscription received from members as per the following details :		2. Salaries, allowances and other expenses of the establishment	
(a) Subscription received for the current year.		3. Auditors fees.....	
(b) Subscription in arrears		4. Legal expenses.....	
		5. Expenses in conducting trade	

for the current year.	disputes.
(1) Subscription in arrears for 3 months or less.	6. Compensation paid to members for loss arising out of trade disputes.
(2) Subscription in arrears for 6 months or more than 6 months.	7. Funeral, old age, sickness, unemployment benefits, etc.
(c) Subscription in arrears for more than one year	8. Educational social and Religious benefits.
Total	
3. Donations.	9. Cost of publishing periodicals
4. Interest on investments	10. Rents, rates and taxes
5. Sales of periodicals, books and rules, etc.	11. Stationery, printing and postage.
6. Income from miscellaneous sources (to be specified).	12. Expenses incurred under Rule 15(1) (j) of this rule.
	13. Other expenses (to be specified)
(1).....	(1).....
(2).....	(2).....
(3).....	(3).....
(4).....	Total Expenditure.....
(5).....	
(6).....	Balance at the end of the year.....
Total.....	

Treasurer.

Part C

Statement of Liabilities and Assets of Trade Union

On..... 20.....

Liabilities

Assets

Details Rs.	Rs.	Details
1. Amount of general fund	1. Cash	
2. Amount of political fund	(a) In hands of the Treasurer	
3. Loans from ...	(b) In hands of the Secretary or other person to be named.	
	2. In the Bank	
4. Arrears to be paid -	3. Securities (as per list in Part D)	
	4. Unpaid subscription due (as shown in Part B in columns (b) and (c))	
5. Other liabilities (to be specified)		
(1).....	(a) Amount of the current year's subscription	

(2).....	(b) Amount of the last year's subscription
(3).....	5. Loans
(4).....	(a) Officers
	(b) Members
	(c) Others
	6. Immovable Property
	7. Goods and furniture-
	(a) Of the current year
	(b) Of the last year
	8. Other assets
Total.....	Total.....

Part D**List of Securities**

Particulars	Pace Value	Cost Price	Market price at date on which accounts have been made up	Deposited with
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Part E**Political Fund Account**

Income
Expenditure

Details	Rs.		Details	Rs.
1.	Balance at the beginning of the year	1.	Payments made on objects specified Rule 16(2) of this rule	
2.	Contributions from members	2.	Expenses of management (to be fully specified)	
			Total	
			Balance at the end of the year	
	Total		Total	

Part F**Auditors' Declaration**

The undersigned having had access to till the books and accounts of the.....and having examined the foregoing statements and verified the same with the account vouchers relating thereto, now sign the same as found to be correct, duly vouched and in accordance with the law, subject to the remarks, if any, appended hereto and also certify that the.....had properly maintained its membership register and its accounts and the members had paid their

membership subscription Rs.....to the.....as shown in the foregoing statement of the general fund account of the trade union, subject to the remarks, if any, appended hereto.

(1) Auditor

(2) Auditor

Part G

Officers appointed by election or nomination

Name	Date of Birth	Home Address	Occupation	Office held in the union	Whether by election or nomination	Date on which appointment in column (5) was taken up
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Part H

The following changes of officers have been made during the year:

Officers relinquishing office

No.	Name	Office	Date of relinquishing office
(1)	(2)	(3)	(4)

I do solemnly declare that above information is true to best of my knowledge. This verification is signed by me at..... onday of.....20.....

Signature.

FORM-XV

[See Rule 31(1)]

Notice of change of service conditions proposed by an employer

Name of employer.....

Address.....

Dated theday of20.....

In accordance with sub-section (1) of section 40 of the Industrial Relations Code, 2020 I/We hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to affect the change/changes specified in the annexure, with effect from in the conditions of service applicable to workers in respect of the matters specified in the Third Schedule to this code.

Signature.....
Designation.....

ANNEXURE

(Here specify the change/changes intended to be effected)

Copy forwarded to :

1. The Secretary of registered Trade Union, if any.
2. The Labour Inspector-*cum*-Facilitator.

FORM-XVI

[See Rule 32(1)]

Agreement for voluntary arbitration

BETWEEN

.....Name of the parties representing employer (s) and
.....Representing workers It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of [here specify the name(s) and address (es) of the arbitrator(s)].

- (i) Specific matters in dispute.
- (ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.
- (iii) Name of the worker in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the worker or workers in question.
- (iv) Total number of workers employed in the undertaking affected.
- (v) Estimated number of workers affected or likely to be affected by the dispute.

We further agree that the majority decision of the arbitrators, shall be binding on us in case the arbitrator(s) are equally divided in their opinion they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us.

The arbitrator (s) shall make his (their) award within a period of (here specify the period agreed upon by the parties) from the date of publication of this agreement in the Gazette by the State Government or within such further time as is extended by mutual Official agreement between us in writing. In case, the award is not made within the period afore mentioned, the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitrator.

*Signature of the parties Representing employer/
Representing worker/ workers.*

Witnesses

1.
2.

Copy to :

- (i) The Conciliation Officer (***here enter office address of the Conciliation Officer for the area concerned).
- (ii) The Principal Secretary/Secretary to the Government of Himachal Pradesh.

FORM-XVII

[See Rules 34,55 and 56]

Authorization by a worker, group of workers, employer, group of employers to be represented in a proceeding before the authority under this Code.

Before the Authority
(Here mention the authority concerned)

In the matter of : (Mention the name of the proceeding)workers

Versus

.....

Employer I/we hereby authorize Shri / Sarvashri (if representatives are more than one)
1.....2..... 3 to represent me/us in the above matter. Dated this.....day
of.....20.....

*Signature of person(s) nominating the
representative(s) Address Accepted*

FORM-XVIII

[See Rule 36(5)]

Application to be submitted before the Tribunal in the matter not settled by the conciliation officer

Before..... (here mention the name of the Tribunal having jurisdiction over the area)

In the matter of : Applicant

Address.....

VersusOpposite party(ies)

Address.....

The above mentioned applicant begs to state as follows :- (Here set out the relevant facts and circumstances of the case).

The applicant prays that the instant dispute may please be admitted for adjudication and request to pass appropriate Award.

Date

Place

Signature of Applicant.

FORM-XIX

[See Rule 38(1)]

Notice of strike to be given by Union (Name of Union) / Group of Workers

Name of five elected representatives of workers.....

Dated the.....day of.....20.....

To

(The name of the employer).

Dear Sir/Sirs,

In accordance with the provisions contained in sub-section (1) of section 62 of the Industrial Relations Code, 2020 I/We hereby give you notice that I propose to call a strike / we propose to go on strike on..... 20...., for the reasons explained in the annexure.

Yours faithfully,

(Secretary of the Union)

Five representatives of the workers duly elected at a meeting held on (date), vide resolution attached.

ANNEXURE

Statement of the Case

Copy to :

(1) Labour Commissioner, Himachal Pradesh

(2) Conciliation Officers of the concerned area

FORM- XX

[See Rule 39(1)]

Notice of lock-out to be given by an employer of an industrial establishment

Name of employer

Address

Dated the.....day of.....20.....

In accordance with the provisions of section 62(6) of the Industrial Relations Code, 2020, I/we hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect lock-out in..... department(s), section(s) of my/our establishment with effect from..... for the reasons explained in the annexure.

Signature.....

Designation.....

ANNEXURE

1.	Statement of reasons

Copy forwarded to :

- (1) The Secretary of the Registered Union, if any
- (2) Conciliation officer (Here enter office address of the Conciliation Officer concerned area.).
- (3) Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

FORM-XXI

(See Rules 40 and 42)

Notice of Intimation of Retrenchment/Closure to be given by an employer to the State Government.

[In cases of Part-I, the prior notice of intimation should be served thirty days before the commencement of retrenchment and in cases of Part-II, i.e., closure, prior notice of intimation of sixty days is required to be given before the commencement of closure]

Name of Industrial Establishment or Undertaking or Employer

Address.....

Dated (DD/MM/YYYY).

To,

Sir/Madam,

The Principal Secretary /Secretary(LE&OP)

to the Government of Himachal Pradesh.

Part-I**(Retrenchment)**

1. Under clause (c) of section 70 of the Industrial Relation Code, 2020, I/ we hereby inform you that I/we have decided to retrench (number of workers)..... workers with effect from. (DD/MM/YYYY) for the reasons explained in the Annexure-I.

2. The workers concerned have been given on the (DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required. or The worker (s) have been given on the.....(DD/MM/YYYY) one month's pay in lieu of notice as required.

3. The total number of workers employed in the industrial establishment/undertaking areand the total number of those who are being retrenched are.....

Part-II

(Closure)

1. Under sub section (1) of section 74 of the Industrial Relation Code, 2020, I/we here by inform you that I/we have decided to close down (name of the industrial establishment or undertaking or employer) with effect from (DD/MM/YYYY) for the reasons explained in the Annexure-I.

2. The number of workers whose services would come to an end on account of the closure of the industrial establishment or under taking are (number of workers).

Number of workers

Category and designation of workers, who have been affected due to closure.

I/We hereby declare that the worker/workers concerned has/have been/will be paid compensation due to them under section 75 of the Industrial Relations Code, 2020 before or on the date of expiry of the notice period.

Yours faithfully,

(Name & Designation of the employer/
Authorized Representative).

ANNEXURE-I

Statement of Reasons for retrenchment/closure (strike whichever is not applicable)

Copy to :

1. Labour Commissioner, Himachal Pradesh
2. Conciliation Officers of the concerned area.

FORM – XXII

(See Rules 43, 46 and 48)

Form of application for permission of Lay-off or Retrenchment or Closure in Industrial establishments or Undertaking to which provisions of Chapter-X of the Industrial Relations Code, 2020 applies.

To,
The Principal Secretary/Secretary (LE&OP) to the
Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.

Sir/Madam,

1. Under *sub-section (2) of section 78 of the Industrial Relations Code, 2020, I/we hereby apply for “permission to lay-off workers (indicate number in figures and words) out of total of..... workers (indicate number in figures and words) employed in my/our establishment with effect from (DD/MM/YYYY) for the reasons set out in the Annexure-I.

2. Under sub-section (2) of section 79 of the Industrial Relations Code, 2020, I/we hereby apply for permission for proposed retrenchment of workers (indicate number in figures and words) with effect from (DD/MM/YYYY) for the reasons set out in the Annexure-I.

3. The workers concerned have been given* notice in writing as required under clause (a) of sub-section (1) of section 79. The worker concerned have not* been given notice since the retrenchment is under an agreement (copy of which is enclosed) as provided in the proviso to the said clause.

4. Under section 80(1) of the Industrial Relations Code, 2020, I / we hereby inform you that I/ we propose to **close down the undertaking specified below of (name of the industrial establishment). (Give details as in Annexure-II) with effect from (DD/MM/YYYY)

5. The number of workers whose services will be terminated on account of the closure of the undertaking is. (Number of workers).

Permission is solicited for the lay-off,/ to continue lay-off, or retrenchment of the workers , or, closure of the said establishment.

All such workers permitted to be laid-off or retrenched or terminated due to closure will be paid such compensation, to which they are entitled under section 67, read with section 78(10), or, 79(9) or, 80(8) respectively of Industrial Relations Code, 2020 as per the details given below.

Yours faithfully,
(Signature)

(*Strike off which is not applicable)

(**The application for permission in case of closure must be given at least 90 days before of the intended closure)

ANNEXURE I

	Total No. of workers/No. of to be Retrenched	Unskilled (total No. of workers/ to be retrenched)	Semi-skilled (total No. of workers/ to be retrenched)	Skilled (Total No. of workers/ to be retrenched)	Highly skilled (Total No. of workers/ to be retrenched)
1.					
2.	Reasons for lay-off/retrenchment/Closure (strike out whichever is not applicable)				

ANNEXURE- II

	Particulars	Remarks, if any
1.	Name of the industrial establishment/ undertaking with complete postal address along with Pin Code, e-mail, telephone number (s).	

2.	Status of undertaking— (i) Whether central public sector/State public sector/Foreign majority company /joint sector company, etc., (In case of foreign holding company then indicate the extent of foreign holding)	Indicate the status of the company
	(ii) Whether a private limited company/partnership firm or proprietorship firm	
3.	(a) MCA number	
	(b) GSTN number	
	(c) Registration number of the labour department	
4.	(a) *Names and identification number of the affected workers proposed to be laid-off/retrenched/ to be affected by closure.	The identification number UAN of EPFO under SS Code.
5.	(i) Annual production, item wise for pre-ceding three years	
	(ii) Production figures, month-wise, for the preceding twelve months,	
6.	Balance sheets, profit and loss accounts and audit reports for the last three years.	To be annexed
7.	Net worth of the company	
8.	Names of the inter-connected companies or companies under the same management.	
9.	Details of lay-off/Retrenchment resorted to in the last three years (other than the lay-off/Retrenchment for which permission is sought), including the periods of such lay-offs/ Retrenchment the number of workmen involved in each such lay-off/ Retrenchment /continuation of lay off	
10.	Any other relevant details which have bearing on lay-off or retrenchment or Closure.	

Copy to :

1. Labour Commissioner, Himachal Pradesh
2. Conciliation Officers of the concerned area.

FORM-XXIII

(See Rule 51)

Notice to the Employer who committed an offence for the first time under this code, for compounding of offence under sub-section (4) of section 89,

The undersigned and the Compounding Officer under sub-section (1) of section 89 of the Industrial Relations Code, 2020 hereby intimates that the allegation has been made against you for committing offence for the violation of various provision of this Code as per the details given below;

PART-I

1. Name and Address of the offender Employer
2. Address of the Establishment.....

3. Particulars of the offence.....
4. Section of the Code under which the offence is committed.....
5. Compounding amount required to be paid towards composition of the offence

PART-II

You are advised to deposit the above mentioned amount within fifteen days from the date of issue of this notice for compounding the offence as per section 89 (1) of the Industrial Relations Code, 2020, along with an application dully filled in Par –III of this notice.

In case you fail to deposit the said amount within the specified time, no further opportunity shall be given and necessary direction for filing of prosecution under section shall be issued. \

Date:

Place:

(Signature of the Compounding Officer).

PART-III

Application under sub-section (4) of section 89 of the Industrial Relations Code, 2020 for compounding of offence

1. Name of applicant (name of the employer who committed the offence under the Industrial Relations Code, 2020 to be mentioned
2. Address of the applicant
3. Particulars of the offence.....
4. Section of the Code under which the offence has been committed
5. Details of the compounding amount deposited (electronically generated receipt to be attached).....
6. Details of the prosecution, if filed for the violation of above mentioned offences may be given.....
7. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence
8. Any other information which the applicant desires to provide

Applicant
(Name and signature)

Date :

Place :

To,

The Compounding Officer

FORM-XXIV

[See Rule 54(1)]

(Complaint under section 91 of the Industrial Relations Code, 2020) Before the Conciliation officer/Arbitrator/Tribunal

In the matter of Reference No.....

A.....

Complainant(s);

Versus

B.....

Opposite Party(ies).

Address:

The petitioner (s) begs/beg to complain that the has/have been guilty of a contravention of the provisions of section 90 of the Industrial Relations Code, 2020, as shown below :

(Here set out briefly the particulars showing the manner in which the alleged contravention has taken place and the grounds on which the order or act of the management is challenged.)

The complainant(s) accordingly prays/pray that the conciliation officer/ Arbitrator/ Industrial Tribunal or National Tribunal may be pleased to decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper.

The number of copies of the complaint and its annexure required under section 91 of the Industrial Relations Code, 2020 are submitted herewith.

Dated this.....day of.....20

Signature of the Complainant(s)

Verification

I, do solemnly declare that what is stated in paragraph above is true to my knowledge and that what is stated in paragraphs..... above is stated upon information received and believed by me to be true. This verification is signed by me at..... onday of.....20.....

Signature of the person verifying.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh,
Principal Secretary to Government.
